



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 197]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 1, 2009/चैत्र 11, 1931

No. 197]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 1, 2009/CHAITRA 11, 1931

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अप्रैल, 2009

सा.का.नि. 229(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) की धारा 79 के उप-खण्ड (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

अध्याय-I

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमित दायित्व भागीदारी नियम, 2009 है।

(2) (क) इन नियमों के नियम 1 से 31, नियम 34 से 37 और नियम 41, 1 अप्रैल, 2009 से प्रवृत्त होंगे।

(ख) इन नियमों के नियम 32 और 33 और नियम 38 से 40, उस तारीख को प्रवृत्त होंगे, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. परिभाषाएं

(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(i) "अधिनियम" से अभिप्रेत सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) है;

(ii) "उपाबंध" से इन नियमों का उपाबंध अभिप्रेत है;

(iii) "प्रमाणित करने वाला प्राधिकारी" से अभिप्रेत वह व्यक्ति है जिसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 (2000 का 21) की धारा 24 के अधीन डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र जारी करने की अनुज्ञप्ति अनुदत्त की गई है ;

(iv) "अभिहित भागीदार पहचान संख्या" (डीपीआईएन) से अभिप्रेत एक ऐसी पहचान संख्या से है जिसे केन्द्रीय सरकार, सीमित दायित्व भागीदार के पहचान के प्रयोजनार्थ अभिहित भागीदार नियुक्त किए जाने वाले किसी व्यक्ति अथवा किसी निगमित निकाय के नामनिर्देशिती को आबंटित कर सकती है ।

(v) "डिजिटल हस्ताक्षर" से अभिप्रेत इलेक्ट्रानिक पद्धति के माध्यम से अथवा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार प्रक्रिया के अंशदाताद्वारा किसी इलेक्ट्रानिक रिकार्ड का अधिप्रमाणीकरण करना है ;

(vi) "डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र" से तात्पर्य सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 35 की उपधारा (4) के अधीन जारी डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र है ;

(vii) "इलेक्ट्रानिक रिकार्ड" से अभिप्रेत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 2 के खंड (न) के अधीन परिभाषित इलेक्ट्रानिक रिकार्ड है ;

(viii) "इलेक्ट्रानिक रजिस्ट्री" से अभिप्रेत एक इलेक्ट्रानिक आधान अथवा भंडारण प्रणाली है जिसमें सूचना अथवा दस्तावेज प्राप्त, भण्डारण संरक्षित और इलेक्ट्रानिक प्ररूप में परिरक्षित किए जाते हैं ;

(ix) "इलेक्ट्रानिक मेल (ई-मेल)" से अभिप्रेत कम्प्यूटर आधारित संचार तंत्र के माध्यम से संदेश डिजिटल प्ररूप में भेजे, प्राप्त अथवा अग्रेसित किए जाते हैं ;

(x) 'अधिकारी' में कोई भागीदार, अभिहित भागीदार, सीमित दायित्व भागीदारी का कोई कर्मचारी, कोई भी व्यक्ति जिसके निदेशों अथवा अनुदेशों के अनुसार सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदार कार्यवाई करने के लिए अभ्यस्त हैं और किसी विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी तथा ऐसी विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदारों की ओर से सेवाओं को लेने के लिए प्राधिकृत कोई व्यक्ति सम्मिलित है;

(xi) "प्री-फिल" से अभिप्रेत इलेक्ट्रानिक रजिस्ट्री में अनुरक्षित डाटाबेस में से कम्प्यूटर प्रणाली द्वारा डाटा इनपुट की आटोमेटेड प्रक्रिया है ;

(xii) "अनंतिम अभिहित भागीदार पहचान संख्या" कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा स्थापित इलेक्ट्रानिक प्रणाली द्वारा तैयार की गयी अनंतिम पहचान संख्या है ;

(xiii) "रजिस्ट्रार" से अभिप्रेत अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (घ) के अधीन परिभाषित रजिस्ट्रार है ;

(xiv) "रजिस्ट्रार का फ्रंट कार्यालय" से अभिप्रेत केन्द्रीय सरकार अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत किसी एजेंसी द्वारा अनुरक्षित कार्यालय है ताकि दस्तावेजों की ई-फाइलिंग इलेक्ट्रानिक रजिस्ट्री सुकर बनाया जा सके और उनके निरीक्षण और समीक्षा की जा सके ;

(xv) "धारा" से अभिप्रेत अधिनियम की कोई धारा है ;

(xvi) "वेबसाइट" से अभिप्रेत इंटरनेट से जुड़ा कोई स्थान है जिसमें एक अथवा अधिक वेब पेज होते हैं ;

(2) इन नियमों में प्रयुक्त और अपरिभाषित शब्द और अभिव्यक्तियों का अभिप्रेत सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 (2000 का 21) में उन्हें क्रमशः दिए गए अभिप्रेत से है।

**3. प्ररूप**

- (1) प्रत्येक सीमित दायित्व भागीदारी इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए इन नियमों से उपाबंध प्ररूप का उपयोग करेगी ।
- (2) प्रत्येक सीमित दायित्व भागीदारी उनमें अपनी सीमित दायित्व भागीदारी पहचान संख्या (एलएलपीआईएन) को निर्दिष्ट करेगी ।

**4. इलेक्ट्रानिक प्ररूपों का अधिप्रमाणीकरण**

इलेक्ट्रानिक प्ररूप को, डिजिटल हस्ताक्षर का प्रयोग करने वाले प्राधिकृत हस्ताक्षरी द्वारा अधिप्रमाणीकृत किया जाएगा जैसाकि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) के अधीन परिभाषित किया गया है ।

**5. शुल्क**

- (1) अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के अनुपालन में देय शुल्क और ये नियम उपाबंध 'अ' में उल्लेख किए अनुसार होंगे
- (2) अधिनियम अथवा बनाए गए किसी नियम अथवा उसके अधीन जारी अधिसूचना के अनुपालन में देय शुल्क का भुगतान भारत के लोक लेखे में किया जाएगा ।

परंतु कि रजिस्ट्रार को देय शुल्क का भुगतान रजिस्ट्रार के कार्यालय वाले शहर अथवा नगर में स्थित बैंक अथवा पोस्ट आफिस में देय पोस्टल आर्डर (जिसमें दी गयी राशि 50 रु. से अधिक न हो) अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से आहरित, यथास्थिति किया जा सकता है ।

परंतु यह और कि जहां रजिस्ट्रार को देय शुल्क का भुगतान, पूर्व में किए गए उल्लेख के अनुसार पोस्टल आर्डर अथवा चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से किया जाएगा, पोस्टल आर्डर अथवा ड्राफ्ट की राशि नकद न मिल जाए और राशि जमा न हो जाए तब तक भुगतान कर दिया गया नहीं माना जाएगा ।

परन्तु, यह भी है कि जहां आवेदन इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से किसी अन्य कम्प्यूटर पठनीय मीडिया के माध्यम से भरा जाता है, उपयोगकर्ता निम्नलिखित भुगतान विकल्प में से किसी का चयन कर सकता है, अर्थात् (i) क्रेडिट कार्ड, अथवा (ii) इन्टरनेट बैंकिंग अथवा (iii) बैंक काउन्टर पर प्रेषण, अथवा (iv) केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किसी अन्य पद्धति ।

6. दस्तावेजों, प्ररूपों, सूचनाओं, विवरण, रिटर्न आदि की फाइलिंग, रिकार्डिंग, अथवा रजिस्ट्रिंग का तरीका और शर्त इन नियमों के अध्याय XIII में किए गए उल्लेख के अनुसार होंगी ।

**अध्याय-II****सीमित दायित्व भागीदारी का स्वरूप**

7. धारा 7 की उपधारा (3) के प्रयोजनार्थ सीमित दायित्व भागीदारी के अभिहित भागीदार के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को प्ररूप 9 में अपनी पूर्व अनुमति देनी होगी ।
8. धारा 7 की उपधारा (4) के प्रयोजनार्थ, उस व्यक्ति के विवरण, जिसने अभिहित भागीदार के रूप में कार्य करने के लिए अनुमति दी है, को उपाबंध 'अ' में उल्लिखित शुल्क के साथ प्ररूप 4 में भरे जाएंगे ।
- 9(1) वह व्यक्ति सीमित दायित्व भागीदारी का अभिहित भागीदार नियुक्ति किए जाने का दाव नहीं होगा, यदि वह —
- (क) पिछले 5 वर्षों में किसी भी समय उसे दिवालिया घोषित कर दिया गया हो ; अथवा
- (ख) निलम्बित है, अथवा पिछले वर्षों में किसी भी समय अपने जमाकर्ता के भुगतान को निलम्बित किया हो और पिछले 5 वर्षों में किसी भी समय उनके साथ संयोजन नहीं किया है ; अथवा

(ग) नैतिक रूप से भ्रष्ट है अथवा इस अपराध में सम्मिलित होने पर किसी न्यायालय द्वारा उसे छः महीने से अधिक समय तक इस संबंध में सजा दी गयी है ; अथवा

(घ) किसी न्यायालय द्वारा अधिनियम की धारा 30 में सम्मिलित होने वाले किसी अपराध के लिए सिद्ध दोषी किया गया है ।

(2) केंद्रीय सरकार सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, या तो सामान्यतया अथवा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी सीमित दायित्व भागीदारी से संबंधित उप नियम (1) के खंड (क) तथा खण्ड (ख) द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा की गयी निरक्षता को दूर कर सकती है।

### **अध्याय—III**

#### **अभिहित भागीदार पहचान संख्या**

10(1) प्रत्येक व्यक्ति अथवा निगमित निकाय का कोई नामित, जो सीमित दायित्व भागीदार के अभिहित भागीदार के रूप में नियुक्त किए जाने का आशय रखता है, अभिहित भागीदार पहचान संख्या (डीपीआईएन) को प्राप्त करने के लिए प्ररूप 7 में केंद्रीय सरकार को इलेक्ट्रानिक तौर पर आवेदन करेगा।

(2) केंद्रीय सरकार कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट के पोर्टल के माध्यम से डीपीआईएन के आबंटन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के लिए इलेक्ट्रानिक प्रणाली को सुकर बनाएगा।

(3) आवेदक पोर्टल से प्ररूप 7 से प्राप्त करेगा, उसमें अपेक्षित सभी विवरणों को भरेगा और उसमें दिए गए 'सबमिट' का प्रयोग करेगा, जिसके पश्चात सिस्टम अनंतिम डीपीआईएन निर्धारित स्थान पर तैयार करेगा और दर्शाएगा।

(4) आवेदक द्वारा उप नियम (3) के अधीन आनलाइन बनायी गयी अनंतिम अभिहित भागीदार पहचान संख्या, इसे बनाए जाने की तारीख से 60 दिनों तक वैध रहेगा।

(5) (i) अनंतिम डीपीआईएन आबंटन के पश्चात, आवेदक, अनंतिम डीपीआईएन बनाए जाने की तारीख से 60 दिन के भीतर नियमित अभिहित भागीदार पहचान संख्या के आबंटन के लिए उपाबंध-अ में निर्धारित शुल्क के साथ केंद्रीय सरकार को औपचारिक आवेदन प्रस्तुत करेगा, ऐसा न करने पर अनंतिम डीपीआईएन समाप्त हो जाएगा।

(ii) उप नियम (i) के अधीन आवेदन करने के लिए आवेदक प्ररूप 7 का प्रिन्ट निकालेगा और उस प्ररूप में निर्धारित स्थान पर फोटोग्राफ चिपकाएगा, पहचान की सत्य प्रतियां और आवास का प्रमाण पत्र संलग्न करेगा तथा उसमें विनिर्दिष्ट स्थान पर स्वयं हस्ताक्षर करेगा। फोटोग्राफ, पहचान तथा आवास प्रमाण पत्र निम्नलिखित अधिकारियों में से किसी एक द्वारा प्रमाणित किया जाएगा :

(क) केंद्रीय अथवा राज्य सरकार का राजपत्रित अधिकारी :

(ख) नोटरी पब्लिक :

(ग) चार्टर्ड अकाउण्टेंट अधिनियम, 1949, लागत एवं सकर्म अकाउण्टेंट अधिनियम, 1959 तथा कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 के अधीन क्रमशः चार्टर्ड अकाउण्टेंट, लागत अकाउण्टेंट अथवा कंपनी सचिव के कार्य प्रमाण पत्र धारक । कंपनी सचिव, चार्टर्ड अकाउण्टेंट लागत एवं निर्माण अकाउण्टेंट।

(6) केंद्रीय सरकार, उपनियम (5) के अधीन डीपीआईएन के आबंटन के लिए प्राप्त आवेदनों पर कार्रवाई करेगी, ऐसे आवेदन पर विनिश्चय करेगी और ऐसे आवेदन के प्राप्त होने के एक मास की अवधि के भीतर, अनुमोदन अथवा अस्वीकार के मामले में आबंटित डीपीआईएन के साथ डाक पत्र अथवा इलेक्ट्रानिक अथवा किसी अन्य प्रणाली से सूचित करेगी।

(7) इस प्रकार आबंटित अभिहित भागीदार पहचान संख्या उस आवेदक के जीवनभर वैध होती है और उसे किसी भी मामले में किसी अन्य व्यक्ति को आबंटित नहीं की जाएगी।

(8) प्रत्येक अभिहित भागीदार, अभिहित भागीदार बनने के लिए अपनी स्वीकृति की सूचना सीमित दायित्व भागीदारी को और डीपीआईएन को प्ररूप 9 में देगा और एलएलपी ऐसी अभिहित भागीदार पहचान संख्या की सूचना प्ररूप 26 में रजिस्ट्रार को देगी ।

(9) (क)(i) उप नियम (5) के अधीन प्ररूप 7 में उल्लिखित विवरण में कोई परिवर्तन होने पर प्रत्येक अभिहित भागीदार, जिसे इन नियमों के अधीन अभिहित भागीदार पहचान संख्या आबंटित की गयी है, प्ररूप 10 का प्रयोग करके विवरणों में परिवर्तन(नों) के 30 दिनों की अवधि के भीतर केन्द्रीय सरकार को ऐसे परिवर्तन(नों) की सूचना देगा ।

(ii) संबंधित अभिहित भागीदार ऐसे परिवर्तन की सूचना 30 दिनों के भीतर उन सीमित दायित्व भागीदारी अथवा सीमित दायित्व भागीदार(रों) को देगा जिनका वह अभिहित भागीदार है ।

(ख) अभिहित भागीदार निर्धारित प्ररूप 10 में संगत परिवर्तन भरेगा, उप नियम 5 के खंड (ii) में विनिर्दिष्ट तरीके से विधिवत प्रमाणित परिवर्तित विवरणों के प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करेगा, विनिर्दिष्ट स्थान पर हस्ताक्षर करेगा और उक्त को केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा । विवरणों में परिवर्तन की सूचना देने का कोई शुल्क नहीं होगा ।

(10) केन्द्रीय सरकार, समाधान हो जाने पर, संलग्न प्रमाण पत्रों से परिवर्तित विवरणों की संलग्न प्रति के सत्यापन के माध्यम से, उक्त परिवर्तनों को सम्मिलित कर लेगी और डाक द्वारा जारी पत्र अथवा कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए इलेक्ट्रानिक डाटाबेस में ऐसे परिवर्तन के प्रभावी होने की पुष्टि करते हुए इलेक्ट्रानिकली अथवा अन्य किसी तरीके से अभिहित भागीदार को सूचित करेगी ।

#### अध्याय-IV

#### सीमित दायित्व भागीदारी का निगमन

11 धारा 11 के प्रयोजनों के लिए अधिनिगमन दस्तावेज को प्ररूप 2 में सीमित दायित्व भागीदारी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय वाले राज्य पर क्षेत्राधिकार रखने वाले रजिस्ट्रार के पास उपाबंध-‘अ’ में निर्धारित शुल्क के साथ जमा किया जाएगा ।

12 हेग एपोस्टिल समझौता, 1961 के हस्ताक्षरकर्ता देशों में भारत से बाहर रहने वाली विदेशी नागरिकों के मामले में जो भारत में किसी एलएलपी को रजिस्ट्रीकृत कराने के इच्छुक है, निगमन दस्तावेजों पर उनके हस्ताक्षर तथा पते और उनकी पहचान के प्रमाण को, जहाँ-कहीं आवश्यक हो, उनके मूल देश में नोटरी द्वारा प्रमाणित किया गया हो और उन पर हेग समझौते के अनुसार उचित टिप्पणी की गई हो ।

13. धारा 11 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन निगमन दस्तावेज के साथ दिया जाने वाला विवरण भाग आ में रूप विधान उपबंधित प्ररूप 2 में होगा ।

14. (1) रजिस्ट्रार के कार्यालय में एलएलपी का एक रजिस्टर अनुरक्षित किया जाएगा जिसमें एलएलपी के नाम उनके रजिस्ट्रीकरण के क्रम में दर्ज होंगे ।

(2) इस प्रकार रजिस्ट्रीकरण प्रत्येक एलएलपी को एक सतत श्रृंखला में एक एलएलपी पहचान संख्या (एलएलपीआईएन) दी जाएगी ।

15. (1) सीमित दायित्व भागीदारी अथवा भागीदार अथवा तत्संबंधी भागीदार संबंधी दस्तावेज निम्नलिखित अन्य पद्धतियों के माध्यम से दिया जा सकता है -

(i) इलेक्ट्रानिक ट्रांसमिशन ;

(ii) कोरियर

(2) इस नियम के प्रयोजनों के लिए,

(i) "इलेक्ट्रानिक ट्रांसमिशन" से अभिप्रेत उस संचार से है जिसे —

(क) निम्नलिखित द्वारा पहुंचाया जाए —

(अ) जब इलेक्ट्रानिक मेल पता की अनुलिपि संख्या के लिए निदेश दिया जाता है तो क्रमशः अनुलिपि दूर-संचार अथवा इलेक्ट्रानिक मेल, जिसे भागीदारी अथवा भागीदार अथवा अभिहित भागीदार ने क्रमशः भागीदारी, अथवा भागीदार अथवा अभिहित भागीदार को सूचना भेजने के लिए समय-समय पर उपबंधित किया जाएगा;

(आ) इलेक्ट्रानिक मैसेज बोर्ड अथवा नेटवर्क पर पोस्ट करना जिसे भागीदारी अथवा भागीदार अथवा अभिहित भागीदार ने उन संचारों के लिए अभिहित किया है और इस ट्रांसमिशन को पोस्टिंग पर वैध रूप से वितरित किया जाएगा, अथवा

(इ) इलेक्ट्रानिक संचार के अन्य साधन

जिसे एलएलपी अथवा भागीदार अथवा अभिहित भागीदार ने यह सत्यापित करने के लिए युक्तियुक्त उपाय बताया है कि प्रेषक ट्रांसमिशन भेजने का दावा करने वाला व्यक्ति है, और

(ख) जो ऐसा रिकार्ड रखता हो जिसे पुनः देखा जा सके, जिसे पुनः प्राप्त तथा जिसकी समीक्षा की जा सके और जिसे बाद में स्पष्ट पठनीय मूर्त स्वरूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।

(ii) कोरियर से अभिप्रेत कोरियर के माध्यम से भेजा गया दस्तावेज है जो वितरण का प्रमाण उपबंधित करता है।

16(1) एक सीमित दायित्व भागीदारी कंपनियों के रजिस्ट्रार के अधिकार क्षेत्र के भीतर, जहां रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है, दस्तावेज को पहुंचाने के लिए पता देना चाहिए। इस पते में पोस्टल कोड और ई-मेल पता होना चाहिए।

(2) सीमित दायित्व भागीदारी रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते के अलावा, सीमित दायित्व भागीदारी करार में दिए गए तरीके से धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन दस्तावेजों को पहुंचाने के लिए अपने पते के रूप में कोई अन्य पता दे सकती है। जहां इस मामले पर सीमित दायित्व भागीदारी करार में कोई प्रावधान नहीं होता है तो दस्तावेजों को पहुंचाने के लिए पते के रूप में कोई अन्य पता देने के लिए सभी भागीदारों की सहमति अपेक्षित होगी।

(3) एलएलपी को दस्तावेजों की सेवा के लिए अन्य पते की सूचना, उपाबंध-अ में उल्लिखित शुल्क के साथ उपर्युक्त उपनियम (2) की अपेक्षाओं का पालन करने के 30 दिन के भीतर प्ररूप 12 में, रजिस्ट्रार को दी जाएगी।

(4) एलएलपी द्वारा दिए गए अन्य पते पर एलएलपी को दस्तावेजों की सेवा के लिए प्रभावी तारीख उपनियम (3) के अधीन दस्तावेजों को फाइल करने की तारीख से पहले नहीं हो सकती है।

17(1) सीमित दायित्व भागीदारी, सीमित दायित्व भागीदारी करार में यथा अधिकथित प्रक्रिया का पालन करते हुए अपने रजिस्ट्रीकृत को एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवर्तित कर सकता है। जहां इस मामले पर सीमित दायित्व भागीदारी करार में कोई उपबंध नहीं होता है, वहां पर सीमित दायित्व भागीदारी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का स्थान किसी अन्य स्थान पर परिवर्तित करने के लिए सभी भागीदारों की अनुमति होगी।

परंतु जहाँ रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के स्थान का परिवर्तन एक राज्य से दूसरे राज्य में किया जाना है, वहाँ पर प्रतिभूत लेनदारों वाली सीमित दायित्व भागीदारी को ऐसे सभी प्रतिभूत लेनदारों की सहमति भी प्राप्त करनी होगी।

(2) धारा 13 की उप धारा (3) के प्रयोजनों के लिए रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के स्थान के परिवर्तन की सूचना उपाबंध-अ में उल्लिखित शुल्क के साथ प्ररूप 15 में रजिस्ट्रार को समान राज्य के भीतर रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में परिवर्तन के मामले में उप-नियम (1) की अपेक्षाओं का अनुपालन करते हुए 30 दिनों के भीतर और एक राज्य से दूसरे राज्य में रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में परिवर्तन के मामले में उप-नियम (4) का अनुपालन करते हुए 30 दिनों के भीतर दी जाएगी।

(3) जहां सीमित दायित्व भागीदारी के विरुद्ध कोई दोषसिद्धि, नियम, किसी न्यायालय, अधिकरण अथवा अन्य प्राधिकारी का आदेश अथवा निर्णय होता है तो उसके विरुद्ध आरंभ की गयी ऐसी अभियोजनों का विवरण अथवा एलएलपी अधिनियम के अधीन कथित अपराध के लिए सीमित दायित्व भागीदारी को प्राप्त करण बताओ नोटिस का उल्लेख रजिस्ट्रार को दिए जाने वाले रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के स्थान के परिवर्तन की सूचना में किया जाएगा।

(4) जहां रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के स्थान में परिवर्तन एक राज्य से दूसरे राज्य में होता है तो सीमित दायित्व भागीदार, रजिस्ट्रार के पास कोई सूचना फाइल करने से पहले 21 दिन से अधिक समय में अंग्रेजी में प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र में और जिस जिले में सीमित दायित्व भागीदारी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है, उसकी प्रमुख भाषा में कम से कम एक बार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करेगा और उसे जिले में रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के परिवर्तन की सूचना देते हुए परिचालित करेगा।

(5) जहां रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के स्थान का परिवर्तन राज्य के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक रजिस्ट्रार के अधिकारिता से दूसरे रजिस्ट्रार के अधिकारिता में अथवा एक राज्य से दूसरे राज्य में होता है तो सीमित दायित्व भागीदार, जहां से अपने रजिस्ट्रीकृत कार्यालय को स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव है, वहां के रजिस्ट्रार को प्ररूप 15 में सूचना देगा और इस सूचना की प्रति उस रजिस्ट्रार को देगा जिसके अधिकारिता में स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव है।

18(1) सीमित दायित्व भागीदारी का नाम संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम, 1950 के अधीन निषिद्ध एक नहीं होगा।

(2) किसी नाम को सामान्यतया आरक्षित नहीं किया जाएगा, यदि उसमें -

(i) यदि इसमें कोई एक शब्द अथवा कई शब्द सम्मिलित हैं जो जनता के किसी वर्ग के लिए अपमानजनक हो;ख

(ii) यदि प्रस्तावित नाम किसी विद्यमान सीमित दायित्व भागीदारी के यथा स्थिति अंग्रेजी अथवा हिंदी के नाम का ठीक अंग्रेजी अथवा हिंदी अनुवाद हो ;

(iii) यदि प्रस्तावित नाम का, विद्यमान एलएलपी के नाम की ध्वनि के साथ निकट समानता हो, उदाहरणतया, जे.के. एलएलपी, जेए केय (jay kay) एलएलपी;

(iv) यदि इसमें देश की क्षेत्रीय भाषा में, को-आपरेटिव, सहकारी अथवा को-आपरेटिव शब्द का समतुल्य शब्द सम्मिलित हो ;

(v) यदि परिस्थितियां ऐसी न हो, केन्द्रीय अथवा राज्य की भागीदारी अथवा आश्रय का संकेत देता है तो कोई नाम कतिपय संदर्भ में अर्थात्तित मना जाएगा यदि इसमें नेशनल, यूनियन, सेन्ट्रल, फेडरल, रिपब्लिक, प्रेसीडेंट, राष्ट्रपति आदि जैसे शब्द सम्मिलित हों।

(vi) यदि प्रस्तावित नाम में 'ब्रिटिश भारत' शब्द अन्तर्विष्ट हो;।

(vii) यदि प्रस्तावित नाम में किसी दूतावास अथवा वाणिज्य दूतावास अथवा किसी विदेशी सरकार के साथ सहयोजन अथवा संबंध हो, जो नगर पालिका, पंचायत, जिला परिषद अथवा संघ अथवा राज्य सरकार से सम्बद्ध किसी अन्य निकाय जैसे स्थानीय प्राधिकरणों के साथ संबंध देने का सुझाव देता हो;

(viii) यदि प्रस्तावित नाम डी.आई.एम.ओ. सीमित दायित्व भागीदारी, अथवा आई.वी.एन.आर. सीमित दायित्व भागीदारी अथवा एस.एस.आर.पी. सीमित दायित्व भागीदारी की भांति अस्पष्ट हो;

(ix) यदि सीमित दायित्व भागीदारी शब्द से पहले कोष्ठक के भीतर स्थान के नाम की सीमा तक विद्यमान सीमित दायित्व भागीदारी के नाम से भिन्न हो, उदाहरणतया, इंडियन प्रेस सीमित दायित्व भागीदारी नामक एलएलपी की विद्यमानता की दृष्टि से इंडियन प्रेस (दिल्ली) सीमित दायित्व भागीदारी की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए;

- (x) यदि इसमें ट्रेड मार्क के स्वामी की अनुमति प्रस्तुत किए जाने तक रजिस्ट्रीकृत ट्रेड मार्क का नाम सम्मिलित किया हो;
- (xi) यदि प्रस्तावित नाम भारत के बाहर सम्मिलित फर्म अथवा एलएलपी के समतुल्य अथवा लगभग समान हो और इन नियमों के अनुसार रजिस्ट्रार के पास ऐसी फर्म, एलएलपी अथवा कंपनी द्वारा आरक्षित हो;
- (xii) यदि किसी सीमित दायित्व भागीदारी अथवा परिसमापन में होने वाली कंपनी के नाम के समतुल्य अथवा लगभग समान हो अथवा यह किसी ऐसी एलएलपी अथवा कंपनी के नाम के समान या लगभग समतुल्य हो जिसे समाप्त किए हुए अभी 5 वर्ष पूरे नहीं हुए हैं;
- (xiii) यदि इसमें विनियामक प्राधिकरण के अनुमोदन के बिना 'बैंक', 'बीमा' और 'बैंकिंग', "जोखिम पूंजी" अथवा 'म्युचुअल फंड' या समान नाम सम्मिलित हों;
- (xiv) यदि इसके कार्यकलापों की प्रकृति अथवा पैमाने के संबंध में भ्रमित करने वाले प्रभाव का आशियत अथवा संभावना हो जो इसके निपटारे के संसाधनों से परे होगा;
- (xv) यदि प्रस्तावित नाम में भागीदारियों के समाधान होने तक कि उस विशिष्ट देश अथवा स्थान का विदेशियों के साथ कोई सहयोग अथवा संबंध है जिसका नाम उस नाम में शामिल है, फ्रेंच, ब्रिटिश, जर्मन आदि जैसे शब्द सम्मिलित हो;
- (xvi) यदि सीमित दायित्व भागीदारी के प्रस्तावित नाम में कंपनी सचिव चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, एडवोकेट अथवा प्रस्तावित नाम के भाग के रूप में व्यवसाय के समरूप ऐसे सामान शब्द सम्मिलित हो तो उसकी अनुमति ऐसे व्यवसाय की शासित परिषद अथवा सरकार द्वारा नामित प्राधिकरण का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही दी जाएगी;
- (3) एक विदेश एलएलपी अथवा कोई विदेशी कंपनी उपाबंध—'अ' उल्लिखित शुल्क का भुगतान करके प्ररूप 25 में अपना विद्यमान आरक्षित करने के लिए उस रजिस्ट्रार को आवेदन कर सकता है जिसके द्वारा इसे विनियमन अथवा निगमन के लिए देश में रजिस्ट्रीकृत किया गया है।
- परन्तु ऐसा आरक्षण 3 वर्षों के लिए वैध होगा किन्तु उपाबंध—'अ' में उपाबंधित शुल्क के भुगतान के साथ नया आवेदन करके इसे नवीकृत किया जा सकता है।
- (4) नाम के आरक्षण के लिए आवेदन, जिसके द्वारा प्रस्तावित सीमित दायित्व भागीदारी का नाम रजिस्ट्रीकृत कार्यालय अथवा परिवर्तित किया जाना है, यथास्थिति को सीमित दायित्व भागीदारी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पर अधिकारिता रखने वाले रजिस्ट्रार को किया जाएगा।
- (5) ऐसा प्रत्येक आवेदन प्ररूप 1 में होगा और इसके साथ उपाबंध—'अ' में उल्लिखित शुल्क दिया जाएगा और रजिस्ट्रार आवेदन प्राप्त होने के 7 दिन के भीतर सामान्यतः रजिस्ट्रीकृत की जाने वाली प्रस्तावित एलएलपी अथवा परिवर्तित नाम के आरक्षण अथवा अनारक्षण की सूचना एलएलपी को देगा।
- (6) जहां रजिस्ट्रार एलएलपी को, एलएलपी रजिस्ट्रीकृत किए जाने अथवा नाम परिवर्तित किए जाने के आरक्षण के बारे में सूचना देता है, यथास्थिति ऐसा नाम रजिस्ट्रार द्वारा सूचना दिए जाने की तारीख से 3 महीने की अवधि तक आरक्षण के लिए उपलब्ध रहेगा।
- 19 (1) एक सीमित दायित्व भागीदारी अथवा कारपोरेट निकाय अथवा कोई अन्य कंपनी का पहले से कोई नाम है जो सम्मिलित सीमित दायित्व भागीदारी के नाम समान अथवा लगभग समान हो, अपने नाम के परिवर्तन के लिए सीमित दायित्व भागीदारी को निदेश देने के लिए प्ररूप 23 में आवेदन कर सकता है।



- (2) उपनियम (1) के अधीन आवेदन में निम्नलिखित उल्लेख होगा —
- (i) सीमित दायित्व भागीदारी का एलएलपीआईएन अथवा कंपनी का सीआईएन अथवा यथास्थिति अन्य कंपनी का रजिस्ट्रीकरण ;
- (ii) जिसके साथ सीमित दायित्व भागीदारी अथवा कंपनी अथवा कोई अन्य कंपनी निगमित अथवा रजिस्ट्रीकृत की गयी हो उसका नाम ;
- (iii) पश्चातवर्ती निगमित की गयी सीमित दायित्व भागीदारी के नाम की आपत्ति का आधार।
- (3) आवेदन को आवेदन करने वाले व्यक्ति द्वारा सत्यापित किया जाएगा।
- (4) आवेदन करने वाला व्यक्ति निम्नलिखित संलग्न करेगा ;
- (क) प्राधिकरण जिसके अधीन वह ऐसा आवेदन कर रहा है ;
- (ख) सीमित दायित्व भागीदारी अथवा कंपनी अथवा कंपनी का रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र, यथास्थिति निगमन प्रमाणपत्र की एक प्रतिलिपि।
- (5) आवेदन के साथ उपाबंध—'अ' में उल्लिखित शुल्क देय होगी।

**20 (1)** सीमित दायित्व भागीदारी अपने करार में अधिकथित प्रक्रिया का पालन करते हुए अपना नाम परिवर्तित कर सकता है। जहां सीमित दायित्व भागीदारी करार में इस मामले पर कोई उपबन्ध नहीं होता है वहां सीमित दायित्व भागीदारी का नाम परिवर्तित करने के लिए सभी भागीदारों की सहमति की आवश्यकता होगी।

(2) नाम के परिवर्तन की सूचना उपाबंध—'अ' में उल्लिखित शुल्क के साथ प्ररूप 5 में 30 दिनों के भीतर उप-नियम (1) की अपेक्षाओं का अनुपालन करते हुए रजिस्ट्रार को दी जाएगी।

(3) रजिस्ट्रार को यह समाधान हो जाने पर कि परिवर्तित नाम उसके द्वारा आरक्षित नाम है, नए नाम से नया निगमन प्रमाण पत्र जारी करेगा और ऐसे प्रमाण पत्र जारी की तारीख के पश्चात परिवर्तित नाम लागू होगा।

#### **अध्याय—V** **भागीदार और उनके संबंध**

**21 (1)** धारा 23 की उपधारा (2) के प्रयोजन के लिए प्रत्येक सीमित दायित्व भागीदारी करार होने के संबंध में सूचना को उसके निगमन की तारीख से 30 दिन के भीतर उपाबंध 'अ' में यथा उपबंधित शुल्क के साथ रजिस्ट्रार के पास प्ररूप 3 में सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा;

परंतु सीमित दायित्व भागीदारी करार में होने वाले किसी भी परिवर्तन को उपाबंध 'अ' में यथा उपबंधित शुल्क के साथ ऐसे परिवर्तन की 30 दिन के भीतर फर्म 3 में प्रस्तुत करेगा।

(2) धारा 23 की उप-धारा (3) के प्रयोजन के लिए प्रत्येक सीमित दायित्व भागीदारी उक्त उप-धारा में उल्लिखित सीमित दायित्व भागीदारी करार के संबंध में सूचना को सभी भागीदारों द्वारा अनुसमर्थन किए जाने के 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार के सम्मुख प्ररूप 3 में उपाबंध 'अ' में यथा उपबंधित शुल्क के साथ प्रस्तुत करेगी।

**22(1)** धारा 25 की उपधारा 1 के प्रयोजन के लिए प्रत्येक भागीदार प्ररूप 6 में सीमित दायित्व भागीदारी को अपने नाम अथवा पते के परिवर्तन की सूचना देगा।

- (2) धारा 25 की उपधारा (2) के प्रयोजन के लिए, जहां कोई व्यक्ति भागीदार बन जाता है अथवा छोड़ देता है अथवा भागीदार के नाम अथवा पते में कोई परिवर्तन होता है तो सीमित दायित्व भागीदार प्ररूप 4 में रजिस्ट्रार के पास एक सूचना देगा।
- (3) धारा 25 की उपधारा (3) के प्रयोजन के लिए किसी व्यक्ति के भागीदार बनने संबंधी सूचना वाले प्ररूप 4 में भागीदार बनने वाले व्यक्ति द्वारा उस कथन के साथ हस्ताक्षर किया जाएगा कि भागीदार बनने की अनुमति देता है।
- (4) प्ररूप के साथ व्यवसाय चार्टर्ड अकाउंटेंट अथवा व्यवसाय लागत अकाउंटेंट अथवा व्यवसाय कंपनी सचिव द्वारा एक प्रमाण पत्र दिया गया होना चाहिए कि सीमित दायित्व भागीदारी की बहियों और अभिलेखों सहित सभी विवरणों को उसने सत्यापित कर दिया है और उन्हें सत्य और ठीक पाया है।
- (5) धारा 25 की उपधारा (3) के अनुपालन में रजिस्ट्रार को दी जाने वाली शुल्क का उल्लेख उपाबंध—अ में होगा।

### अध्याय—VI

#### अभिदाय का रूप

23(1) प्रत्येक भागीदार के अभिदाय को लेखांकित होगा और अभिदाय और राशि की प्रकृति तथा राशि के साथ एलएचपी के लेखे में दर्शाया गया होगा चाहिए।

(2) सेवा के लिए करार अथवा संविदा द्वारा मूर्त चल अथवा अचल अथवा अमूर्त सम्पत्ति अथवा लाए गए अन्य लाभ अथवा अभिदाय के भागीदार की कीमत का निर्धारण, व्यवसाय चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अथवा व्यवसाय लागत एकाउन्टेन्ट अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए पैनल से अनुमोदित मूल्य निर्धारक द्वारा किया जाएगा।

### अध्याय—VII

#### वित्तीय प्रकटीकरण

24(1) प्रत्येक सीमित दायित्व भागीदार ऐसी लेखांकन बहियों को रखेगा जो सीमित दायित्व भागीदार के लेनदेनों को दर्शाने और स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है और वे —

- (क) उस समय सीमित दायित्व भागीदार की वित्तीय स्थिति को उस समय युक्तियुक्त ढंग से स्पष्ट करते हैं, और
- (ख) अभिहित भागीदारों को समर्थ बनाते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन नियमों के अधीन तैयार किया गया लेखा और शोधन क्षमता का कोई विवरण सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम की अपेक्षाओं का पालन करता है।
- (2) लेखा बहियों में निम्नलिखित समाविष्ट होना चाहिए —
- (क) सीमित दायित्व भागीदार को प्राप्त अथवा व्यय धन की समग्र राशियों के ब्यौरे और वे मामले जिनके संबंध में प्राप्ति और व्यय हुआ है,
- (ख) सीमित दायित्व भागीदार की सम्पत्तियों और दायित्वों का अभिलेखन,
- (ग) खरीदे गए सामानों की लागत, सूची, कार्य की प्रगति, समाप्त सामान और बेचे गए सामानों की लागत का विवरण; और
- (घ) कोई अन्य ब्यौरा जो भागीदार तय करे।
- (3) लेखा बहियां, जिनको सीमित दायित्व भागीदारी को रखने की अपेक्षित होती है, उनके बनाए जाने की तारीख से आठ वर्षों तक उन्हें रखा जाएगा।

(4) धारा 34 की उपधारा (3) के प्रयोजन के लिए प्रत्येक सीमित दायित्व भागीदार, प्ररूप सं. 8 में रजिस्ट्रार के पास उस वित्त वर्ष के 6 महीनों की समाप्ति से 30 दिन के भीतर लेखा और शोधन क्षमता का विवरण प्रस्तुत करेगा जिससे लेखा और शोधन क्षमता संबंधित है।

(5) लेखा और शोधन क्षमता का विवरण प्रस्तुत करने के लिए धारा 34 की उपधारा (3) के अनुसरण में रजिस्ट्रार को दिया जाने वाला शुल्क उपाबंध-अ में उल्लेख किए गए अनुसार होगा।

(6) एक सीमित दायित्व भागीदारी के लेखाओं तथा शोधन क्षमता के विवरण पर सीमित दायित्व भागीदारी की ओर से उसके अभिहित भागीदार द्वारा हस्ताक्षर किया जाना चाहिए।

(7) किसी सीमित दायित्व भागीदारी के लेखे तथा शोधन क्षमता के विवरण को उसके प्रत्येक अभिहित भागीदार द्वारा अनुमोदित और हस्ताक्षरित किया जाना होता है, जब तक यह नहीं दर्शाता है कि उसके अपने अनुमोदित और हस्ताक्षरित किए जाने को रोकने के लिए सभी युक्तियुक्त उपाय किए हैं, तब तक उन्हें उनके द्वारा अनुमोदित माना जाएगा।

(8) प्रत्येक सीमित दायित्व भागीदारी के लेखाओं की लेखा परीक्षा इन नियमों के अनुसार की जाएगी —

परन्तु, एक ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी के लेखाओं लेखा परीक्षा से अलग रखा जाएगा, यदि उसका कारोबार किसी वित्त वर्ष में 40 लाख रूपए से अधिक नहीं होता है अथवा इसका अभिदाय 25 लाख रूपए से अधिक नहीं होता है।

परन्तु और यह है कि सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदार ऐसी एलएलपी के लेखे को लेखा परीक्षा करवाने का निर्णय लेते हैं तो उसके लेखे को इन नियमों के अनुसार लेखा परीक्षा किया जाएगा;

परंतु यह भी है कि किसी एलएलपी के भागीदार उसके लेखे की लेखा परीक्षा नहीं करवाने का निर्णय लेते हैं तो ऐसी एलएलपी के लेखा तथा शोधन क्षमता विवरण में भागीदारों द्वारा इस आशय का विवरण होना चाहिए कि भागीदार लेखा बहियों को तैयार करने के संबंध में अधिनियम तथा नियमों की अपेक्षाओं के अनुपालन के लिए अपने उत्तरदायित्व को स्वीकार करते हैं और उसमें प्ररूप 8 में विनिर्दिष्ट एक प्रमाण पत्र होना चाहिए।

(9) कोई व्यक्ति किसी सीमित दायित्व भागीदारी के लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं हो सकता जब तक कि वह व्यवसाय चार्टर्ड अकाउंटेंट न हो।

(10) किसी सीमित दायित्व भागीदारी के लेखा परीक्षक अथवा लेखा परीक्षको को एलएलपी के लेखे की लेखा परीक्षा हेतु प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए नियुक्त किया जाना चाहिए।

(11) अभिहित भागीदार लेखा परीक्षक अथवा लेखा परीक्षकों की नियुक्ति कर सकते हैं:-

(क) प्रथम वित्त वर्ष के लिए किसी भी समय किन्तु प्रथम वित्त वर्ष के समाप्त होने से पहले, अथवा

(ख) प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत से कम से कम 30 दिन पहले (पहले वित्त वर्ष को छोड़कर),

(ग) लेखा परीक्षक के कार्यालय में आकस्मिक रिक्ति भरने के लिए, उस मामले सहित जब किसी सीमित दायित्व भागीदारी का टर्न-ओवर अथवा अभिदाय उप-नियम (8) में विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक होता हो; अथवा

(घ) किसी लेखा परीक्षक को हटाने से हुई रिक्ति को भरने के लिए।

(12) भागीदार लेखा परीक्षक अथवा लेखा परीक्षकों की नियुक्ति कर सकते हैं जहां पद नामित को उप नियम (11) के अधीन नियुक्ति करने का अधिकार था और नियुक्ति करने में असफल रहे हैं।

(13) किसी एलएलपी का एक लेखा परीक्षक अथवा लेखा परीक्षक अपनी नियुक्ति की शर्तों के अधीन और निम्नलिखित अवधि तक अपने कार्यभार को जारी रखेंगे —

- (क) जब तक कि नए लेखा परीक्षक नियुक्त नहीं हो जाते, अथवा  
(ख) उन्हें पुनः नियुक्त नहीं कर दिया जाता ।

(14) जहां उप-नियम (11) के अधीन किसी लेखा परीक्षक की नियुक्ति नहीं की गई है तो उस समय से तत्काल पहले पदस्थापित किसी लेखा परीक्षक को उस समय पुनः नियुक्त माना जाता है, यदि —

- (क) सीमित दायित्व भागीदारी करार में वास्तविक पुनः नियुक्ति अपेक्षित नहीं है, अथवा  
(ख) बहु संख्यक भागीदारों ने यह निर्णय लिया है कि उनकी पुनः नियुक्ति नहीं की जानी चाहिए और एलएलपी को इस आशय का एक सूचना दिया है ।

(15) लेखा परीक्षकों को हटाने अथवा त्याग पत्र के संबंध में इस अध्याय के अधीन उप नियम (14) के उपबंध इस नियम के उपबंधों के प्रतिकूल के बिना लागू होंगे ।

(16) उप नियम 14 के खण्ड (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट सूचना —

- (क) हार्ड कापी अथवा इलेक्ट्रॉनिक प्ररूप में हो सकता है,  
रु  
(ख) इसे देने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा आवश्यक अधिप्रमाणित किया जाना चाहिए ।

(17) सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षक की परिलब्धि अभिहित भागीदारों अथवा सीमित दायित्व भागीदारी करार में यथा निर्धारित प्रक्रिया को अपनाकर निर्धारित किया जाएगा ।

(18) (क) सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदार सीमित दायित्व भागीदारी करार में यथा निर्धारित प्रक्रिया को अपनाकर किसी भी समय लेखा परीक्षक को पद से हटा सकते हैं ।

(ख) जहां सीमित दायित्व भागीदारी करार में लेखा परीक्षकों को हटाने के संबंध में उपबंध नहीं किया गया है, वहाँ पर लेखा परीक्षकों को अपने कार्यालय से हटाने के लिए सभी भागीदारों की सहमति की आवश्यकता होगी ।

(19) (क) किसी एलएलपी का कोई लेखा परीक्षक एलएलपी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में इस आशय की सूचना लिखित में देखकर अपने पद से त्याग पत्र दे सकता है ।

(ख) जहाँ कोई लेखा परीक्षक पुनः नियुक्ति के लिए इच्छुक नहीं है वहाँ पर वह इस आशय की सूचना को एलएलपी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में लिखित में नए लेखा परीक्षक की नियुक्ति के लिए अनुज्ञात समय के समाप्त होने से 14 दिन से कम से पूर्व नहीं देगा ।

(ग) खण्ड (क) अथवा (ख) के अधीन सूचना तब तक प्रभावी नहीं होगी जब तक कि उसके साथ कार्य भार न संभाल सकने से जुड़ी परिस्थितियों का ब्यौरा संलग्न न हों ।

(घ) लेखा परीक्षक का कार्यकाल सूचना दिए जाने की तारीख को अथवा सूचना में विनिर्दिष्ट किसी बाद वाली तारीख को समाप्त होगा ।

25(1) धारा 35 की उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, प्रत्येक सीमित दायित्व भागीदारी प्ररूप 11 में रजिस्ट्रार के पास वार्षिक रिटर्न फाइल करेगा ।

(2) किसी एलएलपी जिसका टर्नओवर पिछले वित्त वर्ष के दौरान 5 करोड़ रूपए तक हो अथवा अभिदाय 50 लाख रूपए तक हो तो उसके वार्षिक रिटर्न के साथ वार्षिक रिटर्न पर हस्ताक्षर करने वाले अभिहित भागीदार के अतिरिक्त किसी अन्य अभिहित भागीदार से इस आशय का एक प्रमाण पत्र संलग्न होना चाहिए कि वार्षिक रिटर्न में सत्य तथा सही जानकारी है । अन्य सभी मामलों में वार्षिक रिटर्न के साथ किसी व्यवसाय कंपनी सचिव का इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न होना चाहिए कि उसने सीमित दायित्व भागीदारी की बहियों और अभिलेखों से विवरणों सत्यापित किया है और उन्हें सत्य और सही पाया है ।

(3) वार्षिक रिटर्न फाइल करने के लिए धारा 35 की उपधारा (1) के अनुसरण में रजिस्ट्रार को भुगतान की जाने वाली फीस उपाबंध-अ में किए गए उल्लेख के अनुसार होगी।

26. रजिस्ट्रार द्वारा धारा 36 के अधीन रखे गए दस्तावेज उपाबंध 'अ' में उल्लिखित शुल्क के भुगतान पर किसी भी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण और उनकी प्रमाणित प्रति को प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्री में उपलब्ध होंगे।

### अध्याय—VIII पुराने अभिलेखों को नष्ट करना

27(1) रजिस्ट्रार दस्तावेजों को स्थायी रूप से परिरक्षित करेगा जैसाकि इन नियमों के उपाबंध-आ में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(2) रजिस्ट्रार के पूर्व आदेश के अधीन, उसके कार्यालय में अभिलेखों को उनके परिरक्षण की अवधि की समाप्त होने के पश्चात नष्ट किया जा सकता है और जो निम्नवत विनिर्दिष्ट है :-

(क) 21 वर्षों के लिए परिरक्षित किए जाने वाले अभिलेख :

सीमित दायित्व भागीदारी परिसमापन लेखाओं से संबंधित सभी कागजात, रजिस्टर, रिफंड आदेश तथा पत्राचार।

(ख) 5 वर्षों के लिए परिरक्षित किए जाने वाले अभिलेख :

(i) सीमित दायित्व भागीदारी से संबंधित सरकारी आदेशों की प्रतियां ;

(ii) सीमित दायित्व भागीदारी के रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज जिन्हें ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी से संबंधित पत्राचार के साथ पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है और समाप्त कर दिया गया है ;

(iii) मामले के निपटान और अपील, यदि कोई हो, की तारीख से कानूनी कार्यवाहियों से संबंधित कागजात ;

(iv) सरकार को प्रस्तुत सांख्यिकीय विवरण की प्रतियां ;

(v) लेखाओं की संवीक्षा वार्षिक रिटर्न, मुकदमा, केन्द्रीय सरकार तथा अधिकरण को रिपोर्ट से संबंधित पत्राचार तथा शिकायतों से संबंधित पत्राचार ;

सहित सभी पत्राचार।

परंतु अभियोजन के मामले में, मामले के निपटान और अपील, यदि कोई हो, तारीख से तारीख रिकार्ड किया जाएगा।

(ग) तीन वर्षों तक परिरक्षित रखे जाने वाले अभिलेख :

(i) उप-नियम (i), उप-नियम 2 के खण्ड (क) और खण्ड (ख), उप-नियम 3 तथा उप-नियम 4 में विनिर्दिष्ट सभी पुस्तकें, अभिलेख तथा कागजात।

(ii) फीस के भुगतान के संबंध में दिनचर्या पत्राचार, अतिरिक्त फाइलिंग फीस तथा दस्तावेजों के विवरण के बारे में पत्राचार ;

(3) प्रचलित किसी सीमित दायित्व भागीदारी से संबंधित इन नियमों के उपाबंध 'इ' में विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकृत दस्तावेजों को उक्त उपाबंध में उनके सामने दर्शायी गयी अवधि के लिए परिरक्षित रखा जाएगा।

(4) विदेशी सीमित दायित्व भागीदारियों जिनका भारत में व्यवसाय का कोई स्थान समाप्त हो जाता है, के रजिस्ट्रीकृत दस्तावेजों को ऐसी सीमित दायित्व भागीदारी का भारत में व्यवसाय का स्थान समाप्त होने की तारीख से तीन वर्षों के समाप्त होने के पश्चात नष्ट किया जाएगा।

(5) रजिस्ट्रार इन नियमों के उपाबंध—'ई' में निर्धारित प्ररूप में, दो भागों में रजिस्टर का रखरखाव करेगा जिसमें वह नष्ट किए गए अभिलेखों के संक्षिप्त विवरण की प्रविष्टि करेगा और उसमें अपने हाथों से लिखकर नष्ट करने की तारीख और माध्यम को प्रमाणित करेगा।

(5) इन नियमों के उपाबंधों लेखाओं तथा सभी विभागों के लिए सामान्य अभिलेखों के लिए अभिलेख रखरखाव अनुसूची के अधीन विहित की गई अवधि (सामान्य वित्तीय नियम के संकलन के परिशिष्ट 13 में सम्मिलित) से सम्बद्ध कार्यालय अभिलेखों के नष्ट करने के नियमों तथा ऐसे अन्य नियमों के अतिरिक्त होंगे न कि इनके अपकर्षण में।

### अध्याय—IX

#### अन्वेषण

28 धारा 43 की उपधारा (3) के खण्ड (क) के प्रयोजनों के लिए, सीमित दायित्व भागीदारी के कार्यों का अन्वेषण करने के लिए भागीदारों द्वारा आवेदन अन्वेषण की लागतों के भुगतान के लिए निम्नलिखित पैमाने पर परिकल्पित अधिकतम 25 लाख रु. की राशि के लिए ऐसी प्रतिभूति के साथ किया जाएगा :

कारोबार (रु.)	प्रतिभूति की राशि
(तत्काल पिछले वित्त वर्ष के लिए शोधन क्षमता के लेखे के विवरण में कथनानुसार)	
(i) 1 करोड़ रु. तक	2 लाख
(ii) 1 करोड़ रु. अथवा उससे अधिक परन्तु 5 करोड़ रु. से कम	5 लाख
(iii) 5 करोड़ रु. अथवा उससे अधिक परन्तु 10 करोड़ से कम	10 लाख
(iv) 10 करोड़ रु. या उससे अधिक	25 लाख

स्पष्टीकरण : पिछले वित्त वर्ष के लिए लेखा और शोधन क्षमता विवरण के अभाव में, केन्द्रीय सरकार द्वारा तब प्रतिभूति की ऐसी राशि के अनुरूप ।

29 धारा 44 के प्रयोजनों के लिए, सीमित दायित्व भागीदारी के कार्यों का अन्वेषण करने के लिए धारा 43 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन भागीदारों द्वारा आवेदन को नियम 28 में विनिर्दिष्ट तरीके से परिकल्पित की गई ऐसी प्रतिभूति को जमा करवाने के साथ दिया जाएगा ।

30 धारा 49, की उपधारा (2), के खंड (ख) के अनुसरण में निरीक्षक की रिपोर्ट की प्रति प्रस्तुत करने के लिए देय फीस प्रति पृष्ठ अथवा उसके भाग के लिए 5 रु. होगी ।

31. धारा 54 के प्रयोजनों के लिए, किसी निरीक्षक अथवा निरीक्षकों की रिपोर्ट की एक प्रति अधिप्रमाणित की जाएगी :

(क) सीमित दायित्व भागीदारी जिसके कार्यों का अन्वेषण किया गया है, की समान मुहर, यदि कोई हो, के द्वारा ; अथवा

(ख) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) की धारा 76 के प्रावधानों के अधीन और उनके अनुसार रिपोर्ट की अभिरक्षा वाले सार्वजनिक अधिकारी के प्रमाण पत्र द्वारा ।

### अध्याय—X

#### सीमित दायित्व भागीदारी में सपरिवर्तन

32. (1) रजिस्ट्रार, किसी फर्म प्राइवेट कंपनी या गैर सूचीबद्ध सार्वजनिक पब्लिक कंपनी के सीमित दायित्व भागीदारी में सपरिवर्तित होने पर, प्ररूप 19 में अपने मोहर के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र जारी करेगा ।

(2) रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकरण के लिए अस्वीकार करने की स्थिति में आवेदक फर्म अथवा प्राइवेट कंपनी अथवा गैर-सूचीबद्ध पब्लिक कंपनी, यथास्थिति ऐसे अस्वीकार की सूचना की प्राप्ति की तारीख से 60 दिन के भीतर अधिकरण को आवेदन कर सकता है ।

33. धारा 58 की उपधारा (1) के परन्तुक के प्रयोजनों के लिए, जिसमें फर्म, प्राइवेट कंपनी अथवा गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी को सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तित किया गया है, संबंधित फर्म रजिस्ट्रार अथवा कंपनी रजिस्ट्रार, यथास्थिति को ऐसे संपरिवर्तन की सूचना प्ररूप 14 में एलएलपी के रजिस्ट्रीकरण की तारीख से 15 दिन के भीतर देगा ।

### अध्याय—XI

#### विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी

34 (1) कोई विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी भारत में व्यापार के स्थान को स्थापित करने के 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रार के पास प्ररूप 27 में फाइल करेगा —

(क) निगमन अथवा रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र और सीमित दायित्व भागीदारी के गठन करने अथवा गठन को परिभाषित करने वाले किसी अन्य उपकरण की एक प्रति ;

(ख) उसके निगमन के देश में सीमित दायित्व भागीदारी की रजिस्ट्रीकरण अथवा प्रधान कार्यालय का पूरा पता ;

(ग) भारत में सीमित दायित्व भागीदारी के कार्यालय का पूरा पता जिसे भारत में उसके व्यापार का प्रधान स्थान समझा जाता है और ;

(घ) भागीदारों तथा अभिहित भागीदारों, यदि कोई हो, की सूची और भारत में दो अथवा अन्य व्यक्तियों के नाम तथा पते जो सीमित दायित्व भागीदारी की ओर से प्रक्रिया और अन्य सूचना अथवा दस्तावेज जोकि सीमित दायित्व भागीदारी को पहुंचाए जाने के लिए अपेक्षित है, को स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत हों ।

(2) (i) यदि सीमित दायित्व भागीदारी को किसी ऐसे देश में निगमित किया गया है जोकि राष्ट्रमंडल का एक भाग हो तो उप-नियम (1) में संदर्भित दस्तावेजों की प्रतियों को सत्य प्रतियों के रूप में प्रमाणित किया गया होना चाहिए

(क) सरकार के एक ऐसे पदाधिकारी द्वारा जिसके समक्ष मूल दस्तावेज बनाए गए हों; अथवा

(ख) राष्ट्रमंडल के उस भाग में किसी नोटरी (पब्लिक ) द्वारा; अथवा

(ग) सीमित दायित्व भागीदारी के किसी अधिकारी द्वारा राष्ट्रमंडल के उस भाग में शपथ दिलाने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेकर ।

(ii) यदि सीमित दायित्व भागीदारी को किसी ऐसे देश में निगमित किया गया है जो राष्ट्रमंडल का भाग नहीं है परन्तु जिसने हेग एपोस्टिल समझौता, 1961 पर हस्ताक्षर किए हैं :

(क) उप नियम (1) में संदर्भित दस्तावेजों की प्रतियों को सरकार के किसी ऐसे पदाधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए जिसके समक्ष मूल दस्तावेजों को बनाया गया था और जोकि हेग समझौते के अनुसार विधिवत प्राधिकृत है ।

(ख) एलएलपी के भागीदारों तथा अभिहित भागीदारों, यदि कोई हों, की एक सूची, भारत में निवास कर रहे व्यक्तियों के नाम तथा पते जो सीमित दायित्व भागीदारी की ओर से सूचना स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत हैं, उन्हें विधिवत नोटरी किया गया होना चाहिए और हेग समझौते के अनुसार उनकी उत्पत्ति वाले देश में एपोस्टिल किया गया होना चाहिए ।

(iii) यदि सीमित दायित्व भागीदारी राष्ट्रमंडल के बाहर के किसी देश में निगमित हैं और उसने हेग समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए हुए हैं तो उप नियम (1) में संदर्भित निगमन दस्तावेजों की प्रति को प्रमाणित किया गया होना चाहिए —

(क) सरकार के ऐसे किसी पदाधिकारी द्वारा जिसके समक्ष मूल दस्तावेजों को बनाया गया था ; अथवा  
 (ख) उस देश के किसी नोटरी (पब्लिक) द्वारा; अथवा  
 (ग) सीमित दायित्व भागीदारी के किसी अधिकारी द्वारा !  
 (iv) खण्ड (iii) के उप खण्ड (क) में संदर्भित पदाधिकारी के हस्ताक्षर अथवा मोहर या उक्त खण्ड के उप खण्ड (ख) में संदर्भित नोटरी (पब्लिक) के प्रमाण-पत्र को कूटनीतिक तथा वाणिज्य दूतावास अधिकारी (शपथ तथा शुल्क) अधिनियम, 1948 (1948 का 40) की धारा 3 के अधीन इस संबंध में प्राधिकृत किसी कूटनीतिज्ञ और वाणिज्य दूतावास के अधिकारी द्वारा, और जहां ऐसा कोई अधिकारी नहीं है वहाँ शपथ आयोग अधिनियम, 1989 (52 तथा 53 विक सी 10) की धारा 6 और उक्त को संशोधित करने वाले किसी अन्य अधिनियम में उल्लिखित किसी पदाधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किया गया होना चाहिए ।

(v) खण्ड (iii) के उप खण्ड (ग) में उल्लिखित सीमित दायित्व भागीदारी के अधिकारी के प्रमाण-पत्र को किसी एक ऐसे व्यक्ति के समक्ष हस्ताक्षर किया गया होना चाहिए जिसके पास कूटनीतिज्ञ और वाणिज्य दूतावास अधिकारी (शपथ तथा शुल्क) अधिनियम, 1948 (1948 का 50) की धारा 3 में उपबंधों किए अनुसार शपथ दिलाने के लिए प्राधिकारी हो, अथवा शपथ आयुक्त अधिनियम 1989 की धारा 3 द्वारा (52 तथा 53 विक, सी 10), यथास्थिति हो, पश्चात वाले मामले में शपथ दिलाने वाले व्यक्ति के दर्जे को शपथ आयुक्त अधिनियम, 1989 (52 तथा 53 विक सी 10) की धारा 6 अथवा उक्त को संशोधित करने वाली किसी अधिनियम में विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किया गया होना चाहिए ।

(3) (i) यदि कोई परिवर्तन किया जाता है अथवा होता है तो —  
 (क) भारत से बाहर निगमित या रजिस्ट्रीकृत किसी सीमित दायित्व भागीदारी को गठित अथवा गठन को परिभाषित करने वाले उपकरण में ;  
 (ख) भारत के बाहर अधिनिगमित अथवा रजिस्ट्रीकृत किसी सीमित दायित्व भागीदारी के रजिस्ट्रीकृत अथवा प्रधान कार्यालय में; अथवा  
 (ग) भारत के बाहर निगमित अथवा रजिस्ट्रीकृत किसी सीमित दायित्व भागीदार के भागीदार अथवा अभिहित भागीदार में, यदि कोई हो,

तो विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 60 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार के साथ ऐसे परिवर्तनों को प्ररूप 28 में फाइल करेगा ।

(ii) यदि निम्नलिखित में कोई परिवर्तन होता है या किया जाता है तो —  
 (क) भारत के बाहर निगमित अथवा रजिस्ट्रीकृत सीमित दायित्व भागीदारी के निगमन अथवा रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र ;  
 (ख) भारत में किसी विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी की ओर से सेवा स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति के नाम तथा पते में; अथवा  
 (ग) भारत में विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी के व्यापार का प्रधान स्थान,

विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी परिवर्तन किए जाने अथवा होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर ऐसे परिवर्तनों को रजिस्ट्रार के समक्ष प्ररूप 29 में फाइल करेगा ।

(4) प्रत्येक विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी नियम 24 के उपबंधों के अनुसार वित्त वर्ष की छमाही की समाप्ति से 30 दिनों की अवधि के भीतर प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित लेखे तथा सोधन क्षमता के विवरण को प्ररूप 8 में रजिस्ट्रार के पास फाइल करेगा ।

(5) (i) यदि उप नियम (1) अथवा (3) में उल्लिखित कोई दस्तावेज अंग्रेजी भाषा में नहीं है तो उसके साथ उसका प्रमाणित अनुवाद संलग्न होना चाहिए ।

(ii) उप नियम (1) अथवा (3) के अनुसरण में रजिस्ट्रार के पास फाइल किए जाने के लिए अपेक्षित दस्तावेजों के अंग्रेजी में अनुवाद को इस उप नियम के खण्ड (iii) अथवा खण्ड (iv) यथास्थिति में यथा उपकथित तरीके से सही होना प्रमाणित किया जाना होगा ।



(iii) जहाँ अनुवाद भारत से बाहर किया गया है उसे उप नियम (2) में विनिर्दिष्ट तरीके से अधिप्रमाणित किया जाना चाहिए ।

(iv) जहाँ ऐसे अनुवाद को भारत में किया गया है उसे निम्नलिखित द्वारा अधिप्रमाणित करवाया जाना चाहिए —

(क) किसी अधिवक्ता, चार्टर्ड अकाउन्टेंट कंपनी सचिव अथवा लागत लेखाकार; अथवा

(ख) किसी एक ऐसे व्यक्ति के शपथ-पत्र द्वारा जिसे पंजीयक के मतानुसार मूल दस्तावेजों की भाषा तथा अंग्रेजी का पर्याप्त ज्ञान है ।

(6) प्रत्येक विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी में, विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी और जिस देश में सीमित दायित्व भागीदारी को निगमित किया गया है उसे सभी बीजको, अधिकारिक पत्राचार तथा सीमित दायित्व भागीदारी के प्रकाशनों में अंग्रेजी के शब्दों में पठनीय रूप से लिखा गया है ।

(7) (क) जहाँ ऐसी कोई सीमित दायित्व भागीदारी रजिस्ट्रार को भारत में निवास कर रहे ऐसे व्यक्तियों के नाम तथा पते को पहुंचाने में चूक करती है, जो सीमित दायित्व भागीदारी की ओर से प्रक्रिया, सूचना अथवा अन्य दस्तावेजों को स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत हैं; अथवा

(ख) यदि किसी भी समय जिन व्यक्तियों के नाम तथा पते दिए गए हैं वे मृत हो चुके हैं अथवा निवास करना छोड़ चुके हैं, अथवा सीमित दायित्व भागीदारी की ओर से किसी सेवा को स्वीकार करने से मना करते हैं अथवा किसी अन्य कारण से उसे पहुंचाया नहीं जा सकता;

किसी दस्तावेज को सीमित दायित्व भागीदारी को भारत में सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा स्थापित व्यापार के किसी स्थान पर छोड़कर अथवा, डाक द्वारा भेजकर दिया जा सकता है ।

(8) यदि किसी विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी का भारत में व्यापार का स्थान समाप्त हो जाता है, तो उसे 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार को प्ररूप 29 में व्यापार के स्थान को बंद करने की अपनी आशय की सूचना देना होता है और इस प्रकार जिस तारीख से सूचना दी जाती है, सीमित दायित्व भागीदारी की रजिस्ट्रार को कोई दस्तावेज फाइल करने की बाध्यता समाप्त हो जाती है परन्तु उसका भारत में व्यापार का कोई अन्य स्थान न हो और उसने सूचना की तारीख को फाइल किए जाने वाले सभी दस्तावेजों को फाइल कर दिया है ।

(9) किसी विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा फाइल किए जाने के लिए अपेक्षित प्रत्येक दस्तावेज को नई दिल्ली पर क्षेत्राधिकार होने वाले रजिस्ट्रार को इलेक्ट्रॉनिक रूप में कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अपनी वेबसाइट [www.mca.gov.in](http://www.mca.gov.in) पर अनुरक्षित पोर्टल के माध्यम से फाइल किया जाएगा ।

(10) रजिस्ट्रार प्ररूप 27 के रजिस्ट्रीकरण पर किसी विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा भारत में व्यापार के स्थान की स्थापना के लिए प्ररूप 30 में एक प्रमाण पत्र जारी करेगा ।

(11) इस अध्याय में अपेक्षित किसी प्ररूप अथवा दस्तावेज की फाइलिंग अथवा डिलीवरी अथवा रजिस्ट्रीकरण के लिए रजिस्ट्रार को उपाबंध 'अ' में उल्लेख के अनुसार शुल्क का भुगतान किया जाएगा ।

## अध्याय—XII

### सीमित दायित्व भागीदारी का समझौता, ठहराव अथवा पुनर्निर्माण

35 (1) लेनदारों अथवा भागीदारों या लेनदारों तथा भागीदारों की बैठक को बुलाने के आदेश के लिए धारा 60 की उप-धारा (1) के अधीन आवेदन के साथ एक शपथ-पत्र होना चाहिए । प्रस्तावित समझौते अथवा ठहराव की एक प्रति को शपथपत्र में उसके एक प्रदर्शन के रूप में संलग्न किया जाएगा। तत्संबंधी समर्थन वाला शपथ पत्र, प्ररूप 20 में होगा

(2) जहां सीमित दायित्व भागीदारी आवेदक नहीं है, समन की सुनवाई के लिए निर्धारित तारीख से कम से कम 14 दिन पहले समन और शपथपत्र की एक-एक प्रति सीमित दायित्व भागीदारी को अथवा, जहां सीमित दायित्व भागीदारी परिपरिसमापन की जा रही है, इसके समापक को भेजी जाएगी। समन फार्म 21 में होंगे !

(3)(क) समन अथवा उसकी स्थगित सुनवाई की सुनवाई होने पर अधकिरण, यदि यह किसी कारण से समन को निरस्त करना उचित नहीं समझता है, ऐसे निर्देश देगा जो यह निम्नलिखित मामलों के लिए आवश्यक समझता है :

- (i) ऋणदाताओं और/अथवा भागीदारों जिनकी बैठक अथवा बैठकें प्रस्तावित समझौता अथवा ठहराव पर विचार करने के लिए आयोजित की जाएंगी, को विचार करना ;
  - (ii) ऐसी बैठक अथवा बैठकों का समय और स्थान निर्धारित करना ;
  - (iii) आयोजित होने वाली बैठक अथवा बैठकों, के लिए अध्यक्ष अथवा अध्यक्षों की नियुक्ति करना ;
  - (iv) परोक्षी द्वारा मत देने सहित, बैठक अथवा बैठकों में गणपूर्ति (कोरम) और अपनायी जाने वाली प्रक्रिया को निर्धारित करना ;
  - (v) ऋणदाताओं और/अथवा भागीदारों, यथास्थिति, जिनकी बैठकें आयोजित की जाएंगी, का मूल्य निर्धारित करना ;
  - (vi) बैठक अथवा बैठकों की सूचना और ऐसी सूचना का विज्ञापन, यदि कोई हो, देना ;
  - (vii) समय जिसके भीतर बैठक के अध्यक्ष को अधिकरण में रिपोर्ट करना है तथा बैठक का परिणाम ; और
  - (viii) ऐसे अन्य मामले जो अधिकरण आवश्यक समझे।
- (ख) खण्ड (क) के अधीन दिए गए आदेश इस संबंध में अधिकथित नियमों के अनुरार होंगे ।

(4) (i) परोक्षी द्वारा मत देने की अनुमति दी जाएगी, परन्तु बैठक में उपस्थित होने और मत देने के हकदार व्यक्ति द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित प्ररूप 26 में प्रतिपत्र बैठक के अधिकतम 48 घंटे पहले रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में सीमित दायित्व भागीदारी के पास फाइल किया जाएगा।

(ii) जहां कारपोरेट निकाय जो सीमित दायित्व भागीदारी का एक भागीदार अथवा ऋणदाता है, सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदारों अथवा ऋणदाताओं, यथास्थिति की बैठक में अपने प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति को प्राधिकृत करता है, बैठक में अपने प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए ऐसे व्यक्ति के प्राधिकार की एक प्रति, और अभिहित भागीदार द्वारा अथवा ऐसी कारपोरेट निकाय के अन्य प्राधिकृत अधिकारी, द्वारा सत्य प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित प्रति बैठक से पहले अधिकतम 48 घंटे के भीतर इसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में सीमित दायित्व भागीदारी के पास दर्ज की जाएगी।

(5) ऋणदाताओं और/अथवा भागीदारों को दी जाने वाली बैठक की सूचना, इस संबंध में निर्धारित नियम के अनुसार होगी और इसे बैठक के लिए नियुक्त अध्यक्ष द्वारा अथवा, यदि अधिकरण ऐसा निदेश देता है, सीमित दायित्व भागीदारी (अथवा इसके समापक) द्वारा, अथवा किसी अन्य व्यक्ति जो कि अधिकरण निदेश दे, द्वारा बैठक के लिए निर्धारित तारीख से न्यूनतम 21 दिन पहले व्यक्तिशः उनके अंतिम ज्ञात पते पर डाक प्रमाणपत्र के अधीन डाक द्वारा भेजा जाएगा। इसके साथ प्रस्तावित समझौता अथवा ठहराव की एक प्रति तथा अभिहित भागीदारों के भौतिक हित को दर्शाने वाला एक विवरण, यदि कोई हो, और परोक्षी का एक प्ररूप संलग्न किया जाएगा।

(6) बैठक की सूचना का विज्ञापन, यदि ऐसा अधिकरण निर्णय लेता है, ऐसे समाचार पत्रों में और ऐसे तरीके से दिया जाएगा जैसाकि अधिकरण निदेश दे।

(7) सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा बैठक में भाग लेने के हकदार प्रत्येक ऋणदाता अथवा भागीदार को, निःशुल्क तथा इसकी की गई मांग के 48 घंटे के भीतर प्रस्तावित समझौता अथवा ठहराव की प्रति भेजी जाएगी।

(8) बैठक के लिए नियुक्त अध्यक्ष अथवा बैठक के विज्ञापन और सूचना जारी करने के लिए निदेशित सीमित दायित्व भागीदारी अथवा अन्य व्यक्ति यह दर्शाते हुए बैठक के आयोजन अथवा बैठकों में से प्रथम

बैठक के आयोजन, यथास्थिति के लिए निर्धारित तारीख से न्यूनतम 7 दिन पहले शपथपत्र जारी करेगा कि सूचना और विज्ञापन के विषय के संबंध में निर्देशों का विधिवत रूप से पालन किया गया है। इसकी चूक होने पर, समन ऐसे आदेशों के लिए अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा जो यह उचित समझे।

(9) बैठक का अध्यक्ष, अथवा जहां अलग-अलग बैठकें हो, प्रत्येक बैठक का अध्यक्ष अधिकरण द्वारा निर्धारित समय के भीतर, अथवा कोई समय निर्धारित नहीं किया गया है, बैठक समाप्त होने के 7 दिनों के भीतर, अधिकरण को इसके परिणाम की रिपोर्ट देगा। इस रिपोर्ट में ऋणदाताओं अथवा भागीदारों, यथास्थिति, जो उपस्थित थे और जिन्होंने व्यक्ति रूप से अथवा परोक्षी द्वारा बैठक में मत दिया, की संख्या, उनके व्यक्तिगत मूल्य और उनके मत देने के तरीके के बारे में सही-सही उल्लेख होगा।

(10) (i) जहां धारा 60 की उपधारा (2) में यथा उपबंधित, संशोधन के साथ अथवा उसके बिना, प्रस्तावित समझौता अथवा ठहराव पर सहमति बनती है तो सीमित दायित्व भागीदारी, अथवा इसका समापक, यथास्थिति, अध्यक्ष द्वारा रिपोर्ट फाइल करने के 7 दिनों के भीतर, समझौता अथवा ठहराव की पुष्टि के लिए अधिकरण में, याचिका प्रस्तुत करेगा।

परन्तु जहां किसी सीमित दायित्व भागीदारी के पुनर्निर्माण अथवा किन्हीं दो या उससे अधिक सीमित दायित्व भागीदारियों के आमेलन के लिए, योजना के प्रयोजनों के लिए, अथवा के संबंध में, किसी समझौता अथवा ठहराव का प्रस्ताव किया जाता है, याचिका में धारा 62 के अधीन समुचित आदेश और निर्देश के लिए अनुरोध किया जाएगा।

(ii) जहां सीमित दायित्व भागीदारी यथोक्त समझौता अथवा ठहराव की पुष्टि के लिए याचिका प्रस्तुत करने में असफल रहता है, यह याचिका प्रस्तुत करने के लिए, अधिकरण की अनुमति से, किसी ऋणदाता अथवा भागीदार के लिए खुला होगा तथा सीमित दायित्व भागीदारी उसकी लागत के लिए दायी होगा।

(iii) जहां समझौता अथवा ठहराव की पुष्टि के लिए कोई याचिका प्रस्तुत नहीं की जाती है, अथवा धारा 60 की उपधारा (2) के अधीन अपेक्षित बहुमत के द्वारा समझौता अथवा ठहराव अनुमोदित नहीं किया गया है, उप नियम (9) के अधीन की गई बैठक के परिणाम से संबंधित अध्यक्ष की रिपोर्ट को अधिकरण के सक्षम ऐसे आदेशों के लिए विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा जो आवश्यक हो।

(11) धारा 60 की उप धारा (3) और धारा 62 की उप धारा (3) में यथा उल्लिखित अधिकरण द्वारा आदेश उपाबंध-‘अ’ में यथा उल्लिखित फीस के साथ प्ररूप 22 में रजिस्ट्रार के समक्ष फाइल किया जाएगा।

**स्पष्टीकरण** – आदेश की तारीख से 30 दिन की गणना करते समय आदेश की प्रमाणित प्रति को प्राप्त करने के लिए अपेक्षित समय को सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(12) (i) किसी एलएलपी के पुनः प्रवर्तन तथा पुनरुद्धार के लिए एक ठहराव को प्रस्तावित किया जा सकता है –  
(क) जहाँ किसी एलएलपी के 50 प्रतिशत अथवा अधिक की बकाया ऋण की राशि, जिसे अदा करने में एलएलपी असफल रही है, को दर्शाने वाले लेनदारों द्वारा मांग की गई है, वहाँ पर ऐसी मांग की सूचना को दिए जाने के 30 दिन के भीतर अथवा उसे लेनदारों की युक्तियुक्त समाधान के अनुरूप प्रतिभूत करने या संचित करने; अथवा

(ख) जहाँ किसी एलएलपी के परिसमापन के लिए कोई याचिका अधिकरण द्वारा परिसमापन याचिका पर दिए गए निर्देशों के अनुसार अधिकरण के समक्ष लंबित है; अथवा

(ग) जहाँ समापक की रिपोर्ट पर अधिकरण द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार समापक ने अपनी रिपोर्ट को अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया है।

(ii) खण्ड (i) में किसी प्रतिकूलता के बिना एलएलपी अथवा कोई लेनदार अथवा एलएलपी का कोई भागीदार, एलएलपी को समाप्त किए जा रहे मामले में कोई समापक, अधिकरण के समक्ष पुनः प्रवर्तन तथा पुनरुद्धार के लिए ठहराव की स्वीकृति के लिए कोई आवेदन दे सकता है।

(13) (i) उप-नियम (12) के अधीन किसी आवेदन के साथ निम्नलिखित सलग्न होने चाहिए -  
 (क) एलएलपी द्वारा उप नियम (12) के अधीन आवेदन दिए जाने के मामले में तत्काल पिछले वित्त वर्ष के लिए एलएलपी के लेखे तथा शोधन क्षमता का विवरण;

(ख) योजना से संगत विवरण तथा दस्तावेज जिसमें विभिन्न पक्षों से प्रदायित वित्तीय अथवा अन्यथा प्रतिबद्धताएं, ऋणों की प्रस्तावित पुनर्संरचना अथवा पुनःनिर्धारण, और अन्य कोई वचन या समझ, बैंक अथवा वित्तीय संस्था के मामले में किसी पत्र के माध्यम से अथवा किसी अन्य मामले में संबंधित पक्ष या पक्षों के शपथ पत्र के द्वारा, अथवा अधिकरण द्वारा निदेश दिए अनुसार किसी भी अन्य रूप में ; और

(ग) एक एलएलपी प्रशासक की नियुक्ति के प्रस्ताव सहित एलएलपी के पुनः प्रवर्तन तथा पुनरुद्धार की प्रस्तावित योजना ;

(ii) उप-नियम (12) के अधीन किसी आवेदन को अधिकरण को मांग सूचना की समाप्ति की तारीख से 90 दिनों के भीतर अथवा उप-नियम 12 के खण्ड (1) के अधीन अधिकरण को संदर्भित करने के निदेश की तारीख से ।

(14) (क) उप-नियम (12) के अधीन किसी आवेदन की प्राप्ति के 60 दिन के भीतर अधिकरण सभी संबंधित पक्षों को पुनः और आवेदन को स्वीकार अथवा खारिज कर सकता है ;

(ख) जहाँ अधिकरण किसी आवेदन को स्वीकार करता है तो वह इस आशय का एक आदेश देगा और निम्नलिखित मामलों में से सभी अथवा किसी एक के लिए उक्त आदेश में उपबंध करेगा -

(i) एलएलपी के पुनः प्रवर्तन तथा पुनरुद्धार के लिए प्रस्तावित योजना के अनुमोदन के लिए लेनदारों की बैठक आयोजित करना;

(ii) उक्त बैठक के अध्यक्ष की नियुक्ति सहित बैठक के आयोजन के संबंध में योजना में प्रस्तावित एलएलपी प्रशासक द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया;

(iii) अन्य कोई निदेश अथवा आदेश जिसे आवश्यक समझा जाए ।

(ग) योजना में प्रस्तावित एलएलपी प्रशासक बैठक में लिए गए निर्णय सहित अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट को उप-नियम 14 के उप खंड (ख) के अधीन दिए गए आदेश के 60 दिनों के भीतर अधिकरण को प्रस्तुत करेगा !

(15) (i) उप नियम (14) के खण्ड (ग) के अधीन एलएलपी प्रशासक की रिपोर्ट और उपलब्ध अन्य सामग्री पर विचार करने के पश्चात यदि अधिकरण का इस पर समाधान है कि एलएलपी के विरुद्ध देय राशि के मूल्य का तीन चौथाई दर्शाने वाले लेनदार योजना में संशोधन के साथ अथवा बिना संशोधन के इस पर सहमत हो जाते हैं कि एलएलपी का पुनः प्रवर्तन तथा पुनरुद्धार संभव नहीं है तो अधिकरण ऐसी रिपोर्ट की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर आदेश दे सकता है कि -

(क) यह कि एलएलपी के परिसमापन के लिए कार्यवाही प्रारंभ की जाए; अथवा

(ख) एलएलपी को समाप्त किया जाए, अथवा समापक कार्य करता रहे; अथवा

(ग) एलएलपी के पुनः प्रवर्तन तथा पुनरुद्धार के लिए ठहराव को लेनदारों द्वारा अनुमोदित किए अनुसार अधिकरण द्वारा आवश्यक समझे जाने वाले संशोधनों के साथ स्वीकृत करे और एलएलपी प्रशासक के कार्य करते रहने अथवा एक नए एलएलपी प्रशासक की नियुक्ति के लिए आदेश दे ।

परन्तु कि अधिकरण लेनदारों की बैठक में एलएलपी द्वारा लाए गए किसी अन्य एलएलपी प्रशासक की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव सहित पुनः प्रवर्तन तथा पुनरुद्धार के ठहराव के अनुमोदन पर विचार करे, अथवा लेनदारों या समापक द्वारा प्रस्तावित ठहराव के स्थान पर किसी अन्य ठहराव के अनुमोदन पर विचार करे परन्तु उस व्यवस्था को मूल्य रूप में तीन-चौथाई बहुमत द्वारा अनुमोदित किया गया हो ।

परन्तु और यह भी कि जहाँ पुनः प्रवर्तन तथा पुनरुद्धार का ठहराव एलएलपी के किसी अन्य एलएलपी के साथ समापन से संबंधित है वहाँ अधिकरण द्वारा किसी योजना को तब तक स्वीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि उक्त योजना को संशोधन के साथ अथवा संशोधन के बिना अंतरणकर्ता तथा अंतरिती एलएलपी के संबंधित भागीदारों के तीन-चौथाई द्वारा अनुमोदित न कर दिया गया हो ।

(ii) खण्ड (1) के अधीन अधिकरण द्वारा ठहराव की स्वीकृति का आदेश निम्नलिखित में से सभी अथवा किसी एक मामले में उपबंध कर सकता है -

(क) एलएलपी प्रशासक की शक्तियां तथा कार्य;

(ख) समय अवधि जिसके भीतर व्यवस्था में प्रस्तावित विभिन्न कार्रवाइयों को किया जाना है;

(ग) पुनः प्रवर्तन तथा पुनरुद्धार की ठहराव के क्रियान्वयन के प्रयोजन के लिए एलएलपी अथवा उसके अधिकारियों अथवा लेनदारों, अथवा एलएलपी प्रशासक अथवा अन्य व्यक्तियों को ऐसा कोई निदेश, जिसे आवश्यक समझा जाए; और

(घ) अन्य कोई आदेश या आदेश जिसे आवश्यक समझा जाए ।

(16) एलएलपी प्रशासक पुनः प्रवर्तन तथा पुनरुद्धार ठहराव के क्रियान्वयन से संबंधित सभी कार्रवाइयों को पूरा करेगा और अधिकरण के समक्ष अपनी अंतिम रिपोर्ट को अधिकरण द्वारा निर्देशित समय के भीतर प्रस्तुत करेगा परन्तु यह उप नियम (15) के खण्ड (i) के अधीन दिए गए आदेश से 180 दिनों से अधिक नहीं होगा;

(17) (i) एलएलपी प्रशासक को एलएलपी के परिसमापन तथा विघटन किए जाने के लिए सरकार द्वारा अनुरक्षित एक पैनल में से नियुक्त किया जाएगा ।

(ii) एलएलपी प्रशासक के शुल्क सहित उसकी नियुक्ति के निबंधन एवं शर्तें अधिकरण द्वारा आदेश दिए गए अनुसार होंगी ।

(iii) अधिकरण युक्तियुक्त दर्शाए जाने और लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों से एलएलपी प्रशासक को हटाकर किसी अन्य एलएलपी प्रशासक को नियुक्त कर सकता है ।

(iv) एलएलपी प्रशासक को हटाए जाने, उसकी मृत्यु अथवा अक्षमता के मामले में अधिकरण किसी अन्य एलएलपी प्रशासक को नियुक्त कर सकता है ।

(v) एलएलपी प्रशासक को उप नियम (15) के अधीन आदेश दिए जाने की तारीख से 30 दिनों के भीतर प्रमाणित प्रतियों को संबंधित रजिस्ट्रार के समक्ष प्ररूप 22 में उपाबंध 'अ' में उल्लिखित शुल्क के साथ फाइल किया जाएगा ।

**स्पष्टीकरण** - आदेश की तारीख से 30 दिनों की अवधि की गणना करने में, आदेश की प्रमाणित प्रति को प्राप्त करने के अपेक्षित समय को सम्मिलित नहीं करना चाहिए ।

### अध्याय—XIII

#### दस्तावेजों की इलेक्ट्रानिक फाइलिंग

36(1) (i) अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन फाइल किए जाने अथवा सुपुर्द किए जाने के लिए अपेक्षित प्रत्येक ई-प्ररूप अथवा आवेदन अथवा दस्तावेज अथवा घोषणा कम्प्यूटर रिडेबल इलेक्ट्रानिक प्ररूप में, पोर्टेबल डाक्यूमेंट फॉर्मेट (पीडीएफ) में कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अपनी वेबसाइट [www.mca.gov.in](http://www.mca.gov.in) पर अनुरक्षित किसी पोर्टल अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किसी अन्य वेबसाइट के माध्यम से फाइल किया जाएगा तथा इसे उक्त प्रयोजन के लिए सीमित दायित्व भागीदारी के किसी भागीदार अथवा अभिहित भागीदार द्वारा मान्य डिजीटल हस्ताक्षर का उपयोग करके अधिप्रमाणित किया जाएगा ।

परन्तु जहां दस्तावेज नान-ज्युडिसियल स्टाम्प पेपर पर फाइल किया जाना अपेक्षित है, एलएलपी इलेक्ट्रानिक प्ररूप में प्रस्तुत करने के अलावा वास्तविक रूप में इन दस्तावेजों को प्रस्तुत करेगी जब तक कि केन्द्रीय सरकार किसी आदेश द्वारा उनके भौतिक रूप में प्रस्तुत किए जाने के लिए छूट नहीं देती है ।

(ii) ई-प्ररूप, दस्तावेज अथवा आवेदन आदि, जिन्हें अधिनियम अथवा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन फाइल अथवा सुपुर्द किया जाना अपेक्षित है के अधिप्रमाणन के लिए प्रत्येक अभिहित भागीदार, भागीदारों अथवा अधिनियम में विनिर्दिष्ट व्यक्ति को ऐसे अधिप्रमाणन के प्रयोजन के लिए प्रमाणन अधिकारी से डिजीटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा और ऐसा प्रमाण-पत्र वैध नहीं होगा यदि यह सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अधीन श्रेणी II अथवा श्रेणी III विनिर्देशन का नहीं है ।

(2) केन्द्रीय सरकार आवेदन ई-प्ररूप, दस्तावेजों और आवेदनों आदि को फाइल करने, इलेक्ट्रानिक रजिस्ट्री में दस्तावेजों को देखने और निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित स्थापित करेगी तथा रखरखाव करेगी -

- (i) इलेक्ट्रानिक रजिस्ट्री तक पहुंच प्रदान करने के लिए वेबसाइट अथवा पोर्टल ; और,
- (ii) अधिक से अधिक रजिस्ट्रार के फ्रंट आफिस जिनकी आवश्यकता हो तथा ऐसे स्थान पर और ऐसे समय के लिए जैसाकि केन्द्रीय सरकार समय-समय पर निर्धारित करे।
- (3) (i) केन्द्रीय सरकार एक सुरक्षित इलेक्ट्रानिक रजिस्ट्री स्थापित करेगी और रखरखाव करेगी जिसमें इलेक्ट्रानिक रूप से फाइल किए गए सभी दस्तावेजों को रखा जाएगा। इस प्रकार स्थापित इलेक्ट्रानिक रजिस्ट्री उपाबंध 'अ' में उल्लेख किए अनुसार यथा निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर ऐसे दस्तावेजों की सार्वजनिक पहुंच और निरीक्षण को समर्थ बनाएगी जिन्हें अधिनियम के अधीन सार्वजनिक अधिकार-क्षेत्र में रखा जाना आवश्यक है।
- (ii) अधिनियम अथवा इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन रजिस्ट्रार अथवा केन्द्रीय सरकार का किसी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाने के लिए अपेक्षित प्रत्येक दस्तावेज अथवा आवेदन अथवा प्रमाण पत्र को ऐसे व्यक्ति के वैध डिजिटल हस्ताक्षर या प्रणाली सृजित डिजिटल हस्ताक्षर के द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा।
- (iii) रजिस्ट्रार अथवा केन्द्रीय सरकार का कोई अधिकारी, यथास्थिति, इलेक्ट्रानिक तरीके से सीमित दायित्व भागीदारी अथवा इसके प्राधिकृत प्रतिनिधि, भागीदार अथवा दोनों को पत्र भेज सकता है जिसके लिए एलएलपी ऐसे पत्र, स्वचल अथवा अन्यथा को प्राप्त करने और पावती भेजने में सक्षम एक वैध इलेक्ट्रानिक पता (उदाहरण के लिए ई-मेल, यूजर आइडेंटिफिकेशन आदि) हमेशा तैयार कर सकती है और रख सकती है।
- (4) रजिस्ट्रार अथवा केन्द्रीय सरकार का कोई अधिकारी इलेक्ट्रानिक तरीके से प्रमाण पत्र, रसीद, अनुमोदन जारी कर सकती है अथवा पृष्ठांकन अथवा पावती भेज सकता है।

परंतु जहां रजिस्ट्रार अथवा केन्द्रीय सरकार का अधिकारी, यथास्थिति लिखित रूप अभिलेख किए जाने वाले कारणों से इलेक्ट्रानिक तरीके से कोई प्रमाण पत्र, रसीद, पृष्ठांकन, पावती अथवा अनुमोदन जारी करने में सक्षम नहीं है, वह अपने कार्यालय का मोहर लगाकर मैन्युअल हस्ताक्षर के अधीन वास्तविक प्ररूप में ऐसा प्रमाण पत्र, रसीद भेज सकता है अथवा पृष्ठांकन, पावती या अनुमोदन सूचित कर सकता है।

- (5) रजिस्ट्रार अधिनियम और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन अनुमोदन, रजिस्ट्रीकरण, रिकार्ड में लेने अथवा सुधार के लिए, यथास्थिति, फाइल किए जाने वाले अथवा सौंपे जाने के लिए अपेक्षित अथवा प्राधिकृत प्रत्येक आवेदन अथवा ई-प्ररूप की परीक्षण करेगा अथवा परीक्षण करवाएगा।

परन्तु कि सूचनात्मक स्वरूप के रूप में अभिज्ञात तथा स्ट्रेट थ्रू प्रॉसेस (एसटीपी) के अधीन फाइल किए गए ई-फार्म की रजिस्ट्रार द्वारा फाइल किए जाने के बाद किसी भी समय परीक्षण की जा सकती है।

- (6) जहां रजिस्ट्रार, उप नियम (5) में संदर्भित ऐसे किसी आवेदन अथवा ई-प्ररूप अथवा दस्तावेज की परीक्षण करने पर, अतिरिक्त सूचना की मांग करना आवश्यक समझता है अथवा ऐसे आवेदन अथवा ई-प्ररूप अथवा दस्तावेज को अथवा अपूर्ण पाता है, वह मांगी गई ऐसी सूचना अथवा पाए गए दोष अथवा अपूर्णता को इलेक्ट्रानिक रूप से इसकी वेबसाइट पर डालकर तथा व्यक्ति अथवा सीमित दायित्व भागीदारी, जिसने ऐसे आवेदन अथवा ई-प्ररूप अथवा दस्तावेज फाइल किया है, को अंतिम सूचित ई-मेल पता पर ई-मेल द्वारा भी सूचित करेगा, जिसमें ऐसी सूचना प्रस्तुत करने अथवा ऐसी त्रुटि या अपूर्णता को दूर करने अथवा ऐसे आवेदन अथवा-प्ररूप दस्तावेज को उप-नियम (7) के अधीन अनुज्ञात अवधि के भीतर पुनः प्रस्तुत करने का निर्देश देना।

परन्तु यदि संदर्भित व्यक्ति अथवा सीमित दायित्व भागीदारी का ई-मेल पता उपलब्ध नहीं है, रजिस्ट्रार द्वारा ऐसी सूचना प्ररूप 12 में दिए गए अंतिम सूचित पता पर अथवा सीमित दायित्व भागीदारी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते पर अथवा ऐसे व्यक्ति के पता, यथास्थिति डाक द्वारा भेजी जाएगी। रजिस्ट्रार इलेक्ट्रानिक रिकार्ड में ऐसी सूचना के तथ्यों को परिरक्षित करेगा।

(7) रजिस्ट्रार ऐसे व्यक्ति अथवा एलएलपी जिसने उप-नियम(5) के अधीन ऐसा आवेदन अथवा ई-प्ररूप अथवा दस्तावेज फाइल किया है, को कुल मिलाकर 30 दिनों से अधिक न होने वाली अवधि का समय देते हुए अतिरिक्त सूचना प्रस्तुत करने अथवा त्रुटि अथवा अपूर्णता को दूर करने के लिए अथवा ऐसे आवेदन अथवा ई-प्ररूप अथवा दस्तावेज को पुनः प्रस्तुत करने के लिए अवसर देगा ।

(8) उपनियम (7) के अधीन अनुज्ञात की गई अवधि के निकाय, मांगी गई अतिरिक्त सूचना प्रदान नहीं की गई है अथवा आंशिक रूप से प्रस्तुत की गई है अथवा प्रदान नहीं की गई है अथवा त्रुटियों अथवा अपूर्णता को दूर नहीं किया गया है अथवा आंशिक रूप से दूर किया गया है अथवा रजिस्ट्रार की समाधान के अनुरूप दूर नहीं किया गया है, के मामलों में, रजिस्ट्रार इलेक्ट्रानिक रिकार्ड में ऐसे आवेदन अथवा ई-प्ररूप अथवा दस्तावेज यथास्थिति को अस्वीकार कर देगा अथवा "अमान्य" के रूप में वर्गीकृत करेगा तथा ऐसे अमान्य आवेदन अथवा ई-प्ररूप अथवा दस्तावेज को रिकार्ड में नहीं रखेगा और तदनुसार ऐसे व्यक्ति अथवा सीमित दायित्व भागीदारी, यथास्थिति हो, को उपनियम (6) में यथा विनिर्दिष्ट रीति से सूचित करेगा।

(9) जहां रजिस्ट्रार द्वारा किसी दस्तावेज को अमान्य के रूप में रिकार्ड किया गया है, सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा ऐसे दस्तावेज को अधिनियम के अधीन किसी अन्य दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यथा लागू फीस तथा अतिरिक्त फीस के भुगतान के साथ नई फाइलिंग द्वारा ही त्रुटि को दूर किया जा सकता है।

(10) अधिनियम में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाए, रजिस्ट्रार दस्तावेज की फाइलिंग की तारीख से 120 दिनों से अधिक अनुमोदन और रजिस्ट्रीकरण के लिए अथवा रिकार्ड में रखने के लिए अथवा अस्वीकृति के लिए अथवा अन्यथा के लिए लंबित नहीं रखेगा।

(11) यदि रजिस्ट्रार, उपनियम (5) के अधीन परंतुक में संदर्भित स्ट्रेट थू प्रॉसेस (एसटीपी) के अधीन फाइल किए गए ऐसे ई-प्ररूप अथवा दस्तावेज को, किसी भी समय किसी भी संबंध में त्रुटिपूर्ण अथवा अपूर्ण पाता है, वह ऐसे ई-प्ररूप अथवा दस्तावेज को इलेक्ट्रानिक रजिस्ट्री में "त्रुटिपूर्ण" के रूप में मानेगा और वर्गीकृत करेगा तथा ऐसे ई-प्ररूप अथवा दस्तावेज में इन त्रुटियों अथवा अपूर्णता या उल्लेख करते हुए व्यक्ति अथवा एलएलपी जिसने दस्तावेज फाइल किया है, के अंतिम सूचित ई-मेल पता (यदि उपलब्ध हो) पर तथा ऐसे व्यक्ति के पता अथवा ऐसे एलएलपी के पता अथवा एलएलपी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पता पर डाक द्वारा लिखित रूप में भी सूचना भी जारी करेगा, जिसमें ऐसे व्यक्ति अथवा एलएलपी से ऐसे सूचना की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर इन त्रुटियों अथवा अपूर्णता को दूर करने के पश्चात फीस तथा ऐसे प्रयोज्य अतिरिक्त फीस के साथ नया ई-प्ररूप अथवा दस्तावेज फाइल करने के लिए कहा जाएगा।

#### **अध्याय—XIV** **निष्क्रिय एलएलपी का नाम काटना**

37(1) जहां सीमित दायित्व भागीदारी कोई कारोबार अथवा प्रचालन नहीं कर रही है :

(क) दो वर्ष अथवा उससे अधिक की अवधि के लिए और रजिस्ट्रार को वही विश्वास करने का पर्याप्त कारण है, तो एलएलपी का नाम हटाने के लिए स्वतः कार्रवाई करने के प्रयोजन के लिए अथवा

(ख) एक वर्ष अथवा उससे अधिक की अवधि के लिए और रजिस्ट्रार से सीमित दायित्व भागीदारी के नाम को काटने के उद्देश्य से रजिस्ट्रार को प्ररूप 24 में उसके सभी भागीदारों की सहमति से एक आवेदन दिया गया है,

रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार से सीमित दायित्व भागीदारी के नाम काटने को अपनी आशय की लिए सीमित दायित्व भागीदारी तथा उसके सभी भागीदारों को एक सूचना भेजेगा और उनसे सूचना की तारीख से एक मास के भीतर संगत दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रतियों के साथ अपने अभ्यावेदनों को भेजने के लिए अनुरोध करेगा ।

परंतु खंड(ख) के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा कोई सूचना अपेक्षित नहीं होगी ।

परंतु यह और कि जहां पर सीमित दायित्व भागीदारी को विशेष कानून के अधीन विनियमित किया जाता है, इसके नाम को काटने के लिए आवेदन के साथ उस कानून के अधीन गठित अथवा स्थापित नियामक निकाय का अनुमोदन संलग्न होना चाहिए।

(2) उपनियम (1) के अधीन जारी सूचना अथवा एलएलपी के किसी आवेदन की विषय-वस्तु को आम जनता के सूचनार्थ एक मास की अवधि के लिए कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर भी डाला जाएगा।

(3) उपर्युक्त उप-नियम (1) में सूचना में उल्लिखित समय अथवा उपर्युक्त उप-नियम (2) के अधीन एक मास के पश्चात्, रजिस्ट्रार यदि सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा इसके प्रतिकूल दर्शाया नहीं जाता है, अथवा रजिस्ट्रार समाधान है कि नाम को रजिस्ट्रार से काटा नहीं जाना चाहिए, रजिस्ट्रार से उसका नाम काटना, और राजपत्र में इसकी सूचना प्रकाशित करेगा तथा इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन के पश्चात् सीमित दायित्व भागीदारी का विघटन हो जाएगा।

(4) रजिस्ट्रार, उपनियम (3) के अधीन आदेश पारित करने से पहले, जहां उसके पास यह मानने के लिए समुचित कारण है कि सीमित दायित्व भागीदारी के पास कोई संपत्ति अथवा दायित्व है, वह स्वयं को समाधान करेगा कि सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा देय सभी राशि को प्राप्त करने के लिए तथा युक्तियुक्त समय के भीतर सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा इसकी देयताओं और दायित्वों के भुगतान अथवा निष्पादन के लिए पर्याप्त उपाय किया गया है तथा यदि आवश्यक हो, अभिहित भागीदार अथवा भागीदार अथवा सीमित दायित्व भागीदारी के प्रबंध के प्रगारी अन्य व्यक्तियों से आवश्यक वचन प्राप्त करेगा :

परंतु इस उप नियम में संदर्भित वचन के सिवाय सीमित दायित्व भागीदारी की सम्पत्तियों को रजिस्ट्रार में सीमित दायित्व भागीदारी के नाम को काटने की तारीख के पश्चात् भी अपनी सभी दायित्व और दायित्वों के भुगतान अथवा निर्वहन के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

(5) उपनियम (3) के अधीन सीमित दायित्व भागीदारी के प्रत्येक अभिहित भागीदार दायित्व, यदि कोई हो, जारी रहेगी तथा प्रवर्तनीय रहेगी मानो सीमित दायित्व भागीदारी को विघटित नहीं किया गया है।

(6) सीमित दायित्व भागीदारी जिसका नाम रजिस्ट्रार से काट दिया गया है, को समाप्ति करने के अधिकरण की शक्ति को इस नियम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

**स्पष्टीकरण** — आदेश की तारीख से 30 दिनों की अवधि की गणना करने में आदेश की प्रमाणित प्रति को प्राप्त करने में अपेक्षित समय को सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

#### **अध्याय—XV**

##### **फर्म से सीमित दायित्व भागीदारी में सपरिवर्तन**

38 (1) द्वितीय अनुसूची के प्रयोजनों के लिए, उपाबंध—'अ' में उल्लेख किए अनुसार शुल्क के साथ प्ररूप 17 के भाग ख में फार्मेट उपबंधित कराए गए प्ररूप में भागीदारों के कथन के साथ प्ररूप 17 के भाग क में फार्मेट उपबंधित प्ररूप में एक आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) रजिस्ट्रार, फर्म के सीमित दायित्व भागीदारी में सपरिवर्तित होने पर, प्ररूप 19 अपने मोहर के साथ रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(3) द्वितीय अनुसूची के पैरा 5 के प्रयोजनों के लिए, सीमित दायित्व भागीदारी प्ररूप 14 में फर्म के सीमित दायित्व भागीदारी में सपरिवर्तन के बारे में फर्मों के संबंधित रजिस्ट्रार को सूचित करेगा।

#### **अध्याय—XVI**

##### **प्राइवेट कंपनी से सीमित दायित्व भागीदारी में सपरिवर्तन**

39 (1) (1) तृतीय अनुसूची के प्रयोजनों के लिए, उपाबंध—'अ' में उल्लेख किए गए अनुसार शुल्क के साथ प्ररूप 18 के भाग ख में करवाए गए प्ररूप में शेयरधारकों के कथन के साथ प्ररूप 18 के भाग अ में फार्मेट उपबंधित करवाए गए में एक आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) रजिस्ट्रार, प्राइवेट कंपनी के सीमित दायित्व भागीदारी में सपरिवर्तित होने पर, प्ररूप 19 में अपने मोहर के साथ रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा।



(3) तृतीय अनुसूची के पैरा 4 के प्रयोजनों के लिए, सीमित दायित्व भागीदारी फर्म 14 में प्राइवेट कंपनी के सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तन के बारे में कंपनियों के संबंधित रजिस्ट्रार को सूचित करेगा।

### अध्याय—XVII

#### गैर सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी से सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तन

40(1) चौथी अनुसूची के प्रयोजनों के लिए, उपाबंध—'अ' में उल्लेख किए अनुसार शुल्क के साथ प्ररूप 18 के भाग ख में फार्मेट उपबंधित रूप में शेरधारकों के कथन के साथ प्ररूप 18 के भाग अ में फार्मेट उपबंधित रूप में एक आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) रजिस्ट्रार, गैर सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी के सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तित होने पर, प्ररूप 19 में अपने मोहर के साथ रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(3) चौथी अनुसूची के पैरा 5 के प्रयोजनों के लिए, सीमित दायित्व भागीदारी प्ररूप 14 में गैर सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी के सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तन के बारे में कंपनियों के संबंधित रजिस्ट्रार को सूचित करेगा।

### अध्याय—XVIII

#### अपराधों को शमन करना

41(1) किसी अपराध को शमन करने के लिए प्रत्येक आवेदन प्ररूप 31 में रजिस्ट्रार को दिया जाएगा जो उक्त पर अपनी टिप्पणियों के साथ उसे केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित करेगा।

(2) जहाँ किसी अपराध को अभियोजन से पूर्व शमन किया गया है, वहाँ इस प्रकार शमन किए गए अपराध के संबंध में जिस अपराधी के विरुद्ध वह अपराध शमन किया गया है उसके संबंध में कोई अभियोजन नहीं चलाया जाएगा।

(3) जहाँ किसी अपराध के अभियोजन को चलाए जाने के पश्चात शमन किया गया है वहाँ ऐसे शमन किए जाने को रजिस्ट्रार द्वारा लिखित में उस न्यायालय की जानकारी में लाया जाएगा जिसके समक्ष अभियोजन लंबित है।

(4) जहाँ किसी अपराध को अभियोजन से पूर्व अथवा पहले धारा 39 के अधीन शमन किया गया हो, वहाँ उसकी सूचना एलएलपी द्वारा रजिस्ट्रार को प्ररूप 22 में अपराध के शमन किए जाने से 7 दिवस के भीतर दी जानी चाहिए।

(5) केन्द्रीय सरकार अधिनियम के किसी ऐसे उपबंध के साथ अनुपालन में व्यक्तिक्रम के लिए अपराध को शमन करने के लिए आवेदन पर कार्रवाई करते समय, जिसमें एलएलपी अथवा उसके भागीदार अथवा भागीदारों अथवा अभिहित भागीदार अथवा अभिहित भागीदारों को रजिस्ट्रार को किसी रिटर्न, लेखे तथा शोधन क्षमता के विवरण अथवा अन्य दस्तावेज को फाइल अथवा शमन किए जाने की आवश्यकता होती है तो वह इस नियम के अधीन शमन किए जाने की अनुमति देने से पूर्व आदेश द्वारा एलएलपी के किसी भागीदार अथवा अभिहित भागीदार को धारा 69 के अधीन अदा किया जाने वाले अपेक्षित शुल्क, तथा अतिरिक्त शुल्क के भुगतान पर एलएलपी के भागीदार अथवा अभिहित भागीदार को ऐसे रिटर्न, लेखे तथा शोधन क्षमता के विवरण और उस आदेश में निर्दिष्ट समय के भीतर किसी अन्य दस्तावेज को फाइल अथवा रजिस्ट्रीकृत करने के लिए कह सकती है।

## प्ररूप 1

(नियम 18(5) देखें)

नाम के आरक्षण अथवा परिवर्तन के लिए आवेदन

नोट — \* से अंकित सभी खानों को आज्ञापक रूप से भरा जाना है।

1. \*आवेदन ..... नई सीमित दायित्व भागीदारी(एलएलपी) के निगमन के लिए  
..... विद्यमान सीमित दायित्व भागीदारी के नाम को परिवर्तन के लिए

भाग क . नाम का आरक्षण

2. आवेदक का ब्यौरा

1(क) \* क्या आवेदक भागीदार के रूप में एक व्यक्ति है ..... अथवा एक भागीदार के रूप में किसी निगमित निकाय का एक नामनिर्देशिती है.....

(ख) \* अभिहित भागीदार पहचान संख्या(डीपीआईएन) अथवा आय कर स्थायी लेखा संख्या (पैन) अथवा पासपोर्ट संख्या.....

2(क) \* नाम .....

(ख) \* व्यवसाय .....

(ग) \* प्रकृत पंक्ति I .....

पंक्ति II .....

(घ) \* शहर .....

(ङ) \* राज्य .....

(च) \* पीन कोड .....

(छ) \* आईएसओ देश कोड .....

(ज) \* देश .....

(झ) \* ई-मेल आईडी .....

(ञ) \* फोन .....

(ट) \* फ़ैक्स .....

3. दो प्रस्तावित अभिहित भागीदारों का ब्यौरा (उनमें से एक भारत का निवासी होना चाहिए)

(i) \*श्रेणी (डाप डाउन) व्यक्ति, एलएलपी, कंपनी, भारत के बाहर निगमित एलएलपी(एलआईओआई), भारत के बाहर निगमित कंपनी(सीआईओआई)

(ii) \*डीपीआईएन/आय कर पैन/पासपोर्ट संख्या; अथवा एलएलपीआईएन अथवा कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन); अथवा एलआईओआई रजिस्ट्रीकरण संख्या; अथवा सीआईओआई रजिस्ट्रीकरण संख्या

(iii) \*नाम .....

(iv) \* नामनिर्देशिती का नाम, निगमित निकाय के मामले में .....

(v) प्रस्ताव प्राधिकरण नामनिर्देशिती के संकल्प के ब्यौरे (संख्या/तारीख).....

(i) \*श्रेणी (डाप डाउन) व्यक्ति, एलएलपी, कंपनी, भारत के बाहर निगमित एलएलपी(एलआईओआई), भारत के बाहर निगमित कंपनी(सीआईओआई)

(ii) \*डीपीआईएन/आय कर पैन/पासपोर्ट संख्या; अथवा एलएलपीआईएन अथवा कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन); अथवा एलआईओआई रजिस्ट्रीकरण संख्या; अथवा सीआईओआई रजिस्ट्रीकरण संख्या

(iii) \*नाम .....

(iv) \* नामनिर्देशिती का नाम, यदि निगमित निकाय हैं .....

(v) प्राधिकरण नामनिर्देशिती के संकल्प के ब्यौरे (संख्या/तारीख).....

4. \* राज्य का नाम जिसमें प्रस्तावित सीमित दायित्व भागीदारी को रजिस्ट्रीकृत किया जाना है

5. \* रजिस्ट्रार के कार्यालय का नाम जहाँ प्रस्तावित सीमित दायित्व भागीदारी अवस्थित है

6. क्या आवेदन फर्म अथवा निजी कंपनी अथवा गैर-सूचीबद्ध निजी कंपनी के एलएलपी में संपरिवर्तन हेतु है  
हाँ ..... नहीं.....

यदि हाँ, तो निम्नलिखित ब्यौरे दीजिए

(1) फर्म के संपरिवर्तन के मामले में :

(1) फर्म का नाम .....

(2) क्या फर्म रजिस्ट्रीकृत है हाँ..... नहीं.....

यदि हाँ, तो निम्नलिखित ब्यौरे दीजिए :

(क) कानून/विधि का नाम जिसके अंतर्गत फर्म रजिस्ट्रीकृत है .....

(ख) राज्य का नाम जिसमें फर्म रजिस्ट्रीकृत है .....

(ग) रजिस्ट्रीकरण का दिन./मास/वर्ष .....

(घ) रजिस्ट्रीकरण संख्या .....

(2) निजी कंपनी अथवा गैर-सूचीबद्ध पब्लिक कंपनी के परिवर्तन के मामले में

(क) सीआईएन.....

(ख) नाम .....

7. \* सीमित दायित्व भागीदारी का प्रस्तावित कारबार (यदि व्यवसाय में बैंककारी तथा स्टॉक एक्सचेंज शामिल हैं तो समुचित प्राधिकारी के सैद्धान्तिक अनुमोदन की एक प्रति संलग्न किया जाना चाहिए)

8. \* अभिदाय का प्रस्तावित मौद्रिक मूल्य (रूपए में)

अंकों में .....

शब्दों में .....

**भाग ख : नाम में परिवर्तन के मामले में**

9. \*सीमित दायित्व भागीदारी की एलएलपीआईएन .....

10. (क) \*सीमित दायित्व भागीदारी का नाम .....

(ख) \*सीमित दायित्व भागीदारी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता

\*पता पंक्ति I .....

पंक्ति II .....

\*शहर .....

जिला .....

\*राज्य .....

\*पिन कोड .....

\*आईएसओ देश कोड .....

\*देश .....

\*ई-मेल आईडी .....

\*फोन .....

\*फैक्स .....

11. \*नाम में परिवर्तन का कारण

.....  
.....



## सत्यापन

मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार, इस प्ररूप में दी गई सूचना और इसका संलग्नक सही और पूर्ण है, और प्रस्तावित नाम किसी अन्य भागीदारी फर्म अथवा सीमित दायित्व भागीदारी अथवा कारपोरेट निकाय अथवा रजिस्ट्री व्यापार चिन्ह अथवा व्यापार चिन्ह के नाम से अवांछनीय, समान अथवा काफी अधिक मिलता नहीं है जो व्यापार चिन्ह अधिनियम, 1999 के तहत किसी अन्य व्यक्ति के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन का विषय है।

मैंने नाम के आरक्षण के संबंध में सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों को पढ़ लिया है और

..... मैं इस आवेदन पर हस्ताक्षर करने तथा प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तावित भागीदारों द्वारा प्राधिकृत हूँ।

..... मुझे इस आवेदन पर हस्ताक्षर करने तथा प्रस्तुत करने के लिए .....(फर्म / निजी कंपनी / गैर-सूचीबद्ध पब्लिक कंपनी) द्वारा प्राधिकृत किया गया है।

..... मुझे सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा इस आवेदन पर हस्ताक्षर करने तथा प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

आवेदक द्वारा अंकीय रूप से हस्ताक्षर किया जाए .....

तारीख.....

स्थान .....

संशोधित करना

प्ररूप जांच

संवीक्षा—पूर्व

प्रस्तुत करें

## केवल कार्यालय प्रयोग हेतु

प्राधिकृत करने वाले अधिकारी के अंकीय हस्ताक्षर.....

इस ई- प्ररूप को अनुमोदित किया जाता है ..... प्रस्तुत करने की पुष्टि करें।

इस ई- प्ररूप को अस्वीकार किया जाता है .....

## प्ररूप 2

(नियम 11 देखें)

निगमन दस्तावेज तथा विवरण

नोट - \* अंकित सभी खानों को आज्ञापक रूप से भरा जाना आज्ञापक है।

## भाग क

## नियमन दस्तावेज

1. \* प्ररूप 1 की सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन) .....
2. \* सीमित दायित्व भागीदारी का नाम .....
3. \* राज्य जहां सीमित दायित्व भागीदारी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय अवस्थित होगा .....
4. \* सीमित दायित्व भागीदारी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता
  - \* पंक्ति 1 .....
  - \* पंक्ति 2 .....
  - \* शहर ..... जिला .....
  - \* राज्य ..... \* पिन कोड .....
  - \*आईएसओ देश कोड .....
  - \*देश ..... \*ई-मेल आईडी .....
  - \*फोन ..... \*फैक्स .....

5. \* सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा किया जाने वाला कारबार

.....  
 .....  
 .....

6. \* भागीदारों/अभिहित भागीदारों का सार

क्रम सं.	श्रेणी	भागीदारों की संख्या	अभिहित भागीदारों की संख्या	भारत में निवास कर रहे अभिहित भागीदारों की संख्या
1.	व्यक्ति			
2.	एलएलपी			
3.	कंपनी			
4.	भारत से बाहर निगमित एलएलपी			
5.	भारत से बाहर निगमित कंपनियां			
	कुल			

7. \* भागीदार के रूप में व्यक्तियों की संख्या ..... (डाइनामिक)

टिप्पण : यदि व्यक्तियों 5 से अधिक हैं तो शेष भागीदारों के संबंध में व्योरों को संलग्नक के रूप में एक पृथक पन्ने में संलग्न करें ।

व्यक्तियों के बावत व्योर (पहले अभिहित भागीदारों के संबंध में व्योर दें)

\* क्या अभिहित भागीदार हों..... नहीं.....

यदि हों, डीपीआईएन .....

\* क्या भारत में निवास कर रहे हैं हों..... नहीं.....

\* नाम .....

\* पिता/ पति का नाम .....

\* राष्ट्रीयता .....

\* जन्मतारीख : .....

\* व्यवसाय : .....

\* आयकर स्थायी लेखा संख्या (पिन) .....

पासपोर्ट संख्या .....

\* स्थायी आवास का पता

\*पता \* पंक्ति I .....

\* पंक्ति II .....

\* शहर ..... \* राज्य .....

\* पिन ..... \* आईएसओ देश कोड .....

फोन ..... फैक्स .....

ई-मेल आईडी .....

\* क्या वर्तमान आवासीय पता स्थायी आवासीय पता के समान है :

(कृपया निशान (x) लगाएं) ..... हां ..... नहीं

यदि नहीं, तो वर्तमान आवासीय पता

पता पंक्ति I .....

पंक्ति II .....

शहर ..... राज्य .....

पिन ..... आईएसओ देश कोड .....

देश ..... फोन .....

फैक्स .....

ई-मेल आईडी .....

\* अंशदान का रूप .....

\* अंशदान का मौद्रिक मूल्य (रुपए में)

(अंकों में).....

(शब्दों में).....

यदि पहले से ही किसी सीमित दायित्व भागीदारी (एलएलपी) का भागीदार अथवा किसी कंपनी का निदेशक है, निम्नलिखित विनिर्दिष्ट करें। (यदि 5 एलएलपी तथा कंपनियों से अधिक में भागीदार अथवा निदेशक हैं तो संलग्नक के रूप में एक पृथक पन्ना संलग्न करें) :

\* सीमित दायित्व भागीदारी फर्मों की संख्या जिसमें वह भागीदार हैं .....

एलएलपीआईएन.....

नाम.....

कंपनियों की संख्या जिनमें वह निदेशक है.....

सीआईएन.....

कंपनी का नाम.....

8. निगमित निकायों की संख्या जिसमें भागीदार हैं .....(डाइनामिक)

टिप्पण : यदि निगमित निकाय 5 से अधिक हैं तो शेष निगमित निकायों के संबंध में व्यौरों को संलग्नक के रूप में एक पृथक पन्ने में संलग्न करें।

\* निगमित निकायों तथा उनके नामनिर्देशियों के संबंध में व्यौरे (पहले अभिहित भागीदारों के संबंध में व्यौरे दें)

\* प्रवर्ग (ड्रोपडाउन) एलएलपी, कंपनी, भारत से बाहर निगमित एलएलपी (एलआईओआई), भारत से बाहर निगमित कंपनी (सीआईओआई).....

\* एलएलपीआईएन अथवा निगमित पहचान संख्या (सीआईएन), एलआईओआई रजिस्ट्रीकरण संख्या अथवा सीआईओआई पंजीकरण संख्या .....

\* निगमित निकाय का नाम.....

\* देश जहाँ रजिस्ट्रीकृत हैं.....

\* रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पूरा पता

\* पंक्ति I .....

\* पंक्ति II .....

\* शहर ..... \* राज्य .....

\* पिन ..... \* आईएसओ देश कोड .....

\* देश.....

\* फोन ..... फ़ैक्स .....

\* ई-मेल आईडी .....

\* अंशदान का रूप .....

\* अंशदान का मौद्रिक मूल्य (रुपए में)

(अंकों में).....

(शब्दों में).....

\* निगमित निकाय के नामनिर्देशिनी के रूप में हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का नाम और अन्य विशिष्टियाँ.....

\* पदनाम तथा प्राधिकार.....

\* पिता/ पति का नाम .....

\* राष्ट्रिकता .....

\* जन्मतारीख : .....

\* व्यवसाय : .....

\* आयकर स्थायी लेखा संख्या (पैन) .....

पासपोर्ट संख्या .....

\* क्या नामनिर्दिष्ट भागीदार हैं ..... हां ..... नहीं

यदि हाँ, डीपीआईएन.....

\* क्या भारत के निवासी है (कृपया टिक (x)) ..... हां ..... नहीं

\* स्थायी आवासीय पता

\* पता \*पंक्ति I .....  
 \*पंक्ति II .....  
 \*शहर ..... \*राज्य .....  
 \*पिन ..... \*आईएसओ देश कोड .....  
 \*देश .....  
 फोन ..... फैक्स .....  
 ई-मेल आईडी .....

\* विद्यमान आवासीय पता स्थायी आवासीय पते के समान है अथवा नहीं

(कृपया चिन्हित (x) करें) ..... हां ..... नहीं

यदि नहीं, वर्तमान आवासीय पता

पता पंक्ति I .....  
 पंक्ति II .....  
 शहर ..... राज्य .....  
 पिन ..... आईएसओ देश कोड .....  
 देश .....  
 फोन ..... फैक्स .....  
 ई-मेल आईडी .....

9. \* एलएलपी में भागीदारों द्वारा अभिदाय का कुल मौद्रिक मूल्य (रुप में)

(अंकों में).....

(शब्दों में).....

8. \* हम, अनेक भागीदार जिनके नाम नीचे दिए गए हैं, लाभ के उद्देश्य से कानूनी व्यवसाय करने के लिए सीमित दायित्व भागीदारी किए जाने के प्रति इच्छुक हैं तथा हमने लिखित रूप में सीमित दायित्व भागीदारों करार किया है अथवा करने पर सहमत हुए हैं। हम सीमित दायित्व भागीदारी करार के अनुसार धनराशि अथवा अन्य सम्पत्ति अथवा अन्य लाभ का अभिदाय देने अथवा सीमित दायित्व भागीदारी के लिए सेवाएं देने की कर्मशः सहमति देते हैं, जिसके ब्यौरे हमारे संबंधित नामों के आगे क्रम संख्या 7 अथवा 8 में दिए गए हैं ।

प्रत्येक भागीदार का नाम	भागीदार के हस्ताक्षर	साक्षी का नाम, पता और व्यवसाय (व्यावसायिक सदस्यता संख्या सहित)	साक्षी के हस्ताक्षर
1	2	3	4

(भागीदारों/साक्षियों के नाम तथा उनके हस्ताक्षर के संबंध में ब्यौरे को उक्त प्रारूप में एक संलग्नक के रूप में संलग्न करें)

संलग्नक

1. प्राधिकार की प्रति जहाँ भागीदार एक सीमित दायित्व भागीदारी, अथवा कंपनी, अथवा भारत से बाहर निगमित एक सीमित दायित्व भागीदारी अथवा भारत के बाहर निगमित एक कंपनी है ।
2. सीमित दायित्व भागीदारी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते का प्रमाण ।
3. भागीदारों/साक्षियों के नामों के संबंध में ब्यौरे तथा उनके हस्ताक्षर ।
4. व्यक्तियों / निगमित निकायों के ब्यौरे के संबंध में संलग्नक जहाँ उनकी संख्या 5 से अधिक हो ।
5. वैकल्पिक संलग्नक ।



## भाग — ख

## विवरण

\*एक ऐसे व्यक्ति द्वारा विवरण जिसने अपना नाम निगमन दस्तावेज में दिया हो :

मैं..... पुत्र/पुत्री/पत्नी.....निम्नानुसार स्पष्ट करता हूँ—

- (1) यह कि मैं सीमित दायित्व भागीदारी में अभिहित भागीदार /भागीदार के रूप में निगमन दस्तावेजों में नामित एक व्यक्ति हूँ ।
- (2) यह कि अभिहित भागीदारों ने अभिहित भागीदारों के रूप में कार्य करने के लिए अपनी पूर्व स्वीकृति दे दी है ।
- (3) यह कि निगमन और उससे पहले तथा प्रासंगिक मामलों के संबंध में सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों की सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है ।
- (4) मैं इस कथन को जानबूझकर सत्य मानते हुए दे रहा हूँ ।

डिजिटल रूप में हस्ताक्षर किया जाए

एक अभिहित भागीदार द्वारा .....

डीपीआईएन.....

तारीख.....

स्थान.....

\* किसी व्यवसाय कर रहे अधिवक्ता/कंपनी सचिव/चार्टर्ड अकाउंटेंट/लागत लेखाकार का कथन :

मैं..... पुत्र/पुत्री/पत्नी.....निम्नानुसार स्पष्ट करता हूँ—

- (1) यह कि मैं एक  
..... अधिवक्ता हूँ  
.....कंपनी सचिव हूँ  
..... चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ  
..... लागत लेखाकार हूँ

जो सीमित दायित्व भागीदारी के गठन में नियोजित है और मेरी सदस्यता संख्या .....(नियामक निकाय का नाम)..... है ।

- (2) यह कि निगमन और उससे पहले तथा प्रासंगिक मामलों के संबंध में सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों की सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है ।
- (3) मैं इस कथन को जानबूझकर सत्य मानते हुए दे रहा हूँ ।

डिजिटल रूप में हस्ताक्षर किया जाए .....

व्यवसाय कर रहे अधिवक्ता/कंपनी सचिव/चार्टर्ड अकाउंटेंट/लागत लेखाकार

एक अभिहित भागीदार द्वारा .....

तारीख.....

स्थान.....

संशोधित करें

प्ररूप जाँच

पूर्व जाँच

प्रस्तुत करें

## केवल कार्यालय प्रयोग हेतु

इस ई-प्ररूप को एतद्वारा रजिस्ट्रीकृत किया जाता है ..... प्राप्ति की पुष्टि करें ।  
प्राधिकार देने वाले अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर

## प्ररूप 3

(देखे नियम 21)

सीमित दायित्व भागीदारी करार तथा उसमें किए गए परिवर्तनों, यदि कोई हों, के संबंध में सूचना

नोट : \* अंकित सभी खानों को भरना आज्ञापक है

यह प्ररूप ..... हेतु है

एलएलपी करार के संबंध में सूचना देने के लिए

एलएलपी करार में परिवर्तनों की सूचना देने के संबंध में

**भाग क — एलएलपी करार के संबंध में सूचना देने के लिए**

1. \* एलएलपीआईएन .....
2. \* सीमित दायित्व भागीदारी का नाम .....
3. \* स्थान जहाँ पर सीमित दायित्व भागीदारी करार को किया गया है .....
4. (1) करार की तारीख .....
- (2) पुष्टि किए जाने की तारीख .....
5. \*रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता
  - \*पंक्ति I .....
  - \*पंक्ति II .....
  - \*शहर ..... जिला .....
  - \*राज्य ..... \*पिन कोड .....
  - \*आईएसओ देश कोड..... देश.....
  - फोन..... फैक्स.....
  - \*ई-मेल आइडी.....
6. \*सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा किया जाने वाला व्यवसाय .....
7. \*अभिहित भागीदार
  - (i) क्या प्रत्येक भागीदार समय-समय पर एक अभिहित भागीदार है
    - हाँ .....
    - नहीं.....
  - (ii) व्यक्तियों के नाम जो निगमन पर अभिहित भागीदार होंगे
    - नाम .....
    - डीपीआईएन .....
- (2) \*अधिनियम के उपबंधों के अनुपालन के संबंध में अभिहित भागीदार द्वारा किए जाने वाले कृत्य, मामले अथवा वस्तुएं
  - 1.....
  - 2.....
  - 3.....
- (3). \*कृत्यों, मामलों अथवा वस्तुओं के संबंध में शक्तियां जिनका उपयोग अभिहित भागीदार केवल सभी भागीदारों/भागीदारों की अपेक्षित संख्या अथवा प्रतिशत की सहमति से ही कर सकता है ।
  - 1.....
  - 2.....
  - 3.....
8. अभिदाय की बाध्यता
  - (1) पैसे अथवा संपत्ति अथवा अन्य लाभ का अभिदाय देने अथवा सेवाओं को निष्पादित करने की प्रत्येक भागीदार की बाध्यता
 

क्रम संख्या	भागीदार का नाम	अभिदाय की बाध्यता की प्रकृति तथा विनिर्देशन
  - (2) एलएलपी में भागीदारों द्वारा अभिदाय का कुल मौद्रिक मूल्य (रुपए में)
    - (अंकों में).....
    - (शब्दों में).....
9. \*भागीदार की शक्तियां तथा कर्तव्य
  - (i) प्रत्येक भागीदार की शक्तियां, कर्तव्य तथा प्राधिकार
    - (क) भागीदारों की शक्तियां
    - (ख) भागीदारों के कर्तव्य
    - (ग) भागीदारों के प्राधिकार
  - (ii) भागीदारों के परस्पर अधिकार तथा कर्तव्य .....

(3) सीमित दायित्व भागीदारी तथा भागीदारों के परस्पर अधिकार और कर्तव्य

10. \*भागीदारों के प्राधिकार पर निर्बंधन यदि कोई हों

11. \*सीमित दायित्व भागीदारी का प्रबंधन तथा प्रशासन

(i) कृत्य, मामले अथवा वस्तुएं, यदि कोई हों, जिन्हें केवल सभी भागीदारों की सहमति से ही किया जा सकता है

(ii) कृत्य, मामले अथवा वस्तुएं, यदि कोई हों, जिन्हें भागीदारों के बहुमत की सहमति से ही किया जा सकता है ।

(iii) कृत्य, मामले अथवा वस्तुएं, यदि कोई हों, जिन्हें केवल भागीदारों के अपेक्षित संख्या अथवा प्रतिशत की सहमति से ही किया जा सकता है ।

(iv) तरीका, यदि कोई हो, जिससे भागीदारों की सहमति प्राप्त की जानी है ।

(v) बैठकों को आहूत, करवाने तथा संचालित करने की प्रक्रिया (जहाँ विनिश्चय भागीदारों की बैठक में लिए जाने हैं)

12. \*क्या एलएलपी के पास कोई समान मुद्रा है

हाँ.....

नहीं.....

यदि हाँ, तो उस मुद्रा को लगाने के लिए प्राधिकारी

13. \*क्षतिपूर्ति खंड के ब्यौरे, यदि कोई हो .....

14. \*निम्न से संबंधित करार के खंड -

(क) नए भागीदार को शामिल करने हेतु

(ख) किसी भागीदार की सेवानिवृत्ति

(ग) किसी भागीदार के न रहने

(घ) किसी भागीदार के निष्कासन

(ङ) किसी भागीदार के त्यागपत्र पर

15. \*प्रवेश, सेवानिवृत्ति, समाप्ति, निष्कासन अथवा त्याग पत्र पर किसी भागीदार की बाध्यताएं, अधिकार, पात्रताएं

16. \*विवादों के समाधान से संबंधित खण्ड

(क) भागीदारों के मध्य, अथवा

(ख) भागीदार और एलएलपी के मध्य

17. \*सीमित दायित्व भागीदारी की अवधि, यदि कोई हो.....

18. \*स्वैच्छिक परिसमापन से संबंधित खण्ड, यदि कोई हों, .....

19. करार में खंडों की सूचना

(क) नियम 16 (2) से संबंधित

(ख) नियम 17(1) से संबंधित

(ग) नियम 20 (1) से संबंधित

(घ) नियम 24 (18)(क) से संबंधित

20. सीमित दायित्व भागीदारी करार के संबंध में उपर कवर न की गई कोई अन्य सूचना अथवा खण्ड (वैकल्पिक)

ख. सीमित दायित्व भागीदारी करार में परिवर्तन (जोड़ने, हटाने अथवा बदलाव) के संबंध में सूचना फाइल करने हेतु

21. \*एलएलपीआईएन.....

22. \*सीमित दायित्व भागीदारी का नाम .....

23. \*सीमित दायित्व भागीदारी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता

\*पक्ति I .....

- \*पंक्ति II .....
- \*शहर ..... जिला .....
- \*राज्य ..... \*पिन कोड .....
- \*आईएसओ देश कोड ..... \*देश .....
- फोन ..... फैक्स .....
- \*ई-मेल आईडी .....
24. \*करार के संशोधन की तारीख .....
25. \*कृपया उपर्युक्त मद 3 से 20 में किसी से संबंधित एलएलपी करार में होने वाले परिवर्तनों को दर्शाए .....
26. \*उपर्युक्त 25 में कवर न किए गए एलएलपी करार में हुए अन्य परिवर्तन अथवा परिवर्तनों को दर्शाएं .....
27. \*अभिदाय का मौद्रिक मूल्य (रुपए में) (अंकों में)-
- (1) विद्यमान .....
- (2) वर्धन .....
- (3) कुल .....

**\*कथन**

- मैं..... पुत्र/पुत्री/पत्नी.....निम्नानुसार स्पष्ट करता हूँ-
- (i) यह कि मैं निगमन दस्तावेज में एक अभिहित भागीदार हूँ/मैं सीमित दायित्व भागीदारी में एक अभिहित भागीदार के रूप में नामित एक व्यक्ति हूँ ।
- (ii) यह कि उपर दिए गए विशिष्टियां सीमित दायित्व भागीदारी करार के अनुसार /सीमित दायित्व भागीदारी करार में परिवर्तन से संबंधित करार के अनुसार हैं ।
- (iii) यह कि जब कभी आवश्यकता होगी मूल सीमित दायित्व भागीदारी करार को प्रस्तुत कर दिया जाएगा ।
- (iv) अभिदाय में परिवर्तन के मामले में रजिस्ट्रार को देय शुल्क का भुगतान किया गया है
- (v) मैं इस कथन को जानबूझकर सत्य मानते हुए दे रहा हूँ ।

**संलग्नक**

वैकल्पिक

अभिहित भागीदार द्वारा डिजिटल रूप में हस्ताक्षर किया जाए .....

डीपीआईएन.....

तारीख.....

स्थान.....

**प्रमाण-पत्र**

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने उक्त विशिष्टियों को.....(एलएलपी का नाम) की बहियों तथा अभिलेखों से लिया है और उन्हें सत्य तथा सही पाया है ।

.....व्यवसाय कर रहा कंपनी सचिव

.....व्यवसाय कर रहा चार्टर्ड अकाउंटेंट

.....व्यवसाय कर रहा लागत लेखाकार

क्या एसोसिएट हैं अथवा फेलो .....एसोसिएट ..... फेलो

सदस्यता संख्या अथवा व्यवसाय प्रमाण पत्र संख्या .....

किसी व्यवसाय कर रहे कंपनी सचिव/चार्टर्ड अकाउंटेंट/लागत लेखाकार द्वारा डिजिटल रूप में हस्ताक्षर किया जाए

तारीख.....(दिन/मास/वर्ष)

स्थान.....

संशोधित करें

प्ररूप जाँच

पूर्व जाँच

प्रस्तुत करें

**केवल कार्यालय प्रयोग हेतु**

इस ई-प्ररूप को रजिस्ट्रीकृत किया जाता है ..... प्रस्तुति की पुष्टि करें ।  
 प्राधिकार देने वाले अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर

**प्ररूप 4**

(देखें नियम 8, 10(8), 22 (2) तथा 22(3) )

**भागीदार/अभिहित भागीदार तथा उनके मध्य परिवर्तनों की सूचना, रजिस्टार को एलएलपी द्वारा डीपीआईएन की सूचना और किसी भागीदार/अभिहित भागीदार की भागीदार बनने हेतु सहमति**

टिप्पणी : सभी \*अंकित खानों को आज्ञापक भरा जाए

भाग - क

भागीदार/अभिहित भागीदार की नियुक्ति और उनके मध्य परिवर्तनों तथा डीपीआईएन की संसूचना का नोटिस

1. \*यह प्ररूप .....नई सीमित दायित्व भागीदारी ..... विद्यमान सीमित दायित्व भागीदारी हेतु है

2. \* प्ररूप 1 का सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन) अथवा एलएलपीआईएन

3. \*सीमित दायित्व भागीदारी का नाम .....

\*सीमित दायित्व भागीदारी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता .....

\* पंक्ति 1 .....

\* पंक्ति 2 .....

\* शहर ..... राज्य .....

\* पिन कोड ..... \*आईएसओ देश कोड .....

\*देश .....

फोन ..... फैक्स .....

\*ई-मेल आईडी .....

4. \* भागीदारों तथा अभिहित भागीदारों का सार

क्रम सं.	श्रेणी	भागीदारों की संख्या	अभिहित भागीदारों की संख्या	भारत में निवास कर रहे अभिहित भागीदारों की संख्या
1.	व्यक्ति			
2.	एलएलपी			
3.	कंपनी			
4.	भारत से बाहर निगमित एलएलपी			
5.	भारत से बाहर निगमित कंपनियां			
	कुल			

5. \* भागीदार के रूप में व्यक्तियों की संख्या ..... (डाइनामिक)

टिप्पणी : यदि व्यक्ति 5 से अधिक हैं तो शेष भागीदारों के संबंध में ब्यौरों को संलग्नक के रूप में एक पृथक शीट में संलग्न करें ।

व्यक्तियों के संबंध में ब्यौरे (पहले अभिहित भागीदारों के संबंध में ब्यौरे दें)

\* क्या अभिहित भागीदार हैं ..... हॉ..... नहीं.....

यदि हॉ, डीपीआईएन .....

\* क्या भारत में निवास कर रहे हैं ..... हॉ..... नहीं.....

\* नाम .....

\* पिता/ पति का नाम .....

\* राष्ट्रियता .....

नियुक्ति ..... समप्ति..... भागीदार के नाम में परिवर्तन.....

अभिहित भागीदार के नाम में परिवर्तन..... पदनाम में परिवर्तन.....

पते में परिवर्तन.....

नियुक्ति की तारीख.....

समाप्ति की तारीख.....

बदला हुआ नाम.....

पदनाम में परिवर्तन की तारीख.....

(कृपया भागीदार के पते तथा अन्य व्यौरों को इस प्ररूप के अनुलग्नक में दे)

6. \*भागीदारों के रूप में निगमित निकायों की संख्या (डाइनामिक).....

**टिप्पणी :** यदि निगमित निकाय 5 से अधिक हैं तो शेष निगमित निकायों के संबंध में व्यौरों को संलग्नक के रूप में एक पृथक शीट में संलग्न करें ।

निगमित निकायों तथा उनके नामितियों के संबंध में व्यौरे (पहले अभिहित भागीदारों के संबंध में व्यौरे दें)

श्रेणी (डाप डाउन्), एलएलपी, कंपनी, भारत के बाहर निगमित एलएलपी(एलआईओआई), भारत के बाहर निगमित कंपनी(सीआईओआई)

एलएलपीआईएन अथवा कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन), एलआईओआई पंजीकरण संख्या अथवा सीआईओआई पंजीकरण संख्या

\*नाम.....

देश जहाँ रजिस्ट्रीकृत है.....

\*निगमित निकाय की ओर से नामिति के रूप में हस्ताक्षर कर रहे व्यक्ति का नाम तथा व्यौरे.....

\*पदनाम.....

\* पिता/ पति का नाम.....

\* राष्ट्रीयता.....

\* क्या अभिहित भागीदार हैं                   हैं.....                   नहीं.....

यदि हों, सीआईएन.....

\* क्या भारत में निवास कर रहे हैं                   हैं.....                   नहीं.....

नियुक्ति..... समाप्ति.....                   भागीदार के नाम में परिवर्तन.....

अभिहित भागीदार के नाम में परिवर्तन.....                   पदनाम में परिवर्तन.....

पते में परिवर्तन.....

नियुक्ति की तारीख.....

समाप्ति की तारीख.....

बदला हुआ नाम.....

पदनाम में परिवर्तन की तारीख.....

(कृपया भागीदार के पते तथा अन्य व्यौरों को इस प्ररूप के अनुलग्नक में दे)

#### भाग-ख

भागीदार/अभिहित भागीदारों की सहमति

कृपया निम्नलिखित प्रारूप में संलग्नक के रूप में एक भागीदार/अभिहित भागीदार बनने की सहमति संलग्न करें (प्रत्येक भागीदार/अभिहित भागीदार हेतु पृथक सहमति)

मैं..... सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 25 (3)(ग)/7(4) के अनुपालन में.....

(एलएलपी का नाम) का..... भागीदार.....अभिहित भागीदार बनने के लिए अपनी सहमति प्रदान करता हूँ ।

सीमित दायित्व भागीदारी का एक भागीदार/नामित भागीदार बनने के लिए अपनी स्वीकृति देकर मैं एतद्वारा सीमित दायित्व भागीदारी हेतु सीमित दायित्व भागीदारी करार में वर्णित मूँद बाध्यताओं के अनुसार पैसे अथवा अन्य संपत्ति अथवा अन्य लाभ का अभिदाय देने अथवा सेवाओं को निष्पादित करने का भी वचन देता हूँ ।

हस्ताक्षरित..... पदनाम.....

**संलग्नक**

1. भागीदार/अभिहित भागीदार के रूप में कार्य करने हेतु सहमति
2. समाप्ति का साक्ष्य

3. नाम में परिवर्तन शपथ-पत्र अथवा अन्य कोई प्रमाण
4. क्या नियुक्ति किया गया भागीदार एक निगमित निकाय है, तो उस निगमित निकाय के प्रस्ताव की निगमित निकाय की ओर से हस्ताक्षर कर रहे नामिती के पक्ष में प्राधिकार की एक प्रति।
5. संख्या 5 से अधिक होने पर व्यक्तियों/निगमित निकायों के ब्यौरों के संबंध में संलग्नक
6. वैकल्पिक संलग्नक

#### कथन

मेरी श्रेष्ठ जानकारी तथा विश्वास के अनुसार इस प्ररूप तथा इसके अनुलग्नको में दी गई सूचना सही तथा पूर्ण है। मैं ..... एलएलपी का एक अभिहित भागीदार, इस प्ररूप को हस्ताक्षर करने तथा प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत हूँ। किसी अभिहित भागीदार द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किया जाए.....

डीपीआईएन.....

( प्ररूप पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति से भिन्न होना चाहिए जिसके संबंध में प्ररूप भरा जा रहा है)

तारीख.....

स्थान .....

#### प्रमाण-पत्र

एतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने उक्त ब्यौरों को.....(एलएलपी का नाम) की बहियों तथा अभिलेखों से लिया है और उन्हें सत्य तथा सही पाया है।

.....व्यवसाय कर रहा कंपनी सचिव

.....व्यवसाय कर रहा चार्टर्ड अकाउंटेंट

.....व्यवसाय कर रहा लागत लेखाकार

क्या एसोसिएट हैं अथवा फेलो .....एसोसिएट ..... फेलो

तारीख.....

स्थान.....

संशोधित करें

प्ररूप जाँच

पूर्व जाँच

प्रस्तुत करें

#### केवल कार्यालय प्रयोग हेतु

इस ई- प्ररूप को एतद्वारा रजिस्ट्रीकृत किया जाता है .....

प्राधिकार देने वाले अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर .....

बीओ को प्रस्तुत

#### प्ररूप 4 का अनुलग्नक

#### भागीदारों/अभिहित भागीदारों के पते तथा अन्य ब्यौरे और उनमें परिवर्तन

1. भागीदारों के रूप में व्यक्तियों की संख्या .....

**टिप्पणी :** यदि व्यक्ति 5 से अधिक हैं तो शेष भागीदारों के संबंध में ब्यौरों को संलग्नक के रूप में एक पृथक शीट में संलग्न करें।

नियुक्ति ..... समाप्ति..... भागीदार के नाम में परिवर्तन.....

अभिहित भागीदार के नाम में परिवर्तन..... पदनाम में परिवर्तन.....

पते में परिवर्तन.....

व्यक्तियों के संबंध में ब्यौरे (पहले अभिहित भागीदारों के संबंध में ब्यौरे दें)

\* क्या अभिहित भागीदार ..... हों..... नहीं.....

यदि हों, डीपीआईएन .....

\* क्या भारत में निवास कर रहे हैं ..... हों..... नहीं.....

\* नाम .....

\* पिता/ पति का नाम .....

\* राष्ट्रियता .....

\* जन्मतारीख : .....

\* व्यवसाय : .....

\* आयकर स्थायी खाता संख्या (पैन) .....

\* पासपोर्ट संख्या .....

\* स्थायी आवास का पता

पता \* पंक्ति I .....

\* पंक्ति II .....

\* शहर ..... \* राज्य .....

\* पिन ..... \* आईएसओ देश कोड .....

फोन ..... फैक्स .....

ई-मेल आईडी .....

\* क्या वर्तमान आवासीय पता स्थायी आवासीय पता के समान है :

(कृपया निशान (X) लगाएं) ..... हां ..... नहीं

यदि नहीं, तो वर्तमान आवासीय पता.

पता पंक्ति I .....

पंक्ति II .....

शहर ..... राज्य .....

पिन ..... आईएसओ देश कोड .....

फोन ..... फैक्स .....

ई-मेल आईडी .....

2. भागीदारों के रूप में निगमित निकायों की संख्या

**टिप्पणी :** यदि निगमित निकाय 5 से अधिक हैं तो शेष निगमित निकायों के संबंध में व्यौरों को संलग्नक के रूप में एक पृथक शीट में संलग्न करें ।

नियुक्ति ..... समाप्ति..... भागीदार के नाम में परिवर्तन.....

अभिहित भागीदार के नाम में परिवर्तन..... पदनाम में परिवर्तन.....

पते में परिवर्तन.....

निगमित निकायों तथा उनके नामितियों के संबंध में व्यौरे (पहले अभिहित भागीदारों के संबंध में व्यौरे दें)

(इस अनुशेष में व्यौरे प्ररूप 4 में दिए गए भागीदारों के नाम के क्रम में होने चाहिए)

श्रेणी (झोपडाउन) एलएलपी, कंपनी, भारत से बाहर निगमित एलएलपी (एलआईओआई), भारत से बाहर निगमित कंपनी (सीआईओआई).....

एलएलपीआईएन अथवा निगमित पहचान संख्या (सीआईएन), एलआईओआई पंजीकरण संख्या अथवा सीआईओआई पंजीकरण संख्या .....

\* निगमित निकाय का नाम.....

देश जहाँ रजिस्ट्रीकृत है.....

\* रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पूरा पता

\* पंक्ति I .....

\* पंक्ति II .....

\* शहर ..... \* राज्य .....

\* पिन ..... \* आईएसओ देश कोड .....

\* देश .....

फोन ..... फैक्स .....

\* ई-मेल आईडी .....



- \* निगमित निकाय के नामिती की ओर से हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का नाम और अन्य ब्यौरे .....
- .....
- \* पदनाम .....
- \* पिता/ पति का नाम .....
- \* राष्ट्रीयता .....
- \* जन्मतारीख : .....
- \* व्यवसाय : .....
- \* आयकर स्थायी खाता संख्या (पैन) .....
- पासपोर्ट संख्या .....
- \* क्या अभिहित भागीदार हैं ..... हां ..... नहीं
- यदि हों, डीपीआईएन.....
- \* क्या भारत के निवासी है (कृपया टिक (x)) ..... हां ..... नहीं
- \* स्थायी आवासीय पता
- पता \*पंक्ति I .....
- \*पंक्ति II .....
- \*शहर ..... \*राज्य .....
- \*पिन ..... \*आईएसओ देश कोड .....
- \*देश.....
- फोन ..... फैक्स .....
- ई-मेल आईडी .....
- \* मौजूदा आवासीय पता स्थायी आवासीय पते के समान है अथवा नहीं
- (कृपया चिन्हित (x) करें) ..... हां ..... नहीं
- यदि नहीं, वर्तमान आवासीय पता
- पता पंक्ति I .....
- पंक्ति II .....
- शहर ..... राज्य .....
- पिन ..... आईएसओ देश कोड .....
- देश..... फोन .....
- फैक्स .....
- ई-मेल आईडी .....
- संलग्नक**
1. संख्या 5 से अधिक होने पर व्यक्तियों/ निगमित निकायों के पतों तथा अन्य ब्यौरों के संबंध में संलग्नक
  2. पते का प्रमाण
  3. वैकल्पिक संलग्नक
- कथन**
- मेरी श्रेष्ठ जानकारी तथा विश्वास के अनुसार इस प्ररूप तथा इसके अनुलग्नको मे दी गई सूचना सही तथा पूर्ण है ।
- मैं ..... (एलएलपी का नाम) का एक अभिहित भागीदार, इस प्ररूप को हस्ताक्षर करने तथा प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत हूं ।
- किसी अभिहित भागीदार द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किया जाए.....
- डीपीआईएन.....
- ( प्ररूप पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति से भिन्न होना चाहिए जिसके संबंध में प्ररूप भरा जा रहा है)
- तारीख.....
- स्थान .....

**प्रमाण-पत्र**

एतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने उक्त व्यौरों को.....(एलएलपी का नाम) की बहियों तथा अभिलेखों से लिया है और उन्हें सत्य तथा सही पाया है।

..... व्यवसाय कर रहा कंपनी सचिव

..... व्यवसाय कर रहा चार्टर्ड अकाउंटेंट

..... व्यवसाय कर रहा लागत लेखाकार

क्या एसोसिएट हैं अथवा फेलो ..... एसोसिएट ..... फेलो

तारीख.....

स्थान.....

संशोधित करें

प्ररूप जाँच

पूर्व जाँच

प्रस्तुत करें

**केवल कार्यालय प्रयोग हेतु**

इस ई- प्ररूप को एतद्वारा रजिस्ट्रीकृत किया जाता है .....

प्राधिकार देने वाले अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर .....

बीओ को प्रस्तुत

**प्ररूप 5**

(देखें नियम 20(2))

**नाम के परिवर्तन की सूचना**

टिप्पणी : सभी \*अंकित खानों को अवश्य भरा जाए

1. \* एलएलपीआईएन .....

2. (क) \*सीमित दायित्व भागीदारी का नाम .....

(ख) सीमित दायित्व भागीदारी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता

\* पक्ति I .....

\* पक्ति II .....

\* शहर ..... जिला .....

\* राज्य ..... \* पिन कोड.....

\* आईएसओ देश कोड .....

\* देश.....

फोन ..... फैक्स .....

\*ई-मेल आईडी .....

3. \*नाम में परिवर्तन हेतु कारण/उद्देश्य .....

4. \* प्ररूप 1 की सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन).....

5. \*प्रस्तावित नाम .....

6. \*नियम 20 के उप नियम (1) के अनुपालन की तारीख .....(दिन/मास/वर्ष)

**संलग्नक**

1. भागीदारों के निर्णय /संकल्प/सहमति के कार्यवृत्त की प्रति
2. सीमित भागीदारी दायित्व करार के संगत भाग का उद्धरण
3. यदि परिवर्तन केन्द्र सरकार/रजिस्ट्रार के किसी निदेश के कारण है तो ऐसे निदेश की प्रति,
4. वैकल्पिक संलग्नक

**कथन**

मेरी श्रेष्ठ जानकारी तथा विश्वास के अनुसार इस प्ररूप तथा इसके अनुलग्नको में दी गई सूचना सही तथा पूर्ण है।

मैं .....एलएलपी का एक अभिहित भागीदार, इस प्ररूप को हस्ताक्षर करने तथा प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत हूँ।

किसी अभिहित भागीदार द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किया जाए.....

डीपीआईएन.....

( प्ररूप पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति से भिन्न होना चाहिए जिसके संबंध में प्ररूप भरा जा रहा है)

तारीख.....

स्थान .....

**प्रमाण-पत्र**

एतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने उक्त व्यौरों को.....(एलएलपी का नाम) की बहियों तथा अभिलेखों से लिया है और उन्हें सत्य तथा सही पाया है ।

.....व्यवसाय कर रहा कंपनी सचिव

.....व्यवसाय कर रहा चार्टर्ड अकाउंटेंट

.....व्यवसाय कर रहा लागत लेखाकार

क्या एसोसिएट हैं अथवा फेलो .....एसोसिएट ..... फेलो

तारीख.....

स्थान.....

संशोधित करें

प्ररूप जाँच

पूर्व जाँच

प्रस्तुत करें

**केवल कार्यालय प्रयोग हेतु**

इस ई- प्ररूप को रजिस्ट्रीकृत किया जाता है .....

प्राधिकार देने वाले अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर .....

**बीओ को प्रस्तुत प्ररूप 6**

(देखें नियम 22(1))

भागीदार द्वारा सीमित दायित्व भागीदारी के विवरण/ विवरण में नाम अथवा पते के परिवर्तन के व्यौरों की सूचना देना टिप्पणी - \*अंकित सभी खानों को भरा जाना आज्ञापक है ।

1. \*यह प्ररूप सीमित दायित्व भागीदारी को सूचित करने के लिए है

..... विवरण

..... भागीदार द्वारा विवरण में परिवर्तन

भागीदार का प्रकार :

I) व्यक्ति .....

II) सीमित दायित्व भागीदारी .....

III) कंपनी .....

IV) भारत के बाहर निगमित सीमित दायित्व भागीदारी .....

V) भारत के बाहर निगमित कंपनी .....

**भाग के****I. विवरण की सूचना - व्यक्ति**

2 नाम

(क) \*प्रथम नाम .....

(ख) \*अंतिम नाम .....

(ग) \*मध्य नाम .....

(घ) \*यथा लिखित नाम .....

3. \*पिता/ पति का नाम .....

4. \*क्या भारत का नागरिक है ..... हां ..... नहीं

5. \*राष्ट्रीयता .....

6. \*क्या भारत का निवासी है ..... हां ..... नहीं

7. \*जन्मतारीख .....
8. \*लिंग ..... पुरुष ..... महिला
9. \*आयकर स्थायी खाता संख्या .....
10. मतदाता पहचान पत्र .....
11. पासपोर्ट संख्या .....
12. अन्य (उल्लेख करें) .....
13. \*स्थायी आवासीय पता  
 \*पंक्ति I .....
- \*पंक्ति II .....
- \*शहर : .....
- \*राज्य : .....
- \*देश : .....
- \*पिन कोड : .....
- फोन : .....
- फैक्स : .....
- \*ई-मेल .....
14. \*क्या वर्तमान आवासीय पता स्थायी आवासीय पता के समान है  
 ..... हां ..... नहीं
15. वर्तमान आवासीय पता  
 पंक्ति I .....
- पंक्ति II .....
- शहर : .....
- राज्य : .....
- देश : .....
- पिन कोड : .....
- फोन : .....
- फैक्स : .....
16. \*किसी भागीदारी फर्म अथवा सीमित दायित्व भागीदारी का भागीदार अथवा किसी कंपनी का निदेशक  
 ..... हां ..... नहीं

यदि हाँ

(क) भागीदारी फर्मों के नाम और पते

नाम ..... प्रधान कार्यालय का पता .....

(ख) सीमित दायित्व भागीदारियों का एलएलपीआईएन का नाम

एलएलपीआईएन ..... सीमित दायित्व भागीदारी का नाम .....

(ग) कंपनी का सीआईएन और नाम जिसमें निदेशक है

सीआईएन ..... डीआईएन ..... नाम .....

## II. विवरण की सूचना – सीमित दायित्व भागीदारी

एलएलपीआईएन .....

नाम .....

सीमित दायित्व भागीदारी की पैन संख्या .....

रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पूरा पता .....

व्यक्ति का नाम जो सीमित दायित्व भागीदारी की ओर से हस्ताक्षर करेगा .....

सीमित दायित्व भागीदारी की ओर से हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का पदनाम और प्राधिकार .....

कृपया उप-भाग 1 के भाग क के क्रम सं. 2 से 16 में दिए अनुसार फार्मेट में प्राधिकृत व्यक्ति का विवरण दें

## III. विवरण की सूचना – कंपनी

सीआईएन .....

नाम .....

कंपनी की पैन संख्या .....

रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पूरा पता .....

व्यक्ति का नाम जो कंपनी की ओर से हस्ताक्षर करेगा .....

कंपनी की ओर से हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का पदनाम और प्राधिकार .....

कृपया उप-भाग 1 के भाग क के क्रम सं. 2 से 16 में दिए अनुसार फार्मेट में प्राधिकृत व्यक्ति का विवरण दें

#### IV. विवरण की सूचना – भारत से बाहर निगमित विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी

नाम .....

देश जहां सीमित दायित्व भागीदारी रजिस्ट्रीकृत/निगमित है .....

रजिस्ट्रीकरण/निगमन संख्या .....

रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पूरा पता.....

संविधि जिसके तहत सीमित दायित्व भागीदारी रजिस्ट्रीकृत है .....

व्यक्ति का नाम जो भारत से बाहर निगमित सीमित दायित्व भागीदारी की ओर से हस्ताक्षर करेगा .....

भारत से बाहर निगमित सीमित दायित्व भागीदारी की ओर से हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का पदनाम और प्राधिकार .....

कृपया उप-भाग 1 के भाग क के क्रम सं. 2 से 16 में दिए अनुसार फार्मेट में प्राधिकृत व्यक्ति का विवरण दें

#### V. विवरण की सूचना – भारत के बाहर निगमित कंपनी

नाम .....

देश जहां कंपनी रजिस्ट्रीकृत/निगमित है .....

रजिस्ट्रीकरण/निगमन संख्या .....

रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पूरा पता .....

संविधि जिसके तहत कंपनी रजिस्ट्रीकृत है .....

व्यक्ति का नाम जो भारत से बाहर निगमित कंपनी की ओर से हस्ताक्षर करेगा .....

भारत से बाहर निगमित कंपनी की ओर से हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का पदनाम और प्राधिकार .....

कृपया उप-भाग 1 के भाग क के क्रम सं. 2 से 16 में दिए अनुसार फार्मेट में प्राधिकृत व्यक्ति का विवरण दें

#### भाग-ख भागीदार के नाम अथवा पते से संबंधित विवरण में परिवर्तन की सूचना

कृपया परिवर्तित किए जाने वाले विवरण नीचे प्रस्तुत करें

उक्त के समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न हैं

(क).....

(ख).....

मैं ..... पुत्र/ पुत्री ..... घोषित और सत्यापित करता हूँ कि प्ररूप में दी गयी सूचना और संलग्न दस्तावेज सही और पूर्ण है ।

हस्ताक्षर

तारीख

स्थान

प्ररूप 7

(देखें नियम 10)

नामित भागीदार पहचान संख्या के आबंटन के लिए आवेदन

टिप्पणी : \*अंकित सभी खानों को भरा जाना आज्ञापक है

अंतिम नामित भागीदारी पहचान संख्या (डीपीआईएन)

(आवेदक द्वारा नहीं भरे जाने के लिए क्योंकि यह सिस्टम द्वारा सृजित है)

आवेदक का नाम (पूरा नाम लिखें और संक्षिप्त नाम का प्रयोग नहीं करें)

एक नवीनतम पासपोर्ट आकार की फोटो चिपकाएं और केन्द्र सरकार के पास इसकी भौतिक प्रति को प्रस्तुत करवाए जाने के लिए अधिप्रमाणित / प्रमाणित करवाएं

1. डीआईएन (यदि आबंटित हो) .....
2. नाम
  - (क) \*प्रथम नाम .....
  - (ख) \*अन्तिम नाम .....
  - (ग) \*मध्य नाम .....
  - (घ) \*क्या किसी निगमित निकाय का नामिती है हाँ.....नहीं.....  
यदि हाँ, तो निगमित निकाय के ब्यौरे  
निगमित निकाय का नाम.....  
रजिस्ट्रीकरण संख्या.....  
निगमित निकाय के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता  
पंक्ति I .....
  - पंक्ति II .....
  - शहर : ..... जिला.....
  - राज्य : ..... पिन कोड.....
  - आईएसओ देश कोड.....
  - देश : .....
  - फोन : .....
  - फैक्स : .....
  - ई-मेल आईडी.....
3. पिता/पति का नाम
  - (क) \*प्रथम नाम .....
  - (ख) \*अन्तिम नाम .....
  - (ग) \*मध्य नाम .....
4. \*क्या भारत का नागरिक हैं हाँ ..... नहीं.....
5. \*राष्ट्रीयता .....
6. \*जन्मतिारीख ..... (दिन / मास / वर्ष)
7. \*लिंग .....
8. जन्म स्थान .....
9. आयकर स्थायी खाता संख्या .....
10. मतदाता पहचान पत्र संख्या .....
11. पासपोर्ट संख्या .....

12. ड्राइविंग लाइसेंस संख्या .....
13. \*अन्य (उल्लेख करें) .....
14. \*स्थायी आवास का पता  
(क) \*पंक्ति I .....
- पंक्ति II .....
- (ख) \*शहर : .....
- (ग) \* राज्य : .....
- (घ) \* देश : .....
- (ङ) \* पिन कोड : .....
- (च) फोन : .....
- (छ) फैक्स : .....
- (ज) ई-मेल आईडी : .....
15. \*मौजूदा आवासीय पता स्थायी आवासीय पता के समान है अथवा नहीं  
..... हाँ ..... नहीं
16. स्थायी आवासीय पता  
(क) पंक्ति I .....
- पंक्ति II .....
- (ख) शहर : .....
- (ग) राज्य : .....
- (घ) देश : .....
- (ङ) पिन कोड : .....
- (च) फोन : .....
- (छ) फैक्स : .....
17. \*क्या भारत का निवासी है ..... हाँ ..... नहीं

आवेदक के नमूना हस्ताक्षर (कोष्ठक के भीतर)

अनुदेश किट

प्रस्तुत करें

निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जा रहे हैं

पहचान का प्रमाण (संलग्न किए जा रहे दस्तावेज के सामने निशान लगाए)

1. पासपोर्ट
2. निर्वाचन (मतदाता पहचान पत्र)
3. ड्राइविंग लाइसेंस
4. आयकर पैन कार्ड
5. अन्य - कृपया उल्लेख करें

आवास का प्रमाण (संलग्न किए जा रहे दस्तावेज पर निशान लगाए)

1. पासपोर्ट
2. चुनाव (मतदाता पहचान पत्र)
3. राशन कार्ड
4. ड्राइविंग लाइसेंस
5. बिजली बिल
6. टेलीफोन बिल
7. बैंक खाता विवरण
8. अन्य - कृपया उल्लेख करें

मैं ..... पुत्र/ पुत्री ..... निवासी ..... घोषणा करता हूँ और सत्यापित करता हूँ कि इस आवेदन में दी गई जानकारी और संलग्न दस्तावेज सही और पूर्ण हैं। मैं पुष्टि करता हूँ कि मेरे पास भारत सरकार द्वारा जारी दूसरा नामित भागीदार पहचान संख्या नहीं है और न ही आबंटित किया गया है। मैं यह भी पुष्टि करता हूँ कि निदेशक पहचान संख्या अथवा नामित भागीदार पहचान संख्या के आबंटन के लिए मेरे द्वारा प्रस्तुत कोई अन्य आवेदन (वास्तविक दस्तावेज सहित) लंबित नहीं है।

**आवेदक का हस्ताक्षर ( प्ररूप की वास्तविक प्रति को एमसीए में प्रस्तुत किए जाने के लिए हस्ताक्षर हेतु)**

तारीख ..... (दिन/मास/वर्ष)

स्थान .....

**डीआईएन आवेदन के लिए सामान्य दिशा-निर्देश**

1. **अनंतिम डीपीआईएन प्राप्त करना** — आवेदक सर्वप्रथम आनपक्ति आवेदन करना चाहिए, अनंतिम डीपीआईएन सृजित करना चाहिए तथा उसके बाद डीआईएन प्रासेसिंग सेल को प्रेषित करने के लिए प्रिंट आउट लेना चाहिए। अनंतिम डीपीआईएन के बिना सभी आवेदनों को आगे की प्रक्रिया हेतु स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा सीधे अस्वीकार कर दिए जाएंगे।
2. **फोटोग्राफ, पहचान के प्रमाण तथा आवास प्रमाण का अनुप्रमानन/ प्रमाणन** — पब्लिक नोटरी अथवा सरकार का कोई राजपत्रित अधिकारी अथवा प्रैक्टिस करने वाले व्यावसायिक (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट/ कंपनी सचिव/ कास्ट एकाउन्टेन्ट) अथवा कंपनी के पूर्ण रोजगार में कंपनी सचिव।
3. **अनुप्रमाणित/ प्रमाणित करने वाले प्राधिकारी का विवरण** — अनुप्रमाणित करने वाले प्राधिकारी को दस्तावेजों को अनुप्रमाणित करते समय निम्नलिखित को दर्शाना चाहिए : (i) हस्ताक्षर, (ii) बड़े अक्षरों में पूरा नाम, (iii) रजिस्ट्रीकरण संख्या तथा (iv) सील/ मोहर।
4. **पहचान और आवास के लिए प्रमाणों की भाषा** — यदि पहचान का प्रमाण और आवास का प्रमाण हिंदी अथवा अंग्रेजी से अलग भाषा में है, तो हिंदी अथवा अंग्रेजी में इसके अनुवाद की प्रमाणित प्रति संलग्न की जानी चाहिए तथा व्यावसायिक जिसने अन्यथा उक्त प्रमाणों को सत्यापित किया है, द्वारा अनुवाद भी प्रमाणित किया जाना चाहिए।
5. **जन्मतारीख** — डीपीआईएन प्ररूप के साथ संलग्न पहचान प्रमाण पत्र में आवेदक की जन्मतारीख भरी होनी चाहिए तथा यह आवेदन पत्र में भरी गई जन्मतारीख से मिलना चाहिए। यदि पहचान प्रमाण पत्र जन्मतारीख को नहीं दर्शाता है तो विधिवत रूप से सत्यापित/ अनुप्रमाणित जन्मतारीख का अतिरिक्त प्रमाण संलग्न किया जाना चाहिए।
6. **पिता का नाम** — डीपीआईएन प्ररूप के साथ संलग्न पहचान के प्रमाण में आवेदक के पिता का नाम भी शामिल होना चाहिए तथा यह आवेदन पत्र में भरे गए पिता के नाम के समान होना चाहिए। यदि पहचान के प्रमाण पिता का नाम नहीं दर्शाता है तो विधिवत रूप से सत्यापित/ अनुप्रमाणित पिता के नाम का अतिरिक्त प्रमाण संलग्न किया जाना चाहिए।
7. **आवेदनों के लिए प्रक्रिया जो (i) विदेश में रह रहे भारतीय नागरिक हैं; (ii) भारत में रह रहे विदेशी नागरिक हैं; (iii) भारत से बाहर रह रहे विदेशी नागरिक हैं** — यद्यपि क्रम संख्या 1, 3, 4 और 5 पर यथा उल्लिखित सामान्य शर्तें इन श्रेणियों के लिए भी लागू रहेंगी, संलग्न दस्तावेजों और फोटोग्राफ का प्रमाणन आवेदक के गृह देश के नोटरी अथवा कंपनी जिसमें वह निदेशक है, के प्रबंध निदेशक/ सीईओ अथवा कंपनी के पूर्णकालिक रोजगार में कंपनी सचिव द्वारा किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, विदेशी नागरिक के मामले में, मान्य पासपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न की जानी चाहिए।

**केवल कार्यालय प्रयोग के लिए :**

प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर.....

तारीख .....

स्थान .....



**प्ररूप 8**

(देखें नियम 24)

**लेखा एवं शोधन-क्षमता का विवरण**

नोट - \*चिन्हित सभी खानें आज्ञापक भरे जाएं।

वार्षिक अथवा अंतरिम.....

यदि वार्षिक तो

..... के अनुसार लेखा और शोध-क्षमता का विवरण .....

एलएलपीआईएन/एफएलएलपीआईएन .....

सीमित दायित्व भागीदारी का नाम/विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी का नाम .....

**भाग-क : भोधन-क्षमता का विवरण**

हम ..... (एलएलपी/एफएलएलपी का नाम) के अभिहित भागीदार अथवा प्राधिकृत प्रतिनिधि होने के कारण सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी से पुष्टि एवं घोषणा करते हैं कि हमने इस सीमित दायित्व भागीदारी/विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी के कार्यों की पूर्ण जांच कर ली है और ऐसा करने के पश्चात हमारी राय है कि सीमित दायित्व भागीदारी/विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी अपना पूरा ऋण जब वे व्यवसाय की सामान्य अवधि में देय होते हैं तो उन्हें अदा करने में समर्थ नहीं है।

हम घोषणा करने से पहले नवीनतम व्यवहारिक तारीख होने के कारण ..... के अनुसार अस्तित्वां और दायित्वों तथा ..... को समाप्त अवधि हेतु आय एवं व्यय का एक विवरण संलग्न करते हैं।

हम वित्तीय वर्ष के दौरान प्रभारों के सृजन अथवा उपांतरण अथवा तत्संबंधी संतुष्टि को दर्शाने वाले एक विवरण को संलग्न करते हैं।

हम यह घोषणा करते हैं कि टर्न-ओवर 40 लाख रूपए से अधिक नहीं हुआ था अथवा अभिदाय 25 लाख रूपए से अधिक नहीं हुआ था। भागीदारों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों ने पर्याप्त लेखांकन अभिलेखों के अनुरक्षण और एलएलपी अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार लेखे को तैयार करने के लिए उचित ध्यान दिया है तथा उत्तरदायित्व निभाया है।

हम ..... (विदेशी एलएलपी का नाम) के प्राधिकृत प्रतिनिधि होने के चलते सत्यनिष्ठा तथा निष्कपटता से यह दोहराते हैं तथा घोषणा करते हैं कि हमने भारत से बाहर निगमित इस सीमित दायित्व भागीदारी के कार्यों की पूर्ण जांच कर ली है और ऐसा करने के पश्चात हमारी राय है कि भारत के बाहर निगमित विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी अपना पूरा ऋण जब वे व्यवसाय की सामान्य अवधि में देय होते हैं तो उन्हें अदा करने में समर्थ नहीं है।

हम सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उपबंधों को सत्य मानते हुए सोच समझकर सत्यपूर्वक यह घोषणा करते हैं।

आज ..... तारीख ..... को ..... में उपांतरित किया गया।

स्थान .....

एलएलपी के अभिहित भागीदारों अथवा विदेशी एलएलपी के प्राधिकृत प्रतिनिधियों (एआर) के हस्ताक्षर .....

डीपीआईएन.....

**भाग-ख : लेखे का विवरण**

.....(अवधि) के अनुसार ..... की अस्तित्वां तथा दायित्वों का विवरण

(रूपए में)

	विवरण	वर्तमान रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आंकड़े	पिछली रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आंकड़े
	1	2	3
1	<b>अभिदाय तथा दायित्व</b>		
(1)	<b>भागीदारों की निधियां</b>		
	(क) अभिदाय (ख) आरक्षित तथा अधिशेष (जिसमें अधिशेष वर्ष के दौरान अर्जित लाभ/हानि हैं)		

(2)	दायित्व (क) प्रतिभूत ऋण (ख) अप्रतिभूत ऋण (ग) अल्पावधि ऋण (घ) लेनदार/देय व्यापार — ग्राहकों से अग्रिम (ङ) अन्य दायित्व (विनिर्दिष्ट करें) (च) प्रावधान (1) कराधान हेतु (2) आकरिमकताओं हेतु (3) बीमा हेतु (4) अन्य प्रावधान (यदि कोई हो)		
	कुल		
2.	परिसंपत्तियाँ (क) अचल आस्तियाँ (ख) निवेश (ग) ऋण तथा अग्रिम (घ) माल-सूची (ङ) लेनदार/प्राप्य व्यापार (च) नकदी तथा नकदी तुल्य (छ) अन्य आस्तियाँ (विनिर्दिष्ट करें)		
	कुल		

टिप्पणी : (क) आकरिमक दायित्व हेतु उपबंध नहीं किया गया है ।

(ख) रकम, ऋण तथा मध्यम उद्यम विकास अभिविधि, 2006 की धारा 22 के उपबंध के अंतर्गत प्रकटीकरण को प्रतः प्रकृत के सततगक के रूप में जोड़ा जा सकता है ।

(ग) अन्य कोई विवरण जिसे प्रकट करना एलएलपी उचित समझे ।

एलएलपी के अभिहित भागीदारों अथवा किराये विदेशी एलएलपी के प्राधिकृत प्रतिनिधियों (एआर) के हस्ताक्षर .....

डीपीआइएन.....

#### आय तथा व्यय का विवरण

.....से ..... की अवधि हेतु .....का

आय	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
रकम आवर		
अन्य आय (विनिर्दिष्ट करें)		
स्टाक में वृद्धि/ (कमी)(कच्चे माल, कार्य प्रगति पर तथा तैयार वस्तुओं सहित)		
कुल आय		
व्यय		
कथ		
व्यक्तिगत व्यय		
प्रशासनिक व्यय		
विक्रय व्यय		
मूल्हास		
ब्याज		
अन्य व्यय (स्पष्ट करें)		
कर पूर्व लाभ		

कर हेतु प्रावधान		
कर परचात लाभ		
भागीदार के खाते में अंतरित लाभ		
आरक्षित तथा अधिशेष को अंतरित लाभ		

**टिप्पणी :**

(क) टर्न-ओवर का अर्थ है वित्त वर्ष के दौरान वस्तुओं की बिक्री, आपूर्ति अथवा वितरण या प्रदान की गई सेवाओं अथवा दोनों से की गई वसूली के सकल मूल्य का योग । टर्नओवर में से कटौती की गई कुल उत्पाद शुल्क/सेवा कर की राशि को पृथक रूप से दर्शाया जाएगा ।

(ख) अन्य कोई प्रकटीकरण जिसे प्रकट करना एलएलपी उचित समझे एलएलपी के अभिहित भागीदारों अथवा किसी विदेशी एलएलपी के प्राधिकृत प्रतिनिधियों (एआर) के हस्ताक्षर .....

डीपीआईएन.....

**अभिहित भागीदार अथवा लेखा परीक्षक द्वारा प्रमाण-पत्र**

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने .....(एलएलपी का नाम) के लेखा अभिलेखों तथा अन्य बहियों और दस्तावेजों से ..... के अनुसार अस्तियां तथा दायित्वों के विवरण और .....को समाप्त अवधि हेतु आय तथा व्यय सहित लेखा तथा शोधक्षमता के विवरण में विहित ब्यौरों की जांच की है और उन्हें सत्य तथा उचित पाया है ।

लेखा परीक्षक/अभिहित भागीदार का नाम .....

\*पता

\*पंक्ति I .....

\*पंक्ति II .....

\* शहर ..... \* राज्य .....

\* पिन ..... \* आईएसओ देश कोड .....

\*देश..... फोन ..... फैक्स .....

ई-मेल आईडी .....

सदस्यता संख्या / डीपीआईएन.....

स्थान .....

तारीख.....

उपांतरित करें

फार्म जांच

पूर्व संवीक्षा

प्रस्तुत करें

**केवल कार्यालय प्रयोग हेतु**

इस ई-प्ररूप को रजिस्ट्रीकृत किया जाता है ..... प्रस्तुत करें

प्राधिकार देने वाले अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर .....

**लेखा तथा शोधक्षमता के विवरण का परिशिष्ट**

किसी एलएलपी द्वारा प्रभारों के सृजन अथवा उपांतरण अथवा समाधान हेतु ब्यौरे

1. \*एलएलपीआईएन.....

2. (क) यह प्ररूप निम्नलिखित हेतु है .....

प्रभार के सृजन.....

प्रभार के उपांतरण.....

प्रभार की समाधान.....

\* (ख) संशोधित अथवा समाधान किए जाने वाले प्रभार की प्रभार पहचान आईडी संख्या.....

\*3. प्रभार का प्रकार

अचल संपत्ति			जहाज
अचल संपत्ति में कोई हित			साख
बही ऋण			पेटेंट, किसी पेटेंट के अंतर्गत अनुज्ञप्ति
चल संपत्ति (रेहन न रखी गई)			डेडमार्क
फ्लोटिंग प्रभार			प्रतिलिप्यधिकार के अंतर्गत प्रतिलिप्यधिकार काया अनुज्ञप्ति
यदि अन्य, विनिर्दिष्ट करें			

- \*4. क्या संयुक्त प्रभार अंतर्ग्रस्त है                      हाँ.....नहीं.....
- \*5. प्रभारधारकों की संख्या .....
6. प्रभारधारकों के ब्यौरे.....  
सीआईएन / एलएलपीआईएन.....
- \*नाम
- \*पता
- \*पवित I .....
- \*पवित II .....
- \* शहर ..... जिला .....
- राज्य ..... \* पिन कोड.....
- \* आईएसओ देश कोड .....
- \*ई-मेल आईडी .....
7. \*प्रभार को सृजित अथवा उपांतरित करने वाले उपकरण की प्रकृति या विवरण .....
8. \*प्रभार को सृजित अथवा उपांतरित करने वाले उपकरण की तारीख.....(दिन/मास/वर्ष)
- 9 (क) \*क्या प्रभार को भारत से बाहर सृजित अथवा उपांतरित किया गया  
हाँ..... नहीं.....
- (ख) यदि प्रभार को भारत से बाहर स्थित संपत्ति पर भारत से बाहर सृजित अथवा उपांतरित किया गया तो भारत में दस्तावेजों की प्राप्ति की तिथि .....
- (दिन/मास/वर्ष)
10. \*प्रभार द्वारा प्रतिभूत राशि रूप में.....
11. प्रभार के प्रमुख निबंधन तथा शर्तें और विस्तार तथा प्रचालन के संक्षिप्त ब्यौरे
- (क) \*ब्याज दर.....
- (ख) \*प्रतिसंदाय की अवधि.....
- (ग) \*अंतर.....
- (घ) \*प्रभार का विस्तार तथा प्रचालन.....
- (ङ.) अन्य.....
12. संपत्ति के अधिग्रहण के मामले में प्रभार के अधीन इस प्रकार प्राप्त संपत्ति पर विद्यमान प्रभार से संबंधित निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत कीजिए :
- (क) प्रभार के सृजन अथवा साक्ष्य वाले उपकरण की तारीख
- (ख) प्रभार के सृजन अथवा साक्ष्य वाले उपकरण का विवरण,
- (ग) संपत्ति के अधिग्रहण की तारीख,
- (घ) प्रभार की राशि रूप में,
- (ङ.) प्रभारित संपत्ति के ब्यौरे
13. \*प्रभारित संपत्ति के अल्प ब्यौरे (संपत्ति की अवस्थिति सहित)

14. (क) \*क्या कोई संदर्भाधीन संपत्ति अथवा उस पर हित कंपनी के नाम पर रजिस्ट्रीकृत नहीं है  
हाँ..... नहीं.....  
(ख) यदि हाँ, तो वह किस के नाम रजिस्ट्रीकृत है .....
- टिप्पण : यदि एक से अधिक प्रभारधारक अंतर्ग्रस्त है तो प्रभार के विस्तार के ब्यौरे, प्रभारित संपत्ति के ब्यौरे, संलग्नक में उपबंध की गई प्रतिभूत राशि ।
15. वर्तमान उपांतरित से पूर्व पहले के उपांतरित की तारीख .....(दिन / मास / वर्ष)
16. वर्तमान उपांतरित के ब्यौरे.....
17. पूर्णतः संतुष्ट होने की तिथि .....( दिन / मास / वर्ष)

**संलग्नक**

- (1) सृजन अथवा उपांतरित लिखत  
(2) संपत्ति के अधिग्रहण के मामले में जो कि पहले से ही प्रभार के अधीन हैं, के मामले में प्रभार के सृजन अथवा उपांतरित का साक्ष्य वाले लिखत  
(3) सभी संयुक्त प्रभार धारकों के ब्यौरे  
(4) प्रभार धारकों का पत्र जिसमें यह कथन किया गया हो कि राशि संतुष्ट हो गई है  
(5) वैकल्पिक संलग्नक  
अभिहित भागीदार के हस्ताक्षर.....  
डीपीआईएन.....

**प्ररूप 9**

(देखें नियम 7 और 10(8))

**अभिहित भागीदार के रूप में कार्य करने की सहमति**

टिप्पणी : \*अंकित सभी खानों को भरा जाना आज्ञापक है  
सेवा में .....

..... सीमित दायित्व भागीदारी  
..... (सीमित दायित्व भागीदारी का नाम और पता)  
तारीख ..... ( दिन / मास / वर्ष)

विषय : अभिहित भागीदार के रूप में कार्य करने की सहमति  
में ..... अधिनियम की धारा 7(3) के अनुसरण में .....(एलएलपी का नाम) के  
अभिहित भागीदार के रूप में कार्य करने की अपनी सहमति देता हूँ।

**विवरण**

1. \*अभिहित भागीदार पहचान संख्या (डीपीआईएन) .....
2. \*नाम .....
3. \*पिता/ पति का नाम .....
4. \*वर्तमान आवासीय पता .....
5. \*ई-मेल आईडी .....
6. भागीदारी फर्म का नाम .....

अथवा

एलएलपीआईएन ..... और सीमित दायित्व भागीदारी का नाम .....

अथवा

सीआईएन ..... और कंपनी का नाम .....

अथवा

किसी अन्य निगमित निकाय का नाम.....  
अभिहित भागीदार जिसका नामिती है।

मैं यह घोषणा करता हूँ कि मैं अभिहित भागीदार बनने का पात्र होने की शर्तों और आवश्यकताओं को पूरा करता हूँ और मुझे अभिहित भागीदार के रूप में कार्य करने के लिए आपात्र नहीं घोषित किया गया है ।

किसी अभिहित भागीदार द्वारा हस्ताक्षर किया जाए .....

डीपीआईएन .....

तारीख.....

स्थान.....

प्ररूप 10  
(नियम 10(9) देखें)

अभिहित भागीदारों द्वारा विवरण में परिवर्तनों की सूचना

टिप्पण : \*अंकित सभी खानों को भरा जाना आज्ञापक है ।

एक नवीनतम पासपोर्ट आकार की फोटो चिपकाएं और एमसीए के पास इसकी भौतिक प्रति को प्रस्तुत करवाए जाने के लिए अधिप्रमाणित / प्रमाणित करवाएं

1. \*अभिहित भागीदार पहचान सं. (डीपीआईएन) .....
2. कृपया परिवर्तन किए जाने वाले विवरण (टिक) लगाएं और भरें :

आवेदक का नाम .....

राष्ट्रीयता .....

जन्मतिथि .....

आयकर स्थायी खाता संख्या .....

मतदाता पहचान पत्र संख्या .....

पासपोर्ट संख्या : .....

ड्राइविंग लाइसेंस संख्या .....

स्थायी आवासीय पता .....

वर्तमान आवासीय पता .....

अन्य (दर्शाएं) .....

3. आवेदक का नाम (पूरा नाम लिखें और संक्षेपाक्षर का प्रयोग न करें)

प्रथम नाम .....

अंतिम नाम .....

मध्य नाम .....

4. क्या भारत के निवासी हैं ..... हां ..... नहीं

5. राष्ट्रीयता .....

6. जन्मतिथि ..... (दिन / मास / वर्ष)

7. आयकर स्थायी खाता संख्या

8. मतदाता पहचान पत्र संख्या .....

9. पासपोर्ट संख्या : .....

10. ड्राइविंग लाइसेंस संख्या .....

11. स्थायी आवासीय पता

पंक्ति I .....

पंक्ति II .....

(क) शहर : .....

(ख) राज्य : .....

(ग) देश : .....

(घ) पिन कोड : .....

(ङ) फोन : .....

(च) फ़ैक्स : .....

12. वर्तमान आवासीय पता

पंक्ति I .....

पंक्ति II .....

- (क) शहर : .....  
 (ख) राज्य : .....  
 (ग) देश : .....  
 (घ) पिन कोड : .....  
 (ङ) फोन : .....  
 (च) फैक्स : .....

**टिप्पण I :** नोटरी अथवा राजपत्रित अधिकारी अथवा क्रमशः कंपनी सचिव अधिनियम, 180, चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट अधिनियम, 1949 और लागत एवं संकर्म लेखाकार अधिनियम, 1959 के अधीन कंपनी सचिव, चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट, लागत लेखाकार की व्यवसाय के प्रमाण पत्र धारक से सत्यापित आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करें।

**टिप्पण II :** यदि कोई संलग्न प्रमाण हिंदी अथवा अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषा में है तो उसकी अनुवाद की हुई प्रति हिंदी अथवा अंग्रेजी में संलग्न किए जाने की आवश्यकता होगी। इसे उसी व्यावसायिक द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए जिसने अन्य प्रमाणों को प्रमाणित किया हो।

**टिप्पण III :** यदि विवरण में परिवर्तन करने वाला अभिहित भागीदार भारत में नहीं रहता है तो संलग्न दस्तावेजों और फोटोग्राफ का प्रमाणन नोटरी द्वारा आवेदक के देश में किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, यदि विदेशी राष्ट्र का है तो वैध पासपोर्ट की प्रमाणित प्रति संलग्न की जानी चाहिए।

**टिप्पण IV :** प्ररूप पर छिपकाए जाने वाले आवेदक का फोटोग्राफ सत्यापित होनी चाहिए।

**यदि कोई आवश्यकता पूरी नहीं की गयी है तो परिवर्तन करने पर विचार नहीं किया जाएगा।**

मैं ..... पुत्र/पुत्री ..... निवासी ..... एतद्वारा घोषणा और सत्यापित करता हूँ कि इस प्ररूप में दी गयी सूचना और संलग्न दस्तावेज सही और पूर्ण है।

**आवेदक के हस्ताक्षर**

तारीख ..... ( दिन/मास/वर्ष )

स्थान .....

**केवल कार्यालय प्रयोग हेतु :**

**प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर**

तारीख ..... ( दिन/मास/वर्ष )

स्थान .....

#### प्ररूप 11

(नियम 25(1) देखें)

#### सीमित दायित्व भागीदारी का वार्षिक विवरणी

**टिप्पण :** \*अंकित सभी खानों को भरा जाना आज्ञापक है।

\* ..... वर्ष की 31 मार्च तक का वार्षिक विवरणी।

1. \*एलएलपीआईएन .....
2. \*सीमित दायित्व भागीदारी का नाम .....
3. \* रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता  
 \*पंक्ति I .....  
 \*पंक्ति II .....

\*शहर : .....

\*राज्य : .....

\*आईएसओ देश कोड : .....

देश .....

\*पिन कोड : .....

फोन (एसटीडी कोड सहित) : .....

फैक्स : .....

\*ई-मेल : .....

4. यदि दस्तावेजों को पहुंचाने के लिए धारा 13(2) के अधीन घोषित है, तो अन्य पता

पंक्ति I .....

पंक्ति II .....

शहर : .....

राज्य : .....

आईएसओ देश कोड : .....

पिन कोड : .....

फोन (एसटीडी कोड सहित) : .....

फैक्स : .....

ई-मेल : .....

5. वित्तीय वर्ष समाप्त होने की तारीख जिससे वार्षिक विवरणी संबंधित है

..... तारीख ..... माह ..... वर्ष

6. व्यवसाय वर्गीकरण .....

(व्यवसाय, व्यापार, वृत्ति, सेवा अथवा उपजीविका वर्गीकरण के लिए निर्धारित एक अथवा अधिक श्रेणियों के संदर्भ में)

7. सीमित दायित्व भागीदारी के प्रमुख व्यवसायिक कार्यकलाप

.....  
.....  
.....  
.....

8. \*भागीदारों तथा अभिहित भागीदारों का संक्षिप्त जिनके लिए यह प्ररूप भरा जा रहा है

क्रम सं.	प्रवर्ग	भागीदारों की संख्या	अभिहित भागीदारों की संख्या	भारत में निवास कर रहे अभिहित भागीदारों की संख्या
1.	व्यक्ति			
2.	एलएलपी			
3.	कंपनी			
4.	भारत से बाहर निगमित एलएलपी			
5.	भारत से बाहर निगमित कंपनियां			
	कुल			

9. भागीदार के रूप में व्यष्टियों की संख्या ..... (सक्रिय )

टिप्पण : यदि व्यष्टि 10 से अधिक हैं तो व्यष्टि भागीदारों के संबंध में ब्यौरों को संलग्नक के रूप में एक पृथक शीट में संलग्न करें ।

व्यष्टियों के संबंध में ब्यौरे (पहले अभिहित भागीदारों के संबंध में ब्यौरे दें)

\* क्या अभिहित भागीदार हैं ..... हों..... नहीं.....

यदि हों, डीपीआईएन .....

\* क्या भारत में निवास कर रहे हैं ..... हों..... नहीं.....



\* नाम .....

\* पिता/ पति का नाम .....

\* राष्ट्रियता .....

नियुक्ति की तिथि.....

समाप्ति की तिथि.....

परिवर्तित नाम.....

पदनाम में परिवर्तन की तिथि.....

नया पदनाम.....

(कृपया भागीदार का पता तथा अन्य ब्यौरे इस प्ररूप के अनुलग्नक में दें)

क्या किसी भागीदारी फर्म अथवा सीमित दायित्व भागीदारी में या कंपनी के निदेशक भागीदार हैं  
हाँ..... नहीं.....

भागीदारी फर्म के नाम तथा पते

नाम.....

प्रधान कार्यालय का पता.....

सीमित दायित्व भागीदारी के एलएलपीआईएन तथा नाम

एलएलपीआईएन.....

सीमित दायित्व भागीदारी का नाम.....

उन कंपनियों का नाम जिनमें सीआईएन और वह निदेशक है

सीआईएन.....

डीआईएन .....

नाम.....

क्या निगमित निकाय का कोई नामनिर्देशिती है

हाँ..... नहीं.....

10. \*निगमित निकायों की संख्या जिसमें भागीदार हैं .....(सक्रिय)

टिप्पण : यदि निगमित निकाय 5 से अधिक हैं तो शेष निगमित निकायों के संबंध में ब्यौरों को संलग्नक के रूप में एक पृथक शीट में संलग्न करें ।

निगमित निकायों और उनके निर्देशितों के संबंध में ब्यौरे (पहले अभिहित भागीदारों के संबंध में ब्यौरे दें)

प्रवर्ग (ड्रोपडाउन) एलएलपी, कंपनी, भारत से बाहर निगमित एलएलपी (एलआईओआई), भारत से बाहर निगमित कंपनी (सीआईओआई).....

एलएलपीआईएन अथवा निगमित पहचान संख्या (सीआईएन), एलआईओआई रजिस्ट्रीकरण संख्या अथवा सीआईओआई रजिस्ट्रेशन संख्या .....

\* नाम.....

\* देश जहाँ रजिस्ट्रीकृत हैं.....

\*निगमित निकाय के नामनिर्देशिती के रूप में उनकी ओर से हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का नाम तथा ब्यौरे.....

\*पदनाम.....

\*पिता/पति का नाम.....

\* राष्ट्रियता .....

- \* क्या अभिहित भागीदार           हों.....           नहीं.....  
यदि हों, डीपीआईएन .....
- \* क्या भारत में निवास कर रहे हैं           हों.....           नहीं.....

नियुक्ति की तिथि.....  
रामाप्ति की तिथि.....  
परिवर्तित नाम, यदि कोई हो.....  
पदनाम में परिवर्तन की तिथि.....  
नया पदनाम.....  
(कृपया: भागीदार का पता तथा अन्य ब्यौरे इस प्ररूप के अनुलग्नक में दें)

क्या किसी भागीदारी फर्म अथवा सीमित दायित्व भागीदारी या कंपनी के निदेशक भागीदार हैं  
हों.....           नहीं.....  
भागीदारी फर्मों के नाम तथा पते  
नाम.....  
प्रधान कार्यालय का पता.....

सीमित दायित्व भागीदारी के एलएलपीआईएन तथा नाम  
एलएलपीआईएन.....  
सीमित दायित्व भागीदारी का नाम.....  
उन कंपनियों का नाम जिनमें वह निदेशक है सीआईएन और  
सीआईएन.....  
डीआईएन.....  
नाम.....

11. \*अभिदाय देने की भागीदारों की बाध्यताएं

क्रम सं.	भागीदार का नाम	अभिदाय की बाध्यता और प्ररूप	प्राप्त तथा लेखांकित किए गए अभिदाय (रूप में)

12. \*निम्न पर लगाए गए शस्ति के ब्यौरे

(1) सीमित दायित्व भागीदारी

धारा संख्या	अपराध	लगाई गई शस्ति

(2) भागीदारी/अभिहित भागीदार

भागीदार/अभिहित भागीदार का नाम	धारा संख्या	अपराध	लगाई गई शस्ति

13. \* शमनीय अपराधों के ब्यौरे

धारा संख्या	अपराध	अपराध को शमन करने की तारीख

संलग्नक  
वैकल्पिक संलग्नक

**सत्यापन**

मेरी पूर्ण जानकारी और विश्वास से इस प्ररूप में दी गयी सूचना और इसके संलग्नक सही और पूर्ण हैं।

**डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किया जाए**

अभिहित भागीदार .....

डीपीआईएन.....

तारीख.....

स्थान.....

**प्रमाण-पत्र**

मैं प्रमाणित करता हूँ कि वार्षिक विवरणी में सत्य तथा सही जानकारी है ।

किसी अभिहित भागीदार द्वारा हस्ताक्षर किया जाए .....

डीपीआईएन.....

**अथवा**

मैं प्रमाणित करता हूँ .....(एलएलपी का नाम) की बहियों और अभिलेखों के अनुसार ऊपर उल्लिखित सभी विवरण सत्य हैं और उन्हें सत्य तथा ठीक पाया गया है।

....व्यवसाय कर रहा कंपनी सचिव .....

व्यवसाय के प्रमाण-पत्र की संख्या .....

तारीख.....

स्थान.....

उपांतरित करें

प्ररूप जॉच

पूर्व जॉच

प्रस्तुत करें

**केवल कार्यालय प्रयोग हेतु**

इस ई-फार्म को एतद्वारा रजिस्ट्रीकृत किया जाता है ..... प्रस्तुत करें

प्राधिकार देने वाले अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर .....

**प्ररूप-11 का अनुलग्नक****भागीदारों/अभिहित भागीदारों के पते का विवरण और अन्य ब्यौरे**

1. भागीदार के रूप में व्यष्टियों की संख्या .....

(यदि व्यक्ति 10 से अधिक हैं तो शेष भागीदारों के संबंध में ब्यौरों को संलग्नक के रूप में एक पृथक पन्ना में संलग्न करें)

व्यष्टियाके संबंध में ब्यौरे (पहले अभिहित भागीदारों के संबंध में ब्यौरे दें)  
(इस युक्तिका में ब्यौरे प्ररूप 11 में दिए गए भागीदार के नामों के क्रम में होने चाहिए)

\* क्या अभिहित भागीदार                   हों.....                   नहीं.....  
यदि हों, डीपीआईएन .....  
\* क्या भारत में निवास कर रहे हैं                   हों.....                   नहीं.....

\* नाम .....

\* पिता/ पति का नाम .....

\* राष्ट्रीयता .....

\*जन्म तिथि.....

\*व्यवसाय.....

\*आयकर स्थायी खाता संख्या (पैन).....

पासपोर्ट संख्या.....

\*स्थायी आवासीय पता

पता

\*पंक्ति I .....

\*पंक्ति II .....

\*शहर : .....

\*राज्य : .....

\*पिन कोड : .....

\*आईएसओ देश कोड : .....

फोन : .....

फैक्स : .....

ई-मेल आईडी : .....

\* क्या वर्तमान आवासीय पता स्थायी आवासीय पते के समान है

(कृपया चिन्हित (X) करें)                   ..... हां                   ..... नहीं

यदि नहीं, वर्तमान आवासीय पता

पता    पंक्ति I .....

पंक्ति II .....

शहर ..... राज्य .....

पिन ..... आईएसओ देश कोड .....

फोन ..... फैक्स .....

ई-मेल आईडी .....

2. भागीदार के रूप में निगमित निकायों की संख्या .....

(यदि निगमित निकाय 5 से अधिक हैं तो शेष निगमित निकायों के संबंध में ब्यौरों को संलग्नक के रूप में एक पृथक शीट में संलग्न करें । पहले अभिहित भागीदारों के संबंध में ब्यौरे दें)

निगमित निकायों तथा उनके नामनिर्देशितों के संबंध में ब्यौरे

(इस युक्तिका में ब्यौरे प्ररूप 11 में दिए गए भागीदारों के नाम के क्रम में होने चाहिए)

प्रवर्ग (डोपडाउन) एलएलपी, कंपनी, भारत से बाहर निगमित एलएलपी (एलआईओआई), भारत से बाहर निगमित कंपनी (सीआईओआई).....

एलएलपीआईएन अथवा निगमित पहचान संख्या (सीआईएन), एलआईओआई रजिस्ट्रेशन संख्या अथवा सीआईओआई रजिस्ट्रेशन संख्या .....

\* निगमित निकाय का नाम.....

\* देश जहाँ रजिस्ट्रीकृत हैं.....

\* रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पूरा पता

\*पंक्ति I .....

\*पंक्ति II .....

\*शहर ..... \*राज्य .....

\*पिन ..... \*आईएसओ देश कोड .....

\*देश.....

फोन ..... फैक्स .....

\*ई-मेल आईडी .....

\*निगमित निकाय के नामनिर्देशिती के रूप में उनकी ओर से हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का नाम तथा ब्यौरे.....

\*पदनाम.....

\*पिता/पति का नाम.....

\* राष्ट्रीयता .....

\*जन्म तिथि.....

\*व्यवसाय.....

\*आयकर स्थायी खाता संख्या (पैन).....

पासपोर्ट संख्या.....

\* क्या अभिहित भागीदार                    हों.....                    नहीं.....

यदि हों, डीपीआईएन .....

\* क्या भारत में निवास कर रहे हैं    (कृपया चिन्हित (x) करें)

हों.....                    नहीं.....

\*स्थायी आवासीय पता

पता

\*पंक्ति I .....

\*पंक्ति II .....

\*शहर : .....                    \*राज्य : .....

\*पिन कोड : .....                    \*आईएसओ देश कोड : .....

\*देश.....

फोन : .....                    फैक्स : .....

ई-मेल आईडी : .....

\* क्या वर्तमान आवासीय पता स्थायी आवासीय पते के समान है

(कृपया चिन्हित (x) करें) ..... हां ..... नहीं

यदि नहीं, वर्तमान आवासीय पता

पता व्यक्ति I .....  
 व्यक्ति II .....  
 शहर ..... राज्य .....  
 पिन ..... आईएसओ देश कोड .....  
 देश.....  
 फोन ..... फ़ैक्स .....  
 ई-मेल आईडी .....

**संलग्नक**

वैकल्पिक संलग्नक

### सत्यापन

मेरी पूर्ण जानकारी और विश्वास से इस प्ररूप में दी गयी सूचना और इसके संलग्नक सही और पूर्ण हैं।

**डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किया जाए**

अभिहित भागीदार .....

डीपीआईएन.....

तारीख.....

स्थान.....

### प्रमाण-पत्र

मैं प्रमाणित करता हूँ कि वार्षिक विवरणी मे सत्य तथा सही जानकारी है ।

किसी अभिहित भागीदार द्वारा हस्ताक्षर किया जाए .....

डीपीआईएन.....

**अथवा**

मैं प्रमाणित करता हूँ .....(एलएलपी का नाम) की बहियों और अभिलेखों के अनुसार ऊपर उल्लिखित सभी विवरण सत्य हैं और उन्हें सत्य तथा ठीक पाया गया है।

.....व्यवसाय कर रहा कंपनी सचिव .....

व्यवसाय के प्रमाण-पत्र की संख्या .....

परिवर्तित करें

प्ररूप जॉच

पूर्व जॉच

प्रस्तुत करें

**केवल कार्यालय प्रयोग हेतु**

इस ई-फार्म को एतद्वारा रजिस्ट्रीकृत किया जाता है ..... प्रस्तुत करें

प्राधिकार देने वाले अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर .....

**प्ररूप 12**  
(नियम 16(3)देखें)

**दस्तावेजों के वितरण के लिए अन्य पता देने का प्ररूप**

**टिप्पणी :** \*अंकित सभी को भरा जाना आज्ञापक है ।

1. \* एलएलपीआईएन .....
- 2- \* सीमित दायित्व भागीदारी का नाम -----
3. \* रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता  
 \*पंक्ति I .....  
 \*पंक्ति II .....
- \* शहर : .....
- \* राज्य : .....
- \* आईएसओ देश कोड : .....
- \* देश.....
- \* पिन कोड : .....
- \* फोन (एसटीडी कोड सहित) : .....
- फैक्स : .....
- \* ई-मेल : .....

4. सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 13(2) के अनुसरण में उपर्युक्त नाम की सीमित दायित्व भागीदारी इसको अथवा इसके भागीदार को अथवा अभिहित भागीदार को दस्तावेज देने के लिए रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के अलावा निम्नलिखित पता घोषित करती है :

अन्य पता

पंक्ति I .....

पंक्ति II .....

शहर : .....

राज्य : .....

आईएसओ देश कोड : .....

पिन कोड : .....

फोन (एसटीडी कोड सहित) : .....

फैक्स : .....

ई-मेल : .....

नियम 16 के उप नियम (2) के अनुपालन की तारीख.....

#### संलग्नक

1. भागीदारों के निर्णय/ प्रस्ताव/ सहमति के कार्यवृत्त की प्रति।
2. सीमित दायित्व भागीदारी करार, यदि कोई हो के संगत उपबंध का सार।
3. पते का प्रमाण पत्र
4. वैकल्पिक संलग्नक

#### सत्यापन

मेरी पूर्ण जानकारी और विश्वास से इस प्ररूप में दी गयी सूचना और इसके संलग्नक सही और पूर्ण हैं।

मैं..... प्रमाणित करता हूँ की .....(एलएलपी का नाम) के एक अभिहित भागीदार के रूप में मैं इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने तथा इसे प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत हूँ।

किसी अभिहित भागीदार द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किया जाए

डीपीआईएन.....

तारीख.....

स्थान.....

उपांतरित करें

फार्म जाँच

पूर्व संवीक्षा

प्रस्तुत करें

#### केवल कार्यालय प्रयोग हेतु

इस ई-फार्म को रजिस्ट्रीकृत किया जाता है ..... प्रस्तुत करें

प्राधिकृत करने वाले अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर .....

#### प्ररूप 13

(देखें अधिनियम की धारा 24(1))

अन्य भागीदारों को भागीदार के रूप में त्याग पत्र देने के लिए भागीदार द्वारा नोटिस

टिप्पणी : \*अंकित सभी को भरा जाना आज्ञापक है।



सेवा में

सभी भागीदार

..... सीमित दायित्व भागीदारी  
( रजिस्ट्रीकृत पता)

सभी भागीदार

..... सीमित दायित्व भागीदारी  
(दस्तावेजों वितरण के लिए सीमित दायित्व भागीदारी  
द्वारा घोषित अन्य पता)

तारीख .....( दिन/मास/वर्ष)

(तारीख भागीदार द्वारा त्याग पत्र देने की मंशा वाली तारीख से कम से कम 30 दिन पहले की होनी चाहिए)

सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 24(1) के उपबंधों के अनुसार ..... (भागीदार का नाम) .....  
..... से सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदार के रूप में ..... ( दिन/मास/ वर्ष) से त्याग पत्र देने  
के अपने इरादे का नोटिस देता हूँ।

भागीदार का नाम .....

पता .....

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम .....

हस्ताक्षर .....

वहाँ लागू जहां भागीदार निगमित निकाय है। प्राधिकार की प्रति संलग्न की जाए।

तारीख .....

स्थान.....

**प्ररूप 14**

(नियम 33 देखें)

**फर्म/ कंपनी को सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तित करने के लिए फर्मों के रजिस्ट्रार/ कंपनियों  
के रजिस्ट्रार को सूचित करने का प्ररूप**

**टिप्पणी :** \*अंकित सभी को भरा जाना आज्ञापक है ।

यह प्ररूप सूचित करने के लिए है

- फर्म को सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तित करने के लिए
- निजी कंपनी को सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तित करने के लिए
- गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी को सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तित करने के लिए

**भाग-क.**

फर्म को सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तित करने के लिए

1. \*फर्म का नाम .....
2. \*फर्म का मूल पता .....
3. \*क्या फर्म, भागीदारी अधिनियम, 1932 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत है  
..... हां ..... नहीं  
यदि हां, तो रजिस्ट्रीकरण की तारीख .....

रजिस्ट्रीकरण संख्या .....

यदि नहीं, तो क्या फर्म किसी अन्य विधि के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत है

..... हां ..... नहीं

यदि हां, तो कानून का नाम बताएं .....

रजिस्ट्रीकरण की तारीख .....

रजिस्ट्रीकरण संख्या .....

#### भाग—आ

प्राइवेट कंपनी / गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी को सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तित करना

1. \* कंपनी का नाम .....

2. \* सीआईएन .....

3. कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता

\*पंक्ति I .....

\*पंक्ति II .....

\* शहर .....

\* जिला .....

\* राज्य .....

\* पिन कोड .....

#### भाग—इ

सीमित दायित्व भागीदारी का विवरण जिसमें उपर्युक्त फर्म / कंपनी को संपरिवर्तित किया गया है

1. \*एलएलपीआईएन .....

2. \* सीमित दायित्व भागीदारी का नाम .....

3. \*निगमन की तारीख ..... / ..... / .....दिन / मास / वर्ष

4. रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता

\*पंक्ति I .....

\*पंक्ति II .....

\* शहर : .....

\* राज्य : .....

\* आईएसओ देश कोड : .....

\* पिन कोड : .....

फोन (एसटीडी कोड सहित) : .....

फैक्स : .....

\* ई-मेल : .....

#### संलग्नक

- (1) सीमित दायित्व भागीदारी के निगमन के प्रमाण पत्र की प्रति।
- (2) वैकल्पिक संलग्नक।

#### प्रमाण पत्र

मैं ..... (एलएलपी) का अभिहित भागीदार ..... (परिवर्तित फर्म अथवा कंपनी का नाम) को ..... तारीख से उक्त सीमित दायित्व भागीदारी में परिवर्तित किए जाने का नोटिस देता हूँ।

एलएलपी के भागीदार द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किया जाए जो फर्म के संपरिवर्तन के मामले में एक भागीदार था, अथवा जो निजी या गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी के परिवर्तन के मामले में कंपनी के निदेशकों में से एक था।

.....

डीआईएन/ डीपीआईएन.....

तारीख : .....

स्थान : .....

उपांतरित करें  
फार्म जॉच  
पूर्व संवीक्षा  
प्रस्तुत करें

#### केवल कार्यालय प्रयोग हेतु

इस ई-फार्म को रजिस्ट्रीकृत किया जाता है ..... प्रस्तुत करें

प्राधिकार देने वाले अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर .....

#### प्ररूप 15 (नियम 17 देखें)

#### रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के स्थान परिवर्तन की नोटिस

नोट : \*अंकित सभी खानों को भरा जाना आज़ापक है।

1. \*एलएलपीआईएन .....
2. \*सीमित दायित्व भागीदारी का नाम .....
3. \*सीमित दायित्व भागीदारी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का वर्तमान पता :

\*पंक्ति I .....

\*पंक्ति II .....

\*शहर : .....

\*राज्य : .....

\*आईएसओ देश कोड : .....

\*देश : .....

\*पिन कोड : .....

फोन (एसटीडी कोड सहित) : .....

फैक्स : .....

\*ई-मेल आईडी : .....

4. सीमित दायित्व भागीदारी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का नया पता

\*पंक्ति I .....

\*पंक्ति II .....

\*शहर : .....

\*राज्य : .....

\*आईएसओ देश कोड : .....

\*देश : .....

\*पिन कोड : .....

फोन (एसटीडी कोड सहित) : .....

फैक्स : .....

ई-मेल आईडी : .....

5. \*पुलिस स्टेशन का पूरा पता जिसकी अधिकारिता में सीमित दायित्व भागीदारी का नया रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है।

\*नाम .....

पता \*पंक्ति I .....

\*पंक्ति II .....

\*शहर/नगर/गांव : .....

\*तहसील : .....

\*जिला : .....

\*राज्य : .....

\*पिन कोड : .....

6. एलएलपी अधिनियम के तथाकथित अपराधों के लिए एलएलपी के विरुद्ध आरंभ किया गया मुकदमा अथवा प्राप्त कारण बताओ सूचना का विवरण।

7. \* रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के स्थान का परिवर्तन :

..... उसी शहर/नगर/ गांव/ के भीतर

..... उसी राज्य के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर

..... राज्य के भीतर एक रजिस्ट्रार के अधिकारिता से दूसरे रजिस्ट्रार के अधिकार में

..... एक राज्य से दूसरे राज्य में रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के स्थान का परिवर्तन

8. समाचार पत्र में सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन की तारीख .....

(लागू जहां रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का परिवर्तन एक राज्य से दूसरे राज्य में होता है)

9. \*नियम 17 के उप-नियम (1) अथवा उप-नियम (4) के अनुपालन की तारीख.....

#### संलग्नक

1. रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के परिवर्तित पते का प्रमाण ।
2. भागीदारों के निर्णय/प्रस्ताव/सहमति के कार्यवृत्त की प्रति।
3. सीमित दायित्व भागीदारी के करार, यदि कोई हो, के संगत उपबंधों के उद्धृत अंश ।
4. सार्वजनिक सूचना की प्रतियां, यदि लागू हों ।
5. प्रतिभूत लेनदारों की सहमति, यदि लागू हो।
6. वैकल्पिक संलग्नक ।

#### सत्यापन

मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास से इस प्ररूप में दी गयी सूचना और इसके संलग्नक सही और पूर्ण हैं।

मैं..... प्रमाणित करता हूँ की .....(एलएलपी का नाम) के एक अभिहित भागीदार के रूप में मैं इस प्ररूप पर हस्ताक्षर करने तथा इसे प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत हूँ ।

किसी अभिहित भागीदार द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किया जाए

डीपीआईएन.....

तारीख.....

स्थान.....

## प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने एलएलपी का नाम ..... की पुस्तकों तथा अभिलेखों से उपर्युक्त विवरण को सत्यापित कर दिया है और उन्हें सत्य तथा ठीक पाया है।

व्यवसायगत कंपनी सचिव ..... व्यवसायगत चार्टर्ड अकाउंटेंट.....  
व्यवसायगत संकर्म लेखाकार

डिजिटल रूप में हस्ताक्षर किया जाए .....

व्यवसाय संख्या का प्रमाण पत्र .....

तारीख .....

स्थान.....

उपांतरित करें  
फार्म जाँच  
पूर्व संवीक्षा  
प्रस्तुत करें

केवल कार्यालय प्रयोग हेतु

इस ई-फार्म को रजिस्ट्रीकृत किया जाता है

प्राधिकार देने वाले अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर .....

बीओ को प्रस्तुत .....

## प्ररूप 16

(अधिनियम की धारा 12(1)(ख) देखें)

## निगमन प्रमाण पत्र

20..... की .....एलएलपीआईएन

मैं, यह प्रमाणित करता हूँ कि सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 के अंतर्गत आज .....  
... सीमित दायित्व भागीदारी को निगमित किया गया है।

मेरे हस्ताक्षर से आज ..... तारीख ....., दो हजार ..... को दिया गया।

रजिस्ट्रार

(मुहर)

## प्ररूप 17

(अधिनियम की धारा दूसरी अनुसूची के पैरा 2, 3, 4 तथा 16 और नियम 38 (1) को देखें)  
फर्म को सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तित करने के लिए फर्म द्वारा आवेदन तथा विवरण  
टिप्पणी : \*अंकित सभी खानों को आज्ञापक रूप से भरा जाना है ।

भाग - क  
आवेदन

1. \*फर्म का नाम .....

2. \*फर्म का प्रमुख पता

\*पंक्ति 1 .....

\* पंक्ति 2 .....

\*शहर ..... \*जिला .....

\*राज्य ..... \*पिन कोड .....

\*आईएसओ देश कोड .....

फोन ..... फैक्स .....

ई-मेल आईडी .....

- 3.(क) \*क्या फर्म भागीदारी अधिनियम, 1932 के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत है  
 ..... हां ..... नहीं  
 यदि हां, तो रजिस्ट्रीकरण की तारीख .....
- रजिस्ट्रीकरण संख्या .....
- यदि नहीं, तो क्या फर्म किसी अन्य विधि के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत है  
 ..... हां ..... नहीं  
 यदि हां, तो किस कानून के अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत है .....
- रजिस्ट्रीकरण की तारीख .....
- रजिस्ट्रीकरण संख्या .....

(ख) \*करार की तिथि जिससे फर्म गठित की गई थी (दिन/मास/वर्ष).....

4. \*फर्म में भागीदारों की कुल संख्या .....

5. \*भागीदारों के नाम और पते (डाइनामिक)

नाम	पता (मकान सं., शहर / नगर/गांव, जिला, राज्य, पिन कोड)	फर्म में धारित पूंजी की राशि

6. \*फार्म 1 की सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन) .....
7. \*प्रस्तावित सीमित दायित्व भागीदारी का नाम .....
8. \*प्रस्तावित सीमित दायित्व भागीदारी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता
- \* पंक्ति 1 .....
- \* पंक्ति 2 .....
- \*शहर ..... \*जिला .....
- \*राज्य ..... \*पिन कोड .....

\*आईएसओ देश कोड .....

फोन ..... फैक्स .....

ई-मेल आईडी .....

9. \*एलएलपी में भागीदारों की कुल संख्या .....
10. \*क्या फर्म के सभी भागीदारों ने फर्म को सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तित करने के लिए अपनी सहमति दे दी है।

..... हां ..... नहीं  
यदि हाँ, तो सहमति की प्रति संलग्न करें

11. \*क्या सीमित दायित्व भागीदारी के सभी भागीदारों में फर्म के सभी भागीदार होते हैं और कोई नहीं होता :

..... हां ..... नहीं

12. \*क्या आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत अद्यतन आयकर विवरणी को फाइल किया गया है

..... हां ..... नहीं

यदि हाँ, तो उस अवधि को दर्शाए जिस तक ऐसी विवरणी को फाइल किया गया है ..... (दिन/मास/वर्ष)

13. \*फर्म द्वारा अथवा फर्म के विरुद्ध कार्यवाहियों का ब्यौरा जो किसी न्यायालय अथवा अधिकरण अथवा किसी प्राधिकरण के समक्ष लंबित है

.....

..... हाँ ..... नहीं

यदि हाँ, तो ऐसी कार्यवाहियों के ब्यौरे निम्नलिखित रूप में .....

न्यायालय/अधिकरण/प्राधिकरण का नाम	ब्यौरे

(यदि कार्यवाहियों संख्या 5 से अधिक है तो उपर्युक्त तरीके से पृथक शीट को एक संलग्नक के रूप में लगाया जाए)

14. क्या उक्त फर्म को सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तन के लिए किसी पूर्व के आवेदन को रजिस्ट्रार द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था।

..... हां ..... नहीं

यदि हां, तो पूर्व के प्ररूप 17 का एसआरएन दीजिए और अस्वीकृति का कारण बताएं

(1) एसआरएन.....

(2) कारण.....

15. \*क्या फर्म के पक्ष में अथवा विरुद्ध ऐसा कोई दोष, नियम, आदेश, न्यायालय, अधिकरण अथवा अन्य प्राधिकरण का निर्णय है, जो बरकरार है।

हाँ..... नहीं .....

यदि हाँ, तो निम्नलिखित रीति से तत्संबंधी ब्यौरे

संगत अधिनियम की धारा तथा शीर्षक	विवरण	न्यायालय/अधिकरण/प्राधिकरण का नाम

(यदि कार्यवाहियों की संख्या 5 से अधिक है तो उक्त तरीके से पृथक शीटों को संलग्नक के रूप में संलग्न किया जा सकता है)

16. \*क्या फर्म को सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तन करने के लिए सभी लेनदारों की सहमति ले ली गयी है।



..... हां ..... नहीं

बदि हों, तो ऐसे लेनदारों की सूची तथा सहमति को संलग्न करें ।

17. \*क्या फर्म को सीमित-दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तित करने के लिए किसी अन्य निकाय/ प्राधिकरण की मंजूरी, अनुमोदन अथवा अनुमति लेने की आवश्यकता होगी।

..... हां ..... नहीं

यदि हां, तो क्या संबंधित निकाय/ प्राधिकरण अथवा प्राधिकरणों से उपयुक्त अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

..... हां ..... नहीं

18. \*क्या संलग्न परिवर्तन हेतु आवेदन दायर करने की तिथि से 30 दिन पहले की न होने वाली तिथि तक किसी व्यवसाय वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा सत्य तथा सही के रूप में विधिवत प्रमाणित फर्म की परिसंपत्तियों तथा दायित्वों के विवरण को तैयार कर लिया गया है ।

हाँ.....

अभिहित भागीदार द्वारा डिजिटल रूप में हस्ताक्षर किया जाए.....

डीपीआईएन.....

तारीख.....

स्थान.....

#### भाग - आ कथन

मैं ..... मैसर्स..... (फर्म का नाम) का भागीदार जोकि भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 अथवा ..... (विधि का नाम) के अंतर्गत ..... (स्थान का नाम)..... (राज्य अथवा केन्द्र शासित प्रदेश का नाम) राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश में ..... (तारीख) से रजिस्ट्रीकृत हूँ और रजिस्ट्रीकरण संख्या ..... है तथा..... (एलएलपी का नाम) के निगमन दस्तावेज में भी नामित हूँ, एक भागीदार अथवा अभिहित भागीदार के रूप में उक्त फर्म मैसर्स..... (फर्म का नाम) के सीमित दायित्व भागीदारी में परिवर्तन हेतु अपनी सहमति देता हूँ ।

2. मैं स्पष्ट करता हूँ कि मैं परिवर्तन से पूर्व व्यय की गई अथवा इस परिवर्तन से पूर्व की गई संविदा से उत्पन्न फर्म की दायित्वों तथा बाध्यताओं के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहूंगा (सीमित दायित्व भागीदारी के साथ संयुक्त रूप से तथा कई रूप में)।

मैं आगे यह भी उल्लेख करता हूँ.....

(1) फर्म के सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तन और इससे पूर्ववर्ती तथा प्रासंगिक मामलों के संबंध में सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों की सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है;

(2) यह कि सीमित दायित्व भागीदारी के सभी भागीदारों में फर्म के सभी भागीदार शामिल हैं और कोई अन्य व्यक्ति नहीं ।

(3) यह कि किसी भी निकाय/प्राधिकरण से फर्म के सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तन हेतु लागू स्वीकृति, अनुमोदन अथवा अनुमति प्राप्त कर ली गई है ।

(4) यह कि फर्म के सीमित दायित्व भागीदारी में परिवर्तन हेतु सभी लेनदारों की सहमति प्राप्त कर ली गई है ।

(5) यह कि मेरी श्रेष्ठ जानकारी और विश्वास के अनुसार इस प्ररूप तथा इसके संलग्नकों में दी गई सूचना सही तथा पूर्ण है ।

**संलग्नक**

1. फर्म के भागीदारों की सहमति (सारणी रूप में संलग्न किया जा सकता है)।
2. इलेक्ट्रॉनिक रूप में दायर प्ररूप 2 में निगमन दस्तावेज तथा विवरण ।
3. किसी व्यवसायगत चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा सत्य तथा सही के रूप में विधिवत प्रमाणित फर्म की परिसंपत्तियों तथा दायित्वों का विवरण ।
4. लेनदारों की सहमति सहित सभी लेनदारों की सूची (इसे सारणी रूप में दिया जा सकता है)।
5. किसी अन्य निकाय/प्राधिकारी का अनुमोदन।
6. वैकल्पिक संलग्नक ।

किसी भागीदार अथवा अभिहित भागीदार द्वारा डिजिटल रूप में हस्ताक्षर किया जाए.....  
 तारीख .....  
 स्थान .....

(शेष भागीदारों के कथन को उपर्युक्त प्रारूप में एक सारणी रूप में संलग्नक के रूप में दिया जा सकता है)

**प्रमाण पत्र**

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने मैसर्स ..... (फर्म का नाम) की षहियों और रिकार्ड से उपर्युक्त विवरण को सत्यापित कर दिया है और उन्हें सत्य तथा ठीक पाया है।

व्यवसायगत कंपनी सचिव

चार्टर्ड अकाउंटेंट

लागत लेखाकार

डिजिटल रूप में हस्ताक्षरित.....

व्यवसायगत के प्रमाण पत्र की संख्या .....  
 तारीख.....  
 स्थान.....

उपांतरित करें

प्ररूप जॉब

पूर्व संवीक्षा

प्रस्तुत करें

**केवल कार्यालय प्रयोग हेतु**

प्राधिकार देने वाले अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर .....

इस ई-फार्म को अनुमोदित किया जाता है ..... प्रस्तुत किए जाने की पुष्टि करें

इस ई-फार्म को अस्वीकार किया जाता है .....

## प्ररूप 18

( अधिनियम की तीसरी अनुसूची के पैरा 2 तथा 3, चौथी अनुसूची के पैरा 2, 3 तथा 4 और नियम 39(1) तथा 40(1) देखें )

प्राइवेट कंपनी/ सार्वजनिक गैर सूचीबद्ध कंपनी को सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तित करने के लिए आवेदन तथा विवरण

टिप्पणी : \*अंकित सभी खानों को भरा जाना आज्ञापक है ।

भाग अ  
आवेदन

1. \*सीआईएन .....
2. \*कंपनी का नाम .....
3. \*निगमन की तारीख .....
4. \*कंपनियों के रजिस्ट्रार के कार्यालय का नाम.....
5. \*कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता  
\*पंक्ति 1 .....
- \*पंक्ति 2 .....
- \*शहर ..... \*जिला .....
- \*राज्य ..... \*पिन कोड .....
- \*आईएसओ देश कोड .....
- फोन ..... फैक्स .....
- \*ई-मेल आईडी .....
6. \*कंपनी में शेयरधारकों की कुल संख्या .....

7. \*शेयरधारकों के नाम और पते

नाम	पता (मकान सं., शहर / नगर/ गांव, जिला, राज्य, पिन कोड)	कंपनी में धारित शेयरों की संख्या

(यदि शेयरधारकों की संख्या 10 से अधिक है तो उक्त तरीके से एक संलग्नक के रूप में एक पृथक शीट संलग्न करें)

8 \*प्ररूप 1 की सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन).....

9. \*प्रस्तावित सीमित दायित्व भागीदारी का नाम .....
10. \*सीमित दायित्व भागीदारी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता
- \* पंक्ति 1 .....
- \* पंक्ति 2 .....
- \*शहर ..... \*जिला .....
- \*राज्य ..... \*पिन कोड .....
- आईएसओ देश कोड ..... \*देश.....
- फोन ..... फैक्स .....
- \*ई-मेल आईडी .....
11. \*एलएलपी में भागीदारों की कुल संख्या .....
12. \*क्या कंपनी के सभी शेयरधारकों ने कंपनी को सीमित दायित्व भागीदारी में सपरिवर्तित करने के लिए अपनी सहमति दे दी है।
- ..... हां ..... नहीं
13. \*क्या कंपनी के सभी शेयरधारकों सीमित दायित्व भागीदारी के सभी भागीदार होते हैं और कोई नहीं होता।
- ..... हां ..... नहीं
14. \*क्या कंपनी की परिसम्पत्तियों में कोई प्रतिभूति ब्याज बरकरार और प्रवर्तन में है
- ..... हां ..... नहीं
- यदि हां तो वर्णन दीजिए
- .....
15. \*क्या आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत अद्यतन तारीख तक आय-कर विवरणी फाइल किए गए हैं।
- ..... हां ..... नहीं
- यदि हां तो जिस अवधि तक के लिए विवरणी फाइल किए गए हैं उसे दर्शाए .....
- .....
- दिन/मास/वर्ष
16. \*क्या कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत कथित अपराधों के लिए कंपनी के विरुद्ध अभियोजन आरंभ किए गए हैं अथवा उसे कोई कारण बताओ नोटिस हुआ है।
- .....हां .....नहीं

यदि हो, तो निम्नलिखित रीति में ब्यौरे दीजिए :-

क्रम सं.	कंपनी अधिनियम की धारा जिनके अंतर्गत कार्यवाई प्रारंभ की जा रही है	कारण बताओ कारण बताओ नोटिस जारी करने की तारीख	प्रास्थिति (उत्तर भेजा गया/संबंधित प्राधिकारी द्वारा जांच के अधीन)
----------	---	--	--

(यदि प्रारंभ किए गए अभियोजन/प्राप्त कारण बताओ नोटिस की संख्या 5 से अधिक है तो उक्त तरीके से एक संलग्नक के रूप में एक पृथक शीट संलग्न करें)

17. \*क्या कंपनी द्वारा अथवा उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही किसी न्यायालय अथवा अधिकरण अथवा किसी प्राधिकरण के समक्ष लंबित है।

..... हां ..... नहीं

यदि हां, तो निम्नलिखित रूप में वर्णन दीजिए

न्यायालय/अधिकरण/प्राधिकरण का नाम	वर्णन
----------------------------------	-------

(यदि कार्यवाहियों की संख्या 5 से अधिक है तो उक्त रीति से एक संलग्नक के रूप में एक पृथक शीट संलग्न करें)

18. \*क्या उक्त कंपनी को सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तन के लिए किसी पूर्व के आवेदन को रजिस्ट्रार द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था।

..... हां ..... नहीं

यदि हां, तो पूर्व के प्ररूप 18 की एसआरएन संख्या दीजिए और अस्वीकृति का कारण बताएं

(1) एसआरएन.....

(2) कारण .....

19. \*क्या कंपनी के पक्ष अथवा विपक्ष में कोई अभियोजन, नियम, आदेश, न्यायालय, अधिकरण अथवा अन्य प्राधिकरण का कोई निर्णय, जो बरकरार है।

..... हां ..... नहीं.....

यदि हां, तो निम्नलिखित रूप में वर्णन दीजिए

सुसंगत अधिनियम की धारा तथा शीर्षक	तथा ब्यौरे	न्यायालय/अधिकरण/प्राधिकरण का नाम
-----------------------------------	------------	----------------------------------

(यदि कार्यवाहियों की संख्या 5 से अधिक है तो उक्त रीति एक संलग्नक के रूप में एक पृथक पन्ना संलग्न करें)

20. \*क्या कंपनी को सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तन करने के लिए सभी अप्रतिभूत लेनदारों की सहमति ले ली गयी है।

..... हां ..... नहीं

यदि हां, तो उसकी एक प्रति

21. \*क्या कंपनी की सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तित करने के लिए किसी अन्य निकाय/ प्राधिकरण का समाशोधन, अनुमोदन अथवा अनुमति लेने की आवश्यकता होगी।

..... हां ..... नहीं

यदि हां, तो क्या संबंधित निकाय/ प्राधिकरण अथवा प्राधिकरणों से उपयुक्त अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है।

..... हां ..... नहीं

22. \*क्या कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत तत्काल पूर्व के तुलन-पत्र और वार्षिक विवरणी सहित अद्यतन तारीख तक के दस्तावेजों को फाइल किया गया है।

हाँ.....

23. \*क्या आवेदन दायर करने की तिथि से 30 दिन से पहले की न होने वाली तारीख तक लेखा-परीक्षक द्वारा सत्य तथा सही के रूप में विधिवत प्रमाणित कंपनी की आस्तियां तथा दायित्वों के विवरण को आवेदन के साथ संलग्न किया गया है।

हाँ.....

अभिहित भागीदार द्वारा डिजिटल रूप में हस्ताक्षर किया जाए.....

डीपीआईएन.....

तारीख.....

स्थान.....

#### भाग - आकथन

मैं ..... (कंपनी का नाम) का शेयरधारक जोकि ..... (एलएलपी का नाम) के निगमन दस्तावेज में भी नामित हूँ, एक भागीदार अथवा अभिहित भागीदार के रूप में उक्त कंपनी..... (कंपनी का नाम) के सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तन हेतु अपनी सहमति देता हूँ।

मैं निम्नलिखित उल्लेख करता हूँ.....

- (1) निजी कंपनी/गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी के सीमित दायित्व भागीदारी में संपरिवर्तन और इससे पूर्ववर्ती तथा प्रासंगिक मामलों के संबंध में सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों की सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है;
- (2) यह कि सीमित दायित्व भागीदारी के सभी भागीदारों में कंपनी के सभी शेयरधारक शामिल हैं और कोई अन्य व्यक्ति नहीं;
- (3) यह कि किसी भी निकाय/प्राधिकरण से कंपनी के सीमित दायित्व भागीदारी में परिवर्तन हेतु लागू स्वीकृति, अनुमोदन अथवा अनुमति प्राप्त कर ली गई है;
- (4) यह कि कंपनी के सीमित दायित्व भागीदारी में परिवर्तन हेतु सभी अप्रतिभूत लेनदारों की सहमति प्राप्त कर ली गई है;
- (5) क्या कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के अधीन तत्काल पूर्व के वित्त वर्ष हेतु तुलन-पत्र और वार्षिक विवरणी सहित शोध दस्तावेजों को फाइल किया गया है;
- (6) यह कि मेरी श्रेष्ठ जानकारी और विश्वास के अनुसार इस प्ररूप तथा इसके संलग्नकों में दी गई सूचना सही तथा पूर्ण है।

**संलग्नक**

1. शेरधारकों का कथन (उसे तालिका रूप में दिया जा सकता है) ।
2. प्ररूप 2 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल किए गए निगमन दस्तावेज तथा कथन ।
3. लेखा-परीक्षक द्वारा सत्य तथा सही के रूप में प्रमाणित कंपनी की आस्तियों और दायित्वों का कथन ।
4. असुरक्षित लेनदारों की सहमति के साथ उनकी सूची ।
5. किसी अन्य निकाय/प्राधिकारी से अनुमोदन ।
6. वैकल्पिक संलग्नक ।

किसी भागीदार अथवा अभिहित भागीदार द्वारा डिजिटल रूप में हस्ताक्षर किया जाए.....

तारीख .....

स्थान.....

(शेष शेरधारकों के कथन को उपर्युक्त प्ररूप में एक तालिका कथन रूप में संलग्नक के रूप में दिया जा सकता है)

**प्रमाण पत्र**

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने ..... (कंपनी का नाम) की बहियों और अभिलेखों से उपर्युक्त विवरण को सत्यापित कर दिया है और उन्हें सत्य तथा ठीक पाया है।

व्यवसायगत कंपनी सचिव

चार्टर्ड अकाउंटेंट

संकर्म अकाउंटेंट

डिजिटल रूप में हस्ताक्षरित.....

व्यवसाय के प्रमाण पत्र

की संख्या .....

तारीख.....

स्थान.....

उपांतरित करें

प्ररूप जाँच

पूर्व संवीक्षा

प्रस्तुत करें

**केवल कार्यालय प्रयोग हेतु**

प्राधिकार देने वाले अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर .....

इस ई-प्ररूप को अनुमोदित किया जाता है ..... प्रस्तुत किए जाने की पुष्टि करें

इस ई-प्ररूप को अस्वीकार किया जाता है .....

**प्ररूप 19**

(नियम 32(1) देखें)

.....  
(फर्म/कंपनी)

को

.....  
(सीमित दायित्व भागीदारी का नाम भरें)

में

संपरिवर्तित करने संबंधी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र

20..... की एलएलपीआईएन .....

मैं प्रमाणित करता हूँ कि ..... सीमित दायित्व भागीदारी को आज सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 58(1) के अनुसरण में आज रजिस्ट्रीकृत किया गया है।  
मेरे हस्ताक्षर से ..... पर आज ..... तारीख माह ..... दो हजार ..... वर्ष को दिया गया।

रजिस्ट्रार  
.....

प्ररूप 20  
(देखें नियम 35(1))

वर्ष 20..... की सीमित दायित्व भागीदारी आवेदन सं. ....  
..... आवेदक

समन के समर्थन में शपथ-पत्र

मैं, ..... सत्यनिष्ठा से पुष्टि करता हूँ और कथन करता हूँ कि :

1. मैं उक्त सीमित दायित्व भागीदारी का अभिहित भागीदार/ भागीदार (या परिसमापन में उक्त सीमित दायित्व भागीदारी का परिरामापक) हूँ।

(जहां आवेदन सीमित दायित्व भागीदारी अथवा उसके परिसमापक द्वारा नहीं है, बल्कि किसी भागीदार अथवा लेनदार द्वारा है, तो उपर्युक्त पैराग्राफ में उचित रूप से परिवर्तन किए जाने चाहिए)

2. सीमित दायित्व भागीदारी को तारीख ..... को निगमित किया गया था। मुझे अब प्रस्तुत तथा दिखाया गया दस्तावेज उक्त सीमित दायित्व भागीदारी के निगमन दस्तावेज की प्रति है।

3. सीमित दायित्व भागीदारी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय ..... में स्थित है।

4. सीमित दायित्व भागीदारी ने ..... (अर्थात् आटो पार्ट्स आदि का विनिर्माता) का कारबार आरंभ किया है और ..... से यह उक्त कारबार कर रही है।

5. (यहां उन परिस्थितियों को पृथक पैराग्राफ में लिखें जिन्होंने प्रस्तावित समझौता अथवा ठहराव इसके द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य तथा समझौता अथवा ठहराव की शर्तों को आज्ञापक बनाया। प्रस्तावित करार अथवा ठहराव की एक प्रति दर्शायी जाए और शपथ पत्र के साथ संलग्न की जानी चाहिए)।

8. (यहां लेनदारों अथवा भागीदारों के वर्ग का उल्लेख करे जिनके साथ समझौता अथवा ठहराव किया जाना है, जहां सीमित दायित्व भागीदारी तथा इसके भागीदारों के साथ ठहराव किया जाना है, यह कथन किया जाना चाहिए कि क्या किसी लेनदार अथवा लेनदारों के वर्ग के इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना है।)

9. यह आवश्यक हो सकता है कि लेनदारों अथवा भागीदारों (यदि बैठक लेनदारों के किसी वर्ग की जानी है तो उसका कथन किया जाना चाहिए) को बुलाया जाना चाहिए ताकि प्रस्तावित करार अथवा ठहराव पर विचार तथा अनुमोदित किया जाना चाहिए।

10. यह सुझाव है कि बैठक (अथवा बैठके) सीमित दायित्व भागीदारी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के परिसर में अथवा ऐसे स्थान पर आयोजित की जाए जैसाकि अधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाए, और ऐसी तारीख तथा समय पर आयोजित की जाए जैसाकि अधिकरण निदेश दे, और आयोजित की जाने वाली बैठक या प्रत्येक बैठक के लिए एक अध्यक्ष नियुक्त किया जाए।

11. यह सुझाव है कि प्रस्तावित समझौता अथवा ठहराव तथा बैठक का नोटिस एक बार (यहां समाचार पत्र लिखें) और उस अन्य रीति में प्रकाशित किया जाना चाहिए जैसाकि अधिकरण निदेश दे।



12. यह अनुरोध है कि सूचना जारी तथा प्रकाशित करने और उपर्युक्त प्रस्तावित बैठक बुलाने, आयोजित तथा संचालित करने के संबंध में आवश्यक निदेश दिए जाएं ।  
सत्यनिष्ठा से पुष्टि की जाती है ।

मेरे समक्ष  
हस्ताक्षर किया

हस्ता./—  
शपथ आयुक्त

तारीख:  
स्थान :

प्ररूप 21  
(नियम 35(2) देखें)

वर्ष 20.....की सीमित दायित्व भागीदारी आवेदन सं.  
..... आवेदक

**धारा 60(1) के अधीन बैठक बुलाने के निदेश हेतु समन**

सभी संबंधित पक्षकार सीमित दायित्व भागीदारी और उक्त (यहां लेनदारों अथवा भागीदारों के वर्ग अथवा वर्गों का उल्लेख करें) सीमित दायित्व भागीदारी के बीच समझौता अथवा किए जाने के लिए प्रस्तावित ठहराव की योजना पर विचार करने के उद्देश्य हेतु, यदि उचित समझा गया तो उपांतरण के साथ अथवा बिना उपांतरण के अनुमोदित करते हुए उपर्युक्त सीमित दायित्व भागीदारी की (यहां जमाकर्ताओं अथवा भागीदारों के वर्ग अथवा वर्गों का उल्लेख करें जिनकी बैठक होने वाली है) बैठक (अथवा पृथक बैठक) .....में होगी, के आदेश हेतु उपर्युक्त नाम की सीमित दायित्व भागीदारी के आवेदक (अथवा उपर्युक्त नाम के आवेदकों) की सुनवाई .....वर्ष 20..... को..... बजे ..... समय पर चैम्बर में सदस्य को सुनें ;

और यह कि उक्त बैठकों को बुलाने, उनके आयोजन और संचालन की पद्धति के तथा नोटिस और विज्ञापन जारी किए जाने के बारे में निदेश दिए जाएं।

और यह कि उक्त बैठक के अध्यक्ष (अथवा अध्यक्षों) की नियुक्ति की जाए, तो इसके परिणाम की अधिकरण को रिपोर्ट करेगा।

आवेदक के प्राधिकृत प्रतिनिधि

अधिकरण के अधिकारी

समन के समर्थन में ..... का शपथपत्र उपयोग किया जाएगा।

**नोट :** जहां सीमित दायित्व भागीदारी आवेदक नहीं है, सीमित दायित्व भागीदारी को अथवा जहां इसका परसिमापन किया जा रहा है, इसके समापक को समन दिया जाना चाहिए।

तारीख:  
स्थान :

## प्ररूप 22

(नियम 35(11) और (17), 37(8) और 41(4) देखें)

रजिस्ट्रार को न्यायालय/ अधिकरण/ कंपनी विधि बोर्ड/ केन्द्रीय सरकार के आदेश की सूचना का नोटिस

टिप्पणी : \*अंकित सभी को भरा जाना आज्ञापक है ।

1. \*एलएलपीआईएन.....
2. \*सीमित दायित्व भागीदारी का नाम.....
3. रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता  
 \*पंक्ति 1 .....  
 \*पंक्ति 2 .....  
 \*शहर ..... जिला .....  
 \*राज्य ..... \*पिन कोड .....  
 \*आईएसओ देश कोड .....  
 \*देश.....  
 फोन ..... फैक्स .....
4. \*ई-मेल आईडी .....  
 \*न्यायालय/अधिकरण/ कंपनी विधि बोर्ड/केन्द्रीय सरकार का आदेश.....
5. \*आदेश की तारीख.....
6. \*प्रमाणित प्रति की प्राप्ति की तारीख.....
7. \*धारा अथवा नियम का संदर्भ.....
8. \*आदेश का विवरण.....  
 .....
9. \*द्वारा अथवा की ओर से प्रस्तुत :-  
 नाम.....  
 पता.....  
 \*पंक्ति 1 .....  
 \*पंक्ति 2 .....  
 \*शहर/नगर/गांव.....  
 \*जिला .....  
 \*राज्य .....  
 \*पिन कोड .....

**संलग्नक**

- (1) \*आदेश की प्रमाणित प्रति
- (2) वैकल्पिक संलग्नक

**सत्यापन**

मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार इस प्ररूप तथा उसके संलग्नकों में दी गई जानकारी सही तथा पूर्ण है ।

मैंने सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उपबंधों को पढ़ा है ।

मैं इस प्ररूप को हस्ताक्षर करने तथा प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत हूँ ।

डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किया जाए.....  
(एलएलपी के मामले में अभिहित भागीदार अथवा अन्य मामलों में किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा)

डीपीआईएन, यदि लागू हों.....

तारीख.....

स्थान.....

उपांतरित करें  
प्ररूप जाँच  
पूर्व संवीक्षा  
प्रस्तुत करें

**केवल कार्यालय प्रयोग हेतु**

इस ई-फार्म को रजिस्ट्रीकृत किया जाता है .....

प्राधिकार देने वाले अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर ..... बीओ को प्रस्तुत करें

**प्ररूप 23**  
(नियम 19(1) देखें)

**एलएलपी को नाम परिवर्तन के निदेश के लिए आवेदन**

1. \*आवेदक का नाम
2. \*आवेदक का पता

\*पंक्ति 1 .....

\*पंक्ति 2 .....

\*शहर ..... जिला .....

\*राज्य ..... \*पिन कोड .....

\*आईएसओ देश कोड .....

\*देश .....

फोन ..... फैक्स .....

ई-मेल आईडी .....

3. \*सीमित दायित्व भागीदारी का एलएलपीआईएन अथवा कंपनी का सीआईएन अथवा अन्य निकाय का रजिस्ट्रेशन नं. यदि कोई हो
4. (क) \*बड़ नाम जिसके साथ सीमित दायित्व भागीदारी अथवा कंपनी अथवा किसी अन्य निकाय को निर्गमित अथवा रजिस्ट्रीकृत किया गया था

(ख) \*पता

\* पंक्ति 1 .....

\* पंक्ति 2 .....

\*शहर ..... जिला .....

\*राज्य ..... \*पिन कोड .....

\*आईएसओ देश कोड .....

\*देश .....

फोन ..... फैक्स .....

ई-मेल आईडी .....

5. आपत्ति का आधार

**संलग्नक**

1. आवेदन करने के लिए प्राधिकार की प्रति।
2. सीमित दायित्व भागीदारी अथवा कंपनी के निगमन अथवा अन्य निकाय के रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की प्रति
3. वैकल्पिक संलग्नक।

**सत्यापन**

मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार इस प्ररूप तथा उसके संलग्नकों में दी गई जानकारी सही तथा पूर्ण है।

मैंने सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों को पढ़ा है।

मुझे इस आवेदन को हस्ताक्षर करने तथा प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

आवेदक द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किया जाए.....

तारीख.....

स्थान.....

**केवल कार्यालय प्रयोग हेतु**

इस ई-फार्म को स्वीकृत किया जाता है .....

इस ई-फार्म को अस्वीकृत किया जाता है .....

प्राधिकृत करने वाले अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर .....  
बीओ को प्रस्तुत करें

**प्ररूप 24**

(नियम 37 (1)(बी) देखें)

**नाम हटाने के लिए रजिस्ट्रार को आवेदन**

टिप्पणी : \*अंकित सभी को भरा जाना आज्ञापक है।

1. \*एलएलपीआईएन.....
2. \*सीमित दायित्व भागीदारी का नाम.....
3. \* रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता  
\*पंक्ति 1 .....  
\*पंक्ति 2 .....
- \*शहर ..... जिला .....
- \*राज्य ..... \*पिन कोड .....
- \*आईएसओ देश कोड ..... \*देश.....
- फोन ..... फैक्स .....
- \*ई-मेल आईडी .....

4. \*अभिहित भागीदारों के नाम और पता  
(अभिहित भागीदार 5 से अधिक होने के मामले में ऐसे अभिहित भागीदारों के ब्यौरों को एक पृथक शीट में संलग्नक के रूप में लगाए )

\*नाम.....  
 \*पता.....  
 \*पक्ति 1.....  
 \*पक्ति 2.....  
 \*शहर/नगर/गांव.....  
 जिला.....  
 \*राज्य.....  
 \*पिन कोड.....

5. \*अन्य भागीदारों के नाम और पता

\*नाम.....  
 पता.....  
 \*पक्ति 1.....  
 \*पक्ति 2.....  
 \*शहर/नगर/गांव.....  
 जिला.....  
 \*राज्य.....  
 \*पिन कोड.....

6. \*क्या अद्यतन तिथि तक के आय-कर विवरणी को फाइल किया गया है  
 हाँ..... नहीं.....
7. \*क्या सभी भागीदारों की सहमति प्राप्त की गई है  
 हाँ..... नहीं.....

8. \*आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से 30 दिन पहले की परिसंपत्तियों तथा दायित्वों के नवीनतम विवरण की प्रति संलग्न है  
 हाँ.....

#### संलग्नक

1. \*विस्तृत आवेदन की प्रति
2. आवेदन करने के लिए प्राधिकार की प्रति
3. सभी भागीदारों अथवा लेनदारों की सहमति की प्रति
4. नाम हटाने के मामले में वचन की प्रति
5. वैकल्पिक संलग्नक

## सत्यापन

मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार इस प्ररूप तथा उसके संलग्नकों में दी गई जानकारी सही तथा पूर्ण है ।

मैंने सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उपबंधों को पढ़ा है ।

मैं इस आवेदन को हस्ताक्षर करने तथा प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत हूँ ।

अभिहित भागीदार द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किया जाए.....

डीपीआईएन.....

तारीख.....

स्थान.....

उपांतरित करें  
फार्म की जाँच करें  
संवीक्षा पूर्व  
प्रस्तुत करें

केवल कार्यालय प्रयोग हेतु

प्राधिकृत करने वाले अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर .....

इस ई-फार्म को स्वीकृत किया जाता है .....

इस ई-फार्म को अस्वीकृत किया जाता है .....

प्रस्तुत किए जाने की पुष्टि करें

## प्ररूप 25

(नियम (18(3) देखें)

विदेशी एलएलपी/विदेशी कंपनी द्वारा नाम के आरक्षण/ आरक्षण के नवीकरण के लिए आवेदन

टिप्पणी : \*अंकित सभी को आज्ञापक भरा आज्ञापक है

.....आरक्षण.....आरक्षण का नवीकरण

आरक्षण का एसआरएन.....

1. \*आवेदक का नाम

आवेदक का पता

\*पंक्ति 1 .....  
 \*पंक्ति 2 .....  
 \*शहर ..... जिला .....  
 \*राज्य ..... \*पिन कोड .....  
 \*आईएसओ देश कोड .....  
 देश.....

फोन ..... फैक्स .....

ई-मेल आईडी .....

2. विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी अथवा विदेशी कंपनी का नाम.....
3. विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी अथवा विदेशी कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पता अथवा कारबार के मुख्य स्थान का पता

\*पंक्ति 1 .....

\*पंक्ति 2 .....

\*शहर ..... जिला .....

राज्य ..... \*पिन कोड .....

\*आईएसओ देश कोड ..... देश.....

फोन ..... फैक्स .....

ई-मेल आईडी .....

4. \*निगमन/ रजिस्ट्रेशन की तारीख.....( दिन/मास/वर्ष)
5. \*निगमन अथवा रजिस्ट्रीकरण सं.....
6. \*निगमन अथवा रजिस्ट्रीकरण का देश

#### संलग्नक

1. निगमन अथवा रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति
2. आवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकार की प्रमाणित प्रति
3. वैकल्पिक संलग्नक

#### सत्यापन

मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार इस प्ररूप तथा उसके संलग्नकों में दी गई जानकारी सही तथा पूर्ण है ।

मैंने सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उपबंधों को पढ़ा है ।



में इस आवेदन को हस्ताक्षर करने तथा प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत हूँ।

आवेदक द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किया जाए.....

तारीख .....

स्थान.....

उपांतरित करें  
फार्म की जाँच करें  
संवीक्षा पूर्व  
प्रस्तुत करें

### केवल कार्यालय प्रयोग हेतु

प्राधिकृत करने वाले अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर .....

इस ई-फार्म को स्वीकृत किया जाता है .....

इस ई-फार्म को अस्वीकृत किया जाता है .....

प्रस्तुत किए जाने की पुष्टि करें

### प्ररूप 26

(नियम 35(4) देखें)

### प्रतिनिधित्व का प्ररूप

.....  
(सीमित दायित्व भागीदारी का नाम)

मैं ..... उपर्युक्त नाम की सीमित दायित्व भागीदारी का भागीदार होने के कारण ..... नियुक्त करता हूँ अथवा उसके न होने पर ..... तारीख 20..... को आयोजित होने वाली सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदारों की बैठक में मेरी ओर से मतदान करने के लिए अपने प्रतिनिधि के रूप में .....

..... तारीख ..... 20..... को हस्ताक्षर किया गया

भागीदार के हस्ताक्षर.....

स्थान.....

### प्ररूप 27

(नियम 34(1) देखें)

विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा व्यौरों के रजिस्ट्रीकरण हेतु प्ररूप

टिप्पणी : \*अंकित सभी खानों को भरा जाना आवश्यक है।

1. \*भारत के बाहर निगमित तथा रजिस्ट्रीकृत सीमित दायित्व भागीदारी का नाम.....

2. \*(1) देश जहाँ सीमित दायित्व भागीदारी निगमित की गई है .....
- (2) \*उस संगत साविधि के ब्यौरे जिसके अधीन सीमित दायित्व भागीदारी को निगमित किया गया है .....
- (3) \*उस प्राधिकार के ब्यौरे जिसके अंतर्गत सीमित दायित्व भागीदारी भारत में व्यापार के स्थान को स्थापित कर रही है .....
- 3 \*भारत में कारबार के प्रधान स्थान का राज्य.....
- 4 (1) \*भारत में कारबार के प्रधान स्थान की स्थापना की .....
- (2) \*तारीख जिसको भारतीय रिजर्व बैंक का अनुमोदन प्राप्त किया गया था .....
5. भारत से बाहर निगमित अथवा रजिस्ट्रीकृत सीमित दायित्व भागीदारी के रजिस्ट्रीकृत या प्रधान कार्यालय का पूरा पता .....

\*पक्ति 1 .....

\*पक्ति 2 .....

\*शहर ..... जिला .....

\*राज्य ..... \*पिन कोड .....

\*देश.....

\*ई-मेल आईडी .....

6. \*भारत में सीमित दायित्व भागीदार के कार्यालय का पूरा पता जिसे भारत में उसके कारबार का प्रमुख स्थान माना गया है

\*पक्ति 1 .....

\*पक्ति 2 .....

\*शहर .....

\*पिन ..... \*राज्य .....

फोन ..... फैक्स .....

\*ई-मेल आईडी .....

7. \*भारत में निवास कर रहे व्यक्तियों की सूची जो सीमित दायित्व भागीदारी की ओर से प्रक्रिया के तथा अन्य चोटियों और सीमित दायित्व भागीदारी को दिए जाने वाले अन्य अपेक्षित दस्तावेजों को प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत है -

\*प्राधिकृत व्यक्तियों की संख्या.....(डाप डाउन)

प्राधिकृत व्यक्ति के ब्यौरे

1. जाय कर स्थाई खाता संख्या (पिन).....

भारत में निवास कर रहे व्यक्ति का नाम जो विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी की ओर से स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत है

\*उप नाम.....

\*उप नाम.....

\*पिता/पति का नाम.....

\*पदनाम.....

राष्ट्रीयता.....

\*जहां मूल की राष्ट्रीयता उपर्युक्त उल्लिखित राष्ट्रीयता से भिन्न है वहाँ,

\* मूल की राष्ट्रीयता.....

\*जन्म तारीख.....

अन्य (कृपया उल्लेख करें).....

यदि पहले से ही किसी भागीदारी फर्म अथवा सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदार हैं अथवा किसी कंपनी के निदेशक हैं तो निम्नलिखित को स्पष्ट करें -

भागीदारी फर्मों की संख्या जिनमें वह भागीदार है.....(डाप डाउन)

नाम.....

प्रधान कार्यालय का पता.....

सीमित दायित्व भागीदारी की संख्या जिनमें वह भागीदार है.....(डाप डाउन)

एलएलपीआईएन तथा सीमित दायित्व भागीदारी का नाम

एलएलपीआईएन.....

सीमित दायित्व भागीदारी का नाम

कंपनियों की संख्या जिनमें वह निदेशक है .....(डाप डाउन)

डीआईएन.....

कंपनी का नाम तथा सीआईएन

सीआईएन.....

कंपनी का नाम.....

स्थायी आवासीय पता

पता

\*पंक्ति 1 .....

\*पंक्ति 2 .....

\*शहर ..... \*राज्य .....

\*पिन कोड ..... \*आईएसओ देश कोड .....

\*देश.....

फोन ..... फैक्स .....

\*ई-मेल आईडी .....

क्या वर्तमान आवासीय पता औरस्थायी पता के समान है

हां.....

नहीं.....

वर्तमान आवासीय पता

पंक्ति 1 .....

पंक्ति 2 .....

शहर ..... राज्य .....

पिन कोड ..... आईएसओ देश कोड .....

फोन ..... फैक्स .....

ई-मेल आईडी .....

टिप्पणी : प्राधिकृत प्रतिनिधियों से 5 से अधिक होने की दशा में शेष प्रतिनिधियों के संबंध में ब्यौरे एक पृथक पन्ना में अनुलग्नक के रूप में संलग्न करें ।

**8. भागीदारों तथा अभिहित भागीदारों की संख्या, यदि कोई हो**

- \*भागीदारों की संख्या .....
- \*अभिहित भागीदारों की संख्या, यदि कोई हों.....
- \*भागीदारों के ब्यौरे
- वर्तमान नाम
- \*उप नाम.....
- \*उप नाम.....
- \*मध्य नाम.....

**पूर्व नाम (यदि कोई हो)**

- \*उप नाम.....
- \* उप नाम.....
- \*मध्य नाम.....

- \*पिता/पति का नाम.....
- \*राष्ट्रीयता.....
- \*जहां उत्पत्ति की राष्ट्रीयता उपर्युक्त उल्लिखित राष्ट्रीयता से भिन्न है वहाँ पर —
- \*मूल की राष्ट्रीयता.....
- \*जन्म तिथि.....
- \*कारबार/ व्यवसाय.....
- अन्य (कृपया उल्लेख करें).....
- \*क्या अभिहित भागीदार हैं
- हाँ..... नहीं.....

**सामान्य आवासीय पता**

- \*पंक्ति 1 .....
- \*पंक्ति 2 .....
- \*शहर ..... \* राज्य .....
- \*पिन कोड ..... \*आईएसओ देश कोड.....
- \*देश.....
- फोन ..... फैक्स .....
- ई-मेल आईडी .....

- \*क्या किसी निगमित निकाय के नामिती हैं
- हाँ..... नहीं.....

यदि हां,

- (1) निगमित निकाय का नाम.....

(2) निगमित निकाय के रजिस्ट्रीकृत अथवा प्रधान कार्यालय का पता  
 पंक्ति 1 .....

पंक्ति 2 .....

\*शहर ..... राज्य .....

पिन कोड ..... आईएसओ देश कोड .....

फोन ..... फैक्स .....

ई-मेल आईडी .....

टिप्पणी : भागीदारों /अभिहित भागीदारों की संख्या 5 से अधिक होने की दशा में शेष भागीदारों/अभिहित भागीदारों के संबंध में ब्यौरे एक पृथक शीट में संलग्नक के रूप में प्रस्तुत करें ।

#### संलग्नक

1. नियम 34 के उप-नियम (2) में निर्दिष्ट किए गए तरीके से प्रमाणित सीमित दायित्व भागीदारी के गठन अथवा गठन को परिभाषित करने वाले निगमन दस्तावेज या अन्य लिखित की प्रति ।
2. उस सांविधि के उद्धृत अंश जिसके अंतर्गत विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी स्थापित की गई है ।
3. उस प्राधिकार की प्रति जिसके अंतर्गत विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी भारत में व्यापार के स्थान को स्थापित कर रही है ।
4. भारत में कारबार के स्थान को स्थापित करने के लिए विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी की अनुमति देने वाले भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन की प्रति ।
5. यदि उपर्युक्त दस्तावेज अंग्रेजी में नहीं हैं तो नियम 34 के उप-नियम(5) में निर्दिष्ट किए गए तरीके से दस्तावेजों का अनूदित संस्करण ।
6. प्राधिकृत प्रतिनिधि के पक्ष में पावर आफ एटार्नी ।
7. वैकल्पिक संलग्नक ।

#### सत्यापन

मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार इस प्ररूप तथा उसके संलग्नकों में दी गई जानकारी सही तथा पूर्ण है ।

मैंने किसी विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा व्यापार के स्थान की स्थापना के संबंध में सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों को पढ़ा है ।

मैं इस प्ररूप को हस्ताक्षर करने तथा प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत हूँ ।

डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किया जाए.....

विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा -

तारीख.....

स्थान.....

उपांतरित करें  
 फार्म की जाँच करें

संवीक्षा पूर्व  
प्रस्तुत करें

**केवल कार्यालय प्रयोग हेतु**

प्राधिकार देने वाले अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर .....

इस ई-फार्म को रजिस्ट्रीकृत किया जाता है .....

प्रस्तुत किए जाने की पुष्टि करें

प्ररूप 28  
(नियम 34(3) देखें)

**निम्नलिखित में परिवर्तन**

(क) निगमन दस्तावेज अथवा अन्य लिखित जो भारत से बाहर निगमित अथवा रजिस्ट्रीकृत किसी सीमित दायित्व भागीदारी का गठन करता हो अथवा गठन को परिभाषित करता हो, अथवा

(ख) भारत से बाहर निगमित अथवा रजिस्ट्रीकृत किसी सीमित दायित्व भागीदारी का रजिस्ट्रीकृत अथवा प्रधान कार्यालय, अथवा

(ग) भारत से बाहर निगमित अथवा रजिस्ट्रीकृत किसी सीमित दायित्व भागीदारी का कोई भागीदार या अभिहित भागीदार, यदि कोई हो

टिप्पणी : \*अंकित सभी खानों को भरा जाना आज्ञापक है ।

\*भारत से बाहर निगमित अथवा रजिस्ट्रीकृत एलएलपी का नाम.....

\*देश जहाँ एलएलपी निगमित है.....

\*.....तारीख को समाप्त वित्त वर्ष

.....(विदेशी एलएलपी का नाम) जिसने भारत में कारबार के स्थान को.....पर स्थापित किया है

निम्नलिखित में परिवर्तन की सूचना देती है

(.....) निगमन दस्तावेज अथवा अन्य उपकरण जो भारत से बाहर निगमित अथवा रजिस्ट्रीकृत किसी सीमित दायित्व भागीदारी का गठन करता हो अथवा गठन को परिभाषित करता हो, अथवा

(.....) भारत से बाहर निगमित अथवा रजिस्ट्रीकृत किसी सीमित दायित्व भागीदारी का रजिस्ट्रीकृत अथवा प्रधान कार्यालय, अथवा

(.....) भारत से बाहर निगमित अथवा रजिस्ट्रीकृत किसी सीमित दायित्व भागीदारी का कोई भागीदार या अभिहित भागीदार, यदि कोई हो

(क) निगमन दस्तावेज अथवा अन्य लिखित जो भारत से बाहर निगमित अथवा रजिस्ट्रीकृत किसी सीमित दायित्व भागीदारी का गठन करता हो अथवा गठन को परिभाषित करता हो, अथवा

परिवर्तन का एक संक्षिप्त ब्यौरा नीचे दिए अनुसार है -

एलएलपी द्वारा.....को लिए गए निर्णय के अनुसार श्री..... को इस परिवर्तन को रजिस्ट्रार के पास फाइल करने के लिए प्राधिकृत किया गया था ।

(निर्णय और /अथवा संशोधित दस्तावेज की प्रमाणित प्रति संलग्न की जानी चाहिए । यदि निर्णय अंग्रेजी में नहीं है तो उसका एक प्रमाणित अनुवाद संलग्न किया जाना चाहिए ।)

(ख) भारत से बाहर निगमित अथवा रजिस्ट्रीकृत किसी सीमित दायित्व भागीदारी का रजिस्ट्रीकृत अथवा प्रधान कार्यालय, अथवा

(1) निगमन के देश में एलएलपी का रजिस्ट्रीकृत/प्रधान कार्यालय ..... से स्थानांतरित हुआ है

(2) नया पता निम्नानुसार है -

पंक्ति 1 .....

पंक्ति 2 .....

शहर ..... राज्य .....

पिन कोड ..... आईएसओ देश कोड .....

देश.....

फोन ..... फैक्स .....

ई-मेल आईडी .....

(ग) भारत से बाहर निगमित अथवा रजिस्ट्रीकृत किसी सीमित दायित्व भागीदारी का कोई भागीदार या अभिहित भागीदार, यदि कोई हो

(1) एलएलपी का भागीदार /अभिहित भागीदार (यदि व्यक्ति हो तो)

पूरा नाम तथा उप नाम	सामान्य आवासीय पता, ई-मेल आईडी	राष्ट्रीयता	कारबार/ व्यवसाय अथवा यदि कोई कारबार/व्यवसाय नहीं है तो धारित अन्य भागीदार/निदेशक पद के ब्यारे, यदि कोई हों	परिवर्तन के संबंध में टिप्पणी

(2) एलएलपी का भागीदार /अभिहित भागीदार (यदि निगमित निकाय हो तो)

निगमित निकाय का नाम	निगमित निकाय का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय अथवा	निगमित निकाय के निदेशकों/ भागीदारों के नाम	परिवर्तन के संबंध में टिप्पणी

	प्रधान कार्यालय	प्रत्येक निदेशक अथवा भागीदार का पूरा नाम तथा पता	प्रत्येक निदेशक अथवा भागीदार की राष्ट्रीयता और उत्पत्ति की राष्ट्रीयता यदि वह वर्तमान राष्ट्रीयता से भिन्न है तो	
--	-----------------	--	--	--

**संलग्नक -**

1. निर्णय अथवा अन्य दस्तावेज की प्रति जिसके माध्यम से परिवर्तन किया गया है ।
2. यदि उपर्युक्त दस्तावेज अंग्रेजी में नहीं है तो नियम 34 के उप-नियम(5) में निर्दिष्ट तरीके से प्रमाणित किया गया दस्तावेजों का अनुवादित संस्करण ।
3. प्राधिकृत प्रतिनिधि के पक्ष में मुख्तारनामा ।
4. वैकल्पिक संलग्नक ।

**सत्यापन**

मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार इस प्ररूप तथा उसके संलग्नकों में दी गई जानकारी सही तथा पूर्ण है ।

मैंने किसी विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा कारबार के स्थापन की स्थापना के संबंध में सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों को पढ़ा है ।

मैं इस प्ररूप को हस्ताक्षर करने तथा प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत हूँ ।

डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किया जाए.....  
विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा -

तारीख.....

स्थान.....

उपांतरित करें  
फार्म की जाँच करें  
सदीक्षा पूर्ण  
प्रस्तुत करें

**केवल कार्यालय प्रयोग हेतु**

प्राधिकृत करने वाले अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर .....

इस ई-फार्म को रजिस्ट्रीकृत किया जाता है .....

प्रस्तुत किए जाने की पुष्टि करें



प्ररूप 29  
(नियम 34(3) तथा (8) देखें)

(क) भारत से बाहर निगमित अथवा रजिस्ट्रीकृत किसी सीमित दायित्व भागीदारी के निगमन अथवा रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र में परिवर्तन

(ख) भारत में किसी विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी की ओर से सेवा को स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत व्यक्तियों के नाम अथवा पते में परिवर्तन,

(ग) भारत में विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी के कारबार के प्रधान स्थान में परिवर्तन,

(घ) भारत में कारबार के स्थान की समाप्ति

टिप्पणी : \*अंकित सभी को भरा जाना आवश्यक है ।

\* विदेशी एलएलपी का नाम .....

\* एफएलएलपीआईएन .....

\*देश जहाँ विदेशी एलएलपी निगमित है.....

उपर्युक्त उल्लिखित विदेशी एलएलपी जिसने भारत में कारबार के स्थान को.....पर स्थापित किया है निम्नलिखित में परिवर्तन की सूचना देती है

(.....) भारत से बाहर निगमित अथवा रजिस्ट्रीकृत किसी सीमित दायित्व भागीदारी के निगमन अथवा रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र में परिवर्तन

(.....) भारत में किसी विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी की ओर से सेवा को स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत व्यक्तियों के नाम अथवा पते में परिवर्तन,

(.....) भारत में विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी के व्यापार के प्रधान स्थान में परिवर्तन,

(.....) भारत में व्यापार के स्थान की समाप्ति

(क) भारत से बाहर निगमित अथवा रजिस्ट्रीकृत किसी सीमित दायित्व भागीदारी के निगमन अथवा रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र में परिवर्तन

\*परिवर्तन का एक संक्षिप्त ब्यौर नीचे दिया गया है -

परिवर्तन की तिथि.....

(ख) भारत में किसी विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी की ओर से सेवा को स्वीकार करने के लिए प्राधिकृत व्यक्तियों के नाम अथवा पते में परिवर्तन,

(1)

वर्तमान पूरा नाम तथा उप नाम	सामान्य आवासीय पता	परिवर्तन के संबंध में टिप्पणियाँ (तारीख दे)

(2) परिवर्तन की तिथि .....

(ग) भारत में विदेशी सीमित दायित्व सागीदारी के कारबार के प्रधान स्थान में परिवर्तन,  
(1) भारत में कारबार का प्रमुख स्थान ..... से स्थानांतरित हुआ है ।

(2) परिवर्तन की तारीख .....

(3) बदला हुआ पता निम्नानुसार है —

पंक्ति 1 .....

पंक्ति 2 .....

शहर ..... राज्य .....

पिन कोड ..... आईएसओ देश कोड .....

देश.....

फोन ..... फैक्स .....

ई-मेल आईडी .....

(घ) (1) यह कि यह भारत में निम्नलिखित स्थानों पर अपने कारबार के स्थान को बंद करना चाहती है

पंक्ति 1 .....

पंक्ति 2 .....

शहर ..... राज्य .....

पिन कोड ..... आईएसओ देश कोड .....

देश.....

फोन ..... फैक्स .....

ई-मेल आईडी .....

(2) बन्द करने के आशय वाली तारीख .....

(3) यह कि एलएलपी भारत में किसी अन्य स्थान पर अपने कारबार के स्थान को नहीं बनाए रखी है ।

(4) यह कि एलएलपी ने फाइलिंग हेतु देय सभी दस्तावेजों को रजिस्ट्रार के पास फाइल कर दिया है ।

संलग्नक —

1. निर्णय अथवा अन्य दस्तावेज की प्रति जिससे माध्यम से परिवर्तन किया गया है ।
2. विदेशी सीमित दायित्व सागीदारी के भारत में कार्यालय की स्थापना के स्थान को समाप्त किए जाने हेतु भारतीय निवेश बैंक के अनुमोदन की प्रति ।
3. प्राधिकृत प्रतिनिधि के पक्ष में मुद्रांकनामा ।
4. वैकल्पिक संलग्नक ।

**प्रमाणीकरण**

मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार इस प्ररूप तथा उसके संलग्नकों में दी गई जानकारी सही तथा पूर्ण है।

मैंने किसी विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा व्यापार के स्थान की स्थापना के संबंध में सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों को पढ़ा है।

मैं इस प्ररूप को हस्ताक्षर करने तथा प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत हूँ।

डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किया जाए.....  
विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा -

तारीख.....

स्थान.....

उपांतरित करें  
फार्म की जाँच करें  
संवीक्षा पूर्व  
प्रस्तुत करें

**केवल कार्यालय प्रयोग हेतु**

प्राधिकृत करने वाले अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर .....

इस ई-फार्म को रजिस्ट्रीकृत किया जाता है .....

प्रस्तुत किए जाने की पुष्टि करें

**प्ररूप 30**  
(नियम 34(10) देखें)

**भारत में कारबार के स्थान की स्थापना हेतु प्रमाण पत्र**

विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी रजिस्ट्रीकरण संख्या .....

वर्ष .....

मैं प्रमाणित करता हूँ कि मूल रूप से .....में निगमित एक सीमित भागीदारी दायित्व द्वारा .....से .....के माध्यम से भारत में .....पर कारबार के स्थान की स्थापना की सूचना देने हेतु सीमित दायित्व भागीदारी नियम, 2009 के नियम 34 के अनुसारण में, तारीख .....को फाइल प्ररूप संख्या 27 को रजिस्ट्रीकृत कर लिया गया है।

मेरे हस्ताक्षर से .....पर आज .....तारीख माह .....दो हजार .....वर्ष को दिया गया।

रजिस्ट्रार

मुहर/-

**प्ररूप 31**  
(नियम 41(1) देखें)

**अधिनियम के अंतर्गत किसी अपराध का करने प्रशमन हेतु आवेदन**

टिप्पणी : \*अंकित सभी को भरा जाना आवश्यक है ।

1. \*एलएलपीआईएन.....
2. \*सीमित दायित्व भागीदारी का नाम.....
3. रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता
  - \*पक्ति 1 .....
  - \*पक्ति 2 .....
  - \*शहर ..... जिला .....
  - \*राज्य ..... \*पिन कोड .....
  - \*आईएसओ देश कोड ..... \* देश.....
  - फोन ..... फैक्स .....
  - \*ई-मेल आईडी .....
4. \*अपराध का प्रशमन करवाने की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों का नाम तथा पता  
( 5 से अधिक व्यक्ति होने के मामले में ऐसे व्यक्तियों के ब्यौरों को एक पृथक पन्ना में संलग्नक के रूप में लगाएं )
  - \*नाम.....
  - \*पता.....
  - \*पक्ति 1 .....
  - \*पक्ति 2 .....
  - \*शहर/नगर/गांव .....
  - जिला .....
  - \*राज्य .....
  - \*पिन कोड .....
5. उन व्यक्तियों के नाम तथा पते जिन्हें कारण बताओं नोटिस प्राप्त हुआ है, यदि कोई हों ।  
( 5 से अधिक व्यक्ति होने के मामले में ऐसे व्यक्तियों के ब्यौरों को एक पृथक शीट में संलग्नक के रूप में लगाएं )

नाम.....

पता.....

पंक्ति 1 .....

पंक्ति 2 .....

शहर/नगर/गांव .....

जिला .....

राज्य .....

पिन कोड .....

6. \*(1) कृपया अधिनियम की उस धारा को उपदर्शित करें जिसके अधीन अपराध किया गया है .....

\*(2) अधिनियम के सुसंगत दंडिक उपबंधों को उपदर्शित करें.....

7. क्या आवेदन की तिथि को अपराध को सुधार कर लिया गया है, यदि लागू हो  
हों..... नहीं .....

यदि हाँ, तो त्रुटि को ठीक करने की तारीख .....

8. आस्तियों तथा दायित्वों के नवीनतम विवरण की प्रति संलग्न है  
हाँ.....**संलग्नक**

1. \*विस्तृत आवेदन की प्रति
2. एलएलपी की ओर से आवेदन करने के लिए प्राधिकार की प्रति
3. अन्य व्यक्तियों की ओर से आवेदन करने के लिए प्राधिकार की प्रति
4. वैकल्पिक संलग्नक

**सत्यापन**

मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार इस प्ररूप तथा उसके संलग्नकों में दी गई जानकारी सही तथा पूर्ण है ।

मैंने सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों को पढ़ा है ।

मैं इस प्ररूप को हस्ताक्षर करने तथा प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत हूँ .....(व्यक्तियों के नाम जिनकी ओर से आवेदन किया जा रहा है)

अभिहित भागीदार अथवा प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षर किया जाए.....

डीपीआईएन.....

तारीख....

स्थान.....

उपांतरित करें  
फार्म की जाँच करें  
संवीक्षा पूर्व  
प्रस्तुत करें

केवल कार्यालय प्रयोग हेतु

प्राधिकृत करने वाले अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर .....

इस ई-फार्म को स्वीकृत किया जाता है .....

इस ई-फार्म को अस्वीकृत किया जाता है .....

प्रस्तुत किए जाने की पुष्टि करें

उपाबंध 'क'

1. फर्म अथवा प्राइवेट कंपनी अथवा गैर सूचीबद्ध कंपनी को सीमित दायित्व भागीदारी में परिवर्तित करने सहित सीमित दायित्व भागीदार के रजिस्ट्रीकरण के लिए :

(क)	सीमित दायित्व भागीदारी जिसका अभिदाय 1 लाख रुपए से अधिक नहीं है	500/-रुपए
(ख)	सीमित दायित्व भागीदारी जिसका अभिदाय 1 लाख रुपए से अधिक है किन्तु 5 लाख रुपए से अधिक नहीं है	2000/-रुपए
(ग)	सीमित दायित्व भागीदारी जिसका अभिदाय 5 लाख रुपए से अधिक है किन्तु 10 लाख रुपए से अधिक नहीं है	4000/-रुपए
(घ)	सीमित दायित्व भागीदारी जिसका अभिदाय 10 लाख रुपए से अधिक है	5000/-रुपए

2. अभिदाय के डूझे हुए स्लैब पर देय शुल्क तथा अभिदाय के पूर्ववर्ती स्लैब पर दी गयी शुल्क के बीच अंतर का भुगतान प्ररूप 3 के माध्यम से किया जाएगा।

3. किसी फर्म अथवा किसी निजी कंपनी अथवा किसी गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी के इस अधिनियम अथवा इन नियमों द्वारा एलएलपी में परिवर्तन हेतु किसी दस्तावेज, प्ररूप, विवरण, नोटिस, लेखा तथा ऋण-शोध क्षमता के विवरण और वार्षिक विवरणी को फाइल, रजिस्टर अथवा रिकार्ड करने के लिए एक आवेदन तथा उसके साथ एक विवरण को इन नियमों द्वारा दायर, रजिस्ट्रीकृत अथवा दर्ज किया जाना अपेक्षित या प्राधिकृत होगा।

(क)	सीमित दायित्व भागीदारी जिसका अभिदाय 1 लाख रुपए से अधिक नहीं है	50/-रुपए
(ख)	सीमित दायित्व भागीदारी जिसका अभिदाय 1 लाख रुपए से अधिक है किन्तु 5 लाख रुपए से अधिक नहीं है	100/-रुपए
(ग)	सीमित दायित्व भागीदारी जिसका अभिदाय 5 लाख रुपए से अधिक है किन्तु 10 लाख रुपए से अधिक नहीं है	150/-रुपए
(घ)	सीमित दायित्व भागीदारी जिसका अभिदाय 10 लाख रुपए से अधिक है	200/-रुपए

4. किसी फर्म अथवा निजी कंपनी अथवा गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी के एलएलपी में परिवर्तन हेतु आवेदन के अतिरिक्त किसी अन्य आवेदन हेतु शुल्क निम्नानुसार होगा -
- (क) धारा 18 के अधीन नाम के आरक्षण के लिए आवेदन 200/-रुपए
- (ख) धारा 18 के अधीन नाम परिवर्तन के लिए आवेदन 10000/-रुपए
- (ग) नियम 18(3) के अधीन नाम के आरक्षण के लिए आवेदन 10000/-रुपए
- (घ) नियम 18(3) के अधीन नाम के नवीकरण के लिए आवेदन 5000/-रुपए
- (ङ) नियम 10(5) के अ अधीन डीपीआईएन प्राप्त करने के लिए आवेदन 100/-रुपए
5. दस्तावेज के निरीक्षण अथवा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए शुल्क निम्नानुसार होगा :
- (क) धारा 36 के अधीन किसी एलएलपी के दस्तावेजों की जाँच हेतु 50/-रुपए
- (ख) धारा 36 के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाणित किसी दस्तावेज की प्रति अथवा उद्धृत अंश 5/-रुपए प्रति पृष्ठ अथवा उसका भिन्नात्म भाग
6. विदेशी सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा किसी फर्म अथवा लेखे तथा शोधन-क्षमता के विवरण अथवा किसी नोटिस या किसी दस्तावेज को फाइल करने हेतु फीस -
- (क) नियम 34(1) के अधीन किसी दस्तावेज को फाइल करने के लिए 5000/-रुपए
- (ख) कोई अन्य प्ररूप अथवा लेखे तथा शोधन क्षमता का विवरण अथवा नोटिस या दस्तावेज 1000/- रुपए

उपाबंध 'ख'

सं. (1)	दस्तावेज का नाम (2)	संरक्षण की अवधि (3)
1	निगमन दस्तावेज (धारा 11(1)(ख))	स्थायी
2	रजिस्ट्रीकृत कार्यालय की स्थिति की सूचना (धारा 13)	स्थायी
3	सीमित दायित्व भागीदारी करार अथवा उसमें किए गए परिवर्तनों के संबंध में (धारा 23(2))	स्थायी
4	किसी सीमित दायित्व भागीदारी का अन्य पता जिस पर दस्तावेजों को भेजा जाएगा (धारा 13)(2)	स्थायी

उपाबंध 'ग'

सं. (1)	दस्तावेज का नाम (2)	संरक्षण की अवधि (3)
1	किसी अधिवक्ता अथवा कंपनी सचिव अथवा पूर्णकालिक प्रैक्टिस वाले चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अथवा लागत एकाउन्टेन्ट द्वारा और किसी व्यक्ति,	5 वर्ष

	जिसने निगमन दस्तावेज में अपना डालता हो, द्वारा अधिनियम की आवश्यकताओं के अनुपालन की घोषणा (धारा 11(1)(ग))	
2	भागीदारी समाप्त करने वाले व्यक्ति का नोटिस और भागीदार के नाम अथवा पते में परिवर्तन	5 वर्ष
3	पत्राचार के साथ-साथ धारा 75 के अधीन हटाई गई एलएलपी से संबंधित रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज अथवा रजिस्टर में एलएलपी को वापिस शामिल किए जाने के आदेश की प्रति	5 वर्ष
4	सीमित दायित्व भागीदारी का वार्षिक विवरणी	5 वर्ष
5	अभिहित भागीदार के रूप में कार्य करने के लिए अभ्यर्थी की रजिस्ट्रार के पास फाइल की गई सहमति (धारा 7(4))	5 वर्ष
6	भागीदार के रूप में कार्य करने की सहमति	5 वर्ष
7	कंपनी को सीमित दायित्व भागीदारी में परिवर्तित करने के लिए आवेदन सहित फर्म के विवरण शामिल होने वाला सभी भागीदारों का विवरण	5 वर्ष
8	निजी कंपनी/गैर सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी को सीमित दायित्व भागीदारी में परिवर्तित करने के लिए आवेदन सहित उसके ब्यौरे वाले सभी शेयरधारकों का विवरण	5 वर्ष
9	धारा 60/61/62 के अंतर्गत अधिकरण के आदेशों की प्रमाणित प्रति	5 वर्ष
10	अधिकरण द्वारा एलएलपी के विघटन के आदेश की प्रति (धारा 63)	5 वर्ष
11.	लेखे तथा शोधन-क्षमता का विवरण	8 वर्ष

उपाबंध 'घ'

**सीमित दायित्व भागीदारी से संबंधित दस्तावेजों का ब्यौरा**

भाग --I

सीमित दायित्व भागीदारी का नाम	अधिनियम जिसके अंतर्गत रजिस्ट्रीकृत किया गया	तारीख, जब अंततः विघटित अथवा समाप्त या हटाई गई	नष्ट किए गए दस्तावेजों का विवरण	टिप्पणियों सहित विखंडन की तारीख और पद्धति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

**भाग -1 में निर्दिष्ट किए गए के अतिरिक्त दस्तावेजों के ब्यौरे**

भाग --II

नष्ट किए गए दस्तावेजों की फाइलों की सं.	विषय जिससे दस्तावेज निर्दिष्ट करना है	नष्ट किए दस्तावेजों का विवरण	टिप्पणियों सहित विखंडन की तारीख और पद्धति
(1)	(2)	(3)	(4)

[फा. सं. 2/10/2008-सीएल-V]

जितेश खोसला, संयुक्त सचिव



**MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st April, 2009

**G.S.R. 229(E).**- In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of Section 79 of the Limited Liability Partnership Act, 2008 (6 of 2009), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

**CHAPTER I**  
**PRELIMINARY**

**1. Short title and commencement.**

- (1) These rules may be called the Limited Liability Partnership Rules, 2009.
- (2) (a) Rules 1 to 31, rules 34 to 37 and rule 41 of these rules shall come into force on the 1<sup>st</sup> day of April, 2009;
- (b) rules 32 and 33, and rules 38 to 40 of these rules shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.

**2. Definitions.**

- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-
  - (i) "Act" means the Limited Liability Partnership Act, 2008 (6 of 2009);
  - (ii) "Annexure" means Annexure to these rules;
  - (iii) "Certifying Authority" means a person who has been granted a license to issue a Digital Signature Certificate under section 24 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000);
  - (iv) "Designated Partner Identification Number" (DPIN) means an identification number which the Central Government may allot to any individual or nominee of a body corporate, intending to be appointed as designated partner of a limited liability partnership (LLP), for the purpose of his identification as such.

- (v) “digital signature” means authentication of any electronic record by a subscriber by means of an electronic method or procedure in accordance with the provisions of section 3 of the Information Technology Act, 2000;
- (vi) “Digital Signature Certificate” means a Digital Signature Certificate issued under sub-section (4) of section 35 of the Information Technology Act, 2000;
- (vii) “electronic record” means electronic record as defined under clause (t) of section 2 of the Information Technology Act, 2000;
- (viii) “electronic registry” means an electronic repository or storage system in which the information or documents are received, stored, protected and preserved in electronic form;
- (ix) “Electronic mail (E-mail)” means message sent, received or forwarded in digital form via a computer-based communication mechanism;
- (x) ‘Officer’ includes any partner, designated partner, employee of the LLP, any person in accordance with whose directions or instructions the partners of the LLP have been accustomed to act and any person authorized to accept any service on behalf of a foreign Limited Liability Partnership and partners of such foreign Limited Liability Partnership;
- (xi) “Pre-fill” means the automated process of data input by the computer system from the database maintained in electronic registry;
- (xii) “Provisional Designated Partner Identification Number” refers to the provisional identification number generated by the electronic system setup by the Ministry of Corporate Affairs;
- (xiii) “Registrar” means a Registrar as defined under clause (s) of sub-section (1) of section 2 of the Act;
- (xiv) “Registrar’s Front Office” means an office maintained by the Central Government or an agency

authorized by it to facilitate e-filing of documents into the electronic registry and their inspection and viewing;

(xv) 'section' means section of the Act;

(xvi) "website" means a location connected to the internet that maintains one or more web pages;

(2) Words and expressions used in these rules and not defined shall have the meaning respectively assigned to them in the Limited Liability Partnership Act, 2008 (6 of 2009) and the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000).

### **3. Forms.**

- (1) Every LLP shall use the forms annexed to these rules for the purposes of the Act.
- (2) Every LLP shall specify therein its limited liability partnership identification number (LLPIN).

### **4. Authentication of electronic forms.**

The electronic form shall be authenticated by authorized signatories using digital signatures, as defined under the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000).

### **5. Fees.**

- (1) The fees payable in pursuance of the various provisions of the Act and these rules shall be as mentioned in Annexure 'A'.
- (2) The fees payable in pursuance of the Act or any rule made or notification issued thereunder shall be paid into the Public Account of India:

Provided that the fees payable to the Registrar may be paid also through postal orders (where the amount involved does not exceed fifty rupees) or through bank drafts payable at and/or drawn on post offices or banks, as the case may be, located at the same city or town where the office of the Registrar is situated:

Provided further that, where a fee payable to the Registrar is paid through postal orders or bank drafts as aforesaid, it shall not be deemed to have been paid unless and until the relevant postal orders or drafts are cashed and the amount credited:

Provided also that, where application is filed through electronic media or through any other computer readable media, the user may choose any one of the following payment options namely, (i) Credit Card; or (ii) Internet Banking; or (iii) Remittance at the Bank Counter; or (iv) any other mode as approved by the Central Government.

6. The manner and conditions of filing, recording or registering of documents, forms, notices, statements, returns etc., shall be as laid down in Chapter XIII of these rules.

## CHAPTER II

### NATURE OF LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP

7. For the purposes of sub-section (3) of section 7, an individual shall give his prior consent to act as a designated partner to the limited liability partnership in **Form 9**.
8. For the purposes of sub-section (4) of section 7, the particulars of an individual who has given his consent to act as designated partner shall be filed in **Form 4** along with fee as mentioned in Annexure 'A'.
9. (1) A person shall not be capable of being appointed as a designated partner of a limited liability partnership, if he –
  - (a) has at any time within the preceding five years been adjudged insolvent; or

(b) suspends, or has at any time within the preceding five years suspended payment to his creditors and has not at any time within the preceding five years made, a composition with them; or

(c) has been convicted by a Court for any offence involving moral turpitude and sentenced in respect thereof to imprisonment for not less than six months; or

(d) has been convicted by a Court for an offence involving section 30 of the Act.

- (2) The Central Government may, by notification in the Official Gazette, remove the disqualification incurred by any person by virtue of clauses (a) or (b) of sub-rule (1), either generally or in relation to any limited liability partnership or limited liability partnerships specified in the notification.

### CHAPTER III

#### DESIGNATED PARTNER'S IDENTIFICATION NUMBER

- 10(1) Every individual or nominee of a body corporate, who is intending to be appointed as designated partner of a limited liability partnership shall make an application electronically in **Form 7** to the Central Government for obtaining Designated Partner Identification Number (DPIN).
- (2) The Central Government shall provide an electronic system to facilitate submission of application for the allotment of DPIN through a portal on the website of the Ministry of Corporate Affairs.
- (3) The applicant shall access the **Form 7** from the portal, fill-in the required particulars sought therein and use 'submit' function provided therein upon which the system will electronically generate and indicate in the space provided a Provisional DPIN.
- (4) A provisional DPIN generated online under sub-rule (3) by the applicant will remain valid for a period of sixty days from the date on which it was generated.

- (5) (i) The applicant shall, after the allotment of provisional DPIN, submit an application to the Central Government along with the fee as mentioned in Annexure 'A' for the allotment of regular DPIN within sixty days from the date on which provisional DPIN was generated on-line, failing which the provisional DPIN will lapse.
- (ii) For making an application under sub-rule (i), the applicant shall take a print out of **Form 7**, affix his photograph in the space provided in that Form, enclose true copies of the proof of identity and proof of residence and physically sign the form at the place specified therein. The photograph and the proof of identity and residence shall be certified by any one of the following authorities:-
- (a) Gazetted Officer of the Central or State Government,
  - (b) Notary Public,
  - (c) Chartered Accountant, Cost Accountant or Company Secretary holding a certificate of practice under the Chartered Accountants Act, 1949, the Cost and Works Accountants Act, 1959 and the Company Secretaries Act, 1980 respectively.
- (6) The Central Government shall process the applications received for allotment of DPIN under sub-rule (5), decide on such application and communicate approval along with the DPIN allotted or rejection thereof to the applicant by way of a letter by post or electronically or in any other mode, within a period of one month from the receipt of such application:
- (7) The DPIN so allotted is valid for the life time of such applicant and shall not be allotted to any other person in any case.
- (8) Every designated partner shall intimate his consent to become a designated partner to the limited liability partnership and DPIN in **Form 9** and the LLP shall intimate such DPIN to Registrar in **Form 4**.
- (9) (a) (i) Every designated partner, who has been allotted a DPIN under these rules shall, in the event of any change in his particulars as stated in **Form 7** under sub-rule (5), intimate such change(s) to the Central Government within a period of 30 days of such change(s) in **Form 10**:

- (ii) The concerned designated partner shall also intimate such changes to the limited liability partnership or limited liability partnership(s) on which he is a designated partner within 30 days of such changes.
- (b) The designated partners shall fill-in the relevant change(s) in prescribed **Form 10**, enclose a copy of the proof of the changed particulars duly certified in the manner specified in clause (ii) of sub-rule (5), affix signature at the place specified, and file the same to the Central Government. There shall be no fee for intimating the changes in particulars in **Form 10**.
- (10) The Central Government, after being satisfied, through verification of such changed particulars from the enclosed copy of proof, shall incorporate the said change and inform the designated partner by way of a letter issued by post or electronically or in any other mode confirming the effect of such change in the electronic database maintained by the Ministry of Corporate Affairs.

#### CHAPTER IV

#### INCORPORATION OF LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP

11. For the purposes of section 11, the incorporation document shall be filed in **Form 2** with the Registrar having jurisdiction over the State in which the registered office of the limited liability partnership is to be situated alongwith the fee as provided in Annexure 'A'.
12. In case of foreign nationals residing outside India in countries signatory to the Hague Apostile Convention, 1961 and seeking to register a LLP in India, their signatures and address on the incorporation documents and proof of identity, where required, shall be notarized before the notary of the country of their origin and be duly apostillised in accordance with the said Hague Convention.
13. The statement to be filed along with the incorporation document under clause (c) of sub-section (1) of section 11 shall be in the format provided in Part B of **Form 2**.

14. (1) In the office of Registrar there shall be maintained a Register of LLPs in which the names of LLPs shall be entered in the order in which they are registered.
- (2) Every LLP so registered shall be assigned a LLP identification number (LLPIN) in one consecutive series.
- 15(1) A document can be served on a limited liability partnership or a partner or designated partner thereof through the following other modes-
- (i) electronic transmission;
  - (ii) courier
- (2) For the purposes of this rule,
- (i) "electronic transmission" means a communication -
    - (a) delivered by -
      - (A) facsimile telecommunication or electronic mail when directed to the facsimile number or electronic mail address, respectively, which the partnership or the partner or the designated partner has provided from time to time for sending communications to the partnership or the partner or the designated partner respectively;
      - (B) posting on an electronic message board or network that the partnership or the partner or the designated partner has designated for those communications, and which transmission shall be validly delivered upon the posting, or
      - (C) other means of electronic communication
- as to which the LLP or the partner or the designated partner has placed in effect reasonable measures to verify that the sender is the person purporting to send the transmission, and
- (b) that creates a record that is capable of retention, retrieval and review, and that may thereafter be rendered into clearly legible tangible form.



(ii) Courier means a document sent through a courier which provides the proof of delivery.

16. (1) A limited liability partnership shall give an address for service of documents within the jurisdiction of the Registrar where its registered office is situate. Such address shall include the postal code and e-mail address.

(2) The limited liability partnership, may, in addition to the registered office address, declare any other address as its address for service of documents, under sub-section (2) of section 13, in the manner as laid down in the limited liability partnership agreement. Where the limited liability partnership agreement does not provide for such manner, consent of all partners shall be required for declaring any other address as the address for service of documents.

(3) The intimation of other address for service of documents to LLP shall be given to the Registrar in **Form 12**, within thirty days of complying with the requirements of sub-rule (2) above along with the fee as mentioned in Annexure 'A'.

(4) The effective date for the service of documents to LLP at the other address declared by the LLP cannot be prior to the date of filing of document under sub rule (3).

(1) The limited liability partnership may change its registered office from one place to another by following the procedure as laid down in the limited liability partnership agreement. Where the limited liability partnership agreement does not provide for such procedure, consent of all partners shall be required for changing the place of registered office of limited liability partnership to another place:

Provided that where the change in place of registered office is from one State to another State, the limited liability partnership having secured creditors shall also obtain consent of such secured creditors.

(2) For the purposes of sub-section (3) of section 13, notice of change of place of registered office shall be given to Registrar in **Form 15**, within 30 days of complying with the requirements of sub-rule (1), in case of change of

registered office within the same state, and within 30 days of complying with sub-rule (4) in case of change of registered office from one state to another state, along with fee mentioned in Annexure 'A'.

- (3) Where there is any conviction, ruling, order or judgment of any Court, tribunal or other authority against the limited liability partnership, the particulars of such prosecutions initiated against or show cause notices received by the limited liability partnership for the alleged offences under the LLP Act shall be stated in the notice of change of place of registered office to be filed with the Registrar.
- (4) Where the change in place of registered office is from one state to another state, the limited liability partnership shall publish a general notice, not less than 21 days before filing any notice with Registrar, in a daily newspaper published in English and in the principal language of the district in which the registered office of the limited liability partnership is situated and circulating in that district giving notice of change of registered office.
- (5) Where the change in place of registered office is from one place to another place within the state from the jurisdiction of one Registrar to the jurisdiction of another Registrar or from one state to another state, the limited liability partnership shall file the notice in **Form 15** with the Registrar from where the limited liability partnership proposes to shift its registered office with a copy thereof for the information to the Registrar under whose jurisdiction the registered office is proposed to be shifted.

18 (1) The name of the limited liability partnership shall not be one prohibited under the Emblems and Names (Prevention of Improper Use) Act, 1950.

- (2) A name shall not generally be reserved, if -
  - (i) it includes any word or words which are offensive to any section of the people;
  - (ii) the proposed name is the exact Hindi or English translation of the name of an existing limited liability partnership in English or Hindi, as the case may be;

- (iii) the proposed name has a close phonetic resemblance to the name of a LLP in existence, for example, J.K. LLP., Jay Kay LLP;
- (iv) it includes the word Co-operative, Sahakari or the equivalent of word 'co-operative' in the regional languages of the country;
- (v) it connotes the participation or patronage of the Central or State Government, unless circumstances justify to, e.g., a name may be deemed undesirable in certain context if it includes any of the words such as National, Union, Central, Federal, Republic, President, Rashtrapati, etc;
- (vi) the proposed name contains the words 'British India';
- (vii) the proposed name implies association or connection with any Embassy or Consulate or of a foreign government which suggests connection with local authorities such as Municipal, Panchayat, Zila Parishad or any other body connected with the Union or State Government;
- (viii) the proposed name is vague like D.I.M.O. Limited liability partnership or I.V.N.R. Limited liability partnership or S.S.R.P Limited liability partnership;
- (ix) it is different from the name or names of the existing limited liability partnership only to the extent of having the name of a place within brackets before the word 'limited liability partnership', for example, Indian Press (Delhi) LLP should not be allowed in view of the existence of the LLP named Indian Press LLP;
- (x) it includes name of registered Trade mark, unless the consent of the owner of the trade mark has been produced;
- (xi) the proposed name is identical with or too nearly resembles the name of a firm or LLP or company incorporated outside India and reserved by such firm, LLP or company with the registrar in accordance with these rules;
- (xii) it is identical with or too nearly resembles the name of the limited liability partnership or a company in

- liquidation or it is identical with or too nearly resembles names of the LLP or a company which is struck off, up to the period of 5 years;
- (xiii) it includes words like 'Bank', 'Insurance' and 'Banking', 'Venture capital' or 'mutual fund' or such similar names without the approval of the regulatory authority;
  - (xiv) it is intended or likely to produce a misleading impression regarding the scope or scale of its activities which would be beyond the resources at its disposal;
  - (xv) the proposed name includes words like French, British, German etc., unless the partners satisfy that there is some form of collaboration and connection with the foreigners of that particular country or place, the name of which is incorporated in the name;
  - (xvi) the proposed name of limited liability partnership includes the words company secretary, chartered accountant, advocates or such similar words as indicative of a profession, as part of the proposed name, the same shall be allowed only after obtaining approval from the Council governing such profession or such authority as may be nominated by the Central Government, in this behalf.
- (3) A foreign LLP or a foreign company may on payment of fee as mentioned in Annexure 'A', apply in **Form 25** to the Registrar for reserving its existing name by which it is registered in the country of its regulation or incorporation:
- Provided that such reservation shall be valid for three years but may be renewed on a fresh application along with payment of fee as provided in Annexure 'A'.
- (4) An application for reservation of name with which the proposed limited liability partnership is to be registered or for change of name, as the case may be, shall be made to the Registrar having jurisdiction where the registered office of the limited liability partnership is to be situate.

- (5) Every such application shall be in **Form 1** and be accompanied by fee as mentioned in Annexure 'A' and the Registrar shall inform to the applicant for reservation or non reservation of the changed name or the name with which the proposed LLP is to be registered ordinarily within seven days of the receipt of application.
- (6) Where the Registrar informs applicant about reservation of name with which the LLP is to be registered or changed name, as the case may be, such name shall be available for reservation for a period of three months from the date of intimation by the Registrar.
- 19 (1) A limited liability partnership or a body corporate or any other entity which already has a name which is similar to or which too nearly resembles the name of a limited liability partnership incorporated subsequently, may apply to the Registrar in **Form 23** to give a direction to that limited liability partnership incorporated subsequently to change its name.
- (2) The application under sub-rule (1) shall state -
- (i) the LLPIN of limited liability partnership, or the CIN of the company or the registration number of the other entity as the case may be;
  - (ii) the name with which the limited liability partnership or the company or any other entity was incorporated or registered;
  - (iii) the grounds of objection to the name of the limited liability partnership incorporated subsequently.
- (3) The application shall be verified by the person making it.
- (4) The person making the application shall attach -
- (a) the authority under which he is making such an application;

- (b) a copy of the incorporation certificate of the limited liability partnership or the company or the registration certificate of the entity, as the case may be,
- (5) The application shall be accompanied by a fee as mentioned in Annexure 'A'.
- 20 (1) The limited liability partnership may change its name by following the procedure as laid down in the limited liability partnership agreement. Where the limited liability partnership agreement does not provide such procedure, consent of all partners shall be required for changing the name of the limited liability partnership.
- (2) Notice of change of name shall be given to the Registrar in **Form 5**, within 30 days of complying with requirement of sub-rule (1), along with a fee as mentioned in Annexure 'A'.
- (3) The Registrar on being satisfied that the changed name is the one as reserved by him shall issue a fresh certificate of incorporation in the new name and the changed name shall be effective from the date of such certificate.

#### CHAPTER V

##### Partners and their relations

- 21 (1) For the purposes of sub-section (2) of section 23, every limited liability partnership shall file information with regard to the limited liability partnership agreement in **Form 3** with the Registrar within thirty days of the date of incorporation alongwith the fee as provided in Annexure 'A':
- Provided that any change made in the limited liability partnership agreement shall be filed in **Form 3** within thirty days of such change alongwith the fee as provided in Annexure 'A'.
- (2) For the purposes of sub-section (3) of section 23, every limited liability partnership shall file information with regard to the limited liability partnership agreement referred to in such sub-section, in **Form 3** with the Registrar within thirty days of the ratification by all the partners alongwith the fee as provided in Annexure 'A'.
- (1) For the purposes of sub-section (1) of section 25, every partner shall intimate change in his name or address to the limited liability partnership in **Form 6**.

- (2) For the purposes of sub-section (2) of section 25, where a person becomes or ceases to be a partner or where there is any change in the name or address of a partner, the limited liability partnership shall file with the Registrar, a notice in **Form 4**.
- (3) For the purposes of sub-section (3) of section 25, in respect of notice of a person becoming a partner, the **Form 4** shall include a statement signed by the incoming partner that he consents to become a partner.
- (4) The form shall be accompanied by a certificate from a Chartered Accountant in practice or Cost Accountant in practice or a Company Secretary in practice that he has verified the particulars from the books and records of the limited liability partnership and found them to be true and correct.
- (5) The fees to be paid to the registrar in pursuance of sub-section (3) of section 25 shall be as mentioned in Annexure 'A'.

## **CHAPTER VI**

### **Form of Contribution**

- 23(1) The contribution of each partner shall be accounted for and disclosed in the Accounts of the LLP along with nature of contribution and amount.
- (2) The contribution of a partner consisting of tangible, movable or immovable or intangible property or other benefits brought or contribution by way of an agreement or contract for services shall be valued by a practicing Chartered Accountant or by a practicing Cost Accountant or by approved valuer from the panel maintained by the Central Government.

## **CHAPTER VII**

### **Financial Disclosures**

- 24 (1) Every limited liability partnership shall keep books of accounts which are sufficient to show and explain the limited liability partnership's transactions and are such as to—
  - (a) disclose with reasonable accuracy, at any time, the financial position of the limited liability partnership at that time; and

- (b) enable the designated partners to ensure that any Statement of Account and Solvency prepared under this rule complies with the requirements of the Act.
- (2) The books of account shall contain—
- (a) particulars of all sums of money received and expended by the limited liability partnership and the matters in respect of which the receipt and expenditure takes place;
  - (b) a record of the assets and liabilities of the limited liability partnership;
  - (c) statements of cost of goods purchased, inventories, work-in-progress, finished goods and cost of goods sold; and
  - (d) any other particulars which the partners may decide.
- (3) The books of account which a limited liability partnership is required to keep shall be preserved for eight years from the date on which they are made.
- (4) For the purposes of sub-section (3) of section 34, every limited liability partnership shall file the Statement of Account and Solvency in **Form 8** with the Registrar, within a period of thirty days from the end of six months of the financial year to which the Statement of Account and Solvency relates.
- (5) The fees to be paid to the Registrar in pursuance of sub-section (3) of section 34 for filing the Statement of Account and Solvency shall be as mentioned in Annexure 'A'.
- (6) A limited liability partnership's Statement of Account and Solvency shall be signed on behalf of the limited liability partnership by its designated partners.
- (7) The Statement of Account and Solvency of a limited liability partnership shall be signed by the designated partners of the LLP and each designated partner shall be taken to be a party to its approval unless he shows that he took all reasonable steps to prevent their being approved and signed.
- (8) The accounts of every limited liability partnership shall be audited in accordance with these rules:

Provided that a limited liability partnership whose turnover does not exceed, in any financial year, forty lakh rupees, or whose contribution does not exceed twenty-five lakh rupees shall not be required to get its accounts audited:

Provided further that if partners of such limited liability partnership decide to get the accounts of such LLP audited, the accounts shall be audited in accordance with these rules:



Provided also that where the partners of such LLP do not decide for audit of the accounts of the LLP, such LLP shall include in the Statement of Account and Solvency a statement by the partners to the effect that the partners acknowledge their responsibilities for complying with the requirements of the Act and the Rules with respect to preparation of books of account and a certificate in the form specified in **Form 8**.

- (9) A person shall not be qualified for appointment as an auditor of a limited liability partnership unless he is a Chartered Accountant in practice.
- (10) An auditor or auditors of a limited liability partnership shall be appointed for each financial year of the LLP for auditing its accounts.
- (11) The designated partners may appoint an auditor or auditors—
- (a) at any time for the first financial year but before the end of the first financial year,
  - (b) at least 30 days prior to the end of the each financial year (other than the first financial year),
  - (c) to fill a casual vacancy in the office of auditor, including in the case when the turnover or contribution of a limited liability partnership exceeds the limits specified under sub-rule (8), or
  - (d) to fill up the vacancy caused by removal of an auditor.
- (12) The partners may appoint an auditor or auditors where the designated partners have power to appoint under sub-rule (11) and have failed to appoint.
- (13) An auditor or auditors of an LLP shall hold office in accordance with the terms of his or their appointment and shall continue to hold such office till the period —
- (a) the new auditors are appointed, or
  - (b) they are re-appointed.
- (14) Where no auditor has been appointed under sub-rule (11), any auditor in office shall be deemed to be re-appointed, unless —
- (a) the limited liability partnership agreement requires actual re-appointment, or
  - (b) the majority of partners have determined that he should not be re-appointed and have given a notice to this effect to the LLP.

- (15) Provisions of sub-rule (14) shall be applicable without prejudice to the provisions of the rules relating to removal and resignation of auditors under this chapter.
- (16) A notice specified under clause (b) of sub-rule 14 -
- (a) may be in hard copy or electronic form, and
  - (b) must be authenticated by the person or persons giving it.
- (17) The remuneration of an auditor appointed by the limited liability partnership may be fixed by the designated partners or by following the procedure as laid down in the limited liability partnership agreement.
- (18) (a) The partners of a limited liability partnership may remove an auditor from office at any time by following the procedure as laid down in the limited liability partnership agreement.
- (b) Where the limited liability partnership agreement does not provide for removal of an auditor, consent of all the partners shall be required for removal of the auditor from his office.
- (19) (a) An auditor of an LLP may resign his office by depositing a notice in writing to that effect at the LLP's registered office.
- (b) Where an auditor is unwilling to be re-appointed, he shall give a notice in writing to that effect at the LLP's registered office, not less than 14 days before the end of the time allowed for appointing the new auditor.
- (c) The notice under clause (a) or (b) is not effective unless it is accompanied by the statement of the circumstances connected with his ceasing to hold office.
- (d) The auditor's term comes to an end as on the date on which the notice is deposited or on such later date as may be specified in the notice.
- 25 (1) For the purposes of sub section (1) of section 35, every limited liability partnership shall file an annual return with the Registrar in **Form 11**.
- (2) The annual return of an LLP having turnover upto five crore rupees during the corresponding financial year or contribution upto fifty lakh rupees shall be accompanied with a certificate from a designated partner, other than the signatory to the annual return, to the effect that annual return contains true and correct information. In all other cases, the annual

return shall be accompanied with a certificate from a Company Secretary in practice to the effect that he has verified the particulars from the books and records of the limited liability partnership and found them to be true and correct.

- (3) The fees to be paid to the Registrar in pursuance of sub-section (1) of section 35 for filing the annual return shall be as mentioned in Annexure 'A'.
26. The documents to be kept by the Registrar under section 36 shall be available in the registry on payment of fee as mentioned in Annexure 'A' for inspection by any person and for obtaining any certified copy thereof.

### CHAPTER VIII

#### DESTRUCTION OF OLD RECORDS

- 27(1) The Registrar shall preserve the documents permanently as specified in Annexure 'B' to these rules.
- (2) Subject to previous order of the Registrar, the records in the office of Registrar may be destroyed after the expiry of the period of their preservation as specified below:-
- (a) Records to be preserved for 21 years:
- All papers, registers, refund orders and correspondence relating to the limited liability partnership liquidation accounts.
- (b) Records to be preserved for 5 years:
- (i) copies of Government orders relating to limited liability partnership;
  - (ii) registered documents of limited liability partnership which have been fully wound up and finally dissolved together with correspondence relating to such limited liability partnership;
  - (iii) papers relating to legal proceedings from the date of disposal of the case and appeal, if any;
  - (iv) copies of statistical returns furnished to Government;
  - (v) all correspondences including correspondences relating to scrutiny of accounts, annual returns, prosecutions, reports to the Central Government and the Tribunal and the correspondences relating to complaints:

Provided that in case of prosecution matter, the date is to be recorded from the date of disposal of the case and appeal, if any.

- (c) Records to be preserved for three years-

- (i) All books, records and papers, other than those specified in sub-rule (1), clauses (a) and (b) of sub-rule (2), sub-rule (3) and sub-rule (4).
- (ii) Routine correspondence regarding payment of fees, additional filing fees and correspondence about the return of documents.
- (3) The registered documents specified in Annexure 'C' to these rules relating to any limited liability partnership in operation shall be preserved for the period indicated against them in the said Annexure.
- (4) Registered documents of foreign limited liability partnerships which cease to have any place of business in India shall be destroyed after expiry of three years from the date such limited liability partnerships cease to have any place of business in India.
- (5) The Registrar shall maintain a Register of destroyed documents in two parts, in the form set out in the Annexure 'D' to these rules, wherein he shall enter brief particulars of the records destroyed and shall certify therein the date and mode of destruction.
- (6) The provisions of these rules shall be in addition to and not in derogation of the rules for the destruction of office records connected with accounts (containing in Appendix 13 to the Compilation of the General Financial Rules) and the period prescribed under Record Retention Schedule for Records common to all departments and such other rules.

### CHAPTER IX INVESTIGATIONS

28. For the purposes of clause (a) of sub-section (3) of section 43, an application by the partners to investigate into the affairs of the limited liability partnership, shall be made, along with such security, for an amount calculated on the following scale but not exceeding twenty five lakh rupees, for payment of costs of the investigation:

<u>Turnover (Rs.)</u>	<u>Amount of Security</u>
[as stated in the Statement of Account of Solvency for the immediately preceding financial year]	
(i) Upto 1 Crore	2 Lakh
(ii) 1 Crore or more but less than 5 crore	5 Lakh
(iii) 5 Crore or more but less than 10 crore	10 Lakh
(iv) 10 Crore or more	25 Lakh

**Explanation.-** In the absence of Statement of Account and Solvency for the preceding financial year, such amount of security as may be fixed by the Central Government.

29. For the purposes of section 44, an application by the partners under clause (a) of sub section (1) of section 43 to investigate the affairs of the limited liability partnership, shall be made alongwith the deposit of such security as calculated in the manner specified in rule 28.
30. The fee payable for furnishing a copy of the Inspector's report in pursuance of clause (b), sub section (2), section 49 shall be five rupees per page or fractional part thereof.
31. For the purposes of section 54, a copy of the report of any inspector or inspectors, shall be authenticated either --
- (a) by the common seal, if any, of the limited liability partnership whose affairs have been investigated into; or
  - (b) by a certificate of a public officer having the custody of the report, under and in accordance with the provisions of section 76 of the Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872).

## CHAPTER X

### CONVERSION TO LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP

- 32 (1) The Registrar shall, on conversion of a firm, private company or an unlisted public company into limited liability partnership, issue a Certificate of Registration under his seal in **Form 19**.
- (2) In the event, Registrar has refused the registration, the applicant firm or private company or unlisted public company, as the case may be, may apply to the Tribunal within sixty days from the date of receipt of such intimation of refusal.
33. For the purposes of the proviso to sub-section (1) of section 58, where the firm, private company or unlisted public company has been converted into limited liability partnership, an intimation of such conversion to the concerned Registrar of firms or Registrar of Companies, as the case may be, shall be given in **Form 14** within fifteen days of the date of registration of the LLP.

## CHAPTER XI

### FOREIGN LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP

- 34(1) A foreign limited liability partnership shall, within thirty days of establishing a place of business in India, file with the Registrar in **Form**

- (a) a copy of the certificate of incorporation or registration and other instrument(s) constituting or defining the constitution of the limited liability partnership;
  - (b) the full address of the registered or principal office of the limited liability partnership in the country of its incorporation;
  - (c) the full address of the office of the limited liability partnership in India which is to be deemed as its principal place of business in India; and
  - (d) list of partners and designated partners, if any, and the names and addresses of two or more persons resident in India, authorized to accept on behalf of the limited liability partnership, service of process and any notices or other documents required to be served on the limited liability partnership.
- (2) (i) If the limited liability partnership is incorporated in any country which is a part of the Commonwealth, the copies of the documents referred to in sub-rule (1) shall be certified as true copies -
- (a) by an official of the Government to whose custody the original is committed ;or
  - (b) by a Notary (Public) in that Part of the Commonwealth; or
  - (c) by an officer of the limited liability partnership, on oath before a person having authority to administer an oath in that part of the Commonwealth.
- (ii) If the Limited Liability Partnership is incorporated in a country that falls outside the Commonwealth but is a party to the Hague Apostile Convention, 1961 -
- (a) the copies of the documents referred to in sub-rule (1) shall be certified by an official of the Government to whose custody the original is committed and be duly apostillised in accordance with Hague Convention;
  - (b) a list of the partners and designated partners of the LLP, if any, the name and address of persons resident in India, authorized to accept notice on behalf of the Limited Liability Partnership shall be duly notarized and be apostillised in the country of their origin in accordance with Hague Convention.

(iii) If the limited liability partnership is incorporated in a country outside the Commonwealth and is not a party to the Hague Convention, the copy of the incorporation documents referred in sub-rule (1) shall be certified -

- (a) by an official of the Government to whose custody the original is committed ; or
- (b) a Notary (Public) of such country ; or
- (c) by an officer of the limited liability partnership.

(iv) The signature or seal of the official referred to in sub-clause (a) of clause (iii) or the certificate of the Notary (Public) referred to in sub-clause (b) of that clause shall be authenticated by a Diplomatic or Consular Officer empowered in this behalf under section 3 of the Diplomatic and Consular Officers (Oaths and Fees) Act, 1948 (XL of 1948), or where there is no such officer, by any of the officials mentioned in section 6 of the Commissioners of Oaths Act, 1889 (52 and 53 Vic. C. 10), or in any Act amending the same.

(v) The certificate of the officer of the limited liability partnership referred to in sub-clause (c) of clause (iii) shall be signed before a person having authority to administer an oath as provided under section 3 of the Diplomatic and Consular Officers (Oaths and Fees) Act, 1948 (XL of 1948), or as the case may be, by section 3 of the Commissioners of Oaths Act, 1889 (52 and 53 Vic. C. 10) the status of the person administering the oath in the latter case being authenticated by any official specified in section 6 of the Commissioners of Oaths Act, 1889 (52 and 53 Vic. C. 10) or in any Act amending the same.

(3) (i) If any alteration is made or occurs in—

(a) the instrument constituting or defining the constitution of a limited liability partnership incorporated or registered outside India;

(b) the registered or principal office of a limited liability partnership incorporated or registered outside India; or

(c) the partner or designated partner, if any, of a limited liability partnership incorporated or registered outside India,

the foreign limited liability partnership shall file in **Form 28** such alterations with the Registrar within sixty days of the close of the financial year.

(ii) If any alteration is made or occurs in-

- (a) the certificate of incorporation or registration of limited liability partnership incorporated or registered outside India;
- (b) the name or address of any of the persons authorized to accept service on behalf of a foreign limited liability partnership in India; or
- (c) the principal place of business of foreign limited liability partnership in India.

the foreign limited liability partnership shall file in **Form 29** such alterations with the Registrar within thirty days from the date on which the alteration was made or occurred.

(4) Every foreign limited liability partnership shall file with the Registrar the Statement of Account and Solvency in **Form 8** in accordance with provisions of rule 24 duly signed by the authorized representatives within a period of 30 days from the end of six months of the financial year.

(5) (i) If any document as is mentioned in sub-rule (1) or (3) is not in the English language, there shall be annexed to it a certified translation thereof.

(ii) the translation of documents into English required to be filed with the Registrar in pursuance of sub-rule (1) or (3) shall be certified to be correct in the manner as provided in clause (iii) or clause (iv) of this sub-rule, as the case may be.

(iii) Where any translation is made outside India, it shall be authenticated in the manner specified in sub-rule (2).



(iv) Where such translation is made within India, it shall be authenticated-

(a) by an Advocate, Chartered Accountant, Company Secretary or Cost Accountant; or

(b) by an affidavit of a person who, in the opinion of the Registrar has adequate knowledge of the language of the original and of English.

(6) Every foreign limited liability partnership shall cause the name of the foreign limited liability partnership and of the country in which the limited liability partnership is incorporated, to be stated in legible English characters in all invoices, official correspondence and publications of the limited liability partnership.

(7) (a) where any such limited liability partnership makes default in delivering to the Registrar the names and addresses of persons resident in India who are authorized to accept on behalf of the limited liability partnership service of process, notices or other documents; or

(b) if at any time all the persons whose names and addresses have been so delivered are dead or have ceased so to reside, or refuse to accept service on behalf of the limited liability partnership or for any reason, cannot be served;

a document may be served on the limited liability partnership by leaving it at, or sending it by post to, any place of business established by the limited liability partnership in India.

(8) If any foreign limited liability partnership ceases to have a place of business in India, it shall give notice to the Registrar in **Form 29** within 30 days of its intention to close the place of business and as from the date on which notice is so given, the obligation of the limited liability partnership to file any document to the Registrar shall cease, provided it has no other place of business in India and it has filed all the documents due for filing as on the date of the notice.

(9) Every document which is required to be filed by any foreign limited liability partnership shall be filed in the electronic form to the Registrar having jurisdiction over New Delhi, through the portal maintained by the Ministry of Corporate Affairs on its website [www.mca.gov.in](http://www.mca.gov.in).

(10) The Registrar shall, on registration of **Form 27**, issue a certificate for establishment of place of business in India by the foreign limited liability partnership in **Form 30**.

(11) There shall be paid to Registrar for filing or delivery or registering any form or document required by this Chapter the fee as mentioned in Annexure 'A'

## **CHAPTER XII**

### **COMPROMISE, ARRANGEMENT OR RECONSTRUCTION OF LIMITED LIABILITY PARTNERSHIPS.**

35. (1) An application under sub-section (1) of section 60 for an order convening a meeting of creditors or partners or creditors and partners shall be supported by an affidavit. A copy of the proposed compromise or arrangement shall be annexed to the affidavit as an exhibit thereto. The affidavit in support thereof shall be in **Form 20**.
- (2) Where the limited liability partnership is not the applicant, a copy of the summons and of the affidavit shall be served on the limited liability partnership, or, where the limited liability partnership is being wound-up, on its liquidator, not less than 14 days before the date fixed for the hearing of the summons. The summons shall be in **Form 21**.
- (3)(a) Upon the hearing of the summons or any adjourned hearing thereof, the Tribunal shall, by order, unless it thinks fit for any reason to dismiss the summons, give such directions as it may think necessary in respect of the following matters:
- (i) determining the creditors and/or of partners whose meeting or meetings have to be held for considering the proposed compromise or arrangement;
  - (ii) fixing the time and place of such meeting or meetings;
  - (iii) appointing a chairman for the meeting or chairmen for the meetings to be held;

- (iv) fixing the quorum and the procedure to be followed at the meeting or meetings, including voting by proxy;
- (v) determining the values of the creditors and/or the partners, , as the case may be, whose meetings have to be held;
- (vi) notice to be given of the meeting or meetings and the advertisement, if any, of such notice;
- (vii) the time within which the chairman of the meeting is to report to the Tribunal the result of the meeting; and
- (viii) such other matters as the Tribunal may deem necessary.

(b) The order made under clause (a) shall be in accordance with the rules as may be laid down in this behalf.

- (4) (i) Voting by proxy shall be permitted, provided a proxy in **Form 26** duly signed by the person entitled to attend and vote at the meeting is filed with the limited liability partnership at its registered office not later than 48 hours before the meeting.
  - (ii) Where a body corporate which is a partner or creditor of a limited liability partnership, authorizes any person to act as its representative at the meeting of the partners or creditors of the limited liability partnership, as the case may be, a copy of the authorization of such person to act as its representative at the meeting, and certified to be a true copy by a designated partner or other authorised officer of such body corporate, shall be lodged with the limited liability partnership at its registered office not later than 48 hours before the meeting.
- (5) The notice of the meeting to be given to the creditors and/or partners, shall be in accordance with the rule laid down in this behalf, and shall be sent to them individually by the chairman appointed for the meeting, or, if the Tribunal so directs, by the limited liability partnership (or its Liquidator), or any other person as the Tribunal may direct, by post under certificate of posting to their last known address not less than 21 clear days before the date fixed for the meeting. It shall be accompanied by a copy of the proposed compromise or arrangement alongwith statement showing material interest of the designated partners, if any, and a form of proxy.

- (6) The notice of the meeting shall be advertised, if so decided by the Tribunal, in such newspapers and in such manner as the Tribunal may direct.
- (7) Every creditor or partner entitled to attend the meeting shall be furnished by the limited liability partnership, free of charge and within 48 hours of a requisition made for the same, with a copy of the proposed compromise or arrangement.
- (8) The chairman appointed for the meeting or the limited liability partnership or other person directed to issue the advertisement and the notices of the meeting shall file an affidavit not less than 7 days before the date fixed for the holding of the meeting or the holding of the first of the meetings, as the case may be, showing that the directions regarding the issue of notices and the advertisement have been duly complied with. In default thereof, the summons shall be posted before the Tribunal for such orders as it may think fit to make.
- (9) The chairman of the meeting, or where there are separate meetings, the chairman of each meeting shall, within the time fixed by the Tribunal, or where no time has been fixed, within seven days after the conclusion of the meeting, report the result thereof to the Tribunal. The report shall state accurately the number of creditors or the partners, as the case may be, who were present and who voted at the meeting either in person or by proxy, their individual values and the way they voted.
- (10) (i) Where the proposed compromise or arrangement is agreed to, with or without modification, as provided in sub-section (2) of section 60, the limited liability partnership, or its Liquidator, as the case may be, shall, within seven days of the filing of the report by the chairman, present a petition to the Tribunal for confirmation of the compromise or arrangement:

Provided that where a compromise or arrangement is proposed for the purposes of, or in connection with, a scheme for the reconstruction of any limited liability partnership or the amalgamation of any two or more limited liability partnerships, the petitioner shall pray for appropriate orders and directions under section 62.

(ii) Where the limited liability partnership fails to present the petition under clause (i) for confirmation of the compromise or arrangement as aforesaid, it shall be open to any creditor or partner as the case may be, with the leave of the Tribunal, to present the petition for confirmation and the limited liability partnership shall be liable for the costs thereof.

(iii) Where no petition for confirmation of the compromise or arrangement is presented to, or where the compromise or arrangement has not been approved by the requisite majority under sub-section (2) of section 60 and consequently no petition for confirmation could be presented, the report of the chairman as to the result of the meeting made under sub-rule (9) shall be placed for consideration before the Tribunal for such orders as may be necessary.

(11) An order made by the Tribunal as mentioned in sub-section (3) of section 60 and sub-section (3) of section 62 shall be filed with Registrar concerned in **Form 22** along with fee as mentioned in Annexure 'A'.

**Explanation.-** In computing the period of 30 days from the date of order, the requisite time for obtaining a certified copy of order shall be excluded.

(12) (i) An arrangement for revival and rehabilitation of any LLP may be proposed, -

(a) where on a demand by the creditors of the LLP representing fifty per cent or more of its outstanding amount of debt the LLP has failed to pay the debt, within thirty days of the service of the notice of demand or to secure or compound it to the reasonable satisfaction of the creditors; or

(b) where a petition for winding up of a LLP is pending before the Tribunal, in terms of the directions given by the Tribunal on the winding up petition; or

(c) where the liquidator has filed his report before the Tribunal, in terms of directions given by the Tribunal on the report of the Liquidator.

(ii) Without prejudice to clause (i), the LLP or any creditor or partner of the LLP, or in the case of a LLP which is being wound up, the Liquidator, may make an application for sanction

of the arrangement for revival and rehabilitation before the Tribunal.

- (13) (i) An application under sub-rule (12) shall be accompanied by-
- (a) a statement of account and solvency of LLP for the immediately preceding financial year, in case the application under sub-rule (12) is made by the LLP;
  - (b) particulars and documents relevant to the scheme including commitments whether financial or otherwise expected from various parties or, proposed restructuring or rescheduling of the debts, or any undertaking or understanding, in case from bank or financial institution through a letter or in any other case through an affidavit of concerned party or parties, or in any other form as may be directed by the Tribunal; and
  - (c) proposed scheme of revival and rehabilitation of the LLP including proposal for appointment of an LLP Administrator.
- (ii) An application under sub-rule (12) shall be made to the Tribunal within 90 days from the date of expiry of demand notice or from the date of the direction of the Tribunal referred to under clause (i) of sub-rule 12.
- (14) (a) Within 60 days of receipt of an application under sub-rule (12), the Tribunal may hear all the parties concerned and admit or dismiss the application;
- (b) where the Tribunal admits the application, it may make an order to that effect and make provisions in such order, for all or any of the following matters:-
- (i) holding of meetings of the creditors for approval of scheme proposed for revival and rehabilitation of LLP;
  - (ii) procedure to be followed by the LLP Administrator proposed in the scheme in connection with holding of the meeting including the appointment of chairman for such meeting;

(iii) any other direction(s) or order(s) as may be considered necessary.

(c) The LLP Administrator proposed in the scheme shall submit his preliminary report including the decision of the meeting to the Tribunal within 60 days of order made under clause (b) of sub-rule 14.

(15) (i) On consideration of the report of the LLP Administrator under clause (c) of sub-rule (14), and other materials available, if the Tribunal is satisfied that the creditors representing three-fourths in value of the amount outstanding against that LLP have, with or without modification of the scheme, resolved that it is not possible to revive and rehabilitate the LLP, the Tribunal may, within 60 days of the receipt of such report, order –

(a) that the proceedings for the winding up of the LLP be initiated;  
or

(b) the LLP be wound up, or the liquidator to continue; or

(c) sanction the arrangement for revival and rehabilitation of LLP as approved by such creditors with such modifications as may be considered necessary by the Tribunal, and make orders for continuation of the LLP Administrator or appointment of a new LLP Administrator:

Provided that Tribunal may consider for its approval, the arrangement for revival and rehabilitation including the proposal for appointment of any other LLP Administrator moved by the LLP in the meeting of the creditors, in place of the arrangement proposed by the creditors or the Liquidator, provided the arrangement is approved by three-fourth majority, in value, of creditors.

Provided further that where the arrangement of revival and rehabilitation relates to amalgamation of the LLP with any other LLP, no such scheme shall be sanctioned by the Tribunal unless the said scheme is approved with, or without modification by three-fourth majority of respective partners of transferor and transferee LLPs.

(ii) The order of sanction of the arrangement by the Tribunal under clause (i) may make provisions, for all or any of the following matters:-

- (a) powers and functions of the LLP Administrator;
- (b) the time period within which various actions proposed in the arrangement to be completed;
- (c) any such direction to the LLP or its officers or to the creditors, or to the LLP Administrator or to any other person, as may be considered necessary, for the purpose of implementation of the arrangement of revival and rehabilitation; and
- (d) any other order or orders as may be considered necessary.

(16) The LLP Administrator shall complete all the actions relating to implementation of the revival and rehabilitation arrangement and submit his final report before the Tribunal within such time directed by the Tribunal but not exceeding 180 days of the order under clause (i) of sub-rule (15);

(17) (i) The LLP administrator shall be appointed from a panel maintained by the Central Government for winding up and dissolution of LLPs.

(ii) The terms and conditions of the appointment including fee of LLP Administrator shall be such as may be ordered by the Tribunal.

(iii) The Tribunal may, on a reasonable cause being shown and for reasons to be recorded in writing, remove the LLP Administrator and may appoint another LLP Administrator.

(iv) In case of removal, death or incapacity of the LLP Administrator, the Tribunal may appoint another LLP Administrator.

(v) The LLP administrator shall, within 30 days of the making of order or orders under sub-rule (15) cause certified copy thereof to be filed with the Registrar concerned in **Form 22** along with fee as mentioned in Annexure 'A'.

**Explanation.-** In computing the period of 30 days from the date of order, the requisite time for obtaining a certified copy of order shall be excluded.



**CHAPTER XIII****ELECTRONIC FILING OF DOCUMENTS**

- 36(1) (i) Every form or application or document or declaration required to be filed or delivered under the Act and rules made thereunder, shall be filed in computer readable electronic form, in portable document format (pdf) to the Registrar through the portal maintained by the Ministry of Corporate Affairs on its web-site [www.mca.gov.in](http://www.mca.gov.in) or through any other website approved by the Central Government and authenticated by a partner or designated partner of the limited liability partnership for such purpose by the use of a valid digital signature:

Provided that where documents are required to be filed on Non-Judicial Stamp Paper, the LLP shall submit such documents in the physical form, in addition to their submission in electronic form, unless the Central Government, by an order, does not require submission in physical form.

(ii) Every designated partner, partner or person specified in the Act for authentication of e-form, documents or application etc., which are required to be filed or delivered under the Act or rules made thereunder, shall obtain a digital signature certificate from the Certifying Authority for the purpose of such authentication and such certificate shall not be valid unless it is of class II or Class III specification under the Information Technology Act, 2000.

- (2) The Central Government shall set up and maintain –
- (i) a website or portal to provide access to the electronic registry; and,
  - (ii) as many Registrar's Front Offices as may be necessary and at such places and for such time as Central Government may determine from time to time.

for filing of e-Forms, documents and applications, etc., viewing and inspection of documents in the electronic registry.

- (3) (i) The Central Government shall set up and maintain a secure electronic registry in which all the documents filed electronically shall be stored. The electronic registry so set up shall enable public access and inspection of such documents as are required to

be in the public domain under the Act on payment of the fees as mentioned in Annexure "A".

(ii) Every document or application or certificate or notice etc., required to be signed by the Registrar or an officer of the Central Government under the Act or rules made thereunder, shall be authenticated through a valid digital signature of such person or a system generated digital signature.

(iii) The Registrar or an officer of the Central Government, as the case may be, may send any communication either to the Limited Liability Partnership or its authorized representative, partners or both in the electronic manner for which the LLP shall create and maintain at all times a valid electronic address (e.g. E-mail, user identification etc.) capable of receiving and acknowledging the receipt of such communication, automated or otherwise.

The Registrar or an officer of the Central Government shall issue certificate, receipt, approval or communicate endorsement or acknowledgment in the electronic manner:

Provided that where the Registrar or an officer of the Central Government, as the case may be, is not able to issue any certificate, receipt, endorsement, acknowledgement or approval in electronic manner for the reasons to be recorded in writing, he may issue such certificate, receipt, or communicate endorsement, acknowledgement or approval in the physical form under manual signature affixing seal of his office.

The Registrar shall examine or cause to be examined every application, e-Form or document required or authorized to be filed by or deposited under the Act and rules made thereunder for approval, registration, taking on record or rectification by the Registrar as the case may be:

Provided that the e-Forms or documents identified as information structure and filed under Straight Through Process (STP) shall be processed by the Registrar any time after its filing.

Where the Registrar, on examining any application or e-Form or document referred to in sub-rule (5), finds it necessary to call further information or finds such application or e-Form or document to be defective or incomplete in any respect, he shall

give intimation of such information called for or defects or incompleteness noticed electronically, by placing it on the website and also by e-mail on the last intimated e-mail address of the person or the limited liability partnership, which has filed such application or e-Form or document, directing him or it to furnish such information or to rectify such defects or incompleteness or to re-submit such application or e-Form or document within the period allowed under sub-rule (7):

Provided that in case the e-mail address of the person or the Limited Liability Partnership in question is not available, such intimation shall be given by the Registrar by post at the last intimated address given in **Form 12**, or registered office address of the Limited Liability Partnership or the address of such person, as the case may be. The Registrar shall preserve the facts of such intimation in the electronic record.

- (7) The Registrar shall allow such period or periods but not exceeding thirty days in aggregate to such person or LLP which has filed such application or e-Form or document under sub-rule (5) for furnishing further information or for rectification of the defects or incompleteness or for re-submission of such application or e-Form or document.
- (8) In case where such further information called for has not been provided or has been furnished partially or has not been provided or defects or incompleteness has not been rectified or has been rectified partially or has not been rectified to the satisfaction of the Registrar within the period allowed under sub-rule (7), the Registrar shall either reject or treat and label such application or e-Form or document as the case may be as "invalid" in the electronic record, and shall not take on record such invalid application or e-Form or document and shall inform such person or limited liability partnership as the case may be in the manner specified in sub-rule (6).
- (9) Where any document has been recorded as invalid by the Registrar, such document may be rectified by the limited liability partnership only through fresh filing with payment of fee and additional fee as applicable, without prejudice to any other liability under the Act.
- (10) Save as otherwise provided in the Act, the Registrar shall not keep any document pending for approval and registration or for

taking on record or for rejection or otherwise for more than one hundred twenty days, from the date of its filing.

- (11) The Registrar in case finds any e-Form or document filed under Straight Through Process (STP), referred to in proviso under sub-rule (5), as defective or incomplete in any respect, at any time, he shall treat and label such e-Form or document as “defective” in the electronic registry and shall also issue a notice pointing out such defects or incompleteness in such e-Form or document at the last intimated e-mail address (if available) of the person or the LLP which has filed the document and also in writing by post at the address of such person or address of such LLP or registered office address of LLP, calling upon such person or LLP to file such e-Form or document afresh with fee and additional fee as applicable, after rectifying such defects or incompleteness within a period of thirty days from the date of such notice.

#### **CHAPTER XIV** **STRIKING OFF NAME OF DEFUNCT LLP**

37(1) Where a limited liability partnership is not carrying on any business or operation -

- (a) for a period of two years or more and the Registrar has reasonable cause to believe the same, for the purpose of taking suo motu action for striking off the name of the LLP; or
- (b) for a period of one year or more and has made an application in **Form 24** to the Registrar, with the consent of all partners of the limited liability partnership for striking off its name from the register,

the Registrar shall send a notice to the limited liability partnership and all its partners, of his intention to strike off the name of the limited liability partnership from the register and requesting them to send their representations along with copies of the relevant documents, if any, within a period of one month from the date of the notice:

Provided that no such notice by Registrar shall be required under clause (b):

Provided further that where the limited liability partnership is regulated under a special law, the application for removal of its name shall be

accompanied by approval of the regulatory body constituted or established under that law.

(2) A notice issued under sub-rule (1) or contents of an application made by the LLP shall also be placed on the website of the Ministry of Corporate Affairs for the information of the general public for a period of one month.

(3) At the expiry of the time mentioned in the notice under sub-rule (1), or one month under sub-rule (2) above, the Registrar may, by an order, unless cause to the contrary is shown by the limited liability partnership, or the Registrar is satisfied that the name should not be struck off from the register, strike its name off the register, and shall publish notice thereof in the Official Gazette, and on the publication in the Official Gazette of this notice, the limited liability partnership shall stand dissolved.

(4) The Registrar, before passing an order under sub-rule (3), shall, where he has sufficient cause to believe that the limited liability partnership has any asset or liability, satisfy himself that sufficient provision has been made for the realization of all amount due to the limited liability partnership and for the payment or discharge of its liabilities and obligations by the limited liability partnership within a reasonable time and, if necessary, obtain necessary undertakings from the designated partner or partner or other persons in charge of the management of the limited liability partnership:

Provided that notwithstanding the undertakings referred to in this sub-rule, the assets of the limited liability partnership shall be made available for the payment or discharge of all its liabilities and obligations even after the date of the order removing the name of the limited liability partnership from the register.

(5) The liability, if any, of every designated partner of the limited liability partnership dissolved under sub-rule (3), shall continue and may be enforced as if the limited liability partnership had not been dissolved.

(6) Nothing in this rule shall affect the power of the Tribunal to wind up a limited liability partnership the name of which has been struck off the register.

**Explanation.-** In computing the period of 30 days from the date of order, the requisite time for obtaining a certified copy of order shall be excluded.

**CHAPTER XV****CONVERSION FROM FIRM TO LIMITED LIABILITY****PARTNERSHIP**

- 38(1) For the purposes of the Second Schedule, an application shall be made in the format provided in Part A of **Form 17** together with the statement of partners in format provided in Part B of **Form 17** alongwith the fee as mentioned in Annexure 'A'.
- (2) The Registrar shall, on conversion of the firm into the limited liability partnership shall issue a certificate of registration under his seal in **Form 19**.
- (3) For the purposes of para 5 of the Second Schedule, the limited liability partnership shall inform the concerned Registrar of firms about conversion of firm into limited liability partnership in **Form 14**.

**CHAPTER XVI****CONVERSION FROM PRIVATE COMPANY TO LIMITED****LIABILITY PARTNERSHIP**

- 39(1) For the purposes of the Third Schedule, an application shall be made in the format provided in Part A of **Form 18** together with the statement of shareholders in format provided in Part B of **Form 18** alongwith the fee as mentioned in Annexure 'A'.
- (2) The Registrar shall, on conversion of any private company into limited liability partnership shall issue a certificate of registration under his seal in **Form 19**.
- (3) For the purposes of para 4 of the Third Schedule, the limited liability partnership shall inform the concerned Registrar of Companies about conversion of private company into limited liability partnership in **Form 14**.

**CHAPTER XVII****CONVERSION FROM UNLISTED PUBLIC COMPANY TO LIMITED****LIABILITY PARTNERSHIP**

- 40(1) For the purposes of the Fourth Schedule, an application shall be made in the format provided in Part A of **Form 18** together with the statement of shareholders in format provided in Part B of **Form 18** alongwith the fee as mentioned in Annexure 'A'.

- (2) The Registrar shall, on conversion of any unlisted public company into limited liability partnership shall issue a certificate of registration under his seal in **Form 19**.
- (3) For the purposes of para 5 of the Fourth Schedule, the limited liability partnership shall inform the concerned Registrar of Companies about conversion of unlisted public company into limited liability partnership in **Form 14**.

### CHAPTER-XVIII

#### COMPOUNDING OF OFFENCES

- 41 (1) Every application for the compounding of an offence shall be made in **Form 31** to the Registrar who shall forward the same, together with his comments thereon, to the Central Government.
- (2) Where any offence is compounded before the institution of any prosecution, no prosecution shall be instituted in relation to such offence, against the offender in relation to whom the offence is so compounded.
- (3) Where the composition of any offence is made after the institution of any prosecution, such composition shall be brought by the Registrar in writing, to the notice of the Court in which the prosecution is pending .
- (4) Where any offence is compounded under section 39, whether before or after the institution of any prosecution, intimation thereof shall be given by the LLP to the Registrar in **Form 22** within seven days from the date on which the offence is so compounded.
- (5) The Central Government while dealing with an application for the compounding of the offence for a default in compliance with any provision of the Act which requires a LLP or its partner or partners or designated partner or designated partners to file or register with, or send to, the Registrar any return, statement of account and solvency or other document, may, if it thinks fit to do so, direct, before allowing compounding under this rule, by order, any partner or designated partner of the LLP to file or register with, or on payment of the fee, and the additional fee, required to be paid under section 69. such return, statement of account and solvency or other document within such time as may be specified in the order.

**Form 1**

[See rule 18(5)]

**Application for reservation or change of name****Note – All fields marked in \*are to be mandatorily filled.**

1. \*Application for  Incorporating a new limited liability partnership (LLP)
- Changing the name of an existing limited liability partnership.

**Part A: Reservation of name****2. Details of the applicant**

- (i) (a)\* Whether applicant is an Individual as partner  or nominee of a body corporate as a partner

(b) \*Designated Partner Identification Number (DPIN) or Income-tax permanent account number (PAN) or passport number

(ii) (a) \*Name

(b) \*Occupation

(c) \*Address Line 1

Line II

(d) \*City

(e) \*State

(f) \*Pin code

(g) \*ISO Country Code

(h) \* Country



(i) \*e-mail ID

(j) Phone

(k) Fax

3. Details of two proposed designated partners (one of them should be a resident in India)

(i) \*Category (drop down) Individual, LLP, Company, LLP incorporated outside India (LIOI), Company incorporated outside India (CIOI).

(ii) \*DPIN/Income-tax PAN/passport number; or LLPIN or corporate identity number (CIN); or LIOI registration number; or CIOI registration number

(iii) \*Name

(iv) \*Name of nominee, in case of body corporate

(v) Details (number/date) of resolution authorizing nominee

(i) \*Category (drop down) Individual, LLP, Company, LLP incorporated outside India (LIOI), Company incorporated outside India (CIOI).

(ii) \*DPIN/Income-tax PAN/passport number; or LLPIN or corporate identity number (CIN); or LIOI registration number; or CIOI registration number

(iii) \*Name

(iv) \*Name of nominee, in case of body corporate

(v) Details (number/date) of resolution authorizing nominee

4. \* Name of the state in which the proposed LLP is to be registered

5.\* Name of the office of Registrar in which the proposed LLP is to be situated

6. Whether the application is for conversion of firm or private company or unlisted public company into LLP Yes  No   
If Yes, enter the following details

(I) Details of conversion of firm:

(i) Name of the firm

(ii) Whether the firm is registered Yes  No

If Yes, enter the following details:

(a) Name of the Statute/law under which firm is registered

(b) Name of the state in which firm is registered

(c) Date of registration DD/MM/YYYY

(d) Registration number

(II) Details of conversion of private company or unlisted public company

(a) CIN

(b) Name

7. \* Proposed business of the Limited Liability Partnership (if the business includes banking and stock exchange, a copy of the in-principle approval of the appropriate authority should be attached)

8. Estimated monetary value of contribution (in Rs) in figure

in words

**Part 7 - Case of change of name**

9. \* Name of limited liability partnership

10. (a) Name of the limited liability partnership

(b) Address of registered office of the limited liability partnership

Line 1

Line 2

City  District

\*State  \*PIN Code   
 \*ISO Country Code  \*Country   
 \*e-mail ID  Phone   
 Fax

11. \* Reasons for change of name

12. \*Existing Monetary value of contribution ( in Rs.) (in figure)   
 (in words)

**Part C: Details regarding reservation of name or change of existing name of LLP**

13. Proposed name of the LLP (please give six names in order of preference)

- (a)\*  Limited Liability Partnership/LLP
- (b)
- (c)
- (d)
- (e)
- (f)

14. State the significance of the key or coined word(s), if any; in the proposed name(s) (in brief)

- (a)
- (b)
- (c)
- (d)
- (e)
- (f)

(In case proposed name includes an activity, such activity should be reflective of the proposed business of the LLP)

15. (a) \* Whether the proposed name(s) is/are based on a registered trade mark or is the subject matter of an application pending for registration under the Trade Marks Act.  
(Please Tick ) Yes  No

(b) If yes, furnish particulars of trade mark or application

### Attachments

1. In case of change of name of an existing limited liability partnership, a copy of the decision
2. Copy of Trade Mark Registration/ acknowledgement of application for Trade Mark Registration / authorization to use Trade Mark
3. If change is due to a direction received from the Central Government, then a copy of such direction
4. Optional Attachment

List of attachments

Remove attachment

### Verification

To the best of my knowledge and belief, the information given in this Form and its attachments is correct and complete, and the proposed name is not undesirable, identical or too nearly resembles to that of any other partnership firm or limited liability partnership or body corporate or a registered trade mark or a trade mark which is subject of an application for registration of any other person under the Trade Marks Act, 1999.

I have gone through the provisions of the Limited Liability Partnership Act, 2008, and the rules framed thereunder and

- I am authorised by the proposed partners to sign and submit this application.
- I have been authorized by  (firm/ private company/ unlisted public company) to sign and submit this application.
- I have been authorised by the Limited Liability Partnership to sign and submit this application.

To be digitally signed by applicant.

Date:

Place:

-----  
For office use only

Digital signature of the authorizing officer

This e-form is hereby approved

This e-form is hereby rejected

**Form 2**

[See rule 11]

**Incorporation Document and Statement****Note – All fields marked in \*are to be mandatorily filled.****PART A****Incorporation Document**

1. \*Service Request Number (SRN) of Form 1
2. \* Name of the limited liability partnership :
3. \* State in which the registered office of the limited liability partnership is to be situated:
4. \* Address of registered office of the limited liability partnership
  - \*Line 1
  - \*Line 2
  - \*City  District
  - \*State  \*PIN Code
  - \*ISO Country Code
  - Country  \*e-mail ID
  - Phone  Fax
5. \* Business to be carried on by the limited liability partnership:

## 6. \*Summary of Partners/designated partners

SN	Category	Number of Partners	Number of Designated partners	Number of designated partners resident in India
(i)	Individuals			
(ii)	LLPs			

(iii)	Companies			
(iv)	LLPs incorporated outside India			
(v)	Companies incorporated outside India			
	Total			

7. \*Number of individual(s) as partner  (Dynamic)

**Note:** In case individual(s) are more than five, attach details in respect of remaining partners in a separate sheet as an attachment.

Details in respect of individual(s). (First, enter details in respect of designated partners)

\*Whether Designated partner Yes  No

If yes, DPIN

\*Whether resident in India Yes  NO

\*Name :

\*Father's / Husband's Name :

\*Nationality :

\*Date of birth

\*Occupation

\*Income-tax permanent account number (PAN):

Passport Number:

\*Permanent residential address

\*Address \*Line I

\*Line II

\*City  \*State

\*Pin  \*ISO Country Code

Phone  Fax

Email ID

\*Whether present residential address is same as the permanent residential address:

(Please Tick ) Yes  No

If no, present residential address

Address Line I

Line II

City  State

Pin  ISO Country Code

Country  Phone   
 Fax   
 Email ID

\*Form of contribution

\*Monetary value of contribution (in Rs.) (in figure)   
 (in words)

If already a partner of limited liability partnership (LLP) or director of a company, specify the following. (In case partner or director in more than five LLP(s) and companies each, attach separate sheet as an attachment).

\*No. of limited liability partnership(s) in which he is a partner

LLPIN

Name

No. of Company(s) in which he is a director

CIN

Name of the company

8. Number of bodies corporate as partners  (Dynamic)

Note: In case bodies corporate are more than five, attach details in respect of remaining bodies corporates in a separate sheet as an attachment.

\*Details in respect of bodies corporate and their nominees. (First, enter details in respect of designated partners)

\*Category (drop down) LLP, Company, LLP incorporated outside India (LIOI), Company incorporated outside India (CIOI)

\*LLPIN or Corporate Identity Number (CIN), LIOI registration number or CIOI registration number

\*Name of the body corporate

\*Country where registered

\*Full address of registered office

\*Line I

\*Line II

\*City  \*State

\*Pin  \*ISO Country Code

\*Country

\*Phone  Fax

\*Email ID

\*Form of contribution

\*Monetary value of contribution (in Rs.) (in figures)

(in words)

\*Name and particulars of the person signing on behalf of the body corporate as nominee

\*Designation & authority

\*Father's / Husband's Name

\*Nationality

\*Date of birth

\*Occupation

\*Income-tax permanent account number (PAN)

Passport Number :

\*Whether designated partner Yes  No

If yes, DPIN

\*Whether resident in India (Please Tick ) Yes  No

\*Permanent residential address

\*Address \*Line I

\*Line II

\*City  \*State

\*Pin  \*ISO Country Code

\*Country

Phone  Fax

Email ID

\*Whether present residential address is same as the permanent residential address:

(Please Tick ) Yes  No

If no, present residential address

Address Line I

Line II

City  State



Pin	<input type="text"/>	ISO Country Code	<input type="text"/>
Country	<input type="text"/>		
Phone	<input type="text"/>	Fax	<input type="text"/>
Email ID	<input type="text"/>		

9. \*Total monetary value of contribution by partners in the LLP

(in Rs.) (in figures)

(in words)

10. \* We, the several partners whose names are subscribed below, are desirous of being formed into a limited liability partnership for carrying on a lawful business with a view to profit and have entered or agreed to enter into a limited liability partnership agreement in writing. We respectively agree to contribute money or other property or other benefit or to perform services for the limited liability partnership in accordance with the limited liability partnership agreement, the particulars of which are stated at serial number 7 or 8 against our respective names.

Name of each partner	Signature of Partner	Name, address and profession (alongwith professional membership number) of witness	Signature of witness
1	2	3	4

**(Attach details in respect of names of partners/witnesses and their signatures in the above format as an attachment)**

**Attachments:**

1. Copy of authorization where the partner is a limited liability partnership, or company, or a limited liability partnership incorporated outside India or a company incorporated outside India.
2. Proof of address of registered office of limited liability partnership.
3. Details in respect of names of partners/witnesses and their signatures.

engaged in the formation of the limited liability partnership and my membership number with  (name of regulatory body) is  (Membership Number);

(b) that all the requirements of the Limited Liability Partnership Act, 2008 and the rules made thereunder have been complied with, in respect of incorporation and matters precedent and incidental thereto;

(c) that I make this statement conscientiously believing the same to be true.

(d) **digitally signed by**

Advocate / Company Secretary / Chartered Accountant / Cost Accountant in practice.

Date:

Place:

For office use only

This e-form is hereby registered

Digital signature of the authorizing officer

- 4. Attachments in respect of details of individuals/bodies corporate where the number exceeds five.
- 5. Optional attachment.

**Part B**

**Statement**

**\*Statement by a person who subscribed his name to the incorporation document :**

I   son/  daughter/  wife of   
 Do so as under:

(a) that I am a person named in the incorporation document as a designated partner/partner of the limited liability partnership;

(b) that the designated partners have given their prior consent to act as designated partners;

(c) that all the requirements of the Limited Liability Partnership Act, 2008 and the rules made thereunder have been complied with, in respect of incorporation and matters precedent and incidental thereto;

(d) that I make this statement conscientiously believing the same to be true.

(e) **digitally signed by**   
 Designated partner

**\*Statement by an Advocate/Company Secretary/Chartered Accountant/Cost Accountant in practice:**

I   son/  daughter/  wife of   
do state as under:

(i) that I am

- an Advocate
- a Company Secretary
- a Chartered Accountant
- a Cost Accountant

**Form 3**  
[See rule 21]

**Information with regard to Limited Liability Partnership Agreement and changes, if any, made therein**

**Note – All fields marked in \*are to be mandatorily filled.**

**This Form is for**

Filing information with regard to  
LLP Agreement

For information with regard to changes  
in  
LLP Agreement

**Part A - For filing information with regard to LLP Agreement**

1. \*LLPIN
2. \*Name of Limited Liability Partnership
3. \*Place at which the Limited Liability Partnership Agreement is made
4. (i) \*Date of the Agreement
- (ii) Date of ratification
5. \*Address of Registered Office
- \*Line 1
- \*Line 2
- \*City  District
- \*State  \*PIN Code
- \*ISO Country Code  Country

Phone

Fax

\*Email ID

- 6. \*Business to be carried on by the Limited Liability Partnership

- 7. \* Designated Partners

(i) Whether each of the partners from time to time is to be designated partner.

Yes  No

(i) Names of persons who shall be designated partners on incorporation.

Name	DPIN

(ii) \*Acts, matters or things required to be done by a designated partner in respect of the compliance of the provisions of the Act.

1.

2.

3.

(iii) \*Powers in relation to acts, matters, or things which the designated partner can exercise only with the consent of all the partners/requisite number or percentage of partners.

1.

2.

3.

## 8. \*Obligation to contribute

- (i) Obligation of each partner to contribute money or property or other benefit or to perform services.

SN	Name of Partner	Nature and specification of obligation to contribute

- (ii) Total Monetary value of contribution by partners in the LLP (in Rs.) (in figure)

(in words)

## 9. \*Partners' powers and duties

- (i) Powers, duties and authority of each partner.

(a) Powers of the partners

(b) Duties of the partners

(c) Authority of the partners

- (ii) Mutual rights and duties of partners

- (iii) Mutual rights and duties of limited liability partnership and partners

## 10. \*Restrictions, if any, on the partners' authority.

11. \*Management and Administration of Limited Liability Partnership

- (i) Acts, matters or things, if any, which can be done only with the consent of all the partners:

- (ii) Acts, matters or things, if any, which can be done with the consent of majority of the partners.

- (iii) Acts, matters or things, if any, which can be done only with the consent of requisite number or percentage of the partners.

- (iv) Manner, if any, in which the consent of the partners is to be obtained.

- (v) Procedure for calling, holding and conducting meetings, (where the decisions are to be made at meetings of partners.)

12. \* Whether the LLP has a common seal

Yes  No

If yes, authority to affix the seal

13. \* Details of indemnity clause, if any -

14. \*Clauses of the Agreement relating to -

- (a) admission of a new partner
- (b) retirement of a partner
- (c) cessation of a partner
- (d) expulsion of a partner
- (e) resignation of a partner

15. \*Details of obligations, rights, entitlements of a partner on admission, retirement, cessation, expulsion or resignation.

16. \*Clauses relating to resolution of disputes

- (a) Between the partners; or
- (b) Between the partner and the LLP.

17. \*Duration of Limited Liability Partnership, if any.

18. \*Clauses, if any, relating to voluntary winding up

## 19. Information of clauses in the agreement:

(a)	relating to rule 16 (2)
(b)	relating to rule 17(1)
(c)	relating to rule 20(1)
(d)	relating to rule 24(18)(a)

20. Any other information or clause relating to the Limited Liability Partnership Agreement not covered above (optional).

**B. For Filing information with regard to changes (addition, omission or alteration) in the Limited Liability Partnership Agreement**

21. \*LLPIN

22. \*Name of the Limited Liability Partnership

23. \*Address of the registered office of the Limited Liability Partnership

\*Line 1   
 \*Line 2   
 \*City  District   
 \*State  \*PIN Code   
 \*ISO Country Code  \*Country   
 Phone  Fax   
 \* Email ID

24. \*Date of the modification of the agreement

25. \*Please indicate the changes in the LLP agreement pertaining to any of the items 3 to 20 above:

26. Indicate any other change or changes in LLP agreement not covered under 25 above.



27. \*Monetary value of contribution (in Rs) (in figures) -

- |       |          |                      |
|-------|----------|----------------------|
| (i)   | Existing | <input type="text"/> |
| (ii)  | Addition | <input type="text"/> |
| (iii) | Total    | <input type="text"/> |

**\*Statement**

I       ○ son   ○ daughter   ○ wife  
of       state as under :

- (i) I am a person named in the Incorporation Document as a designated Partner/I am a designated Partner of the limited liability partnership;
- (ii) that the particulars given above are in accordance with the limited liability partnership agreement/ agreement relating to change in the limited liability partnership agreement;
- (iii) the original Limited Liability Partnership Agreement will be produced whenever called for;
- (iv) in case of change in contribution, the fees payable to Registrar has been/being paid;
- (v) that I make this statement conscientiously believing the same to be true.

**Attachment**

Optional.

To be digitally signed by designated partner  
DPIN



Date:

Place:

**Certificate**

It is hereby certified that I have verified the above particulars from the books and records of

(name of the LLP) and found them to be true and correct.

Company Secretary in practice  Chartered Accountant in practice  cost Accountant in practice

Whether associate or fellow  Associate  Fellow

Membership Number or Certificate of Practice Number

**To be digitally signed by**

Company Secretary in practice/ Chartered Accountant in practice/ Cost Accountant in practice

Date:  (DDMMYYYY)

Place:

**For office use only**

This e-form is hereby registered

Digital signature of the authorizing officer

**Form 4**

[See rule 8, 10(8), 22(2) and 22(3)]

**Notice of appointment of partners/ designated partner and changes among them, intimation of DPIN by the LLP to Registrar and consent of partner to become a partner /designated partner**

Note: All fields marked in \* are to be mandatorily filled.

**PART A**

Notice of appointment of partner/designated partner and changes among them and intimation of DPIN

1. \* This form is for  New Limited Liability Partnership  Existing Limited Liability Partnership

2. \* Service Request number (SRN) of Form 1 or LLPIN

3. \*Name of the limited liability partnership

\*Address of the registered office of the limited liability partnership

\*Line I

\*Line II

\* City  \* State   
 \* Pin  \* ISO Country Code   
 \*Country   
 Phone  Fax   
 \*Email ID

4. \* Summary of partners and designated partners:

SN	Category	Number of Partners	Number of Designated partners	Number of designated partners resident in India
(i)	Individuals			
(ii)	LLPs			
(iii)	Companies			
(iv)	LLPs incorporated outside India			
(v)	Companies incorporated outside India			
	Total			

5. \*Number of individual(s) as partner(s)  (Dynamic)

Note: In case individual(s) are more than five, attach details in respect of remaining partners in a separate sheet as an attachment.

Details in respect of individual(s). (First, enter details in respect of designated partners)

\*Whether designated partner Yes  No

If yes, DPIN

\*Whether resident in India Yes  No

\*Name

\*Father's / Husband's Name

\*Nationality

Appointment  Cessation  Change in name of partner   
 change in name of designated partner  change in designation   
 Change in address

Date of appointment

Date of Cessation

Changed name

Date of change in designation

New designation

(Please give address and other details of the partner in addendum to this Form.)

6. \*Number of bodies corporate as partners (Dynamic)

Note: In case bodies corporate are more than five, attach details in respect of remaining bodies corporates in a separate sheet as an attachment.

Details in respect of bodies corporate and their nominees. (First, enter details in respect of designated partners)

Category (drop down) LLP, Company, LLP incorporated outside India (LIOI), Company incorporated outside India (CIOI)

LLPIN or Corporate Identity Number (CIN), LIOI registration number or CIOI registration number

\*Name

Country where registered

\*Name and particulars of the person signing on behalf of the body corporate as nominee

\*Designation

\*Father's / Husband's Name :

\*Nationality

\*Whether Designated partner Yes  No

If yes, DPIN

\*Whether resident in India Yes  NO

Appointment  Cessation  Change in name of partner

change in name of designated partner  change in designation

change in address

Date of appointment

Date of Cessation

Changed name

Date of change in designation

New designation

(Please give address and other details of the partner and nominee in addendum to this Form.)

**Part B****Consent of partners/designated partners**

Please attach the consent to become a partner / designated partner (separate consent for each partner/ designated partner) in the following format as an attachment:

“I,  hereby give my consent to become a  partner  designated partner of the  (name of the LLP ) pursuant to section 25(3)(c) / 7(4) of the Limited Liability Partnership Act, 2008.

I having consented to become a partner / designated partner of limited liability partnership also hereby undertake to contribute money or other property or other benefit or to perform services for limited liability partnership as per my obligations described in the limited liability partnership agreement.”

Signed Designation **Attachment:**

1. Consent to act as partner/designated partner
2. Evidence of cessation.
3. Affidavit or any other proof of change of name
4. Where the appointed partner is a body corporate, a copy of resolution of such body corporate and of the authority in favour of the nominee signing on behalf of body corporate.
5. Attachments in respect of details of individuals/bodies corporate where the number exceeds five.
6. Optional Attachment

**Statement**

To the best of my knowledge and belief, the information given in this form and its attachments is correct and complete.

I  a designated partner of the LLP, am authorized to sign and submit this form.

To be digitally signed by designated partner

DPIN

(The person signing the form should be different from the person in whose respect the form is being filed)

Name

Place

### Certificate

I hereby certify that I have verified the above particulars from the books and records of  (Name of L.I.P) and found them to be true and correct.

Company Secretary in practice  Chartered Accountant in practice  
 Cost Accountant in practice

Whether associate or fellow  Associate  Fellow

Membership Number or Certificate of Practice Number

Date:

Place:

**For office use only:**

This e-Form is hereby registered

Digital Signature of the authorizing officer

Submit to BO

**Addendum to Form 4****Particulars of addresses and other details of partners/designated partners and changes therein**1. Number of individuals as partners 

Note: In case individual(s) are more than five, attach details in respect of remaining partners in a separate sheet as an attachment.

Appointment  Cessation  Change in name of partner   
 change in name of designated partner  change in designation   
 change in address

Details in respect of individual(s) (First, enter details in respect of designated partners)

(The details in this addendum should be in the order of names of partners given in Form 4.)

\*Whether Designated partner Yes  No If yes, DPIN \*Whether resident in India Yes  NO \*Name : \*Father's / Husband's Name : \*Nationality : \*Date of birth \*Occupation \*Income-tax permanent account number (PAN): \*Passport Number: 

\*Permanent residential address

Address \*Line I \*Line II \*City  \*State \*Pin  \*ISO Country Code Phone  Fax Email ID

\* Whether present residential address is same as the permanent residential address:

(Please Tick ) Yes  No

If no, present residential address

Address Line I   
 Line II   
 City  State   
 Pin  ISO Country Code   
 Phone  Fax   
 Email ID

2. Number of bodies corporate as partners

Note: In case bodies corporate are more than five, attach details in respect of remaining bodies corporate in a separate sheet as an attachment.

Appointment  Cessation  Change in name of partner  
 change in name of designated partner  change in designation   
 change in address

Details in respect of bodies corporate and their nominees. (First, enter details in respect of designated partners)

(The details in this addendum should be in the order of names of partners given in Form 4.)

Category (drop down) LLP, Company, LLP incorporated outside India (LIOI), Company incorporated outside India (CIOI).

LLPIN or Corporate Identity Number (CIN), LIOI registration number or CIOI registration number.

\*Name of the body corporate

Country where registered

\*Full address of registered office

\*Line I

\*Line II

\*City  \*State

\*Pin  \*ISO Country Code



\*Country Phone Fax \*Email ID 

\*Name and particulars of the person signing on behalf of the body corporate as nominee

\*Designation \*Father's / Husband's Name : \*Nationality \*Date of birth \*Occupation \*Income-tax permanent account number (PAN) Passport Number \*Whether designated partner Yes  No If yes, DPIN \*Whether resident in India (Please Tick ) Yes  No 

\*Permanent residential address

Address

\*Line I \*Line II \*City \*State \*Pin \*ISO Country Code \*Country Phone Fax Email ID 

\*Whether present residential address is same as the permanent residential address:

(Please Tick ) Yes  No 

If no, present residential address

Address

Line I Line II City State Pin ISO Country Code Country Phone Fax Email ID

**Attachments:**

1. Attachments in respect of details of addresses and other details of individuals/bodies corporate where the number exceeds five.
2. Proof of address
3. **Optional Attachment**

**Statement**

To the best of my knowledge and belief, the information given in this form and its attachments is correct and complete.

I  a designated partner of the

(name of the LLP), am authorized to sign and submit this form.

To be digitally signed by designated partner

DPIN

(The person signing the form should be different from the person in whose respect the form is being filed)

Date:

Place:

**Certificate**

It is hereby certified that I have verified the above particulars from the books and records of  (name of the LLP) and found them to be true & correct.

Company Secretary in practice     Chartered Accountant in practice  
 Cost Accountant in practice

Whether associate or fellow     Associate     Fellow

Membership Number or Certificate of Practice Number

Date:

Place:

Modify

Check Form

Pre-scrutiny

Submit

**For office use only:**

This e-Form is hereby registered

Digital Signature of the authorizing officer

Submit to BO

**Form 5**  
[See rule 20(2)]  
**Notice of change of name**

Note: All fields marked in \* are to be mandatorily filled.

1. \*LLPIN

2. (a) \*Name of the limited liability partnership

(b) Address of the registered office of the limited liability partnership

\*Line 1

\*Line 2

\*City

District

\*State

\*PIN Code

\*ISO Country Code

\*Country

Phone

Fax

\*Email ID

3. \*Reasons/purpose for change of name

4. \*Service Request Number (SRN) of Form 1

5. \*Proposed name

6. \*Date of compliance of sub-rule (1) of rule 20

(DD/MM/YYYY)

**Attachments**

- (i) Copy of the minutes of decision/resolution/consent of partners,
- (ii) The extracts of the relevant provision of the Limited Liability Partnership Agreement, if any,

- (iii) If change is due to a direction received from the Central Government/ Registrar, then a copy of such direction.  
 (iv) Optional attachment.

### Statement

To the best of my knowledge and belief, the information given in this Form and its attachments is correct and complete.

I  a designated partner of the LLP, am authorized to sign and submit this form.

To be digitally signed by designated partner   
 DPIN

Date:

Place:

### Certificate

It is hereby certified that I have verified the above particulars from the books and records of  (name of the LLP) and found them to be true and correct.

Company Secretary in practice  Chartered Accountant in practice  
 Cost Accountant in practice

Digitally Signed

Certificate of Practice Number

Date:

Place:

**For office use only:**

This e-Form is hereby registered

Digital Signature of the authorizing officer   
 Submit to BO

**Form 6**

(See rule 22(1))

**Intimation of particulars of name or address of a partner/ change in such particulars by a Partner to the Limited Liability Partnership**

Note: All fields marked in \* are to be mandatorily filled.

1. \*This form is for intimating to the Limited Liability Partnership  
 O particulars  
 O change in particulars by the partner.

Type of partner:

- I. Individual
- II. Limited liability partnership
- III. Company
- IV. Limited liability partnership incorporated outside India
- V. Company incorporated outside India

**Part A****I. Intimation of particulars - Individual**

2. Name \*
- (a) \*First Name:
- (b) \*Last Name:
- (c) \*Middle Name:
- (d) \*Name as written:
3. \*Father's Name/Husband's Name
4. \*Whether citizen of India O Yes O No
5. \*Nationality:
6. \*Whether Resident in India: O Yes O No
7. \*Date of Birth:
8. \*Gender: O M O F
9. \*Income-tax permanent account number
10. Voter's identity card
11. Passport number
12. Others (specify)
13. \*Permanent Residential Address

\*Line I   
 \*Line II   
 \*City   
 \*State   
 \*Country   
 \*Pin Code   
 Phone   
 Fax   
 \*E-mail

11. \*Whether present residential address is the same as permanent residential address

Yes  No

12. Present residential address

Line I   
 Line II   
 City   
 State   
 Country   
 Pin Code   
 Phone   
 Fax

13. \*Whether a partner of partnership firm or limited liability partnership or director of a company

Yes  No

If Yes

(a) Names and addresses of the partnership firm(s)

Name  Address of principal office

(b) LLPIN and name of the limited liability partnership(s)

LLPIN

Name of limited liability partnership

(c) CIN and names of the companies in which he is a director

CIN  DIN  Name

## II. Intimation of particulars – Limited liability partnership

LLPIN: Name : PAN number of the limited liability partnership Full address of registered office Name of the person who will be signing on behalf of the limited liability partnership Designation and authority of the person signing on behalf of limited liability partnership 

Please give particulars of the person authorized in the format as given in sub-part I of Part A from serial number 2 to 16.

**III. Intimation of particulars – Company**CIN Name PAN number of the company Full address of registered office Name of the person who will be signing on behalf of the company Designation and authority of the person signing on behalf of the company 

Please give particulars of the person authorized in the format as given in sub-part I of Part A from serial number 2 to 16.

**IV. Intimation of particulars – Limited liability partnership incorporated outside India**Name : Country where the limited liability partnership is registered/incorporated Registration/Incorporation Number Full address of the registered office The statute under which the limited liability partnership is registered Name of the person who will be signing on behalf of the limited liability partnership incorporated outside India Designation and authority of the person signing on behalf of limited liability partnership incorporated outside India 

Please give particulars of the person authorized in the format as given in sub-part I of Part A from serial number 2 to 16.

**V. Intimation of particulars – Company incorporated outside India**

Name :

Country where the company is registered/incorporated

Registration/Incorporation Number

Full address of the registered office

The statute under which the company is registered

Name of the person who will be signing on behalf of the company  
incorporated outside India

Designation and authority of the person signing on behalf of company  
incorporated outside India

Please give particulars of the person authorized in the format as given  
in sub-part I of Part A from serial number 2 to 16.

**PART B – Intimation of change in particulars relating to name or address of  
the partner**

Please give below the particulars sought to be changed

-----

-----

-----

The following documents in support of the above are attached

- (a) \_\_\_\_\_
- (b) \_\_\_\_\_

I \_\_\_\_\_ son/daughter of \_\_\_\_\_

declare and verify that the information given in the form and the documents  
enclosed is correct and complete.

Signature  
Date  
Place



**Form 7***[See rule 10]***Application for allotment of Designated Partner Identification Number**

Note: All fields marked in \* are to be mandatorily filled.

Provisional Designated Partner Identification Number (DPIN)  
(not to be filled by the applicant as it is generated by the system)

**Applicant's name (enter full name and do not use abbreviations)**

1. DIN ( if allotted )

2. Name

(a) \*First name :

(b) \*Last name :

(c) \*Middle name :

(d) \*whether nominee of a body corporate Yes  No

Affix a latest passport size photograph and get it attested/ certified for submission of physical copy of the form with Central Government.

If Yes, the details of the body corporate:

Name of the body corporate

Registration Number

Address of the registered office of the body corporate

Line 1

Line 2

City

District

State

PIN Code

ISO Country Code

Country

Phone

Fax

Email ID

3. Father's /Husband's name

(a) \*First name :

(b) \*Last name :

(c) \*Middle name:

(d) \*Whether a citizen of India:  Yes  No

(e) \*Nationality:

(f) \*Date of Birth:  (DD/MM/YYYY)

(g) \*Gender:

(h) \*Place of birth:

(i) \*Income tax permanent account number:

(j) \*Voter's identity card number:

(k) \*Passport number:

(l) \*Driving license number:

(m) \*Other (please specify):

(n) \*Permanent Residential Address:

(a) \*Line I:

\*Line II:

(b) \*City:

(c) \*State:

(d) \*Country:

(e) \*Pin code:

(f) \*Phone:

(g) \*Fax:

(h) \*Email ID:

(i) \*Whether present residential address is same as permanent residential address  
Yes  No

(j) \*Present Residential Address:

(a) \*Line I:

\*Line II:

(b) \*City:

- (c) State
- (d) Country
- (e) Pin code
- (f) Phone
- (g) Fax

17. \*Whether resident of India

Yes  No

Specimen signature of the applicant  
(within the box)

Instruction Kit

Submit

Following documents are being enclosed :

**Proof of Identity (Tick against the document being enclosed)**

1. Passport
2. Election (voter identity) card
3. Driving license
4. Income-tax PAN card
5. Others-Please Specify

**Proof of residence (Tick against the document being enclosed)**

1. Passport
2. Election (voter identity) card
3. Ration card
4. Driving license
5. Electricity bill
6. Telephone bill
7. Bank account statement
8. Others-Please Specify

I  son/daughter of

resident of  hereby declare and verify that the information given in this application and the documents enclosed is correct and complete. I confirm that I do not possess and have not been allotted another Designated Partner Identification Number by the Central Government. I also confirm that no other application (including physical documents) submitted by me is pending for allotment of Designated Partner Identification Number.

**Signature of the applicant**  
(to be signed for submission of physical copy of the form with Central Govt)

Dated  (DD/MM/YYYY)

Place **General Guidelines for DPIN Application**

1. **Obtain Provisional DPIN** - The applicant should first fill in the application on-line, generate a provisional DPIN and then **take** a print out for dispatch to the DPIN Processing Cell. All application **without** a provisional DPIN cannot be accepted for further process and would merit **straight** rejection.
2. **Attestation/certification of photograph, proof identity and proof of residence** - A Public Notary or a Gazetted Officer of a Government or a practising professional (Chartered Accountant/ Company Secretary/Cost Accountant) or a Company Secretary in full time employment of the company.
3. **Particulars of the attesting/certifying authority** - The attesting authority must indicate the following while attesting the documents : (i) Signatures; (ii) Name in full in Capitals; (iii) Registration No; and (iv) Seal/ Stamp.
4. **Language of proofs for identity and residence** - In case the proof of identity and proof of residence is in a language other than Hindi or English, a certified copy of translation of the same in Hindi or English should be enclosed and the translation be also certified by the professional who has otherwise certified the said proofs.
5. **Date of Birth** - The proof of identify enclosed with DPIN Form should also contain the Date of Birth of the applicant and the same should match the Date of Birth filled in the application form. In case the proof of identify does not indicate the Date of Birth then additional proof of Date of Birth, duly certified/attested should be attached.
6. **Father's Name** - The proof of identify enclosed with DPIN Form should also contain the Father's Name of the applicant and the same should match the Father's Name filled in the application form. In case the proof of identify does not indicate the Father's Name then additional proof of Father's Name, duly certified /attested, should be attached.
7. **Process for applications who are (i) Indian citizens residing abroad; (ii) foreign nationals residing in India; and (iii) foreign nationals residing outside India** - While general conditions as mentioned at Sr.No.1,3,4 and 5 would be applicable in these categories also, the certification of attached documents and the photograph may be done by a notary in the home country of the applicant or the designated partner of the L.L.P. Further, in the case of a Foreign National, certified copy of the valid passport should be enclosed.

**For office use only:**Signature of the Authorizing Officer Dated Place

**Form 8**

[See rule 24]

**Statement of Account & Solvency****Note – All fields marked in \*are to be mandatorily filled.**Annual or interim 

If Annual -

Statement of Account and Solvency as at

LLPIN/FLLPIN

Name of the Limited Liability Partnership/ Foreign Limited Liability Partnership

**Part A: Statement of Solvency**

We  being the designated partners or authorized representatives of  (name of the LLP/FLLP) do solemnly affirm and sincerely declare that we have made a full inquiry into the affairs of this Limited Liability Partnership/Foreign Limited Liability Partnership, and that, having done so, have formed the opinion that the Limited Liability Partnership/Foreign Limited Liability Partnership is/is not able to pay its debts in full as they become due in the normal course of business.

We append a Statement of the Assets and Liabilities as at  and Income and Expenditure for the period ended on  being the latest practicable date before the making of this declaration.

We append a Statement indicating creation of charges or modification or satisfaction thereof during the financial year.

We declare that the turnover does not exceed/exceeds 40 lakh or the contribution does not exceed/exceeds 25 lakh rupees. The partners/authorized representatives have taken proper care and responsibility for maintenance of adequate accounting records and preparation of accounts in accordance with the provisions of the LLP Act and the Rules made thereunder.

We  being the authorized representatives of

(not being a foreign LLP) do solemnly affirm and sincerely declare that we have caused the full acquity into the claims of the limited liability partnership incurred outside India, and that, having done so, have formed the opinion that such foreign limited liability partnership incorporated outside India is not able to pay its debts in full as they become due in the normal course of business.

We have made statement conscientiously believing it to be true, and by virtue of the provisions of the Limited Liability Partnership Act, 2008, the rules made thereunder.

Made this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Place: \_\_\_\_\_

Signature of Designated Partners of LLP \_\_\_\_\_  
or authorized representatives (AR) of a Foreign LLP

DPINs \_\_\_\_\_

**Part B: Statement of Account**

**Statement of Assets and Liabilities**

Of \_\_\_\_\_ as at \_\_\_\_\_ (period)  
(In Rupees \_\_\_\_\_)

	Particulars	Figures as at the end of the current reporting period	Figures as at the end of the previous reporting period
	1	2	3
I.	<b>CONTRIBUTION AND LIABILITIES</b>		
(1)	<b>Partners' funds</b>		
	(a) Contribution		
	(b) Reserves and surplus (including profit/loss made during the year)		
(2)	<b>Liabilities</b>		
	(a) Secured loans		

	(b) Unsecured loans (c) Short term borrowings (d) Creditors/trade payables - Advance from customers (e) other liabilities (to specify) (f) Provisions (i) for taxation (ii) for contingencies (iii) for insurance (iv) other provisions (if any)  <b>TOTAL</b>		
II	<b>ASSETS</b>  (a) Fixed assets (b) Investments (c) Loans and advances (d) Inventories (e) Debtors/trade receivables (f) Cash and cash equivalents (g) other assets (to specify)  <b>TOTAL</b>		

- Notes: (a) Contingent liabilities not provided for.  
 (b) The disclosures under provisions of section 22 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 may be added as attachment to this Form.  
 (c) Any other disclosures the LLP thinks proper to disclose.

Signature of Designated Partners of LLP  
 or authorized representatives (AR) of a Foreign LLP

DPINs

Statement of Income and Expenditure

Of  for the period from  to

<u>Income</u>	<u>Current year</u>	<u>Previous year</u>

Turnover		
Other income (to specify)		
Increase/(decrease) in stocks [including for raw materials, work in progress and finished goods]		
TOTAL INCOME		
<b><u>Expenses</u></b>		
Purchases		
Personnel expenses		
Administrative expenses		
Selling expenses		
Depreciation		
Interest		
Other expenses (to specify)		
Profit before taxes		
Provision for Tax		
Profit after Tax		
Profit transferred to Partners' account		
Profit transferred to Reserves and surplus		

**Note:-**

(a) Turnover means the aggregate of the gross value of the realization made from the sales, supply or distribution of the goods or on account of services



rendered or both during the financial year. The amount of total excise duty/service tax deducted from turnover shall be disclosed separately.

(b) Any other disclosures the LLP thinks proper to disclose.

Signature of Designated Partners of LLP  
or authorized representatives (AR) of a Foreign LLP

DPINs

**Certificate by the Designated partner or the auditor**

It is hereby certified that I have verified the particulars contained in the Statement of Account and Solvency including the Statements of assets and liabilities as at  and the income and expenditure for the period ending  from the accounting records and other books and papers of  (name of the LLP) and found them to be true and fair.

Name of the auditor/designated partner

\*Address

\*Line I

\*Line II

\*City

\*State

\*Pin

\*ISO Country Code

\*Country

Phone

Fax

Email ID

Membership number/DPIN

Place:

Date:

**Modify Check form Pre-scrutiny Submit**

**For office use only**

This e-form is hereby registered

**Confirm submission**

Digital signature of the authorizing officer

**Appendix to Statement of Account and Solvency**  
**Particulars for creation or modification or satisfaction of charges by an LLP**

1. \*LLPIN

2. (a) This form is for  
           creation of charge          
           modification of charge   
           satisfaction of charge

\*(b) charge identification ID number of the charge to be modified  
 or satisfied

3. \*Type of charge

Immoveable property	
Any interest in immoveable property	
Book debts	
Moveable property (not being pledge)	
Floating charge	
If others, specify	

Ship	
Goodwill	
Patent, licence under a patent	
Trade marks	
Copyright or licence under copy right	

4. \*Whether joint charge is involved        YES  NO

5. \*\*Number of charge holders

6. Particulars of the charge holders  
 CIN/LLPIN

\*Name

\*Address  
 \*Line 1

\*Line 2

\*City  District

\*State  \*PIN Code

\*ISO Country Code

\*Email ID

7. \*Nature or description of instrument(s) creating or modifying the charge.

8. \*Date of the instrument creating or modifying the charge (DD/MM/YYYY)

9. (a) \*whether charge created or modified outside India  
Yes  No

(b) In case charge created or modified outside India on the property situated outside India, the date of receipt of the documents in India

(DD/MM/YYYY)

10. \*Amount secured by charge in Rs.

11. Brief particulars of the principal terms and conditions and extent and operation of the charge

(a) *Rate of interest
(b) *terms of repayment
(c) *margin
(d) *extent and operation of the charge
(e) others

12. In case of acquisition of property, subject to charge, furnish the following details relating to existing charge on the property so acquired:

- date of instrument creating or evidencing the charge,
- description of the instrument creating or evidencing the charge,
- date of acquisition of the property,
- amount of the charge in rupees,
- particulars of the property charged.

13. \*Short particulars of the property charged (including location of the property)

14. (a) \*whether any of the property or interest therein under reference is not registered in the name of the company.

Yes  No

(b) If yes, in whose name it is registered

Note. If more than one charge holder involved, details of extent of charge, particulars of property charged, amount secured to be provided in attachment.

15. Date of latest modification prior to present modification

DD/MM/YYYY

16. Particulars of present modification

17. Date of satisfaction in full  (DD/MM/YYYY)

**Attachments:-**

- (i) instrument of creation or modification
- (ii) instrument evidencing creation or modification of charge in case of acquisition of property which is already subject to charge
- (iii) particulars of all joint charge holders
- (iv) letter of charge holder stating that the amount has been satisfied
- (v) optional attachment.

Signature of Designated Partner

DPIN

**Form 9**

[See rule 7 and 10(8)]

**Consent to act as Designated Partner**

Note – All fields marked in \*are to be mandatorily filled.

To  Limited Liability Partnership

(Name and address of the limited liability partnership)

Date: DD/MM/YYYY

**Subject : Consent to act as Designated Partner**I,  hereby give my consent to act as designated partner of the  (name of the LLP) pursuant to Section 7(3) of the Act.**Particulars**

1. \*Designated Partner Identification Number (DPIN)
2. \*Name
3. \*Father's /Husband's Name
4. \*Present residential address
5. \*e-mail ID
6. Name of the Partnership Firm

Or

LLPIN  & Name of Limited Liability Partnership 

Or

CIN  & Name of the Company 

Or

Name of any other body corporate 

whose nominee the designated partner is.

I hereby state that I satisfy the conditions and requirements for being eligible to be a designated partner and I have not been disqualified to act as a designated partner.

To be signed by the designated partner: DPIN Date: Place:

**Form 10***[See rule 10(9)]***Intimation of changes in particulars by Designated Partners**

Note – All fields marked in \*are to be mandatorily filled.

Affix a latest  
passport size  
photograph and get  
it attested/ certified  
for submission of  
the form with MCA

1. \*Designated Partner Identification Number (DPIN)

2. Please identify (tick) and fill-in particulars sought to be changed:

Applicant name

Nationality

Date of birth

Income-tax permanent account number:

Voter's identity card number :

Passport number :

Driving licence number:

Permanent residential address:

Present residential address:

Other (please specify):

3. Applicant's name (enter full name and do not use abbreviations)

First name :

Last name :

Middle name :

4. Whether a resident of India  Yes  No

5. Nationality:

6. Date of birth  (DD/MM/YYYY)

7. Income-tax permanent account number

8. Voter's identity card number :

9. Passport number :

10. Driving licence number:

11. Permanent residential address

Line I

Line II

(a) City :

(b) State :

(c) Country :

(d) Pin code :

(e) Phone :

(f) Fax :

12. Present residential address

Line I

Line II

(a) City :

(b) State :

(c) Country :

(d) Pin code :

(e) Phone :

(f) Fax :

**NOTE I:** Enclose necessary documents attested by a Notary or gazetted officer or a Company Secretary, a Chartered Accountant, a Cost Accountant holding a certificate of practice under the Company Secretaries Act, 1980, Chartered

Accountants Act, 1949, and the Cost and Works Accountants Act, 1959 respectively.

**NOTE II:** In case any proof enclosed is in language other than Hindi or English then the translated copy of the same in English or Hindi shall be required to be enclosed. It should be certified by the same professional who has certified other proof.

**NOTE III:** In case the designated partner submitting change in particulars is not residing in India, the certification of attached documents and the photograph may be done by a notary in the home country of the applicant. Further, in the case of a foreign national, certified copy of the valid passport should be enclosed.

**NOTE IV:** The photograph of the applicant being affixed on the form should also be attested.

IF ANY OF THE REQUIREMENTS ARE NOT MET, CHANGES WILL NOT BE CONSIDERED.

I  son / daughter of

resident of  hereby declare and verify that the information given in this Form and the documents enclosed is correct and complete.

**Signature of the applicant**

Date  (DD/MM/YYYY)

Place

**For office use only:**

**Signature of the Authorizing Officer**

Date  (DD/MM/YYYY)

Place



**Form 11**

[See rule 25(1)]

**Annual Return of Limited Liability Partnership****Note – All fields marked in \*are to be mandatorily filled.**\*Annual Return made upto 31<sup>st</sup> day of March of  (Year).

1. \*LLPIN
2. \*Name of limited liability partnership
3. \*Address of registered office
  - \*Line I
  - \*Line II
  - \*City :
  - \*State :
  - \*ISO Country Code :
  - \*Country
  - \*Pin code :
  - \*Phone (with STD Code):
  - Fax :
  - \*Email:

4. Other address if declared under section 13(2) for service of documents

- Line I
- Line II
- City :
- State :
- ISO Country Code :
- Pin code :
- Phone (with STD Code):
- Fax :

Email: 5. Date of closure of Financial Year to which the Annual Return relates  
 (DD/MM/YYYY)6. Business classification 

(with reference to one or more categories prescribed for business, trade, profession, service or occupation classification)

7. Principal business activities of the Limited Liability Partnership

8. \* Summary of partners and designated partners for whom this Form is filed.

SN	Category	Number of Partners	Number of Designated partners	Number of designated partners resident in India
(i)	Individuals			
(ii)	LLPs			
(iii)	Companies			
(iv)	LLPs incorporated outside India			
(v)	Companies incorporated outside India			
	Total			

9. Number of individual(s) as partner for  (Dynamic)

Note: (In case individual(s) are more than ten, attach details in respect of remaining individual partners in a separate sheet as an attachment.)

Details in respect of individual(s). (First, enter details in respect of designated partners)\*Whether Designated partner Yes  No If yes, DPIN \*Whether resident in India Yes  NO \*Name :

\*Father's / Husband's Name :

\*Nationality :

Date of appointment

Date of Cessation

Changed name

Date of change in designation

New designation

(Please give address and other details of the partner in Addendum to this Form.)

Whether a partner of partnership firm or limited liability partnership or director of a company

Yes  No

Names and addresses of the partnership firm(s)

Name  Address of principal office

LLPIN and name of the limited liability partnership(s)

LLPIN

Name of limited liability partnership

CIN and names of the companies in which he is a director

CIN  DIN  Name

Whether nominee of a body corporate

Yes  No

10. \*Number of bodies corporate as partners  (Dynamic)

Note: In case bodies corporate are more than five, attach details in respect of remaining bodies corporate in a separate sheet as an attachment.

Details in respect of bodies corporate and their nominees (First, enter details in respect of designated partners)

Category (drop down) LLP, Company, LLP incorporated outside India (LIOI), Company incorporated outside India (CIOI).

LLPIN or Corporate Identity Number (CIN) or LIOI registration number or CIOI registration number

\*Name

\*Country where registered

\*Name and particulars of the person signing on behalf of the body corporate as nominee

\_\_\_\_\_

\*Domicile \_\_\_\_\_

\*Father or Husband's Name \_\_\_\_\_

\*Nationality \_\_\_\_\_

\*Whether Designate Partner  Yes  No

If DPIB \_\_\_\_\_

\*Whether in India Yes  NO

Date of appointment \_\_\_\_\_

Date of Cessation \_\_\_\_\_

Charter Party \_\_\_\_\_

Date of change of signature \_\_\_\_\_

New Designation \_\_\_\_\_

(Please give address and other details of the partner and nominee in Addition to this Form.)

Whether partner in partnership firm, limited liability partnership or director of a company

Yes  No

Name and addresses of the partnership firm(s)

Name \_\_\_\_\_ Address of principal office \_\_\_\_\_

Name and name of limited liability partnership(s)

Name \_\_\_\_\_

Name of other partnership \_\_\_\_\_

Chief Executive of the company in which he is a director

\_\_\_\_\_ I.D.N. \_\_\_\_\_ Name \_\_\_\_\_

If contribution is to be made to contribute

	Name of the contributor	Obligation and form of contribution	Contributions received and accounted for (in Rs.)

## (i) Limited liability partnership

Section No.	offence	Penalty imposed

## (ii) Partners/ Designated partners

Name of the Partner/ Designated Partner	Section No.	offence	Penalty imposed

## 13. \*Particulars of compounding of offences

Section No.	Offence	Date of Compounding of offence

**Attachments**

Optional Attachment.

**Verification**

To the best of my knowledge and belief, the information given in this Form and its attachments is correct and complete.

**To be digitally signed by**Designated Partner DPIN Date: Place: **Certificate**

I certify that Annual Return contains true and correct information.

To be signed by a Designated partner

DPIN

or

I certify that all the particulars mentioned above are true as per the books and records of  (name of the LLP) and

found them to be true and correct.

**Company Secretary in practice**

Certificate of Practice Number

Date:

Place:

For office use only

This e-form is hereby registered

Digital signature of the authorizing officer

**Addendum to Form 11**

**Particulars of addresses and other details of partners/designated partners**

1. Number of individuals as partners

(In case individual(s) are more than ten, attach details in respect of remaining individual partners in a separate sheet as an attachment.)

Details in respect of individual(s) (First, enter details in respect of designated partners)

(The details in this Addendum should be in the order of names of partners given in Form 11.)

\*Whether Designated partner Yes  No

If yes, DPIN

\*Whether resident in India Yes  NO

\*Name :

\*Father's / Husband's Name :

\*Nationality

\*Date of birth

\*Occupation

\*Income-tax permanent account number (PAN)

Passport Number

\*Permanent residential address

Address \*Line I

\*Line II

\*City  \*State

\*Pin  \*ISO Country Code

Phone  Fax

Email ID

\*Whether present residential address is same as the permanent residential address:

(Please Tick ) Yes  No

If no, present residential address

Address Line I

Line II

City  State

Pin  ISO Country Code

Phone  Fax

Email ID

2. Number of bodies corporate as partner

(In case bodies corporate are more than five, attach details in respect of remaining bodies corporate in a separate sheet as an attachment. First, enter details in respect of designated partners)

**Details in respect of Bodies Corporate and their nominees.**

(The details in this Addendum should be in the order of names of partners given in Form 11).

Category (drop down) LLP, Company, LLP incorporated outside India (LIOI), Company incorporated outside India (CIOI).

LLPIN or Corporate Identity Number (CIN) or LIOI registration number or CIOI registration number

\*Name of the body corporate

\*Country where registered

\*Full address of registered office

\*Line I

\*Line II

\*City  \*State

\*Pin  \*ISO Country Code

Country

[Redacted]

Phone

Fax

[Redacted]

TELEFAX NO.

[Redacted]

\*Name and particulars of the person signing on behalf of the body corporate as trustee

[Redacted]

\*Designation

[Redacted]

\*Member's / Husband's Name

[Redacted]

\*Nationality

[Redacted]

\*Place of Birth

[Redacted]

\*Occupation

[Redacted]

\*Permanent tax permanent account number (PAN)

[Redacted]

\*Phone Number

[Redacted]

\*Whether designated partner: Yes  No

IF YES (P.T.D.)

[Redacted]

\*Is the taxpayer resident in India (Please Tick ) Yes  No

\*Permanent residential address:

Address

\*Line I

[Redacted]

\*Line II

[Redacted]

\*City

[Redacted]

\*State

[Redacted]

\*Pin

[Redacted]

\*ISO Country Code

[Redacted]

\*Country

[Redacted]

Phone

[Redacted]

Fax

[Redacted]

Email ID

[Redacted]

\*Whether present residential address is same as the permanent residential address:

(Please Tick ) Yes  No

If the present residential address:

Address

Line I

[Redacted]

Line II

[Redacted]

City

[Redacted]

State

[Redacted]



Pin  ISO Country Code   
 Country   
 Phone  Fax   
 Email ID

**Attachments**

Optional Attachment.

**Verification**

To the best of my knowledge and belief, the information given in this form and its attachments is correct and complete.

**To be digitally signed by**Designated Partner DPIN **Certificate**

I certify that annual return contains true and correct information.

To be signed by a designated partner DPIN 

Or

I certify that all the particulars mentioned above are true as per the books and records of  (name of the LLP) and found them to be true and correct.

Company Secretary in practice

Certificate of Practice Number **For office use only**

This e-form is hereby registered

Digital signature of the authorizing officer

**Form 12**

[See rule 16(3)]

**Form for intimating other address for service of documents**

\* Fields marked in \* are to be mandatorily filled.

\* PAN

Name of the Limited Liability Partnership

Address of Registered Office

Street

Street

State

Post

Pin/Postality Code

City/Town

District

Telephone STD Code

Telephone

Telex

In pursuant to section 13(2) of the Limited Liability Partnership Act, 2008, the above named Limited Liability Partnership declares the following address, other than the address of its Registered Office, for serving a document on it or its partner or its limited partner:

\* Address:

Street

Street

State

Post

Pin/Postality Code

City/Town

Phone (with STD Code) Fax : Email: Date of complying with sub-rule(2) of rule 16 : **Attachments.**

- (i) Copy of the minutes of decision/resolution/consent of partners,
- (ii) The extracts of the relevant provision of the Limited Liability Partnership Agreement, if any,
- (iii) Proof of address,
- (iv) Optional Attachment.

**Verification**

To the best of my knowledge and belief, the information given in this Form and its attachments is correct and complete.

I  a designated partner of  
 (name of the LLP) am authorized to sign  
 and submit this form.

To be digitally signed by designated partner   
 DFIN

Date: Place: 





For office use only

This e-form is hereby registered

Digital signature of the authorizing officer

**Form 13**

*[Refer section 24(1) of the Act]*

**Specimen of notice of cessation by a ceasing partner to other Partners.**

Note – All fields marked in \*are to be mandatorily filled.

To

All Partners  
..... Limited Liability  
Partnership  
(Registered Address)

All Partners  
..... Limited Liability  
Partnership  
(Other address declared by the  
Limited Liability Partnership for  
service of documents)

Date  (DDMMYYYY)

[Date should be at least 30 days before the date partner intends to resign]

In accordance with the provisions of section 24(1) of the Limited Liability  
Partnership Act, 2008, I  (Name of Partner)

do hereby give notice of my intention to resign as a partner of the

(name of the LLP) with effect from

(DDMMYYYY).

Name of the partner

Address

# Name of the Authorised Signatory

Signatures

#Applicable where the partner is a body corporate. Copy of authorization to be  
attached.

Date:

Place:

**Form 14**

[See rule 33]

Form for intimating the Registrar of Firms/Registrar of Companies of conversion of firm/company into limited liability partnership.

Note – All fields marked in \*are to be mandatorily filled.

This form is for intimating

- Conversion of firm into limited liability partnership.
- Conversion of private company into limited liability partnership
- Conversion of unlisted public company into limited liability partnership

**Part A****Conversion of firm into limited liability partnership**

1. \*Name of the firm
2. \*Principal address of the firm
3. \*Whether the firm is registered under the Partnership Act, 1932

Yes  No

If yes, date of registration

Registration No.

If no, whether the firm is registered under any other law

Yes  No

If yes, the name of the Statute

Date of registration

Registration No.

**Part B****Conversion of private company/ unlisted public company into limited liability partnership**

1. \*Name of the company
2. \*CIN
3. Address of registered office of the company

\*Line 1

\*Line 2

\*City  \*District

\*State  \*PIN Code

**Part C**

Particulars of the limited liability partnership into which the aforesaid firm/company has been converted.

1. \*CIN
2. Name of the limited liability partnership
3. \*Date of incorporation  (DDMMYYYY)
4. Address of registered office-

\*Line I

\*Line II

\*City

\*State

\*ISO Country Code:

\*Pin code:

Phone (with STD Code)

Fax

\*Email

**Attachments:**

- (1) Copy of the certificate of incorporation of Limited Liability Partnership.
- (2) Optional Attachment.

**Certificate**

I,  partner of the

(name of the LLP) hereby give notice of conversion of the

(name of converted firm or company) into

the said limited liability partnership on  day of

To be digitally signed by a partner of the LLP who, in case of conversion of firm, was one of the partners, or who in case of conversion of a private or unlisted public company, was one of the directors in the company

DIT/FORM

Date:

Place:

**Modify Check form Pre-scrutiny Submit**

**For office use only**

This e-form is hereby registered

**Confirm submission**

Digital signature of the authorizing officer

**FORM 15**

[See rule 17]

**Notice of change of place of registered office**

Note - All fields marked in \*are to be mandatorily filled.

1. \*LLPIN

2. \*Name of the Limited Liability Partnership

3. \*Present address of the registered office of the limited liability partnership

\*Line I

\*Line II

\*City:

\*State:

\*ISO Country Code:

\*Country:

\*Pin code:

Phone (with STD Code)

Fax:

\*Email:

4. \*New address of the registered office of the limited liability partnership

\*Line I

\*Line II

\*City:

\*State:

\*ISO Country Code:

\*Country:

\*Pin code:

Phone (with STD Code)

Fax:

Email:

5. \*The full address of the police station under whose jurisdiction the new registered office address of the limited liability partnership is situated

*Name	<input type="text"/>
Address	
*Line I	<input type="text"/>
*Line II	<input type="text"/>
*City/Town/village:	<input type="text"/>
*Tehsil:	<input type="text"/>
*District:	<input type="text"/>
*State:	<input type="text"/>
*Pin code:	<input type="text"/>

6. Particulars of prosecutions initiated against or show cause notices received by the LLP for alleged offences under the Act.

7. \*Change of place of registered office is -

- Within the same city/town/village.
- From one place to another place within the same State.
- Within the State from the jurisdiction of one Registrar to the jurisdiction of another Registrar.
- Change of place of the registered office from one State to another State.

8. Dates of publication of public notice in the newspapers

(Applicable where change of place of the registered office is from one State to another).

9. \*Date of complying with sub-rule (1) or sub-rule (4) of rule 17.



**Attachments.**

- (i) Proof of changed address of registered office.
- (ii) Copy of the minutes of decision/resolution/consent of partners
- (iii) The extracts of the relevant provision of the Limited Liability Partnership Agreement, if any.
- (iv) Copies of public notice, if applicable.
- (v) Consent of secured creditors, if applicable.
- (vi) Optional attachment.

**Verification**

To the best of my knowledge and belief, the information given in this Form and its attachments is correct and complete.

I  a designated partner of  (name of the LLP), am authorized to sign and submit this form.

To be digitally signed by designated partner

DPIN

Date:

Place:

**Certificate**

It is hereby certified that I have verified the above particulars from the books and records of  (name of the LLP) and found them to be true and correct.

Company Secretary in practice  Chartered Accountant in practice  Cost Accountant in practice

To be digitally signed by

Certificate of Practice Number

Date:

Place:

**For Office use only:**

This e-Form is hereby registered

Digital Signature of the authorizing officer

Submit to BO

**Form 16**

[Refer section 12(1)(b) of the Act]

**Certificate of Incorporation**

LLPIN \_\_\_\_\_ of 20\_\_\_\_

I hereby certify that \_\_\_\_\_ Limited Liability

Partnership is incorporated pursuant to section 12(1) of the Limited

Liability Partnership Act, 2008.

Given under my hand at \_\_\_\_\_ this \_\_\_\_\_ day of

\_\_\_\_\_, Two thousand \_\_\_\_\_.

Registrar

-----

(Seal)

**FORM 17**

[See paragraphs 2,3, 4 and 16 of the Second Schedule of the Act and rule 38(1)]

**Application and statement for the conversion of a firm into Limited Liability Partnership**

Note – All fields marked in \*are to be mandatorily filled.

Part AApplication1. \*Name of the firm 

2. \*Principal address of the firm

\*Line 1 \*Line 2 \*City  \*District \*State  \*PIN Code \*ISO Country Code Phone  Fax Email ID 

3. (a) \*Whether the firm is registered under the Partnership Act, 1932.

Yes  No If yes, date of registration Registration No. 

If no, whether the firm is registered under any other law

 Yes  NoIf yes, the name of the Statute under which registered Date of registration Registration No. (b) \*Date of agreement by which firm was formed DD/MM/YYYY

4. \*Total number of partners in the firm

5. \*Names and addresses of the partners (Dynamic).

Name	Address (House Number, city/town/village, District, State, Pin code )	Amount of capital held in the firm

6. \*Service Request Number (SRN) of Form 1

7. \*Name of the proposed limited liability partnership

8. \*Address of registered office of the proposed limited liability partnership

\*Line 1

\*Line 2

\*City  \*District

\*State  \*PIN Code

\*ISO Country Code

Phone  Fax

Email ID

9. \*Total number of partners in the LLP

10. \*Whether all the partners of firm have given their consent for conversion of the firm into the limited liability partnership.

Yes  No

If yes, attach the copy of the consent.

11. \*Whether all the partners of the limited liability partnership comprise all the partners of the Firm and no one else.

Yes  No

12. \*Whether up to date Income-tax return is filed under the Income-tax Act, 1961.

Yes  No

If Yes, indicate the period upto which such return is filed

DD/MM/YYYY

13. \*Whether any proceedings by or against the firm are pending in any Court or Tribunal or any other Authority.

Yes  No

If yes, particulars of such proceedings in the following manner :-

Name of Court/ Tribunal/ Authority	Particulars

(In case the number of proceedings is more than five, separate sheet(s) in the above manner may be attached as an attachment.)

14. Whether any earlier application for conversion of the said firm into limited liability partnership was refused by the Registrar.

Yes  No

If yes, give SRN of earlier Form 17 and the reasons for refusal:-

(i) SRN

(ii) Reasons

15. \*Whether any conviction, ruling, order, judgment of any Court, Tribunal or other authority in favour of or against the firm are subsisting.

Yes  No

If Yes, details thereof in following manner:-

Section and the title of relevant Act	Particulars	Name of Court/ Tribunal/ Authority

(In case the number of proceedings is more than five, separate sheet(s) in the above manner may be attached as an attachment.)

16. \*Whether consent of all the creditors for conversion of the firm into limited liability partnership has been obtained.

Yes  No

If Yes, attach the list and consent of such creditors.

17. \*Whether any clearance, approval or permission for conversion of the firm into limited liability partnership is required from any other body/authority.

Yes  No

If Yes, whether the applicable approvals from the concerned body/authority or authorities have been obtained.

Yes  No

18. \*Whether the Statement of assets and liabilities of the firm duly certified as true and correct by a Chartered Accountant in practice and made upto a date not preceding 30 days of the date of filing the application for conversion attached.

Yes

To be digitally signed by designated partner

DPIN

Date

Place

**Part B**  
**Statement**

I  partner of M/s  (name of the firm) registered under the Indian Partnership Act, 1932 or under

(name of the law) at  (name of the place) in the State /UT of  (name of the State or Union Territory) on  (date); registration number

and also named in the incorporation document of

(name of the LLP) as a partner or designated partner give my consent for the conversion of the said firm M/s  (name of the firm) into the limited liability partnership.

2. I state that I shall be personally liable (jointly and severally with the limited liability partnership) for the liabilities and obligations of the firm which were incurred prior to the conversion or which arose from any contract entered into prior to the conversion.

**I further state as under:**

(i) that all the requirements of the Limited Liability Partnership Act, 2008 and the rules made thereunder have been complied with, in respect of conversion of firm into limited liability partnership and matters precedent and incidental thereto;

(ii) that all the partners of the limited liability partnership comprise all the partners of the firm and no one else;

(iii) that the applicable clearances, approvals or permissions for conversion of the firm into a limited liability partnership from any body/authority have been obtained;

(iv) that the consent of all the creditors for conversion of the firm into limited liability partnership has been obtained;

(v) that to the best of my knowledge and belief, the information given in this form and its attachments is correct and complete.

**Attachments**

1. Statement of partners of the firm (may be attached in a tabular form)
2. Incorporation Document & Statement in Form 2 filed electronically.
3. Statement of Assets and Liabilities of the firm duly certified as true and correct by the Chartered Accountant in practice.
4. List of all the creditors along with their consent to the conversion (may be given in the form of a tabular statement).
5. Approval from any body/authority.
6. Optional attachment.

To be digitally signed by a partner or designated partner

Date:

Place:

(The statement(s) of remaining partner(s) shall be given in the above format as a tabular statement as an attachment.)

**Certificate**

It is hereby certified that I have verified the above particulars from the books and records of M/s  Name of the firm) and found them to be true and correct.

o **Company secretary** o **Chartered Accountant** o **Cost Accountant in practice**

Digitally Signed

Certificate of Practice Number

Date:

Place:

Modify

Check Form

Pre-scrutiny

Submit



**For office use only****Digital signature of the authorizing officer**

This e-form is hereby approved

Confirm submission

This e-form is hereby rejected

**FORM 18***[See paragraphs 2 and 3 of Third Schedule, paragraphs 2, 3 and 4 of Fourth Schedule of the Act and rule 39(1) and 40(1)]***Application and Statement for conversion of a private company/unlisted public company into limited liability partnership.****Note – All fields marked in \*are to be mandatorily filled.****Part A  
Application**

1. \*CIN

2. \*Name of the Company

3. \*Date of incorporation

4. \*Name of office of Registrar of Companies

5. \*Address of registered office of the company

\*Line 1

\*Line 2

\*City

\*District

\*State

\*PIN Code

\*ISO Country Code

Phone

Fax

\*Email ID

6. \*Total number of shareholders in the company

7. \*Names and addresses of the shareholders

Name	Address (House Number, city/town/village, District, State, Pin code.)	Number of shares held in the company.

(In case number of shareholders is more than ten, separate sheet(s) in the above manner may be attached as an attachment.)

8. \*Service Request Number (SRN) of Form 1

9. \*Name of the proposed limited liability partnership

10. \*Address of registered office of the proposed limited liability partnership

\*Line 1   
\*Line 2   
\*City  \*District   
\*State  \*PIN Code   
ISO Country Code  \*Country   
Phone  Fax   
\*Email ID

11. \*Total number of partners in the LLP

12. \*Whether all the shareholders of the company have given their consent for conversion of the company into the limited liability partnership.

Yes  No

13. \*Whether all the partners of the limited liability partnership comprise all the shareholders of the company and no one else.

Yes  No

14. \*Whether any security interest in the assets of the company is subsisting or in force.

Yes  No

If yes, give details

--

15. \*Whether up to date Income-tax return is filed under the Income-tax Act, 1961.

Yes  No

If Yes, indicate the period upto which such return is filed

DD/MM/YYYY

16. \*Whether any prosecution initiated against or show cause notice received by the company for alleged offences under the Companies Act, 1956.

Yes  No

If Yes, give details in the following manner:-

SN	Section of the Companies Act under which action being initiated	Date of issue of show cause notice	Status (reply sent/ under examination by concerned authority)

(In case number of prosecution initiated/ show cause notice received is more than five, separate sheet(s) in the above manner may be attached as an attachment.)

17. \*Whether any proceeding by or against the company is pending in any Court or Tribunal or any other Authority.

Yes  No

If Yes, details thereof in following manner:-

Name of Court/ Authority	Tribunal/	Particulars

(In case number of proceedings is more than five, separate sheet(s) in the above manner may be attached as an attachment.)

18. \*Whether any earlier application for conversion of the said company into limited liability partnership was refused by the Registrar.

Yes  No

If yes, give SRN of earlier Form 18 and the reasons for refusal:

(i) SRN

(ii) Reasons

--

19. \*Whether any conviction, ruling, order, judgment of any Court, Tribunal or other authority in favour of or against the company is subsisting.

Yes  No

If Yes, details thereof in following manner:-

Section and the title of relevant Act	Particulars	Name of Court/ Tribunal/ Authority

(In case number of proceedings is more than five, separate sheet(s) in the above manner may be attached as an attachment.)

20. \*Whether consent of all the unsecured creditors for conversion of the company into limited liability partnership has been obtained.

Yes  No

If yes, a copy thereof.

21. \*Whether any clearance, approval or permission for conversion of the company into limited liability partnership is required from any body/ authority.

Yes  No

If Yes, whether the applicable approvals from the concerned body/authority or authorities have been obtained.

Yes  No

22. \*Whether upto date documents including Immediately preceding balance sheet and annual returns under the Companies Act, 1956 have been filed.

Yes

23. \*Whether the statement of assets and liabilities of the company duly certified as true and correct by the auditor made up to a date not preceding 30 days of the date of filing the application attached.

Yes

To be digitally signed by designated partner

DPIN

Date

Place

**Part B**  
**Statement**

I  shareholder of  (name of the company) and also named in the incorporation document of

(name of the LLP) as a partner or designated partner give my consent for the conversion of the said company

(name of the company) into the limited liability partnership.

**I state as under:**

(i) that all the requirements of the Limited Liability Partnership Act, 2008 and the rules made thereunder have been complied with, in respect of conversion of private company/ unlisted public company into limited liability partnership and matters precedent and incidental thereto;

(ii) that all the partners of the limited liability partnership comprise all the shareholders of the company and no one else;

(iii) that the applicable clearances, approvals or permissions for conversion of the company into a limited liability partnership from any authority/authorities have been obtained;

(iv) that the consent of all the unsecured creditors for conversion of the company into limited liability partnership has been obtained;

(v) that all the documents due for filing including balance sheet and annual return for the immediately preceding financial year have been filed under the provision of the Companies Act, 1956;

(vi) that to the best of my knowledge and belief, the information given in this form and its attachments is correct and complete.

**Attachments**

1. Statement of shareholders (may be given in a tabular form)
2. Incorporation Document & Statement in Form 2 filed electronically.
3. Statement of Assets and Liabilities of the company duly certified as true and correct by the auditor.
4. List of all the unsecured creditors along with their consent. (may be attached in a tabular form)
5. Approval from any other body/authority.
6. Optional attachment.

To be digitally signed by a partner or designated partner

Date:

Place:

(The statement(s) of remaining shareholder (s) shall be given in the above format as a tabular statement as an attachment.)

**Certificate**

It is hereby certified that I have verified the above particulars from the books and records of

(name of the company) and found them to be true and correct.

o **Company secretary in practice** o **Chartered Accountant in practice** o **Cost Accountant in practice**  
**Digitally Signed**

Certificate of Practice Number

Date:

Place:




**For office use only**

Digital signature of the authorizing officer

This e-form is hereby approved



This e-form is hereby rejected

**FORM 19**

[See rule 32(1)]

# Certificate of Registration on Conversion

of

.....  
[ Firm/ company]

to

.....  
[ Insert name of limited liability partnership]

LLPIN \_\_\_\_\_ of 20\_\_ - \_\_

I hereby certify that \_\_\_\_\_ Limited Liability Partnership is this day registered pursuant to section 58(1) of the Limited Liability Partnership Act, 2008.

Given under my hand at \_\_\_\_\_ this \_\_\_\_\_ day of \_\_\_\_\_, Two thousand \_\_\_\_\_

Registrar

\_\_\_\_\_



**FORM 20**

[See rule 35(1)]

Limited liability partnership application No..... of 20...

..... Applicants

**Affidavit in support of Summons**

I,..... of ..... solemnly affirm and state as follows:

1. I am the designated partner/ partner of the said limited liability partnership, or the liquidator of the said limited liability partnership in liquidation.

(Where the application is not by the limited liability partnership or its liquidator, but by a partner or creditor, the above paragraph should be suitably altered).

2. The limited liability partnership was incorporated on ....20\_\_\_\_. The document now produced and shown to me is a copy of the incorporation document of the said limited liability partnership.

3. The registered office of the limited liability partnership is situated at.....

4. The limited liability partnership commenced the business of.....(e.g..., manufacture of auto parts etc.) and has been carrying on the same, since.....

5. (Here set out in separate paragraphs the circumstances that have necessitated the proposed compromise or arrangement, the objects sought to be

achieved by it, and the terms of the compromise or arrangement. A copy of the proposed compromise or arrangement should be marked as an exhibit and annexed to the affidavit).

8. (Here set out the class of creditors or partners with whom the compromise or arrangement is to be made; where the arrangement is between the limited liability partnership and its partners, it should be stated whether any creditors or class of creditors are likely to be affected by it.)

9. It may be necessary that a meeting (or meetings) of the creditors or partners (if the meeting is only to be of a class of creditors, it should be so stated), should be called to consider and approve the proposed compromise or arrangement.

10. It is suggested that the meeting (or meetings) may be held at the premises of the registered office of the limited liability partnership or at such other place as may be determined by the Tribunal, and on such date(s) and at such time(s) as this Tribunal may direct; and that a chairman may be appointed for the meeting (or for each of the meetings) to be held.

11. It is suggested that notice of the proposed compromise or arrangement and of the meeting may be published once in (here set out the newspapers) and in such other manner as the Tribunal may direct.

12. It is prayed that necessary directions may be given as to the issue and publication of notices and the

convening, holding and conducting of the meeting(s)  
proposed above.

Solemnly affirmed.

Sd/- A.B.

Before me

Sd/-

Commissioner for Oaths

Date:

Place:

**FORM 21**

[See rule 35(2)]

Limited liability partnership application No..... of 20...  
..... Applicants

**Summons for directions to convene a meeting under  
section 60(1)**

Let all parties concerned attend the Member of the Tribunal  
in Chamber on..... day, the ..... Day of 20..., at  
.....o' clock in the ..... noon on the hearing of the applicant of  
the above named limited liability partnership [or of the  
applicant(s) above named] for an order that a meeting ( or  
separate meetings) be held at ..... of [ Here enter  
the class or classes of creditors or the partners of which the  
meetings have to be held] of the above limited liability  
partnership, for the purpose of considering, and if thought  
fit, approving, with or without modification, a scheme of

compromise or arrangement proposed to be made between the limited liability partnership and the said (here mention the class or classes of creditors or partners) of the said limited liability partnership;

And that directions may be given as to the method of convening, holding and conducting the said meeting(s) and as to the notices and advertisements to be issued.

And that a chairman (or chairmen) may be appointed of the said meeting(s), who shall report the result thereof to the Tribunal.

Authorized representative for the applicant(s)

Officer of the Tribunal.

The affidavit of.....will be used in support of the summons.

**Note:** Where the limited liability partnership is not the applicant, the summons should be served on the limited liability partnership, or, where it is being wound up, on its liquidator.

Date:

Place:

**FORM 22**

[See rule 35(11) and (17) and 41(4)]

**Notice of Intimation of Order of Court/ Tribunal/CLB/Central Government to the Registrar**

Note – All fields marked in \*are to be mandatorily filled.

1. \*LLPIN 2. \*Name of the limited liability partnership  

3. Address of registered office

\*Line 1 \*Line 2 \*City District \*State \*PIN Code \*ISO Country Code \*Country Phone Fax \*Email ID 4. \*Order of Court/ Tribunal/CLB/Central Government 5. \*Date of order 6. \*Date of receipt of certified copy 7. \*Section or rule reference 8. \*Description of order  

9. \*Submitted by or on behalf of :-

Name

Address

\* Line I

\*Line II

\*City/Town/Village :

\*District :

\*State:

\*Pin code :

### Attachment.

- (i) \*Certified copy of the order.
- (ii) Optional attachment.

### Verification

To the best of my knowledge and belief, the information given in this Form and its attachments is correct and complete.

I have gone through the provisions of the Limited Liability Partnership Act, 2008 and the rules framed there under.

I have been authorised to sign and submit this form.

To be digitally signed by

(Designated partner in case of LLP or by authorized representative in other cases)

DPIN, if applicable

Dated:

Place:

Modify

Check Form

Pre-scrutiny

Submit

### For Office use only:

This e-Form is hereby registered

Digital Signature of the authorizing officer \_\_\_\_\_ submit to  
BO \_\_\_\_\_

**FORM 23**

[See rule 19(1)]

Application for direction to LLP to change its name

1 \*Name of the applicant 

2 \*Address of the applicant

\*Line 1 \*Line 2 \*City  District \*State  \*PIN Code \*ISO Country Code \*Country Phone  Fax Email ID 

3 \*LLPIN of limited liability partnership or the CIN of the company or

Registration No. of other entity, if any

4 (a) \*The name with which the limited liability partnership

or the company or any other entity was incorporated

or registered. 

(b) \*Address

\*Line 1 \*Line 2 \*City  District \*State  \*PIN Code \*ISO Country Code \*Country Phone  Fax

Email ID

## 5 Grounds of objection

**Attachments.**

1. Copy of the authority to make application.
2. Copy of incorporation/registration certificate of limited liability partnership or the company or registration certificate of other entity, if any.
3. Optional attachment.

**Verification**

To the best of my knowledge and belief, the information given in this Form and its attachments is correct and complete.

I have gone through the provisions of the Limited Liability Partnership Act, 2008, the rules framed there under.

I have been authorized to sign and submit this application.

To be digitally signed by the applicant

Date

Place

**For Office use only:**

This e-Form is hereby approved

This e-Form is hereby rejected

Digital Signature of the authorizing officer

Submit to BO



**FORM 24**

[See rule 37(1)(b)]

**Application to the Registrar for striking off name****Note – All fields marked in \*are to be mandatorily filled.**

1. \*LLPIN
2. \*Name of the limited liability partnership
3. \*Registered office address
- \*Line 1
- \*Line 2
- \*City  District
- \*State  \*PIN Code
- \*ISO Country Code  \*Country
- Phone  Fax
- \*Email ID

## 4. \*Name and address of the designated partners

(In case of more than 5 designated partners, attach details of such designated partners in a separate sheet as an attachment)

- \*Name
- \*Address
- \*Line I
- \*Line II
- \*City/Town/Village
- District :
- \*State:
- \*Pin code
- 

## 5. \*Name and address of other partners

(In case of more than 5 partners, attach details of remaining partners in a separate sheet as an attachment)

\*Name

Address

\* Line I

\*Line II

\*City/Town/Village :

District :

\*State:

\*Pin code :

6. \*Whether up to date Income-tax returns filed.

Yes  No

7. \*Whether consent of all the partners obtained.

Yes  No

8. \*Copy of the latest statement of assets and liabilities not preceding 30 days of the date of filing application attached.

Yes

#### Attachments

1. \*Copy of detailed application
2. Copy of authority to make the application
3. Copy of consent of all partners or creditors.
4. Copy of the undertaking in case of striking off name.
5. Optional attachment.

#### Verification

To the best of my knowledge and belief, the information given in this Form and its attachments is correct and complete.

I have gone through the provisions of the Limited Liability Partnership Act, 2008 and the rules framed there under.

I have been authorized to sign and submit this application.

To be digitally signed by the designated partner

Date

Place

DPIN

-----  
For office use only

Digital signature of the authorizing officer

This e-form is hereby approved

This e-form is hereby rejected

**FORM 25**

[See rule 18(3)]

Application for reservation/renewal of name by a foreign LLP/foreign company

Note – All fields marked in \*are to be mandatorily filled.

Reservation  Renewal of Reservation

SRN of reservation

1. \*Name of the applicant

Address of the applicant

\*Line 1

\*Line 2

\*City  District

State  \*PIN Code

\*ISO Country Code

Country

Phone  Fax

Email ID

2. Name of the foreign limited liability partnership or foreign company

3. Registered office address or principal place of business address of  
foreign limited liability partnership or foreign company

\*Line 1

\*Line 2

\*City  District

State  \*PIN Code

\*ISO Country Code

Country

Phone  Fax

Email ID

4. \*Date of incorporation/ registration   
(DD/MM/YYYY)

5. \*Incorporation or registration number

6. \*Country of incorporation or registration

**Attachments**

1. Certified copy of the incorporation or registration certificate.
2. Certified copy of the authority to submit the application
3. Optional attachment.

**Verification**

To the best of my knowledge and belief, the information given in this Form and its attachments is correct and complete.

I have gone through the provisions of the Limited Liability Partnership Act, 2008, the rules framed thereunder.

I have been authorized to sign and submit this application.

To be digitally signed by applicant

Date:

Place:

Modify Check form Pre-scrutiny Submit

-----  
For office use only

Digital signature of the authorizing officer

This e-form is hereby approved

Confirm submission

This e-form is hereby rejected

**FORM 26**

[See rule 35(4)]

**FORM OF PROXY**

-----  
(Name of limited liability partnership)

I ..... being a partner of the above named limited liability partnership hereby appoint ..... or failing him, ..... as my proxy to vote for me on my behalf at the meeting of the partners of the limited liability partnership to be held on the ..... day of ..... 20....

Signed this ..... day of ..... 20....

Signature of Partner

Place: \_\_\_\_\_

**FORM 27***[See rule 34(1)]***Form for registration of particulars by foreign limited liability partnership****Note – All fields marked in \*are to be mandatorily filled.**

1. \*Name of the limited liability partnership incorporated or registered outside India :

2. (i) \*Country where the limited liability partnership is incorporated

(ii) \*Details of relevant Statute under which the limited liability partnership has been incorporated

(iii) \*Details of the authority under which limited liability partnership is establishing a place of business in India

3. \*State of principal place of business in India

4. (i) \*Date of establishment of principal place of business in India

(ii) \*Date on which approval of Reserve Bank of India obtained

5. Full address of the registered or principal office of the limited liability partnership incorporated or registered outside India:

\*Line 1

\*Line 2

\*City  District

\*State  \*PIN Code

\*Country

\*e-mail ID

6. \*Full address of the office of the limited liability partnership in India which is deemed as its principal place of business in India

*Line I	<input type="text"/>	
*Line II	<input type="text"/>	
*City	<input type="text"/>	*State <input type="text"/>
*Pin	<input type="text"/>	
Phone	<input type="text"/>	Fax <input type="text"/>
*Email ID	<input type="text"/>	

7. \*List of persons resident in India and authorised to accept on behalf of the limited liability partnership service of process and any notices or other documents required to be served on the limited liability partnership;

\*Number of persons authorized  [ drop down ]

Particulars of person authorized

1. Income-tax permanent account number(PAN)

Name of person resident in India authorized to accept on behalf of the foreign limited liability partnership

\*First Name

\*Surname

\*Father's / Husband's Name:

\*Designation:

\*Nationality:

\*Where the Nationality of origin is different from the above mentioned nationality,

\*Nationality of origin:

\*Date of birth

Others (please specify)

If already a partner of partnership firm or limited liability partnership or director of a company, specify the following:

No. of partnership firms in which he is a partner  Dropdown

Names & addresses of the partnership firm(s)

Name:

Address of principal office:

No. of limited liability partnership(s) in which he is a partner   
Dropdown

LLPIN and name of the limited liability partnership(s)

LLPIN  Name of limited liability partnership

No. of Company (ies) in which he is a director  Dropdown

DIN

Name and CIN of the Company(ies)

CIN  Name of Company

Permanent residential address

Address \*Line I

\*Line II

\*City  \*State

\*Pin  \*ISO Country Code

\*Country

Phone  Fax

\*Email ID

\*Whether present residential address is same as the permanent address

Yes

No

Present residential address

Line I



Line II

City  State

Pin  ISO Country Code

Phone  Fax

Email ID

Note: In case the authorized representatives are more than five, attach details in respect of remaining representatives in separate sheet as attachment.

### 8. List of partners & designated partners, if any,-

\*Number of partners

\*Number of designated partners, if any

\*Particulars of partners:-

#### Present Name

\*First name :

\*Last name :

\*Middle name :

#### Former Name(if any)

\*First name :

\*Last name :

\*Middle name :

\*Father's / Husband's Name :

\*Nationality :

\*Where the Nationality of origin is different from the above mentioned nationality,

\*Nationality of origin:

\*Date of birth :

\*Business/occupation :

Others (please specify)

\*Whether designated partner Yes  No

Usual residential address

Address \*Line I   
 \*Line II   
 \*City  \*State   
 \*Pin  \*ISO Country Code   
 \*Country   
 Phone  Fax   
 Email ID

\*Whether nominee of a body corporate Yes  No

If Yes,

(i) Name of the body corporate

(ii) Address of registered or principal office of the body corporate

Line I   
 Line II   
 City  State   
 Pin  ISO Country Code   
 Phone  Fax   
 Email ID

Note: In case the partners/ designated partners are more than five, attach details in respect of remaining partners/ designated partners in separate sheet as attachment.

#### Attachments

1. Copy of the incorporation document or other instrument constituting or amending the constitution of the limited liability partnership certified in the manner specified in the sub-rule (2) of rule 34.
2. Extracts of the Statute under which the foreign limited liability partnership has been set up.
3. Copy of authority under which the foreign limited liability partnership is establishing the place of business in India

4. Copy of approval of Reserve Bank of India for allowing the foreign limited partnership to establish place of business in India
5. If the above instrument is not in English then the translated version of the documents, certified in the manner specified in the sub-rule (5) of rule 34.
6. Power of attorney in favour of authorized representative
7. Optional attachment.

### Verification

To the best of my knowledge and belief, the information given in this Form and its attachments is correct and complete.

I have gone through the provisions of the Limited Liability Partnership Act, 2008 and the rules framed there under in respect of establishment of place of business by a foreign limited liability partnership.

I am authorised to sign and submit this form.

**To be digitally signed by:**

Authorized representative of foreign limited liability partnership

Date:

Place:

**Modify Check form Pre-scrutiny Submit**

For office use only

Digital signature of the authorizing officer

This e-form is hereby registered

**Confirm submission**

**FORM 28**

[See rule 34(3)]

Alteration in the -

- (A) the incorporation document, or other instrument constituting or defining the constitution of a limited liability partnership incorporated or registered outside India; or
- (B) the registered or principal office of a limited liability partnership incorporated or registered outside India; or
- (C) the partner or designated partner if any of a limited liability partnership incorporated or registered outside India.

Note – All fields marked in \*are to be mandatorily filled.

\*Name of the LLP incorporated or registered outside India:

\*Country where the LLP is incorporated

\*Financial year ended on

(name of the foreign LLP) having established a  
place of business in India at

hereby gives you notice of the alteration in -

- the incorporation document, or other instrument constituting or defining the constitution of a limited liability partnership incorporated or registered outside India; or
- the registered or principal office of a limited liability partnership incorporated or registered outside India; or
- the partner or designated partner if any of a limited liability partnership incorporated or registered outside India.

(A) the incorporation document, or other instrument constituting or defining the constitution of a limited liability partnership incorporated or registered outside India

A brief description of the alteration is given hereunder:

As per decision taken by LLP on

Shri

was authorised to file this alteration with the Registrar.

[Certified copy of the decision and/or the copy of the amended document should be enclosed. If the decision is not in English, a certified translation thereof must be enclosed.]

(B) the registered or principal office of a limited liability partnership incorporated or registered outside India

(i) The registered/principal office of the LLP in the country of incorporation has been shifted with effect from

(ii) The new address is as under:-

Line I   
 Line II   
 City  State   
 Pin  ISO Country Code   
 Country   
 Phone  Fax   
 Email ID

(C) the partner or designated partner of a limited liability partnership incorporated or registered outside India

(i) partner/designated partner of the LLP (if individual)

Name and surname in full	Usual residential address, email ID	Nationality	Business/ occupation or if there is no business/ occupation, particulars of other partnership/ directorships held, if any	Remarks as to alteration

--	--	--	--	--

(ii) partner/designated partner of the LLP (if bodies corporate)

Corporate Name	Registered office or principal office of body corporate	Names of directors/partners of body corporate		Remarks as to alteration
		Full name and address of each director or partner	Nationality of each director or partner and nationality of origin if different from present nationality	

#### Attachments

1. Copy of the decision or other document through which alteration has been made
2. If the above instrument is not in English then the translated version of the documents, certified in the manner specified in the sub-rule (5) of rule 34.
3. Power of attorney in favour of authorized representative
4. Optional Attachment.

#### Verification

To the best of my knowledge and belief, the information given in this Form and its attachments is correct and complete.

I have gone through the provisions of the Limited Liability Partnership Act, 2008 and the rules framed there under in respect of establishment of place of business by a foreign Limited Liability Partnership.

I am authorised to sign and submit this form.

To be digitally signed by:

Authorized representative of foreign limited liability partnership

Date:

Place:

Modify Check form Pre-scrutiny Submit

-----  
For office use only

Digital signature of the authorizing officer

This e-form is hereby registered

Confirm submission

**FORM 29**

[See rule 34(3) and (8)]

- (A) Alteration in the certificate of incorporation or registration of limited liability partnership incorporated or registered outside India
- (B) Alteration in the name or address of any of the persons authorized to accept service on behalf of a foreign limited liability partnership in India;
- (C) Alteration in the principal place of business of foreign limited liability partnership in India;
- (D) Cessation to have place of business in India

Note – All fields marked in \*are to be mandatorily filled.

\*Name of the foreign LLP:

\* FLLPIN

\*Country where the foreign LLP is incorporated

The above mentioned foreign LLP having established a place of business in India at  hereby gives notice for –

- alteration in the certificate of incorporation or registration of limited liability partnership incorporated or registered outside India
- alteration in the name or address of any of the persons authorized to accept service on behalf of a foreign limited liability partnership in India;

- alteration in the principal place of business of foreign limited liability partnership in India;
- Cessation to have place of business in India

**(A) alteration in the certificate of incorporation or registration of limited liability partnership incorporated or registered outside India**

\*A brief description of the alteration is given hereunder:

--

Date of Alteration

--

**(B) alteration in the name or address of any of the persons authorized to accept service on behalf of a foreign limited liability partnership in India;**

(1)

Present name and surname in full	Usual residential address	Remarks as to alteration (give date)

(2) Date of alteration

--

**(C) alteration in the address of principal place of business of the foreign limited liability partnership in India.**

(1) The principal place of business in India was shifted with effect from

--

(2) Date of alteration

--

(3) The changed address is as under:-

Line I

Line II

City 



 State

Pin 



 ISO Country Code



Country   
 Phone  Fax   
 Email ID

(D) (1) that it intends to close its place of business in India at the following places--

Line I   
 Line II   
 City  State   
 Pin  ISO Country Code   
 Country   
 Phone  Fax   
 Email ID

- (2) Date of intention to close   
 (3) That the LLP is not maintaining the place of business at any other place in India.  
 (4) That the LLP has filed with the Registrar all documents due for filing.

#### Attachments

- (i) Copy of the decision or other document through which alteration has been made
- (ii) Copy of approval of Reserve Bank of India for cessation of place of establishment of office in India of the foreign limited liability partnership
- (iii) Power of attorney in favour of authorized representative
- (iv) Optional Attachment.

1285 48705-32

**Verification**

To the best of my knowledge and belief, the information given in this Form and its attachments is correct and complete.

I have gone through the provisions of the Limited Liability Partnership Act, 2008 and the rules framed there under in respect of establishment of place of business by a foreign Limited Liability Partnership.

I am authorised to sign and submit this form.

**To be digitally signed by:**



Authorized representative of foreign limited liability partnership

Date:

Place:

-----  
For office use only

Digital signature of the authorizing officer

This e-form is hereby registered

**Form 30**

[See rule 34(10)]

**Certificate for Establishment of Place of Business in India**Foreign Limited Liability Partnership Registration  
Number: -----

Year -----

I hereby certify that Form No 27 dated \_\_\_\_\_  
filed pursuant to rule 34 of the Limited Liability  
Partnership Rules, 2009 informing establishment of place  
of business in India at \_\_\_\_\_ with effect  
from \_\_\_\_\_ by \_\_\_\_\_, a Limited Liability  
Partnership originally incorporated in \_\_\_\_\_ has been  
registered.

Given under my hand at \_\_\_\_\_ this \_\_\_\_\_ day  
of \_\_\_\_\_ Two Thousand \_\_\_\_\_.

Registrar

**(Seal)**

**FORM 31**

[See rule 41(1)]

**Application for compounding of an offence under the Act**

Note – All fields marked in \*are to be mandatorily filled.

1. \*LLPIN 2. \*Name of the limited liability partnership  

## 3. Registered Office Address

\*Line 1 \*Line 2 \*City  District \*State  \*PIN Code \*ISO Country Code  \*Country Phone  Fax \*Email ID 

## 4. \*Name and address of the persons seeking compounding of the offence

(In case of more than 5 persons, attach details of such persons in a separate sheet as an attachment)

\*Name 

\*Address

\*Line I \*Line II \*City/Town/Village District: \*State: \*Pin code

5. Name and address of the persons who have received the show cause notice, if any.

(In case of more than five persons, attach details of remaining persons in a separate sheet as an attachment)

Name

Address

Line I

Line II

City/Town/Village :

District :

State:

Pin code :

6. \*(i) Please indicate the section of the Act under which offence has been committed:

\*(ii) indicate the relevant penalty provisions of the Act

7. Whether the offence has been made good as on date of application, if applicable.

Yes  No

If yes, the date of making the default good.

8. Copy of the latest statement of assets and liabilities attached.

Yes

#### Attachments

1. \*Copy of detailed application
2. Copy of authority to make the application on behalf of the LLP
3. Copy of authority to make the application on behalf of other persons
4. Optional attachment.

#### Verification

To the best of my knowledge and belief, the information given in this Form and its attachments is correct and complete.

I have gone through the provisions of the Limited Liability Partnership Act, 2008 and the rules framed there under.

I have been authorized to sign and submit this application on behalf of  
the

(name of persons on whose behalf application is made)

To be digitally signed by the designated partner or  
Authorized representative

DPIN

Date

Place

Modify Check form Pre-scrutiny Submit

-----  
For office use only

Digital signature of the authorizing officer

This e-form is hereby approved

Confirm submission

This e-form is hereby rejected

**ANNEXURE 'A'**

1. For registration of Limited Liability Partnership including conversion of a firm or a private company or an unlisted public company into Limited Liability Partnership:

- |   |            |
|---|------------|
| (a) Limited Liability Partnership whose contribution does not exceed Rs. 1 lakh                           | Rs. 500/-  |
| (b) Limited Liability Partnership whose contribution exceeds Rs. 1 lakh but does not exceed Rs. 5 lakhs   | Rs. 2000/- |
| (c) Limited Liability Partnership whose contribution exceeds Rs. 5 lakhs but does not exceed Rs. 10 lakhs | Rs. 4000/- |
| (d) Limited Liability Partnership whose contribution exceeds Rs. 10 lakh                                  | Rs. 5000/- |

2. The difference between the fees payable on the increased slab of contribution and the fees paid on the preceding slab of contribution shall be paid through Form 3.

3. For filing, registering or recording any document, form, statement, notice, Statement of Accounts and Solvency, annual return and an application alongwith the Statement for conversion of a firm or a private company or an unlisted public company into LLP by this Act or by these rules required or authorized to be filed, registered or recorded:

- |     |   |           |
|-----|---|-----------|
| (a) | Limited Liability Partnership whose contribution does not exceed Rs. 1 lakh                           | Rs. 50/-  |
| (b) | Limited Liability Partnership whose contribution exceeds Rs. 1 lakh but does not exceed Rs. 5 lakhs   | Rs. 100/- |
| (c) | Limited Liability Partnership whose contribution exceeds Rs. 5 lakhs but does not exceed Rs. 10 lakhs | Rs. 150/- |
| (d) | Limited Liability Partnership whose contribution exceeds Rs. 10 lakh                                  | Rs. 200/- |

4. Fee for any application other than application for conversion of a firm or a private company or an unlisted public company into LLP shall be as under:-

- |     |  |              |
|-----|--|--------------|
| (a) | An application for reservation of name u/s 16          | Rs. 200/-    |
| (b) | An application for direction to change the name u/s 18 | Rs. 10000/-  |
| (c) | Application for reservation of name under Rule 18(3)   | Rs. 10,000/- |
| (d) | Application for renewal of name under rule 18(3)       | Rs. 5000/-   |
| (e) | Application for obtaining DPIN under rule 10(5)        | Rs.100/-     |

5. Fee for inspection of documents or for obtaining certified copy thereof shall be as under:-

- (a) For inspection of documents of an LLP under section 36 Rs. 50/-
- (b) For Copy or extract of any document under section 36 to be certified by Registrar Rs. 5/- per page or fractional part thereof
6. Fee for filing any form or a Statement of Account and Solvency or a notice or a document by foreign limited liability partnership
- (a) For filing a document under rule 34(1) Rs.5000/-
- (b) Any other form or Statement of Account and Solvency or notice or document Rs.1000/-

**ANNEXURE 'B'**

<b>No. (1)</b>	<b>NAME OF DOCUMENT (2)</b>	<b>PERIOD OF PRESERVATION (3)</b>
1.	Incorporation document [Section 11(1)(b)]	Permanent
2.	Notice of situation of registered office [Section 13]	Permanent
3.	Information with regard to Limited Liability Partnership Agreement or any changes made therein [Section 23(2)]	Permanent
4.	Notice of other address of any limited liability partnership at which documents to be served [Section 13(2)]	Permanent



**ANNEXURE 'C'**

<b>No. (1)</b>	<b>NAME OF DOCUMENT (2)</b>	<b>PERIOD OF PRESERVATI ON (3)</b>
1.	Statement of compliance with requirements of the Act by an Advocate or Company Secretary or Chartered Accountant or Cost Accountant in whole-time practice and by any person who subscribed his name to the incorporation document [Section 11(1)(c)]	5 years
2.	Notice of a person ceasing to be a partner and any change in the name or address of a partner	5 years
3.	Registered documents relating to LLP struck off under Section 75 together with correspondence or copy of the order of restoration of the LLP into the register	5 years
4.	Annual return of a limited liability partnership	5 years
5.	Consent of candidates to act as designated partner to be filed with the Registrar [section 7(4)]	5 years
6.	Consent to act as a partner	5 years
7.	Statement by all the partners of firm containing particulars of firm along with application for its conversion into limited liability partnership	5 years
8.	Statement by all the shareholders containing particulars of private company/unlisted public company along with application for its conversion into limited liability partnership	5 years
9.	Certified copy of the order(s) of the Tribunal under section 60/61/62.	5 years
10..	Copy of the order of dissolution of a LLP by Tribunal [Section 63]	5 years
11.	Statement of Account and Solvency	8 years

**ANNEXURE 'D'**

Particulars of documents relating to limited liability partnership

**PART I**

NAME OF LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP	ACT UNDER WHICH REGISTERED	DATE ON WHICH FINALLY DISSOLVED OR WOUND UP OR STRUCK OFF	DESCRIPTION OF DOCUMENTS DESTROYED	DATE AND MODE OF DESTRUCTION WITH REMARKS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Particulars of documents other than those specified in Part I

**PART II**

NO. OF THE FILE OF DOCUMENTS DESTROYED	SUBJECT TO WHICH THE DOCUMENT REFERS	DESCRIPTION OF DOCUMENTS DESTROYED	DATE AND MODE OF DESTRUCTION WITH REMARKS
(1)	(2)	(3)	(4)

[F. No. 2/10/2008-CL-V]

JITESH KHOSLA, Jt. Secy.